वार्षिक प्रतिवेदन

उत्तर प्रदेश

लोक सेवा आयोग

इलाहाबाद

सन् १९६२-६३

इलाहाबाद

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६४

प्रस्तावना

भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३२३ के खण्ड (२) के उपबन्धों के अनुसार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को सन् १९६२-६३ का अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं।

राधाकृष्ण अध्यक्ष

मुहम्मद हम्माद फारूकी सदस्य

रामधर ,,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा ,,

जैकरन नाथ उग्रा ,,

इलाहाबाद,

[illegible] नवम्बर, १९६३।

विषय-सूची

परिशिष्ट

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सन् १९६२-६३ के कार्य का वार्षिक प्रतिवेदन।

१---आयोग के सदस्य

श्री राधा कृष्ण, एम० ए०, एल-एल० बी० पूरे वर्ष भर अध्यक्ष तथा डा० मुहम्मद हम्माद फारुकी, एम० ए०, एल-एल० बी०, पी० एच० डी०, बार-एट-ला, डा० रामधर, एम० ए०, पी० एच० डी० एवं श्री आर० पी० वर्मा, बी० ए०, एल-एल० बी०, सदस्य बने रहे। श्री गिरीश चन्द्र, एम० ए०,एल-एल० बी० १४ अप्रैल, १९६२ तक सदस्य रहे। तत्पश्चात् ६० वर्ष की आयु के हो जाने पर वे अपने पद से अलग हुए। उनके स्थान पर श्री जैकरन नाथ उग्रा, एम० ए०, एल-एल० बी० ने १४ अप्रैल, १९६२ के अपरान्ह से आयोग के सदस्य के पद का कार्यभार ग्रहण किया।

२---आयोग के कर्मचारिवर्ग

श्री पूरन चन्द्र पांडे, आई० ए० एस० पूरे वर्ष भर आयोग के सचिव बने रहे। श्री बेनी कृष्ण शर्मा २ अप्रैल, १९६२ को उपसचिव हो कर आये और १ जनवरी, १९६३ के पूर्वान्ह में चले गये। श्री पांडे ४ जून से १० जुलाई, १९६२ तक अवकाश पर रहे। इस अवधि में श्री बेनी कृष्ण शर्मा सचिव, श्री मुनीश्वरानन्द सक्सेना, उपसचिव तथा श्री जे० ई० कर्न्स सहायक सचिव के पद पर स्थानापन्न रहे। श्री मुनीश्वरानन्द सक्सेना ३१ दिसम्बर, १९६२ तक सहायक सचिव रहे और ५ अप्रैल, १९६२ से उस पद पर स्थायी कर दिये गये। वे १ जनवरी, १९६३ से उपसचिव के पद पर स्थानापन्न रूप से पदोन्नत किये गये और वर्ष के अन्त तक चलते रहे। वे १६ अक्तूबर से २७ अक्तूबर, १९६२ तक अवकाश पर रहे। उनके छुट्टी जाने से रिक्त स्थान पर कोई नियुक्ति नहीं की गई। अतिरिक्त सहायक सचिव के पद के स्थान पर, जिसके पदधारी श्री शिव चरन लाल गुप्त थे, शासन ने १ अप्रैल, १९६२ से सहायक सचिव का एक स्थायी पद स्वीकृत किया। श्री गुप्त उस पद पर वर्ष भर बने रहे, सिवाय १४ फरवरी से २ मार्च, १९६३ की अवधि के, जिसमें वे अवकाश पर थे। उनके अवकाश पर जाने से रिक्त स्थान पर कोई नियुक्ति नहीं की गई थी। श्री गुप्त उक्त पद पर २४ जुलाई, १९६२ से स्थायी कर दिये गये। श्री मुनीश्वरानन्द सक्सेना के उपसचिव के पद पर स्थानापन्न रूप से पदोन्नत हो जाने पर श्री जे० ई० कर्न्स १ जनवरी, १९६३ से सहायक सचिव के पद पर स्थानापन्न रूप से पदोन्नत किये गये।

२---निम्नलिखित अस्थायी पदों का कार्यकाल प्रतिवेदनाधीन वर्ष के अन्त तक के लिये बढ़ा दिया गया---

उपसचिव	...	...	१
अधीक्षक	...	...	१
सहायक अधीक्षक	...	...	६
प्रवर वर्ग सहायक	...	...	१२
आशु लिपिक	...	...	१

निर्देश लिपिक	...	...	१
अवर वर्ग सहायक	...	...	१२
टंकक	...	...	१

प्रतिवेदनाधीन वर्ष में एक प्रवर वर्ग सहायक अनियमितता उन्मूलन संबंधी कार्य के लिये स्वीकृत किया गया। ८०–२०० रु० के वेतन–क्रम में एक पूछ–ताछ सहायक भी स्वीकृत किया गया। इनके अतिरिक्त, निम्नलिखित निम्नश्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति की स्वीकृति भी प्राप्त हुई :—

१—अटेन्डर जमादार	...	...	१
२—चौकीदार	...	...	१
३—माली	...	...	१
४—ट्यूब वेल आपरेटर	...	...	१
५—भिश्ती	...	...	१

३—प्रतिवेदनाधीन वर्ष में आयोग के कार्यालय में आकस्मिक कार्याधिक्य को निपटाने के लिये आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु अध्यक्ष के अधिकार में २,००० रु० की एकमुश्त धनराशि रखी गयी।

४—वर्ष के आदि और अन्त में कर्मचारिवर्ग की स्वीकृत संख्याओं का एक तुलनात्मक विवरण परिशिष्ट १४ में दिया गया है।

३—आय–व्यय

गत वर्ष आयोग की आय ६,३७,१९३ रुपये थी। इस वर्ष की आय बढ़कर ६,९७,८११ रुपये हो गई अर्थात् कुल ६०,६१८ रुपये की वृद्धि हुई। इस वृद्धि का कारण यह था कि खंड विकास अधिकारी के पदों के लिये प्राप्त आवेदन–पत्रों की संख्या बहुत थी तथा राज्य की अभियन्त्रण सेवाओं में भर्ती के लिये एक नई प्रतियोगिता परीक्षा चालू की गई। वर्ष भर में कुल १०,०१,३४९ रु० व्यय हुए, जब कि गत वर्ष ९,८४,९०० रुपये व्यय हुए थे। व्यय में १६,४४९ रु० की वृद्धि का कारण मुख्यतः यह था कि विभिन्न परीक्षाओं में बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या में वृद्धि हो गई थी।

४—आयोग की बैठकें

प्रतिवेदनाधीन वर्ष में विभिन्न परीक्षाओं तथा चुनावों के संबंध में व्यक्तित्व उप–परीक्षाओं तथा साक्षात्कारों को करने के लिये आयोग ने २६१ दिन अपनी बैठकें कीं। इन साक्षात्कारों के लिये कई दिन दो या अधिक परिषदों का निर्माण किया गया। वर्ष में विभिन्न परिषदों की बैठकों की कुल संख्या ७०७ थी। जो मामले चरित्रा–वलियों को घुमाने से निपटाये न जा सके थे, उन मामलों पर विचार–विमर्श करने के लिये भी आयोग ने जब जब आवश्यकता पड़ी, अपनी बैठकें की।

५--परीक्षा द्वारा भर्ती

प्रतिवेदनाधीन वर्ष, १९६२--६३, में आयोग ने :

(१) परिशिष्ट २ में मद संख्या १ से १०, १२ तथा १९ के सामने उल्लिखित १२ परीक्षाओं का परीक्षा-फल घोषित किया;

(२) उपर्युक्त परिशिष्ट के मद ७ से २० के सामने उल्लिखित १४ परीक्षाओं के संबंध में लिखित विषयों में परीक्षा ली;

(३) उपर्युक्त परिशिष्ट के मद १, २, ३, ५, ७, ८, १० तथा १२ के सामने उल्लिखित ८ परीक्षाओं के संबंध में व्यक्तित्व उप परीक्षायें लीं [ये सब परीक्षायें ऊपर (१) में सम्मिलित हैं] शेष ४ परीक्षाओं के संबंध में जो मद ४, ६, ९ तथा १९ के सामने उल्लिखित हैं, व्यक्तित्व उप परीक्षाओं की आवश्यकता नहीं थी।

(४) उपर्युक्त परिशिष्ट के मद २१ से २५ के सामने उल्लिखित ५ परीक्षाओं का विज्ञापन निकाला गया, जिनका संचालन १९६३--६४ में किया जायगा।

२--परिशिष्ट २ को देखने से पता चलेगा कि प्रथम ६ परीक्षाओं के अंकों को छोड़कर जिनकी लिखित परीक्षा गत वर्ष ली जा चुकी थी, विज्ञापित रिक्तियों की कुल संख्या १,३६९ थी। कुल १३,८२१ आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे। इनमें से कुल १२,६६२ अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई थी किन्तु कुल ९,९७३ अभ्यर्थी परीक्षाओं में बैठे।

३--जिन १२ परीक्षाओं के परीक्षाफल घोषित किये गये थे, उनके आधार पर कुल २४४ रिक्तियों को भरने का निश्चय किया गया था। आयोग ने कुल ३८९ अभ्यर्थियों को संस्तुत किया। वर्ष की समाप्ति तक नियुक्ति प्राधिकारियों ने १९५ अभ्यर्थियों को नियुक्त किया। जिन मामलों में नियुक्ति आदेश प्राप्त हुए थे, उन सब में नियुक्तियां आयोग के परामर्शानुसार की गई थीं।

४--वर्ष में कुल १,०३७ अभ्यर्थी व्यक्तित्व उप परीक्षाओं के लिये बुलाये गये थे।

५--चौदह परीक्षाओं के परीक्षाफल १९६१--६२ में प्रकाशित किये गये थे। उन परीक्षाओं के परीक्षाफल के आधार पर पहले कुल ३७३ रिक्तियों को भरने का निश्चय किया गया था। बाद में ४५ और रिक्तियों को भरने का निश्चय किया गया। इस प्रकार रिक्तियों की कुल संख्या ४१८ हो गई। उस वर्ष के अन्त तक ९३ अभ्यर्थियों (१९६१--६२ के वार्षिक प्रतिवेदन के परिशिष्ट २ के मद ४ के सामने उल्लिखित ११ अभ्यर्थियों को लेकर, जिनके विषय में रिक्तियों की संख्या का पता नहीं था, क्योंकि वह एक अर्हकारी उपपरीक्षा थी) की नियुक्ति के आदेश प्राप्त हो गये थे। १८८ अभ्यर्थियों (उन १८ रिक्तियों को छोड़कर जिनके लिये अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हुए थे, जैसा १९६१-६२ के प्रतिवेदन के परिशिष्ट २ के मद ६, ९ तथा ११ के सामने उल्लिखित किया गया था) की नियुक्ति के आदेश प्रतिवेदनाधीन वर्ष में प्राप्त हुए। शेष ११९ रिक्तियों के विषय में स्थिति इस प्रकार थी:--

(१) उत्तर प्रदेश सचिवालय तथा सूचना निदेशालय में प्रवर वर्ग सहायकों की ९१ रिक्तियां तथा अवर वर्ग सहायकों की ३३ रिक्तियां

१९६० की परीक्षा के आधार पर भरी जाने को थीं। प्रतिवेदनाधीन वर्ष की समाप्ति तक प्रवर वर्ग सहायक के पदों पर ३८ अभ्यर्थियों तथा अवर वर्ग सहायक के पदों पर १८ अभ्यर्थियों की नियुक्ति के आदेश प्राप्त हुए। प्रवर वर्ग सहायक के पदों पर ५३ अभ्यर्थियों तथा अवर वर्ग सहायक के पदों पर १५ अभ्यर्थियों की नियुक्ति के आदेशों की प्रतीक्षा प्रतिवेदनाधीन वर्ष की समाप्ति तक की जाती रही।

(२) पांच विभिन्न सेवाओं तथा पदों में २६ रिक्तियां सम्मिलित राज्य सेवा परीक्षा, १९६० के परीक्षाफल के आधार पर भरी जाने को थीं। प्रतिवेदनाधीन वर्ष की समाप्ति तक ऐसी २३ रिक्तियों के संबंध में नियुक्ति आदेश प्राप्त हुए। ३ अभ्यर्थियों अर्थात् उत्तर प्रदेश असैनिक (अधिशासी) सेवा के लिये १ अभ्यर्थी, उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा के लिये १ अभ्यर्थी तथा सहायक सामान्य प्रबन्धक के पद के लिये १ अभ्यर्थी के विषय में नियुक्ति आदेश प्रतीक्षित रहे।

(३) सहायक बिक्री कर अधिकारियों की ३० रिक्तियां तथा मनोरंजन कर निरीक्षकों की २ रिक्तियां १९६० की परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर भरी जाने को थीं। प्रतिवेदनाधीन वर्ष की समाप्ति तक सहायक बिक्रीकर अधिकारियों की ३० रिक्तियों के संबंध में नियुक्ति आदेश प्राप्त हो गये। मनोरंजन कर निरीक्षक की रिक्तियों के विषय में नियुक्ति आज्ञाओं की प्रतीक्षा की जाती रही।

(४) अधीनस्थ स्थानीय निधि लेखा परीक्षा सेवा में सहायक लेखा परीक्षक के पदों के लिये ली गई १९६१ की परीक्षा के आधार पर ६ रिक्तियां भरी जाने को थीं। ६ अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश भेजे गये, किन्तु केवल चार ने अपने पदों का कार्यभार ग्रहण किया। इस प्रकार केवल २ रिक्तियां भरने को रह गई थीं, किन्तु बाद में ३ की सेवायें समाप्त कर दी गईं। भरने से रहगई इन रिक्तियों में नियुक्ति के विषय में परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश से पत्र-व्यवहार हो रहा है।

(५) उत्तर प्रदेश सचिवालय में, सूचना निदेशालय में तथा लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में प्रवर वर्ग सहायकों की ९६ रिक्तियां तथा अवर वर्ग सहायकों की २० रिक्तियां १९६१ की परीक्षा के आधार पर भरी जाने को थीं। प्रतिवेदनाधीन वर्ष की समाप्ति तक प्रवर वर्ग सहायक के पदों पर ५४ अभ्यर्थियों तथा अवर वर्ग सहायक के पदों पर १८ अभ्यर्थियों की नियुक्ति के आदेश प्राप्त हुए। प्रवर वर्ग सहायक के पदों पर ४२ अभ्यर्थियों तथा अवर वर्ग सहायक के पदों पर २ अभ्यर्थियों के विषय में नियुक्ति आदेश प्रतीक्षित रहे।

६--सामान्यतया परीक्षाओं का केन्द्र, इलाहाबाद में आयोग का परीक्षा भवन रहता है, किन्तु ५ परीक्षाओं के केन्द्र बाहर भी खोलने पड़े अर्थात् एक लखनऊ में, एक इलाहाबाद, लखनऊ और आगरा में, एक इलाहाबाद, मेरठ, गोरखपुर तथा लखनऊ में, एक इलाहाबाद, मेरठ, आगरा तथा लखनऊ में और एक इलाहाबाद, मेरठ, आगरा, गोरखपुर, बरेली, कानपुर तथा लखनऊ में। आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यगण बाहर के कुछ परीक्षा केन्द्रों में किये गए प्रबन्ध को देखने के लिये वहां गये।

७--अनुसूचित जातियों के हेतु आरक्षित रिक्तियों के लिये उनकी प्राप्यता के विषय में स्थिति का दिग्दर्शन निम्नलिखित प्रविवरण में कराया गया है :--

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्तियों की संख्या	अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों की संख्या जो संस्तुत किये गये	उन रिक्तियों की संख्या जिनके लिये अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो सके	३१-३-६३ तक नियुक्त अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों की संख्या	अभ्युक्ति
१	२	३	४	५	६	७
१	नायब तहसीलदार, १९६१	५	१५	..	४	शेष अभ्यर्थियों के विषय में नियुक्ति आदेशों की प्रतीक्षा है।
२	कलेक्शन नायब तहसीलदार, १९६१	४				
३	उत्तर प्रदेश असैनिक (न्यायिक) सेवा, १९६१	५	१	४	१	५ अभ्यर्थी व्यक्तित्व उप परीक्षा के लिये बुलाये गये थे, किन्तु और कोई उपयुक्त नहीं पाया गया।
४	उत्तर प्रदेश असैनिक (अधिशासी) सेवा, १९६१	२	...	..	२	२ उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा के संबंध में नियुक्ति आदेशों की प्रतीक्षा है।
५	उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा, १९६१	२	६	..	..	
६	उत्तर प्रदेश वित्त तथा लेखा सेवा, १९६१	२	५	..	..	नियुक्ति आदेशों की प्रतीक्षा है।

१	२	३	४	५	६	७
७	उत्तर प्रदेश अधीनस्थ प्रति–निबन्धक सेवा में प्रति–निबन्धक, १९६१	४	२	२	२	४ अभ्यर्थी व्यक्तित्व उप परीक्षा के लिये बुलाए गये थे, किन्तु और कोई उपयुक्त नहीं पाया गया।
८	सहायक बिक्री–कर अधिकारी, १९६१	७	१४	..	..	नियुक्ति आदेशों की प्रतीक्षा है।
९	मनोरंजन कर–निरीक्षक, १९६१	१				
१०	उत्तर प्रदेश सचिवालय में आशुलिपिक, १९६१	७	..	७	..	कोई अर्ह नहीं हो सका।
११	फारेस्ट रेंजर्स कोर्स, १९६२–६४	२	१	१	..	नियुक्ति के लिये एक मात्र अभ्यर्थी जो संस्तुत किया गया था, वह चुनाव के लिये विहित शारीरिक एवं स्वास्थ्य उप परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ।
१२	वरिष्ठ वन सेवा (डिप्लोमा) कोर्स, १९६३–६४	२	१	१	१	व्यक्तित्व उप परीक्षा के लिये और कोई अभ्यर्थी अर्ह नहीं हुआ।
	योग ..	४३	४५	१५	१०	

८—परिशिष्ट २ की मद संख्या ४, ६ और १९ के सामने दिखलाई गई परीक्षाओं के विषय में अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिये किसी रिक्ति को आरक्षित करने का प्रश्न नहीं उठा, क्योंकि वे वास्तव में अर्हकारी उप परीक्षायें थीं, जो पुनरीक्षित वेतन क्रम में नियुक्ति के लिये उपयुक्तता के निश्चयन हेतु, पदोन्नति हेतु अथवा स्थायी पदों में स्थायीकरण के पूर्व एक विषय में उत्तीर्ण होने के लिये ली गई थीं।

ऊपर के विवरण से पता चलता है कि १२ परीक्षाओं में, जिनके परीक्षाफल इस वर्ष घोषित किये गये, अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्तियों की कुल संख्या ४३ थी और यद्यपि अनुसूचित जातियों के कुल ४५ अभ्यर्थी संस्तुत किये गये थे, उन अभ्यर्थियों की वास्तविक संख्या, जो वर्ष के अन्त तक नियुक्त किये गये, १० थी। १५ रिक्तियों के लिये अनुसूचित जातियों के उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो सके।

९—६२ रिक्तियों के विषय में, जो गत वर्ष अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित थीं, नियुक्ति आज्ञाओं की प्रतीक्षा थी, देखिये गत वर्षीय प्रतिवेदन के अध्याय ५ के पैरा ७ में दिया हुआ विवरण। इनमें से ४९ रिक्तियों के विषय में नियुक्ति आदेश प्रतिवेदनाधीन वर्ष में जारी किये गये अथवा शीघ्र बाद ही प्राप्त हुये और आयोग के परामर्श के अनुसार थे। शेष १३ पदों के लिये संस्तुत किये गये अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हुये क्योंकि वे उसके बाद अन्य पदों के लिये चुन लिये गये थे।

१०—१९६१–६२ के प्रतिवेदन के अध्याय ५ के पैरा ५ में यह उल्लेख किया गया था कि १९६०–६१ की ४० रिक्तियों के संबंध में नियुक्ति आदेश प्रतीक्षित थे। प्रतिवेदनाधीन वर्ष में उन सब के संबंध में नियुक्ति आदेश जारी किये गये।

११—१९६१–६२ के अध्याय ५ के पैरा ९ में उल्लेख किया गया था कि उस वर्ष की समाप्ति तक ५ रिक्तियों के संबंध में नियुक्ति आदेश प्रतीक्षित थे। प्रतिवेदनाधीन वर्ष में उन सब के नियुक्ति आदेश जारी किये गये।

१२—१९६१–६२ के अध्याय ५ के पैरा १० में यह उल्लेख किया गया था कि पशुलिपिक के पद पर एक अभ्यर्थी की नियुक्ति का मामला, जो शासन द्वारा आयोग के पुनर्विचारार्थ भेजा गया था, उस वर्ष की समाप्ति तक पत्र व्यवहारान्तर्गत रहा। आयोग उसकी नियुक्ति से सहमत हुये और प्रतिवेदनाधीन वर्ष में आदेश प्राप्त हो गये।

६—चुनाव द्वारा भर्ती

१९६२–६३ के वर्ष में विज्ञापन, साक्षात्कार आदि के पश्चात् चुनाव करके सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या गतवर्ष के अग्रेनीत अंकों को शामिल करके ७,३०६ थी और उसी अवधि में उन आवेदन-पत्रों की कुल संख्या, जिन पर विचार करना था, ५२,१२१ थी। प्रतिवदनाधीन वर्ष में परिशिष्ट ३ के स्तम्भ (३) व (४) में उल्लिखित ५,३४९ रिक्तियों तथा ३०,७७६ आवेदन-पत्रों के विषय में चुनाव कार्य यहां तक पूरा हो गया था कि साक्षात्कार कर लिये गये थे अथवा नियुक्ति प्राधिकारियों को स्थिति से अवगत करा दिया गया था अथवा थोड़े से मामलों में विज्ञापन निरस्त कर दिये गये थे। किन्तु परिशिष्ट ३–क के स्तम्भ (३) व (४) में उल्लिखित शेष १९५७ रिक्तियों तथा २१,३४५ आवेदन-पत्रों के विषय में वर्ष के अन्त तक उपर्युक्त कार्यवाही पूरी नहीं की जा सकी। वर्ष में किये गये चुनावों के संबंध में १४,१२९ अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये बुलाया

गया, पर वास्तव में कुल १०,८७० अभ्यर्थियों का साक्षात्कार किया गया और कुल ५,४९१ अभ्यर्थी चुने गये।

२--ऊपर पैरा १ में प्रतिवेदित रिक्तियों की संख्या अर्थात् ७,३०६ में वे ४१० रिक्तियां नहीं शामिल हैं, जिनके विषय में अर्थना-पत्र तो वर्ष के भीतर आ गये थे, किन्तु विज्ञापन नहीं निकाले जा सके थे, क्योंकि या तो संबंधित प्राधिकारियों से प्रस्तावित अर्हताओं को पुनरीक्षित करने के संबंध में पत्र-व्यवहार हो रहा था, या अर्थना-पत्र वर्ष की समाप्ति के समय प्राप्त हुये थे अथवा अन्य कोई कारण थे।

३--निम्नलिखित १५ मामलों में प्रत्येक के सामने उल्लिखित कारणों से निकाले गये विज्ञापनों को निरस्त करना पड़ा अथवा चुनावों को स्थगित करना पड़ा :--

क्रम संख्या	परिशिष्ट ३ में मद संख्या	पद का नाम	संख्या		निरस्तीकरण अथवा स्थगन के कारण
			विज्ञापित पदों की	प्राप्त आवेदन-पत्रों की	
१	२	३	४	५	६
१	५६२	सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग में ज्येष्ठ विश्लेषण सहायक (खाद्य)	१	५	चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक के अनुरोध पर विज्ञापन निरस्त किया गया।
२	५६५	उत्तर प्रदेश उद्योग निदेशालय की पावर लूम योजना में प्राविधिक प्रबन्धक	२	५	पद तोड़ दिये गये।
३	५६६	पी० आर० ए० आई०, उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों में सीनियर असोशियेट (कृषि अभियन्त्रण)	१	११	मितव्ययिता के विचार से पद बन्द कर दिया गया।
४	५६७	बरेली में हाथी दांत की पच्चीकारी तथा लकड़ी तारकशी के काम की योजना के अन्तर्गत हाथी दांत का पच्चीकारी विशेषज्ञ	१	९	योजना बन्द हो जाने के कारण चुनाव रद्द कर दिया गया।
५	५६८	गुड़िया तथा कोमल खिलौना निर्माण विकास योजना, लखनऊ में सहायक विकास अधिकारी (खिलौने)	१	११	योजना बन्द हो जाने के कारण चुनाव रद्द कर दिया गया।

१	२	३	४	५	६
६	५६९	उत्तर प्रदेश श्रमायुक्त के अधीन लखनऊ तथा कानपुर में कार्मिक परामर्श सेवा स्थापन के लिये कार्मिक परामर्शदाता	२	१२	योजना बन्द हो जाने के कारण चुनाव रद्द कर दिया गया।
७	५७०	ंचायत निदेशालय में पत्रकार	१	६	पद तोड़ दिया गया।
८	५७५	स० ना० चि० महाविद्यालय, आगरा में सर्जरी में प्राध्यापक	१	४	पद पर एक अवकाश प्राप्त प्राध्यापक की पुनर्नियुक्ति संबंधी शासन के प्रस्ताव से आयोग के सहमत हो जाने के कारण विज्ञापन निरस्त किया गया।
९	५७६	नगर तथा ग्राम नियोजन विभाग में रूरल हाउसिंग सेल के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (नगर नियोजन)	१	१	राष्ट्रीय संकट के कारण पद तोड़ दिया गया।
१०	५७७	नगर तथा ग्राम नियोजन विभाग में क्षेत्रीय-सहित-औद्योगिक नियोजक	१	१	राष्ट्रीय संकट के कारण पद तोड़ दिया गया।
११	५७८	समाज कल्याण विभाग में राजकीय उत्तर रक्षा गृहों के लिये अन्वेषक	४	४३	पद बन्द कर दिये गये।
१२	५७९	भिक्षुक कर्मशाला अधीक्षक	१	११	तदेव
१३	५८१	प्रधानाचार्य, ठाकुर दान सिंह बिष्ट राजकीय डिग्री महाविद्यालय, नैनीताल	१	१८	चुनाव स्थगित कर दिया गया क्योंकि वर्तमान पद-धारी की पुन नियुक्ति की अवधि दिसम्बर, १९६३ तक के लिये बढ़ा दी गई थी।

१	२	३	४	५	६
१४	५८२	राष्ट्रीय हारटोरियम, मेरठ में सहायक औद्यानिक	१.	२०	शासन के अनुरोध पर विज्ञापन निरस्त किया गया।
१५	५८३	विधि आयुक्त, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में विधि नक्शानवीस	१	८	राष्ट्रीय संकट के कारण पद आस्थगित कर दिया गया।

निम्नलिखित मामलों में संबंधित पद पुनरीक्षित अर्हताओं अथवा वेतन-क्रमों के साथ पुनर्विज्ञापित किये गये अथवा परिवर्तन की घोषणा करते हुये शुद्धि-पत्र जारी किये गये :—

१—एच० बी०टी० आई०, कानपुर में विद्युत् अभियन्त्रण में सहायक प्राध्यापक।

२—राजकीय केन्द्रीय वस्त्र संस्थान, कानपुर में टेक्सटाइल टेक्नोलाजी में प्राध्यापक।

३—एच० बी० टी० आई, कानपुर में सहायक प्राध्यापक (हीटट्रांसफर आपरेशंस)।

४—औद्यानिक, राजकीय पर्वतीय फल अनुसंधान स्टेशन, चौबटिया रानीखेत।

५—सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश में सीनियर आर्किटेक्ट।

६—जन सम्पर्क अधिकारी, रिहन्द बांध प्रोजेक्ट, मिर्जापुर।

७—उत्तर प्रदेश उद्योग निदेशालय की गुण चिन्हांकन योजनाओं के अधीन अधीक्षक (रेशमी वस्तु), वाराणसी।

८—अर्थशास्त्र में व्याख्याता, राजकीय डिग्री महाविद्यालय, ज्ञानपुर/नैनीताल/रामपुर।

९—एच० बी० टी० आई०, कानपुर में अभियन्त्रण प्राध्यापक, अभियन्त्रण सहायक प्राध्यापक, सिलीकेट टेक्नोलाजी सहायक प्राध्यापक, थर्मोडाइनमिक्स सहायक प्राध्यापक, चित्रकला तथा सहायक प्राध्यापक इन्स्ट्रूमेन्टेशन

विज्ञापनों को निरस्त करने अथवा उनका शुद्धि-पत्र निकालने से जनता के धन का अनावश्यक अपव्यय ही नहीं होता है, बल्कि आयोग और उनके कर्मचारिवर्ग में जो पहले से ही कार्यभार से दबे हुये हैं, पर्याप्त समय एवं शक्ति का भी अपव्यय होता है। अतः जनता के हित में नियुक्ति प्राधिकारियों को चाहिये कि वे जहां तक संभव हो, अपनी आवश्यकताओं का हिसाब ठीक-ठीक रक्खें और तब अपने अर्थनापत्रों को आयोग के पास भेजें।

४—प्रतिवेदनाधीन वर्ष में आयोग ने जिन पदों के लिये विज्ञापन निकाला था, उनमें से ११३३ पदों के लिये वे अभ्यर्थियों की संस्तुति नहीं कर सके। इनमें से ७९ पदों के लिये ४३८ अभ्यर्थियों ने आवेदन-पत्र भेजे थे, २२५ साक्षात्कार के लिये बुलाये गये थे, १६० साक्षात्कार के लिये उपस्थित हुये, पर आयोग ने

किसी को नियुक्ति के लिये उपयुक्त नहीं समझा, ९० पदों के लिये ५० साक्षात्कार के लिये बुलाये गये थे किन्तु आयोग के समक्ष उनमें से कोई नहीं आया। ७२ पदों के लिये १४९ आवेदन पत्र आये थे, पर साक्षात्कार में बुलाये जाने के लिये कोई उपयुक्त नहीं पाया गया। ४० पदों के लिये कोई अभ्यर्थी था ही नहीं। शेष ८५२ पदों के लिये आयोग ने यद्यपि अभ्यर्थियों की एक बड़ी संख्या का साक्षात्कार किया, पर नियुक्ति के लिये वे किसी भी अभ्यर्थी को संस्तुत न कर सके। इससे यह सिद्ध होता है कि तकनीकी अर्हताओं वाले पदों के लिये अभ्यर्थियों की दुर्लभता अभी भी बनी हुई है। ऐसे मामलों में आयोग ने नियुक्ति प्राधिकारियों को सुझाव दिया कि वे निजी बातचीत द्वारा उपयुक्त अभ्यर्थियों को प्राप्त कर लें, पदों के कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुये अर्हताओं को पुनरीक्षित करें तथा/अथवा वेतन क्रमों को पुनरीक्षित करें अथवा शासन के अन्य विभागों से अभ्यर्थियों को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करें। कुछ मामलों में आयोग ने सुझाव दिया कि कुछ एकलित पद नियमित संवर्गों के साथ मिला दिये जायं। सभी संभव द्वारों को खटखटाने के विचार से आयोग ने अपने विज्ञापनों का विस्तृत प्रकाशन भी किया। कुछ मामलों में भावी अभ्यर्थियों को सूचित करने के लिये जारी किये गये विज्ञापनों की प्रतियां विदेशों में स्थित भारतीय राजनयिक मिशनों के अध्यक्षों तथा भारत की शैक्षिक तथा/अथवा प्राविधिक संस्थाओं के अध्यक्षों के पास भी भेजी गई। कुछ मामलों में आयोग ने संबंधित राष्ट्रीय अथवा तकनीकी विद्यालयों, विद्वत्समितियों अथवा विशिष्ट क्षेत्र के प्रख्यात विशेषज्ञों से भी उपयुक्त अभ्यर्थियों को प्राप्त करने के लिये सम्पर्क स्थापित किया।

५—शासन के नियुक्ति विभाग द्वारा जारी किये गये कार्यालय ज्ञाप संख्या ०–५२५०/२–बी—५४–४८, दिनांक २९ दिसम्बर, १९४८ के अनुसार संबंधित नियुक्ति प्राधिकारियों को चाहिये कि वे आयोग की संस्तुतियों को पाने की तिथि से दो मास के भीतर उन पर की गई कार्यवाही की सूचना आयोग को अवश्य दें। किन्तु इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट १३ को देखने से पता चलेगा कि ५७८ पदों के लिये नियुक्ति आज्ञाओं में ६ मास से अधिक विलम्ब किया गया, कुछ मामलों में एक वर्ष से अधिक का या ऐसा ही विलम्ब हुआ। इतना असाधारण विलम्ब होने से चुने हुये अभ्यर्थी अधर में लटके रहते हैं और अपनी भावी योजना ठीक–ठीक नहीं बना पाते हैं।

६—गत वर्षीय प्रतिवेदन के अध्याय ६ के पैरा ७ की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि आयोग ने जनवरी, १९६० में सूचना निदेशालय में जिला सूचना अधिकारी के ५१ पदों तथा अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी के १३ पदों (स्थायी विकास संग्रहालय, बनारसी बाग, लखनऊ के लिये सहायक प्रदर्शिनी अधिकारी के एक पद को शामिल करते हुये) के लिये चुनाव किया था किन्तु इस मामले में शासन से पत्र–व्यवहार होता रहा और नियुक्ति आदेश नहीं प्राप्त हुये थे। प्रतिवेदनाधीन वर्ष में भी उक्त पदों के लिये आयोग द्वारा संस्तुत अभ्यर्थियों की एक भारी संख्या के बारे में नियुक्ति आदेश अनिस्तारित रहे। वर्ष समाप्त होने पर शासन ने लिखा कि उन्होंने विद्यमान पदधारियों को स्थायी करने का विनिश्चय कर लिया है। बतलाया गया कि उक्त विनिश्चय "जन हित में" किया गया था। इस विनिश्चय का आशय यह हुआ कि आयोग द्वारा नियुक्ति के लिये मुख्य सूची में संस्तुत १८ अविभागीय अभ्यर्थियों के विषय में उन के परामर्श को कार्यान्वित नहीं किया गया। आयोग खेद के साथ कहते हैं कि शासन ऐसा विनिश्चय जन हित की आड़ में, जो एक अस्पष्ट पद है, करे। वास्तव

में यदि खुली भर्ती में तुलनात्मक श्रेष्ठता के आधार पर उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों में से सभी नियुक्तियां की जातीं और आयोग द्वारा नियमित रूप से न चुने गये अस्थायी रूप से नियुक्त व्यक्तियों को प्रश्रय न दिया जाता तो जन हित की अधिक सेवा होती।

७--कार्य का बोझ अत्यधिक बढ़ जाने के कारण आयोग को श्रमायुक्त को यह परामर्श देना पड़ा कि वे श्रम विभाग में विद्युत् ओवरसियर के पदों को उनके विचार क्षेत्र से निकाल देने तथा उन पदों का चुनाव एक विभागीय चुनाव समिति द्वारा करने के संबंध में शासन से अनुरोध करें। आयोग से सहमत होकर शासन ने तदनुसार आदेश जारी किये।

इसी प्रकार विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश के अधीन सहायक विकास अधिकारी (ग्राम अभियन्त्रण) के पदों के संबंध में आयोग ने परामर्श दिया कि उन पदों को उनके विचार क्षेत्र से निकाल देने के विषय में शासन से अनुरोध किया जाय और जब तक इस मामले में विनिश्चय न हो जाय तब तक उक्त पदों का चुनाव एक तदर्थ समिति द्वारा करके उसकी संस्तुतियों को आयोग के परामर्श के लिये भेजा जाय। इस मामले में तदर्थ समिति की संस्तुतियों की प्रतीक्षा वर्ष की समाप्ति तक की जाती रही।

८--आयोग खेद के साथ यह लिखते हैं कि गत वर्षीय प्रतिवेदन के पैरा ११ (१) में निर्दिष्ट सहायक फोरमैन के पद के लिये एक अभ्यर्थी के विषय में नियुक्ति आदेश प्रतिवेदनाधीन वर्ष में भी नहीं जारी किये गये।

९--गत वर्षीय प्रतिवेदन के अध्याय ६ के पैरा १३ की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि उत्तर प्रदेश उद्योग निदेशालय के अन्तर्गत रेशम उत्पादन निरीक्षक के पद के लिये १९५८ की जुलाई में संस्तुत एक अभ्यर्थी के विषय में नियुक्ति आदेशों की प्रतीक्षा थी। निर्देशाधीन अभ्यर्थी प्रतिवेदनाधीन वर्ष में भी नहीं नियुक्त किया गया और आयोग ने इस मामले को स्वयं मुख्य मंत्री के समक्ष रक्खा है।

१०--मार्च, १९६० में आयोग ने शासन के अनुरोध पर नैनीताल/ज्ञानपुर के राजकीय डिग्री महाविद्यालयों में प्राध्यापक के दो पदों (एक वनस्पति विज्ञान के लिये तथा एक प्राणिशास्त्र के लिये) को विशेष रूप से उच्चतर अर्हताओं अथवा अनुभव वाले अभ्यर्थियों को ६५० रु० मासिक तक उच्चतर प्रारम्भिक वेतन देने की व्यवस्था के साथ ५००--१२०० रु० वेतन-क्रम में विज्ञापित किया। अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करके आयोग ने सितम्बर, १९६० में वनस्पति विज्ञान के लिये दो अभ्यर्थियों को और प्राणिशास्त्र के लिये एक अभ्यर्थी को संस्तुत किया। फरवरी, १९६१ में शासन ने आयोग को सूचित किया कि राजकीय डिग्री महाविद्यालयों से सम्बद्ध प्राध्यापक तथा सहायक प्राध्यापक के पदों के वेतन-क्रम पुनरीक्षित हो गये हैं और यह कि प्राणिशास्त्र के प्राध्यापक के पद के लिये संस्तुत अभ्यर्थी को पुनरीक्षित कम किये हुये वेतन अर्थात् ३५०--८०० रु० के वेतन-क्रम में नियुक्ति के लिये आमंत्रित किया गया था। अभ्यर्थी ने अनुरोध किया कि उस विज्ञापित वेतनक्रम अर्थात् ५००--१,२०० रु० का वेतनक्रम दिया जाय, किन्तु शासन सहमत नहीं हुये और उन्होंने नियुक्ति का आमंत्रण वापस ले लिया। बाद में अगस्त, १९६१ में शासन का एक पत्र आया जिसमें यह लिखा हुआ था कि शासन ने वनस्पति शास्त्र के प्राध्यापक के पद के लिये संस्तुत अभ्यर्थी को ५००--१२०० रुपये के वेतन-क्रम में नियुक्त कर दिया था। इस पत्र को पाने पर आयोग ने शासन से पूछा कि जब वनस्पति विज्ञान तथा प्राणिशास्त्र दोनों के

पद एक ही वेतनक्रम में विज्ञापित किये गये थे और उन दोनों पदों के नियुक्ति के लिये अभ्यर्थी एक साथ ही संस्तुत किये गये थे, तब शासन ने भेद करके वनस्पति विज्ञान तथा प्राणिशास्त्र के प्राध्यापक के पदों पर दो अभ्यर्थियों को भिन्न-भिन्न वेतनक्रमों में नियुक्त करने का आमंत्रण क्यों भेजा। शासन ने इसका स्पष्टीकरण अपने २८ मई, १९६२ के पत्र में किया। उनका मुख्य तर्क यह था कि वनस्पति विज्ञान के लिये संस्तुत अभ्यर्थी शिक्षा विभाग का एक स्थायी कर्मचारी था, जब कि प्राणिशास्त्र के प्राध्यापक के पद के लिये संस्तुत अभ्यर्थी बाहरी था। पूर्व अभ्यर्थी के पूर्ववृत्त के सत्यापन की आवश्यकता नहीं थी और वह पुनरीक्षित वेतनक्रम के आदेश निकलने के पहले ही नियुक्त कर दिया गया था। आयोग ने स्थिति का अध्ययन करके यह विचार प्रकट किया कि प्राणिशास्त्र के पद के अभ्यर्थी को निम्न वेतनक्रम देना उचित नहीं था जबकि वह उसी पद पर उच्चतर वेतन-क्रम के लिये चुना गया था। जब इस तथ्य को दृष्टि में रखकर विचार किया जाय कि दूसरा अभ्यर्थी, जो वनस्पति विज्ञान के लिये था और जिसे भी आयोग ने उसी चुनाव में चुना था, आयोग द्वारा विज्ञापित उच्चतर वेतन-क्रम में नियुक्ति के लिये आमंत्रित किया गया था, तब शासन के उक्त निर्णय का अनौचित्य और बढ़ जाता है। आयोग के विचार से शासन ने वनस्पति विज्ञान तथा प्राणि-शास्त्र के प्राध्यापक के पदों के लिये संस्तुत दो अभ्यर्थियों के समक्ष नियुक्ति की भिन्न-भिन्न शर्तों को रखकर अनुचित रूप से भेद किया था। अतः उन्होंने शासन से प्राणिशास्त्र के प्राध्यापक के पद के लिये संस्तुत अभ्यर्थी के मामले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया। एक वर्ष से अधिक हो गया किन्तु कई अनुस्मारकों के बाद भी शासन से अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला है।

७—बिना विज्ञापन के भर्ती

प्रतिवेदनाधीन वर्ष में लिखित परीक्षा अथवा अन्य प्रकार की चुनाव की सामान्य प्रक्रिया को शिथिल करके २४९ अभ्यर्थियों (इनमें गत वर्ष के ५९ अभ्यर्थियों के मामले भी शामिल हैं) की नियुक्ति के विषय में विचार करने के लिये आयोग से अनुरोध किया गया। इनमें से परिशिष्ट ४ में उल्लिखित १३६ अभ्यर्थियों के मामले प्रतिवेदनाधीन वर्ष में निपटाये गये, किन्तु परिशिष्ट ४-क में वर्णित ११३ अभ्यर्थियों के मामले आगामी वर्ष के लिये बच रहे।

२—आगामी वर्ष के लिये बच रहे ११३ अभ्यर्थियों के मामलों में से, ४३ अभ्यर्थियों से संबंधित एक मामला चरित्रावलियों तथा चरित्रावलियों की प्रविष्टियों के अभाव में निपटाया नहीं जा सका, क्योंकि चरित्रावलियां और प्रविष्टियां वर्ष की समाप्ति तक उपलब्ध नहीं हो सकीं थीं। ५९ अभ्यर्थियों के मामले प्रतिवेदनाधीन वर्ष की समाप्ति के समय प्राप्त हुये थे, अतः निपटाये न जा सके।

३—प्रत्येक मामले में जिस तरह का परामर्श दिया गया है, उसे बहुत संक्षेप में परिशिष्ट ४ के स्तम्भ ४ में लिख दिया गया है। उससे पता चलेगा कि १३६ अभ्यर्थियों में से, जिनके मामले वर्ष में निपटाये गये, ११३ नियुक्ति के लिये अनुमोदित किये गये और शेष २३ अनुमोदित नहीं किये गये।

४—ऊपर पैरा १ में जिन अभ्यर्थियों के मामले निबटाये गये बतलाये गये हैं, उनमें से ७२ अभ्यर्थियों के बारे में वर्ष की समाप्ति तक नियुक्ति प्राधिकारियों के आदेश प्राप्त नहीं हुये थे। जिनके बारे में आदेश प्राप्त हुये, उनमें आयोग के परामर्श यथाविधि मान लिये गये थे।

५---१९६१-६२ के प्रतिवेदन के अध्याय ७ के पैरा ४ की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि १३२ अभ्यर्थियों के बारे में नियुक्ति प्राधिकारियों के आदेश वर्ष की समाप्ति तक नहीं प्राप्त हुये थे। प्रतिवेदनाधीन वर्ष में उपर्युक्त मामलों में स्थिति इस प्रकार रही :

(१) ४२ अभ्यर्थियों के बारे में नियुक्ति प्राधिकारियों के आदेश प्राप्त हुये और वे आयोग के परामर्शानुसार थे।

(२) ४२ अभ्यर्थियों के बारे में सचिव, विधान मंडल, उत्तर प्रदेश ने नवम्बर, १९६२ में आयोग को विधान परिषद् के सभापति तथा विधान सभा के अध्यक्ष के इस निश्चय की सूचना दी कि विद्यमान स्थिति में विधान परिषद् सचिवालय तथा विधान सभा सचिवालय दोनों के कर्मचारिवर्ग आयोग के विचार क्षेत्र के बाहर थे। अतः उन्होंने स्थायी रिक्तियों में कर्मचारियों के पुष्टिकरण के आदेश जारी कर दिये थे। इस प्रकार जारी किये गये आदेशों की प्रतियां आयोग को पृष्ठांकित नहीं की गई थीं।

(३) १ अभ्यर्थी के बारे में स्थिति यह थी कि उसकी चरित्रावली में अनुवर्ती खराब प्रविष्टियों के कारण उसका पुष्टिकरण स्थगित कर दिया गया था। मार्च, १९६३ में आयोग ने सुझाव दिया कि जून, १९६३ में उसके मामले का निर्देश उनको किया जाय।

(४) ९ अभ्यर्थियों के बारे में उप परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश ने अक्तूबर, १९६२ में आयोग को सूचित किया कि उनमें से कोई अभ्यर्थी परिवहन विभाग में पदों पर नियुक्त होने के लिये इच्छुक नहीं था।

(५) ३६ अभ्यर्थियों के बारे में अतिरिक्त कृषि निदेशक ने शासन के आदेश पर अपने प्रस्तावों को वापस ले लिया।

(६) शेष २ अभ्यर्थियों के बारे में नियुक्ति प्राधिकारियों के आदेशों की प्रतीक्षा वर्ष के अन्त तक की जाती रही।

६---१९६१-६२ के प्रतिवेदन के अध्याय ७ के पैरा ७ की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि उद्योग विभाग में २५०-८५० रु० के वेतन-क्रम में लेखाधिकारी के पद को विज्ञापित करने की आयोग की संस्तुति खटाई में डाल दी गई थी। प्रतिवेदनाधीन वर्ष में शासन ने उपर्युक्त पद के चुनाव के सम्बन्ध में स्थिति का स्पष्टीकरण किया और पद आयोग द्वारा विज्ञापित किया गया।

७---१९६१-६२ के प्रतिवेदन के अध्याय ७ के पैरा ८ में यह उल्लेख किया गया था कि ६ अभ्यर्थियों के बारे में नियुक्ति प्राधिकारी के आदेश वर्ष की समाप्ति तक नहीं प्राप्त हुये थे। प्रतिवेदनाधीन वर्ष में :

(१) ३ अभ्यर्थियों के बारे में आयोग का परामर्श यथाविधि मान लिया गया ;

(२) १ अभ्यर्थी का पुष्टिकरण उसकी चरित्रावली में की गई पश्चाद्वर्ती प्रविष्टियों के कारण स्थगित कर दिया गया था। मार्च, १९६३ में आयोग ने सुझाव दिया कि जून, १९६३ में उसके मामले का निर्देश उन्हें किया जाय ; तथा

(३) शेष दो अभ्यर्थियों के मामले फरवरी, १९६३ में आयोग के पुनर्विचारार्थ उनके पास भेजे गये, किन्तु वर्ष की समाप्ति तक इन्हें निपटाया न जा सका।

८—१९६१–६२ के प्रतिवेदन के अध्याय ७ के पैरा ९ की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि १६ अभ्यर्थियों के बारे में नियुक्ति प्राधिकारियों के आदेशों की प्रतीक्षा वर्ष की समाप्ति तक की जाती रही। प्रतिवेदनाधीन वर्ष में :

(१) १ अभ्यर्थी के बारे में आयोग का परामर्श मान लिया गया ;

(२) २ अभ्यर्थियों के मामले आयोग के पुनर्विचारार्थ जून, १९६२ में उनके पास फिर भेजे गये और आयोग का परामर्श शासन को अक्तूबर, १९६२ में भेज दिया गया। शासन के निश्चय की प्रतीक्षा वर्ष की समाप्ति तक की जाती रही।

(३) शेष १३ अभ्यर्थियों के बारे में शासन के आदेश* वर्ष की समाप्ति तक नहीं प्राप्त हुये थे।

९—१९६१–६२ के प्रतिवेदन के अध्याय ७ के पैरा १० में यह उल्लेख किया गया था कि २ अभ्यर्थियों के बारे में उस वर्ष की समाप्ति तक कोई आदेश नहीं प्राप्त हुये थे। नवम्बर, १९६२ में शिक्षा निदेशक ने आयोग को सूचित किया कि उक्त दोनों अभ्यर्थियों को सी० टी० ग्रेड में विलीन करने का विनिश्चय किया गया है।

१०.—१९६१–६२ के अध्याय ७ के पैरा ११ में यह उल्लेख किया गया था कि २ अभ्यर्थियों के मामले उस वर्ष नहीं निपटाये जा सके थे, क्योंकि वर्ष की समाप्ति तक उन पदों पर चुनाव की कसौटी का निश्चय नहीं किया जा सका था। नवम्बर, १९६२ में सचिव, विधान सभा मंडल, उत्तर प्रदेश ने विधान परिषद् के सभापति तथा विधान सभा के अध्यक्ष के इस निश्चय की सूचना दी कि विद्यमान स्थिति में विधान परिषद् सचिवालय तथा विधान सभा सचिवालय दोनों के कर्मचारिवर्ग आयोग के विचारक्षेत्र के बाहर थे। किन्तु आयोग को यह स्थिति स्वीकार्य नहीं थी।

८—पदोन्नति द्वारा भर्ती

प्रतिवेदनाधीन वर्ष में आयोग से परिशिष्ट ५ व ५–क में उल्लिखित ३,०८५ रिक्तियों में पदोन्नति के मामलों पर विचार करने के लिये अनुरोध किया गया था। इनमें से १२३२ रिक्तियों से सम्बन्धित मामले आयोग द्वारा प्रतिवेदनाधीन वर्ष में निपटाये गये, जिन में परिशिष्ट ५ में उल्लिखित ३,४५० कर्मचारियों पर विचार करना पड़ा और परिशिष्ट ५–क में वर्णित १,८५३ रिक्तियों से सम्बन्धित मामले वर्ष की समाप्ति तक निपटाये नहीं जा सके।

२—परिशिष्ट ५ में वर्णित मामलों में से एक रिक्ति के लिये एक अभ्यर्थी के मामले पर आयोग ने उसके विरुद्ध हो रही जांच की समाप्ति पर पुनर्विचार किया और जांच के परिणाम को दृष्टि में रखते हुये, उन्होंने सम्बन्धित अभ्यर्थी के बारे में की गई अपनी पूर्व संस्तुति को वापस ले लिया और उसे स्थायी पदोन्नति के लिये उपयुक्त नहीं समझा। एक रिक्ति के लिये एक अभ्यर्थी के दूसरे मामले में आयोग भूतपूर्व राजकीय संस्कृत महाविद्यालय, वाराणसी में न्याय के प्राध्यापक के पद पर उसकी पदोन्नति से सहमत नहीं हुये। इन दो मामलों को छोड़ कर ५४६ रिक्तियों के सम्बन्ध में दिये गये आयोग के परामर्श पर सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारियों के विनिश्चय वर्ष की समाप्ति तक नहीं प्राप्त हुये थे। उपर्युक्त परिशिष्ट में वर्णित अन्य सभी रिक्तियों के सम्बन्ध में आयोग के परामर्श यथाविधि मान लिये गये।

---

*इन अभ्यर्थियों के बारे में स्थिति का वर्णन अधिक विस्तार से अध्याय ६ के पैरा ६ में किया गया है।

३.--६४७ रिक्तियों के लिये चुनाव आयोग के अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य की अध्यक्षता में चुनाव समितियों द्वारा लगभग १,३०३ अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करने के बाद किया गया। शेष मामलों में चुनाव चरित्रावलियों के आधार पर ही किया गया।

४--आयोग द्वारा पहले अस्थायी पदों के लिये सीधी भर्ती द्वारा तथा पदोन्नति द्वारा चुने गये अभ्यर्थियों को स्थायी पदों पर नियुक्त करने की प्रक्रिया भिन्न-भिन्न है। सर्वथा अस्थायी करके विज्ञापित पदों के लिये आयोग द्वारा सीधी भर्ती द्वारा चुने गये अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में कार्यालय ज्ञाप संख्या २९४९/२-बी--१००-५३, दिनांक १० दिसम्बर, १९५३ लागू होता है और उसके अनुसार विज्ञापन, साक्षात्कार आदि के बाद आयोग द्वारा चुने गये अभ्यर्थी अस्थायी पद के स्थायी हो जाने पर, आयोग से अग्रेतर परामर्श करके स्थायी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जा सकते हैं। किन्तु पदोन्नति द्वारा चुनाव के सम्बन्ध में ऐसा नहीं होता। इसमें, यदि किसी सेवा नियमावली में प्रतिकूल व्यवस्था न हो तो, नियुक्ति (ख) विभाग कार्यालय ज्ञाप संख्या १५७१/२-बी--५०-५५, दिनांक १५ मई, १९५६ लागू होता है। उस कार्यालय ज्ञाप की व्यवस्था के अनुसार स्थायी पदों पर पदोन्नति के लिये नया चुनाव किया जाता है और उसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि पहले अस्थायी तथा स्थानापन्न रिक्तियों के लिये चुने गये अभ्यर्थियों की स्थायी रिक्तियों में नियुक्ति अपने आप हो जायगी। उत्तर प्रदेश आबकारी सेवा में पदों पर चुनाव के सम्बन्ध में भी ऐसा ही है। प्रतिवेदनाधीन वर्ष में एक ऐसा मामला आया, जिसमें शासन ने एक अस्थायी सहायक आबकारी आयुक्त को पदोन्नति द्वारा नये चुनाव की प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना ही एक स्थायी पद पर पुष्ट करने का प्रस्ताव किया, क्योंकि १९५७ में वह एक अस्थायी रिक्ति के लिये नियमित रूप से चुना गया था और १९५६ से वह उस पद पर सन्तोषजनक रूप से कार्य कर रहा था। जब आयोग ने परामर्श दिया कि स्थायी रिक्ति के लिये नया चुनाव करना आवश्यक है तो शासन सहमत नहीं हुये और सम्बन्धित व्यक्ति के पुष्टीकरण के आदेश जारी कर दिये। तदनन्तर शासन ने इस विचार की पुष्टि में कि उत्तर प्रदेश आबकारी सेवा नियमावली के उपबन्धों के होते हुये नये चुनाव की आवश्यकता नहीं है, उप विधि परामर्शी द्वारा लिखी गई एक टिप्पणी की प्रतिलिपि को अग्रसारित किया। आयोग ने उस पर अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक विचार किया और उप विधि परामर्शी के विचार से सहमत होने में अपनी असमर्थता प्रकट की। उनके विचार से उत्तर प्रदेश आबकारी सेवा नियमावली के नियम ५ व ७ के उपबन्धों के अधीन भी स्थायी रिक्ति होने पर नया चुनाव करना आवश्यक था।

५--आयोग ने अगस्त, १९५६ में राजकीय संस्कृत महाविद्यालय, वाराणसी में न्याय के प्राध्यापक के स्थायी पद को विज्ञापित किया, किन्तु उसके बाद शीघ्र ही शासन ने चुनाव न करने का अनुरोध किया, क्योंकि उन्होंने राजकीय संस्कृत महाविद्यालय के स्थान पर वाराणसी में एक संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित करने का विनिश्चय किया था और यह आशंका थी कि जो व्यक्ति चुना जायगा, वह सम्भव है विश्वविद्यालय में नियुक्ति के लिये उपयुक्त न पाया जाय। अतः आयोग ने चुनाव न करने का निश्चय किया और सभी आवेदकों के आवेदन-शुल्क लौटा दिये गये। छः वर्ष के बाद शिक्षा निदेशक ने आयोग से अनुरोध किया कि वे श्री 'ख', न्याय के सहायक प्राध्यापक, की स्थायी नियुक्ति को अनुमोदित कर दें, जिसे न्याय के प्राध्यापक के पद पर पूर्वगामी प्रभाव से १८ सितम्बर, १९५५ से स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया गया था। चूंकि शिक्षा निदेशक ने इतने दिनों तक उक्त अधिकारी की कार्य संचालनार्थ नियुक्ति के बारे में कोई निर्देश न भेज कर आयोग के कार्य सीमन विनियमों के विनियम ६ (ग) के उपबन्धों की अवहेलना की थी, इसलिये आयोग ने उस पद पर उसकी स्थायी नियुक्ति से सहमत होने से इन्कार कर दिया।

६——१९६१—६२ के प्रतिवेदन के अध्याय ८ के पैरा ३ की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि २६५ रिक्तियों के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारियों के विनिश्चय वर्ष की समाप्ति तक नहीं प्राप्त हुये थे। प्रतिवेदनाधीन वर्ष में :

(१) २४७ रिक्तियों के सम्बन्ध में आयोग के परामर्शानुसार आदेश प्राप्त हुये;

(२) ७ रिक्तियों के सम्बन्ध में पुनरीक्षित निर्देश प्राप्त हुये, देखिये परिशिष्ट ५ की मद संख्या ४७ व ६१ तथा परिशिष्ट ५—क की मद संख्या ६०;

(३) ३ रिक्तियों के बारे में सचिव, विधान मंडल ने नवम्बर, १९६२ में आयोग को सूचित किया कि सभापति, विधान परिषद् तथा अध्यक्ष, विधान सभा ने विनिश्चय किया है कि विद्यमान स्थिति में विधान सभा सचिवालय एवं विधान परिषद् सचिवालय दोनों के कर्मचारिवर्ग आयोग के विचार क्षेत्र से बाहर हैं। अतः उन्होंने स्थायी रिक्तियों में कर्मचारियों के पुष्टीकरण के आदेश जारी कर दिये हैं। इस प्रकार जारी किये गये आदेशों की प्रतियां आयोग को पृष्ठांकित नहीं की गई थीं, तथा

(४) शेष ८ रिक्तियों के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारियों के विनिश्चय की प्रतीक्षा वर्ष की समाप्ति तक की जाती रही।

७——१९६१—६२ के प्रतिवेदन के अध्याय ८ के पैरा ५ में यह उल्लेख किया गया था कि ६ रिक्तियों से सम्बन्धित मामले आयोग के पुनर्विचारार्थ उनके पास फिर भेजे गये थे और पत्र—व्यवहाराधीन रहे थे। प्रतिवेदनाधीन वर्ष में ५ रिक्तियों से सम्बन्धित मामले आयोग द्वारा निपटाये गये और उनके परामर्शानुसार उक्त मामलों के बारे में एक नया निर्देश प्राप्त हुआ, जो फिर निपटा दिया गया, देखिये परिशिष्ट ५ की मद संख्या ७५। शेष एक रिक्ति से सम्बन्धित मामला वर्ष की समाप्ति तक निपटाया नहीं जा सका।

८——१९६१—६२ के प्रतिवेदन के अध्याय ८ के पैरा ८ मे उल्लिखित मामला प्रतिवेदनाधीन वर्ष में अन्तिम रूप से निपटाया गया, देखिये परिशिष्ट ५ की मद संख्या ३३।

९——१९६१—६२ के प्रतिवेदन के अध्याय ८ के पैरा ९ में उल्लिखित मामला प्रतिवेदनाधीन वर्ष में अन्तिम रूप से निपटाया गया, देखिये परिशिष्ट ५ की मद संख्या २८।

१०——१९६१—६२ के प्रतिवेदन के अध्याय ८ के पैरा १० की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। गन्ना विकास निरीक्षक के २२ पदों पर पदोन्नति से सम्बन्धित वांछित सामग्री आयोग को १९६२—६३ वर्ष में भी प्राप्त नहीं हुई।

११——१९६१—६२ के प्रतिवेदन के अध्याय ८ के पैरा १३ में यह उल्लेख किया गया था कि अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राजपत्रित) में प्रधानाध्यापक के संवर्ग में स्थायी, अस्थायी तथा स्थानापन्न रिक्तियों को भरने के लिये निर्देश आयोग को वर्ष की समाप्ति तक नहीं प्राप्त हुये थे। वांछित निर्देश जनवरी, १९६३ में प्राप्त हुआ, देखिए परिशिष्ट ५—क की मद संख्या १३।

९--अस्थायी नियुक्तियों का नियमितकरण

१९६२-६३ में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, १९५४ के विनियम ५ (क) तथा ६ (ग) के अधीन एक वर्ष से अवधि अधिक की अथवा एक वर्ष से अधिक अवधि की हो जाने की सम्भावना वाली अस्थायी नियुक्तियों के लिये परिशिष्ट ६ तथा ६-क में उल्लिखित २,६६७ कर्मचारियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के हेतु आयोग से अनुरोध किया गया। इनमें से, परिशिष्ट ६ में उल्लिखित १,०१० कर्मचारियों के मामले वर्ष में निपटाये गये, किन्तु परिशिष्ट ६-क में उल्लिखित १,६५७ कर्मचारियों के मामले वर्ष की समाप्ति तक निपटाये नहीं जा सके। न निपटाये जा सकने के कारण, जहां कहीं हैं, परिशिष्ट ६-क के स्तम्भ ४ में लिख दिये गये हैं। उससे यह पता चलेगा कि अधिकांश मामले वांछित सूचना तथा/अथवा चरित्रावलियों के अभाव में निपटाये नहीं जा सके।

२--परिशिष्ट ६ में उल्लिखित आयोग द्वारा निपटाये गये मामलों में प्रत्येक मामले में जिस प्रकार का परामर्श दिया गया है, उसे प्रत्येक के सामने उस परिशिष्ट के स्तम्भ ४ में बहुत संक्षेप में दिखला दिया गया है। उस स्तम्भ में जहां प्रसंग से अन्य अर्थ न निकलता हो, वहां "अनुमोदित" शब्द का अर्थ यह है कि यदि पद अदीर्घावधि के लिये था तो अस्थायी या स्थानापन्न नियुक्ति के लिये अनुमोदन पद की अवधि की समाप्ति तक अथवा उस समय तक के लिये दिया गया था जब तक कि पदोन्नति या सीधी भर्ती द्वारा नियमित रूप से चुने हुये अभ्यर्थी उपलब्ध न हो जायं।

३--परिशिष्ट १२ में उन मामलों का उल्लेख किया गया है, जिनमें विभिन्न नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, १९५४ के विनियम ५(क) तथा ६ (ग) के अधीन की गई अस्थायी अथवा स्थानापन्न नियुक्तियों के नियमितकरण के सम्बन्ध में निर्देश विलम्ब से भेजे गये थे। प्रसन्नता की बात है कि इस वर्ष ऐसे मामलों की संख्या घटकर १५२ रह गई है, जब कि गतवर्षीय प्रतिवेदन के परिशिष्ट १२ में यह संख्या ३९० दिखलाई गई थी।

४--राजकीय केन्द्रीय प्रयोगशाला, कानपुर के एक सहायक अलकोहल टेक्नोलाजिस्ट को उसी प्रयोगशाला में २७ नवम्बर, १९५६ से अलकोहल टेक्नोलाजिस्ट के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया गया था, किन्तु शासन ने उसकी कार्यसंचालनार्थ नियुक्ति के नियमितकरण के लिये आयोग के पास एक रीतिक निर्देश मार्च, १९६० में भेजा। चूंकि आयोग ने सीधी भर्ती द्वारा चुनकर उसको अलकोहल टेक्नोलाजिस्ट के पद पर नियुक्ति के लिये संस्तुत किया था, इसलिये २७ नवम्बर, १९५६ से नियमित चुनाव तक की उसकी कार्यसंचालनार्थ नियुक्ति का कार्योत्तर अनुमोदन आयोग ने दे तो दिया, किन्तु उन्होंने इस बात की ओर संकेत किया कि शासन की ओर से यह बड़ी भारी अनियमितता की गई कि उस अधिकारी को आयोग के पास निर्देश भेजे बिना ही लगभग साढ़े तीन वर्ष तक उक्त पद पर स्थानापन्न रहने दिया गया।

५--जुलाई, १९६० में श्री 'क' अधीनस्थ कृषि सेवा के ग्रुप दो का एक अस्थायी कर्मचारी कारागार विभाग में क्लास दो के कृषि-सहित-औद्योगिक कैम्प, सितारगंज, जिला नैनीताल के प्रबन्धक के एक पद पर नियुक्त किया गया था। सितम्बर, १९६१ में शासन के गृह (कारागार) विभाग ने आयोग से अनुरोध किया कि वे श्री 'क' की उस पद पर अस्थायी नियुक्ति को तब तक के लिये अनुमोदित कर दें, जब तक कि जिस योजना के अधीन उक्त पद को सृजित किया गया था, उस योजना के चलते रहने के सम्बन्ध में शासन अन्तिम विनिश्चय न करलें। नवम्बर, १९६१ में आयोग ने शासन को बतलाया कि श्री "क" की नियुक्ति का मामला प्रतिनियुक्ति का नहीं, बल्कि एक विभाग की अधीनस्थ सेवा से दूसरे विभाग की

राज्य सेवा में पदोन्नति का था। यह नहीं मालूम था कि किन कारणों से उक्त पद के लिये विशेष रूप से श्री "क" को ही चुन लिया गया था और यह कि उसका चुनाव समान रूप से पात्र तथा उपयुक्त व्यक्तियों में से कठोर श्रेष्ठता के आधार पर किया गया था या नहीं। यह भी नहीं स्पष्ट था कि वह किसी पद को मौलिक रूप से धारण किये था, जिसका अनुमोदन आयोग ने किया हो। तदनुसार शासन से अनुरोध किया गया कि वे श्री "क" तथा उसके द्वारा अवक्रमित ज्येष्ठ सहकर्मियों एवं अन्य पात्र कर्मचारियों, यदि कोई हों, की अद्यावधिक चरित्रावलियों और उनके विवरणों के साथ सभी संगत सूचना भेजे। अप्रैल १९६२ में शासन ने सूचित किया कि श्री "क" ने २२ फरवरी, १९६२ को प्रबन्धक के उक्त पद का कार्य-भार सौंप दिया और २३ फरवरी, १९६२ को वे अपने मूल विभाग में लौट गये और यह कि आयोग द्वारा मांगी गई सूचना कृषि विभाग से प्राप्त होते ही भेजी जायगी। शासन ने वांछित सूचना आदि अक्तूबर, १९६२ में भेजा। शासन द्वारा भेजे गये कागज-पत्रों को देखने से यह स्पष्ट हो गया कि प्रबन्धक के उक्त पद पर श्री "क" की नियुक्ति न तो कठोर श्रेष्ठता के आधार पर की गई थी और न ज्येष्ठता के आधार पर। मालूम पड़ता था कि उसकी नियुक्ति मनमाने ढंग से की गई थी। अतः आयोग ने उक्त पद पर श्री "क" की अस्थायी नियुक्ति का कार्योत्तर अनुमोदन देने में अपनी असमर्थता प्रकट की। फरवरी, १९६३ में शासन ने मामले को आयोग के पुनर्विचारार्थ फिर भेजा। पुनर्विचार करने पर भी आयोग को अपने पूर्व मत से भिन्न मत कायम करने का कोई कारण नहीं मिला और उक्त पद पर उसकी अस्थायी नियुक्ति का कार्योत्तर अनुमोदन देने में फिर अपनी असमर्थता प्रकट करते हुये उन्होंने शासन को मई, १९६३ में तदनुसार सूचित किया।

६--नवम्बर, १९६१ में शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश ने एक निर्देश में आयोग से अनुरोध किया था कि वे प्रशिक्षित स्नातकवर्ग में सहायक अध्यापिका के पदों पर की गई कुछ अस्थायी नियुक्तियों को नियमित चुनाव होने तक के लिये अनुमोदित करें। मामले पर विचार करने पर पता चला कि कई नियुक्तियां बिना आयोग के अनुमोदन के एक वर्ष से अधिक अवधि तक चलती रही। कुछ नियुक्तियां गत ३ या ४ वर्षों से चली आ रही थीं और ऐसा करने में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, १९५४ के विनियम ५ (क) की अवहेलना की गई थी। एक मामले में यहां तक पाया गया कि एक सहायक अध्यापिका की अस्थायी नियुक्ति के लिये आयोग का अनुमोदन बिलकुल ही नहीं प्राप्त किया गया था, यद्यपि वह अध्यापिका सितम्बर, १९५३ से विभाग में कार्य कर रही थी। फरवरी, १९६२ में शिक्षा निदेशक से पूछा गया कि आयोग के अनुमोदन के लिये पहले क्यों नहीं लिखा गया था। १३ नवम्बर, १९६२ को शिक्षा निदेशक ने सूचित किया कि उस सहायक अध्यापिका को ११ अगस्त, १९६२ से सेवा मुक्त कर दिया गया, किन्तु इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया कि उसकी नियुक्ति का अनुमोदन पहले क्यों नहीं प्राप्त किया गया था। इसके अतिरिक्त, १३ नवम्बर, १९६२ के उसी पत्र में उसी वेतन-क्रम की कुछ अन्य सहायक अध्यापिकाओं की अस्थायी नियुक्ति को अनुमोदित करने के लिये आयोग से अनुरोध किया गया था, जिससे यह पता चला कि दो और सहायक अध्यापिकायें, बिना आयोग के अनुमोदन के अगस्त, १९५५ से अब तक विभाग में कार्य कर रही हैं। इन दो सहायक अध्यापिकाओं की अस्थायी नियुक्ति के अनुमोदन के लिये आयोग से अनुरोध करने में इतना असाधारण विलम्ब करने का कोई कारण शिक्षा निदेशक ने नहीं दिया था। प्रतिवेदनाधीन वर्ष में यह मामला आयोग के विचाराधीन रहा।

७--दिसम्बर, १९६१ में शासन के निर्वाचन विभाग ने श्री 'ख' की सहायक निर्वाचन निदेशक के अस्थायी पद पर, जो अक्तूबर, १९६० में सृजित किया गया था और जिस पर वह निरन्तर कार्य कर रहा था, उसकी नियुक्ति को अनुमोदित करने के लिये आयोग से अनुरोध किया। आयोग ने मार्च, १९६२ में उत्तर दिया कि जब तक भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३२० (३) (क) तथा (ख) के अनुसार पद के लिये चुनाव सम्बन्धी सिद्धान्त

आयोग के परामर्श से निश्चित नहीं हो जाते तब तक आयोग पद पर श्री "ख" की कार्य संचालनार्थ नियुक्ति के मामले पर विचार नहीं करेंगे और उन्होंने शासन से अनुरोध किया कि वे इस मामले में शीघ्र ही निर्देश भेजें। वांछित निर्देश भेजने के बजाय, शासन ने अगस्त, १९६२ में आयोग को सूचित किया कि पद की अवधि ३१ दिसम्बर, १९६२ तक बढ़ा दी गई थी और श्री "ख" को उस पद पर चलते रहने की अनुमति भी दे दी गई थी। तदनन्तर अक्तूबर, १९६२ में शासन को सूचित किया गया कि बिना आयोग के अनुमोदन के उक्त पद पर श्री "ख" का चलते रहने देना अनियमित था और आयोग ऐसी अनियमित नियुक्ति को अनुमोदित नहीं करेंगे। उक्त पद पर चुनाव सम्बन्धी सिद्धान्तों के विषय में अक्तूबर, १९६२ में आयोग को निर्देश भेजा गया और फरवरी, १९६३ में आयोग ने सुझाव दिया कि पद के लिये चुनाव असैनिक सचिवालय के उन स्थायी प्रवर वर्ग सहायकों तथा सहायक अधीक्षकों में से कठोर श्रेष्ठता के आधार पर किया जाय, जो प्रवर वर्ग सहायक अथवा सहायक अधीक्षक के रूप में कम से कम १० वर्ष तक की निरन्तर सेवा कर चुके हों और जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्व-विद्यालय की विधि (ला) में डिग्री हो, किन्तु चुनाव कार्य में उनके अनुभव आदि को बिल्कुल न देखा जाय। तदनुसार, नियमित चुनाव में और अधिक देर न होने पावे इस विचार से, शासन से पात्र अभ्यर्थियों के पूर्ण विवरण तथा उनकी चरित्रावलियों को भेजने के लिये लिखा गया। किन्तु मार्च, १९६३ में शासन ने आयोग को सूचित किया कि उक्त पद ३१ दिसम्बर, १९६२ से समाप्त कर दिया गया था। इस प्रकार श्री "ख" की अनियमित नियुक्ति २ वर्ष से अधिक समय तक चलती रही।

८--काशी नरेश राजकीय डिग्री महाविद्यालय, ज्ञानपुर (वाराणसी) का एक अर्थशास्त्र में सहायक प्राध्यापक ७ फरवरी, १९५९ से डी० एस० बिष्ट राजकीय डिग्री महाविद्यालय, नैनीताल में अर्थशास्त्र में प्राध्यापक के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया गया था; किन्तु उसकी स्थानापन्न नियुक्ति के नियमितकरण के लिये निर्देश आयोग को जुलाई, १९६२ में किया गया, पहले नहीं। इसका कारण यह था कि प्राध्यापक के पद का स्थायी पदधारी भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति पर गया था, और उसकी प्रतिनियुक्ति की अवधि समय-समय पर बढ़ानी पड़ी थी। आयोग ने सम्बन्धित अधिकारी की स्थानापन्न नियुक्ति को २ जून, १९६३ तक के लिये अनुमोदित किया, किन्तु अपना यह विचार प्रकट किया कि किसी कर्मचारी को बहुत अधिक समय तक प्रतिनियुक्ति पर रहने देना उचित नहीं है। राज्य सरकार ने भारत सरकार को साफ-साफ लिख दिया था कि प्राध्यापक के पद के स्थायी पदधारी को २ जून, १९६३ के बाद प्रतिनियुक्ति पर रहने देना संभव न होगा। आयोग ने राज्य सरकार के इस कार्य को भी अनुमोदित किया और आयोग ने इस बात पर भी बल दिया कि यदि उक्त तिथि तक वह कर्मचारी भारत सरकार में स्थायी रूप से नियुक्त न कर लिया जाय, तो उसे राज्य सरकार में वापस बुला लेना वांछनीय होगा।

९--जनवरी, १९६२ में शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश ने आयोग से विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में वोकेशनल गाइड के पद पर एक व्यक्ति की तथा उसी सेवा में सहायक मनोवैज्ञानिक के पदों पर तीन व्यक्तियों की कार्य संचालनार्थ पदोन्नति को नियमित चुनाव होने तक अनुमोदित करने के लिये अनुरोध किया। दिसम्बर, १९६२ में आयोग ने वोकेशनल गाइड के पद पर प्रथम व्यक्ति की कार्य संचालनार्थ पदोन्नति को १ जुलाई, १९६० से केवल उस समय तक के लिये अनुमोदित किया जब तक कि उसके स्थान पर यथाविधि चुने हुए व्यक्ति की नियुक्ति न हो जाय, किन्तु शिक्षा निदेशक ने आयोग के परामर्श की नितान्त अवहेलना करके, आयोग से यथाविधि चुने हुए अभ्यर्थियों की सूची पा जाने पर भी उक्त व्यक्ति को वोकेशनल गाइड के पद पर चलते रहने दिया। शिक्षा निदेशक से इस मामले पर वर्ष की समाप्ति तक पत्र-व्यवहार होता रहा।

सहायक मनोवैज्ञानिक के पदों पर तीन व्यक्तियों की कार्यसंचालनार्थ पदः-प्रति के मामले में अपना परामर्श देने के पूर्व आयोग ने दिसम्बर, १९६२ में शिक्षा निदेशक को लिखा कि उन पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरने के लिये पहले ही सितम्बर, १९६१ में मांगे गये अधियाचन को भेजने में वे शीघ्रता करें। मांगा गया अधि-याचन वर्ष की समाप्ति तक नहीं प्राप्त हुआ जिसके फलस्वरूप सहायक मनोवैज्ञानिक के पदों पर दो व्यक्ति बिना आयोग के अनुमोदन के, क्रमशः ७ जुलाई, १९६० तथा १७ अगस्त, १९६१ से स्थानापन्न रूप से कार्य करते रहे। तीसरे व्यक्ति को, जो सहायक मनोवैज्ञानिक के पद पर २३ जून, १९६० से स्थानापन्न था, आयोग ने अक्तूबर, १९६२ में सीधी भर्ती द्वारा चुनकर वोकेशनल गाइड के पद पर नियुक्ति के लिये संस्तुत किया।

१०—१९६१–६२ के प्रतिवेदन के अध्याय ९ के पैरा ४ में यह उल्लेख किया गया था कि दो मामलों में नियुक्ति प्राधिकारियों के विनिश्चय की प्रतीक्षा वर्ष की समाप्ति तक की जाती रही थी। प्रतिवेदनाधीन वर्ष में उनमें से एक मामला आयोग के पुनर्विचारार्थ फिर भेजा गया किन्तु प्रस्ताव में कोई औचित्य आयोग को नहीं दिखलाई पड़ा और उन्होंने ८ मार्च, १९६३ को उस मामले को मुख्य मंत्री के समक्ष रक्खा। इस मामले का विस्तृत विवरण नीचे पैरा १२ में दिया गया है। शेष एक मामले में नियुक्ति प्राधिकारी के विनिश्चय की प्रतीक्षा वर्ष की समाप्ति तक की जाती रही।

११—१९६१–६२ के प्रतिवेदन के अध्याय ९ के पैरा ५ में यह उल्लेख किया गया था कि एक सहायक अभियन्ता का मामला जिस पर न्यायालय में मुकदमा चल रहा था, उस वर्ष की समाप्ति तक भी नहीं निपटाया जा सका था, क्योंकि इस अभ्यर्थी के विषय में शासन से १९६१–६२ में कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई थी। प्रतिवेदनाधीन वर्ष में उक्त स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

१२—जैसा गतवर्षीय प्रतिवेदन के अध्याय ९ के पैरा ७ में लिखा गया था, शासन ने अप्रैल, १९५७ में, बिना आयोग से परामर्श किये, उत्तर प्रदेश सचिवालय में १६०–४०० रु० के वेतन–क्रम में अस्थायी आशुलिपिक के पद को धारण करने वाले एक व्यक्ति को २०० रु० मासिक प्रतिकर भत्ता तथा प्रदेश के बाहर (ध्रंगध्रा, सौराष्ट्र में) कार्य करने के लिये पूर्ण दैनिक भत्ता के साथ १७५–५०० रु० के वेतन–क्रम में उपक्षेत्रीय क्रय–विक्रय अधिकारी (नमक) के एक अस्थायी राज-पत्रित पद पर नियुक्त किया था। नवम्बर, १९५९ में आयोग ने परामर्श दिया था कि यदि यह संभावना हो कि पद की अवधि मार्च, १९६० से आगे बढ़ाई जा सकती है तो पद को विज्ञापन, साक्षात्कार आदि के बाद नियमित ढंग से भरा जाना चाहिए। जनवरी, १९६३ में शासन ने आयोग के परामर्शानुसार नियमित ढंग से पद को भरने के लिये कार्यवाही करने के बजाय, मामले को फिर आयोग के पास भेजा, जिसमें यह कहा कि संबंधित व्यक्ति कई वर्षों से उप-क्षेत्रीय क्रय–विक्रय अधिकारी (नमक) के पद पर कार्य कर रहा है और उसने व्यापारियों, रेल के अधिकारियों, नमक आयुक्त तथा अन्य राज्यों के अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करके इस राज्य की आव-श्यकतानुसार नमक की संपूर्ति को नियंत्रित करने में बहुमूल्य अनुभव प्राप्त कर लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय संकट के कारण, जब कि हर प्रकार की स्थिति का सामना करने के लिये और, आवश्यकता पड़ने पर, राशनिंग चालू कर देने के लिये शासन द्वारा सभी प्रारंभिक कदम उठाये जा रहे हैं, यह बड़ा कठिन मालूम पड़ता है कि किसी अन्य अनुभवी उप-क्षेत्रीय क्रय–विक्रय अधिकारी को नमक अधिकारी के पद पर कार्य करने के लिये भेजा जा सके और यह कि संबंधित व्यक्ति को उसके विद्यमान

पद से मुक्त करना और भी कठिन होगा। शासन ने यह भी कहा कि राज्य में नमक की संपूर्ति नियमित रूप से होती रहे इसके लिये इस समय संबंधित व्यक्ति के स्थान पर किसी नये अधिकारी को नियुक्ति करने का जोखिम लेना भी वांछनीय नहीं मालूम पड़ता है, क्योंकि किसी नये अधिकारी को आवश्यक सम्पर्क बढ़ाने के कार्य से परिचित होने में कुछ समय लग जायगा। इन परिस्थितियों में आयोग से अनुरोध किया गया था कि वे संबंधित व्यक्ति की उपक्षेत्रीय क्रय-विक्रय अधिकारी (नमक) के पद पर कार्यसंचालनार्थ नियुक्ति को २९ फरवरी, १९६४ तक के लिये अनुमोदित करें। आयोग को शासन के प्रस्ताव में कोई औचित्य नहीं दिखलाई पड़ा और उन्होंने ८ मार्च, १९६३ को इस मामले को मुख्य मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया।

१३—१९६१-६२ के प्रतिवेदन के अध्याय ९ के पैरा ८ में निर्दिष्ट मामले के संबंध में प्रान्तीय क्रय-विक्रय अधिकारी (अनाज) के पद के लिये पदोन्नति द्वारा नियमित चुनाव करने हेतु एक निर्देश जुलाई, १९६२ में प्राप्त हुआ और यह मामला आयोग द्वारा प्रतिवेदनाधीन वर्ष में निपटाया गया, देखिए परिशिष्ट ५ की मद संख्या २०।

१४—१९६१-६२ के प्रतिवेदन के अध्याय ९ के पैरा १० में यह उल्लेख किया गया था कि आयोग के सुझावानुसार संबंधित सहायक अभियन्ता की सेवाओं को समाप्त करने के संबंध में शासन के विनिश्चय की प्रतीक्षा उस वर्ष के अन्त तक की गई थी। शासन का विनिश्चय प्रतिवेदनाधीन वर्ष की समाप्ति तक भी नहीं प्राप्त हुआ।

१५—प्रतिवेदनाधीन वर्ष में जिन कर्मचारियों की अनन्तिम नियुक्ति के आदेश आयोग को अप्रसारित किये गये थे, उनकी संख्या ९८९ थी। जिन नियुक्तियों के विषय में वर्ष में कोई सूचना नहीं मिली उनकी स्थिति का पता लगाने के लिये अनुस्मारक भेजे गये।

१६—गत वर्ष राज्य की विभिन्न अभियन्त्रण सेवाओं में आयोग द्वारा संचालित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर चुनाव करने की पद्धति को लागू करने का विनिश्चय किया गया था। परीक्षा में भर्ती होने की एक शर्त यह थी कि अनुमोदित सहायक अभियन्ताओं के लिये आयु सीमा ४० वर्ष रहेगी। इस विचार से कि जो सहायक अभियन्ता विभाग में नियुक्त कर लिये गये थे किन्तु आयोग का अनुमोदन जिन्हें अभी तक नहीं मिला था, उन्हें कोई हानि न हो, आयोग ने स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग के उन सभी अर्ह किन्तु अननुमोदित सहायक अभियन्ताओं (सिविल और विद्युत् तथा यांत्रिक दोनों) की कार्य संचालनार्थ नियुक्ति को अनुमोदित कर दिया, जिनके सेवा अभिलेखों से शासन संतुष्ट थे और जो एक वर्ष से अधिक समय तक कार्य कर चुके थे अथवा जिनके एक वर्ष की अवधि के बाद ३१ दिसम्बर, १९६२ तक या नियमित रूप से चुने हुए अभ्यर्थियों द्वारा हटाये जाने तक, जो भी पहले हो, चलते रहने की आशा थी। मामले की आवश्यकता को देखते हुए, विशेष परिस्थिति में, ऐसे सहायक अभियन्ताओं के पूर्ण विवरण को विभाग से मांगे बिना ही अनुमोदन दे दिया गया।

१०—उत्तर प्रदेश शासन की सेवाओं में या पदों पर विलीनीकृत राज्यों तथा अन्तरक्षेत्रीय खंडों के भूतपूर्व कर्मचारियों का विलीनीकरण।

प्रतिवेदनाधीन वर्ष में विलीनीकृत राज्यों तथा अन्तरक्षेत्रीय खंडों के ३ कर्मचारियों (इनमें १९६१-६२ के न निपटाये गये दो मामले भी शामिल हैं) के

उत्तर प्रदेश शासन की विभिन्न सेवाओं में अथवा पदों पर विलीनीकरण के मामलों पर विचार किया गया। इन मामलों का विवरण निम्नलिखित सारणी में दिया हुआ है :

क्रम-संख्या	विलीनीकृत राज्य अथवा अन्तरक्षेत्रीय खंड का नाम	सेवा या पद जिसके लिये विचार किया गया	अभ्यर्थियों की संख्या	अभ्युक्ति
१	२	३	४	५
१	तराई तथा भावर	पी० एम० एस० दो	१	विलीनीकरण के लिये अनुमोदित।
२	रामपुर	अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापक	१	३० नवम्बर, १९६२ में मांगी गई कुछ सूचना के अभाव में निपटाया नहीं गया।
३	रामपुर	पी० एस० एम० एस०	१	२८ जून, १९५० से २३ मार्च, १९५९ तक की अस्थायी नियुक्ति अनुमोदित।

११—स्थानान्तरण द्वारा भर्ती

१९६१-६२ के प्रतिवेदन के अध्याय ११ के पैरा १ के उप पैरा (४) में निर्दिष्ट एक लम्बित मामले को छोड़कर प्रतिवेदनाधीन वर्ष में आयोग ने स्थानान्तरण द्वारा भर्ती के किसी नये मामले पर विचार नहीं किया।

२—गतवर्षीय प्रतिवेदन के अध्याय ११ के पैरा १ के उप पैरा (४) में यह उल्लेख किया गया था कि बालिका विद्यालय की एक सहायक निरीक्षिका को निरीक्षण शाखा से अध्यापन शाखा में स्थानान्तरित करने की वांछनीयता के विषय में शिक्षा निदेशक की संस्तुतियां वर्ष की समाप्ति तक नहीं प्राप्त हुई थीं। शिक्षा निदेशक ने इस मामले में अपनी राय अक्तूबर, १९६२ में भेजा। आयोग संबंधित सहायक निरीक्षिका की निरीक्षण शाखा से अध्यापन शाखा में नियुक्ति से सहमत नहीं हुए और शिक्षा निदेशक को तदनुसार सूचित किया।

३—१९६१-६२ के प्रतिवेदन के अध्याय ११ के पैरा २ की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि सांख्यिक के खाली पद को भरने के लिये जिस नये निर्देश को भेजने के लिये शासन ने जनवरी, १९६२ में कहा था, वह निर्देश उस वर्ष की समाप्ति तक नहीं प्राप्त हुआ था। उस निर्देश की प्रतीक्षा वर्ष की समाप्ति तक भी की जाती रही।

१२—पुष्टिकरण

प्रतिवेदनाधीन वर्ष में कार्यालय ज्ञाप संख्या २९४९/२-बी—१००-५३, दिनांक १० दिसम्बर, १९५३ के अन्तर्गत शासन के नियुक्ति (ख) विभाग द्वारा जारी किये गये आदेशों के अधीन अस्थायी कर्मचारियों के पुष्टिकरण के जिन मामलों पर आयोग से

विचार करने का अनुरोध किया गया, उनमें परिशिष्ट ७ तथा ७–क के स्तम्भ (३) में दिखलाये गये ७८५ कर्मचारियों पर विचार करना पड़ा। इस संख्या में १ अप्रैल, १९६२ तक न निपटाये गये मामले भी शामिल हैं।

२––प्रतिवेदनाधीन वर्ष में ७० मामले जिनमें परिशिष्ट ७ में उल्लिखित ३८६ कर्मचारियों पर विचार किया गया था, आयोग द्वारा निपटाये गये, किन्तु ३९ मामले जिनमें परिशिष्ट ७–क में वर्णित ३९९ कर्मचारियों पर विचार करना था, इस वर्ष निपटाये नहीं जा सके और आगामी वर्ष के लिये शेष रहे। इनमें से कुछ मामले मांगी गई वांछित चारित्रावलियों तथा/अथवा सूचना के अभाव में निपटाये नहीं जा सके और कुछ मामले वर्ष की समाप्ति के समय प्राप्त होने के कारण नहीं निपटाये जा सके।

३––जिन ३८६ कर्मचारियों के मामले निपटाये गये, उनमें से १३ अभ्यर्थियों के पुष्टिकरण का, जो पहले ही पुष्ट कर दिये गये थे, कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया, २९९ पुष्टिकरण अथवा परीक्षणकाल पर स्थायी नियुक्ति के लिये अनुमोदित किये गये, २५ पुष्टिकरण के लिये अनुमोदित नहीं किये गये और १५ सेवा में चलते रहने के लिये भी अनुपयुक्त पाये गये। शेष ३४ कर्मचारियों के विषय में स्थिति इस प्रकार थी :

(१) दो अभ्यर्थी पहले ही दूसरे विभागों में पुष्ट कर दिये गये थे। अतः उनके पुष्टिकरण के मामलों पर विचार नहीं किया गया।

(२) एक अभ्यर्थी के मामले पर विचार नहीं किया गया क्योंकि वह साक्षात्कार में उपस्थित नहीं हुआ था।

(३) १२ अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार नहीं किया गया क्योंकि उन्होंने सुझाव दिया कि उनका पुष्टिकरण बिना आयोग के परामर्श के किया जा सकता है।

(४) १ अभ्यर्थी के मामले पर विचार नहीं किया गया क्योंकि उसके पुष्टि-करण के लिये जिस पुनरीक्षित प्रस्ताव को भेजने के लिये आयोग से वादा किया गया था, वह वर्ष की समाप्ति तक नहीं प्राप्त हुआ था।

(५) १२ अभ्यर्थियों के बारे में निर्देश वापस ले लिया गया और पदों को विज्ञापित किया गया।

(६) १ अभ्यर्थी के मामले पर विचार नहीं किया गया क्योंकि यह सुझाव दिया गया कि जब तक फलोपयोगिता के निर्देशालय में उसके पुष्टिकरण का प्रश्न अन्तिम रूप से तय न हो जाय, तब तक उसके लिये एक रिक्ति आरक्षित कर दी जाय।

(७) ५ अभ्यर्थियों के विषय में यह सुझाव दिया गया कि वे पुष्टिकरण के लिये कुछ समय और रुकें।

४––१९६१–६२ के प्रतिवेदन के अध्याय १२ के पैरा ५ की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि (क) अधीनस्थ कृषि सेवा के ग्रुप १ (हार्टीकल्चर) के एक पद पर स्थायी पदोन्नति के लिये अलग निर्देश तथा (ख) सीधी भर्ती द्वारा चुने हुए ३ अभ्यर्थियों की चरित्रावलियां तथा प्रविष्टियां उस वर्ष की समाप्ति तक नहीं प्रात हुई थीं। प्रतिवेदनाधीन वर्ष में :

(१) अधीनस्थ कृषि सेवा के ग्रूप १ (हार्टीकल्चर) में ८ स्थायी पदों पर पदोन्नति के लिये नियमित चुनाव करने के हेतु एक अलग निदश प्राप्त हुआ, देखिए परिशिष्ट ५–क की मद संख्या ६।

(२) सीधी भर्ती द्वारा चुने गये ३ अभ्यर्थियों के मामले आयोग द्वारा निपटाये गये, देखिए परिशिष्ट ७ की मद संख्या ३।

५—१९६१—६२ के प्रतिवेदन के अध्याय १२ के पैरा ६ में यह उल्लेख किया गया था कि (क) आयोग ने सुझाव दिया था कि कृषि अभियन्ताओं तथा सहायक कृषि अभियन्ताओं के संवर्ग में पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों की संख्या निश्चित करके स्थायी पदोन्नति के लिये अलग से प्रस्ताव भेजे जायं तथा (ख) तीन स्थानापन्न कृषि अभियन्ताओं तथा १९ स्थानापन्न सहायक कृषि अभियन्ताओं की चरित्रावलियां तथा सीधी भर्ती द्वारा चुने गये कुछ अभ्यर्थियों के विषय में कुछ बातों का स्पष्टीकरण मांगा गया था, ताकि आयोग उनके पुष्टिकरण के बारे में परामर्श दे सकें। प्रतिवेदनाधीन वर्ष में—

(१) शासन से सहायक कृषि अभियन्ता के पदों के लिये पदोन्नति द्वारा नियमित चुनाव करने के हेतु एक निर्देश प्राप्त हुआ, देखिए परिशिष्ट ५ की मद संख्या ६७।

(२) सीधी भर्ती द्वारा चुने गये २१ सहायक कृषि अभियन्ताओं के मामले आयोग द्वारा निपटाये गये, देखिए परिशिष्ट ७ की मद संख्या २६ तथा।

(३) कृषि अभियन्ता के स्थायी पदों पर पदोन्नति द्वारा नियमित चुनाव करने तथा सीधी भर्ती द्वारा चुने गये अभ्यर्थियों के पुष्टिकरण के लिये आवश्यक निर्देशों की प्रतीक्षा वर्ष की समाप्ति तक की जाती रही।

६—१९६१—६२ के प्रतिवेदन के अध्याय १२ के पैरा ७ की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि आयोग इस बात से सहमत हो गये थे कि सिंचाई, सार्वजनिक निर्माण, स्वायत्त शासन अभियन्त्रण तथा विद्युत् विभागों में ओवरसियर के अस्थायी पदों के लिये प्रारम्भ में आयोग द्वारा चुने गये अनुमोदित ओवरसियरों का पुष्टिकरण आयोग को अग्रेतर निर्देश भेजे बिना ही किया जा सकता है, यदि उनका कार्य संतोषजनक रहा हो। किन्तु सितम्बर, १९६२ में शासन ने अनुरोध किया कि ओवरसियर के पदों को आयोग के विचार—क्षेत्र में से निकालने के विषय में आयोग की संस्तुतियों पर जब तक विनिश्चय नहीं किया जाता है, तब तक आयोग द्वारा उक्त पदों के लिये चुनाव पुष्टिकरण की विद्यमान पद्धति चलती रहे।

१३—अपीलें तथा आनुशासनिक कार्यवाही के मामले

प्रतिवेदनाधीन वर्ष में अपीलों तथा आनुशासनिक कार्यवाही के मामलों की कुल संख्या जिन पर आयोग को विचार करना था, १०५ थीं। इनमें २० अपीलें तथा १४ आनुशासनिक कार्यवाही के मामले १९६१—६२ के थे, ४४ अपीलें तथा १९ आनुशासनिक कार्यवाही के मामले १९६२—६३ में प्राप्त हुए थे, १ अपील तथा २ आनुशासनिक कार्यवाही के वे मामले थे, जिनमें आयोग ने प्रतिवेदनाधीन वर्ष में अपनी राय दी थी, किन्तु जो आयोग के पुनर्विचारार्थ उनके पास फिर भेजे गये थे और २ अपीलों तथा ३ आनुशासनिक कार्यवाही के मामले वे थे जिनमें आयोग ने पूर्व वर्षों में अपनी राय दी थी, किन्तु फिर भी प्रतिवेदनाधीन वर्ष में आयोग के पुनर्विचारार्थ लौटा दिये गये थे।

२—उपरिनिर्दिष्ट १०५ मामलों में से आयोग ने वर्ष में ६५ मामलों को अन्तिम रूप से निपटाया और ४० मामले आगामी वर्ष के लिये बच रहे। इन ४० मामलों में १२ मामले वे थे जिनमें आयोग ने मामलों पर प्रारम्भिक विचार करने के बाद कुछ कागज

पत्रों या सूचना की कमी पाई थी और जिनकी मांग की गई थी किन्तु जो वर्ष की समाप्ति तक प्राप्त नहीं हुए थे। अतः वास्तव में ये मामले दूसरी ओर अर्थात् शासन के यहां पड़े रहे। इन १२ मामलों को छोड़कर आयोग के पास न निपटाये गये मामलों की संख्या २८ थी।

३--ऊपर पैरा २ में निर्दिष्ट ६५ मामलों में से ३८ मामलों में आयोग द्वारा दिये गये परामर्श को शासन ने मान लिया। शेष २७ मामलों में से १ मामले में आयोग का परामर्श आंशिक रूप से माना गया। इस मामले का सविस्तर विवरण पैरा ७ में दिया गया है। ३ मामले प्रतिवेदनाधीन वर्ष में आयोग के पुनर्विचारार्थ फिर भेजे गये और २३ मामलों में शासन के विनिश्चय की प्रतीक्षा वर्ष की समाप्ति तक की जाती रही।

४--जो मामले आयोग द्वारा पूर्व वर्षों में निपटाये गये थे, उनमें से १९६१-६२ के प्रतिवेदन के अध्याय १३ के पैरा ३ में निर्दिष्ट ३४ मामलों में आयोग के परामर्श पर शासन के विनिश्चय की प्रतीक्षा थी। इनमें से चार मामले प्रतिवेदनाधीन वर्ष में आयोग के पुनर्विचारार्थ उनके पास फिर भेजे गये। इन ४ मामलों के विषय में ऊपर पैरा १ से ३ में पहले ही लिखा जा चुका है। शेष ३० मामलों में से २१ मामलों में आयोग का परामर्श यथाविधि मान लिया गया और ९ मामलों में आयोग के परामर्श पर शासन का विनिश्चय वर्ष की समाप्ति तक नहीं प्राप्त हुआ।

५--१९६१-६२ के प्रतिवेदन के अध्याय १३ के पैरा ५ की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि सेवा-निवृत्ति-वेतन को जब्त करने के एक मामले में आयोग द्वारा दिये गये कुछ सुझावों पर शासन की प्रति-क्रिया की सूचना उस वर्ष की समाप्ति तक नहीं मिली थी। यह मामला प्रतिवेदनाधीन वर्ष में भी शासन के पास पड़ा रहा।

६--एक कर्मचारी के सत्य निष्ठता के प्रमाण-पत्र को रोक लेने का एक मामला आयोग के पास अक्तूबर, १९५५ में भेजा गया था। आयोग ने उस पर अपनी राय जून, १९५६ में ही दे दी थी। राय यह थी कि चूंकि कर्मचारी के विरुद्ध लगाये गये दोषा-रोप बहुत गंभीर थे इसलिये उसके विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जाय और यदि वह दोषी पाया जाय तो आयोग के परामर्श से उसको पर्याप्त दंड दिया जाय। कर्मचारी के विरुद्ध प्रारम्भ की गई वैभागिक कार्यवाही ७ वर्ष बीत जाने पर भी प्रतिवेदनाधीन वर्ष में पूरी नहीं की जा सकी थी। गत मार्च में इस मामले को मुख्य मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया गया और उन्होंने कृपा करके शीघ्र उत्तर दिया कि मामले की जांच हो रही है और आयोग को शीघ्र ही लिखा जायेगा।

७--एक आनुशासनिक मामले में, फरवरी, १९५९ में आयोग शासन से इस बात पर सहमत हुए थे कि संबंधित व्यक्ति सेवा से हटा दिये जाने का पात्र है और यह कि ५,५८६.७२ न० पै० की जो आर्थिक क्षति शासन को उठानी पड़ी थी उसके लिये २,००० रुपये उससे वसूल करना चाहिये। यह मामला जुलाई, १९६१ तक अनिर्णीत रहा और तब शासन ने आयोग के पुनर्विचारार्थ उसे उनके पास यह लिखते हुए फिर भेजा कि यदि संबंधित व्यक्ति को सेवा से हटाने के बजाय केवल उसकी वेतन-वृद्धि दो वर्ष की अवधि के लिये रोक दी जाय जिसका प्रभाव यह हो कि उसकी भावी वेतन वृद्धियां भी स्थगित रहें, तथा उससे क्षति पूर्ति के निमित्त २,००० रुपये देने को कहा जाय, तो उसे न्यायोचित दंड मिल जायगा। आयोग ने शासन के नये प्रस्ताव पर विचार किया किन्तु उन्हें अपनी पूर्व संस्तुतियों में परिवर्तन करने के लिये कोई नये तथ्य या परिस्थितियां नहीं मिलीं। और उन्होंने अगस्त, १९६१ में शासन को तदनुसार

सूचित किया। कई अनुस्मारकों को भेजने के बाद शासन ने अपने नये प्रस्ताव के अनु-सार जनवरी, १९६३ में आदेश जारी कर दिये। इस प्रकार इस मामले में आयोग का परामर्श आंशिक रूप से ही माना गया।

८--एक प्रकरण में यह प्रस्ताव किया गया था कि ३ वर्ष की अवधि के लिये वेतन को वेतन के कालमान में निम्नतम सोपान तक घटा दिया जाय। जुलाई, १९६१ में आयोग ने उसमें यह परामर्श दिया था कि संबंधित कर्मचारी प्रस्तावित दंड से कहीं अधिक दंड का पात्र था और यह कि सेवा से उसकी सेवा-वियुक्ति सर्वथा इष्टकर तथा न्ययोचित होगी। अतः उन्होंने यह संस्तुत किया था कि बढ़ाये हुए दंड को देने के लिये उसको सेवा-वियुक्ति की कारण-सूचना दी जाय। अप्रैल, १९६२ में शासन ने मामले को आयोग के पुनर्विचारार्थ यह कहते हुए फिर भेजा कि यद्यपि प्रकरण के तथ्यों के आधार पर कड़ी कार्यवाही करनी उचित होगी, किन्तु क्योंकि मामला ६ वर्ष पुराना हो चुका है और संबंधित कर्मचारी १ जुलाई, १९६२ को सेवा-निवृत्त हो जायगा, इसलिये सेवा-वियुक्ति का दन्ड बहुत कठोर होगा। इसके अतिरिक्त सेवावियुक्ति के विरुद्ध कारण-सूचना जारी करने से और अधिक विलम्ब होगा। जून, १९६२ में आयोग ने उत्तर दिया कि चूंकि कर्मचारी को १ जुलाई, १९६२ को सेवा-निवृत्त होना है, इसलिये ३ वर्ष के लिये निम्नतम सोपान तक वेतन को घटा देने के सम्बन्ध में शासन का मूल प्रस्ताव कार्यान्वित नहीं किया जा सकता था क्योंकि वेतन को घटाने का आदेश पूर्वगामी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता था। आयोग ने यह विचार व्यक्त किया कि कर्मचारी गम्भीर अपराध करने का दोषी था और शासन द्वारा दिये गये कारणों के आधार पर उसे छोड़ देना उचित नहीं होगा। आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि जब तक इस मामले पर अन्तिम निर्णय न ले लिया जाय, तब तक कर्मचारी को निश्चित तिथि को सेवा-निवृत्त न होने दिया जाय और यह कि शासन को उसका सेवा-निवृत्ति वेतन घटाने या जब्त करने के सम्बन्ध में विशिष्ट आदेश जारी करने का पूरा अधिकार है। आयोग को इस मामले में उदारता दिखलाने का कोई आधार नहीं मिला।

अतः वे जुलाई, १९६१ में शासन को भेजी गई अपनी पूर्व संस्तुति पर दृढ़ रहे। किन्तु शासन ने ८ अगस्त, १९६२ को केवल इस आशय का आदेश जारी किया कि कर्मचारी को उसकी सेवा की शेष अवधि तक के लिये वेतन-क्रम के निम्नतम वेतन पर कर दिया जाय और दिसम्बर, १९६२ में आयोग को तदनुसार सूचित करते हुये यह भी लिखा कि असैनिक सेवा विनियमों के अनुच्छेद ४७० के अधीन कर्मचारी के सेवा निवृत्ति-वेतन को पर्याप्त रूप में घटा देने के निदेश विभागाध्यक्ष को दे दिये गये हैं। तदनन्तर मई, १९६३ में आयोग को यह भी सूचित किया गया कि कर्मचारी के मामले में अन्तिम रूप से विनिश्चय लेने के विचार से उसकी सेवा की अवधि दो मास अर्थात् ३० सितम्बर, १९६२ तक के लिये बढ़ा दी गई है। इस प्रकार ८ अगस्त, १९६२ के राज्यपाल के आदेश का आशय यह रहा कि कर्मचारी का वेतन १ मास १३ दिन के लिये ही घटाया गया था।

९---आयोग को निर्दिष्ट अपील के एक प्रकरण में सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली के नियम २६ के निर्वचन के प्रश्न पर विचार करना पड़ा। नियम इस प्रकार है :

> "कोई सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा या सेवा की शर्तों से उत्पन्न शिकायतों को दूर करने के लिये कष्ट निवारण की सामान्य सरकारी सरणियों का आश्रय लिये बिना किसी विधि न्यायालय की शरण लेकर न्याय पाने का प्रयत्न न करेगा, उन मामलों में भी जहां वैध रूप से ऐसा प्रतिकार ग्राह्य है।"

आयोग का मत यह था कि उपर्युक्त नियम का आशय स्पष्टतः यह है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी को कोई ऐसी शिकायत है, जो उसकी सेवा या सेवा की शर्तों से उत्पन्न हुई है तो उसे सामान्य सरकारी सरणियों द्वारा उस शिकायत को दूर करना

चाहिये और न्यायालय की ओर न भागना चाहिये। उनके विचार से नियम यह नहीं कहता है कि उन शिकायतों को दूर करने के लिये भी जो उसकी सेवा या सेवा की शर्तों से उत्पन्न नहीं हुये हैं, उसे विधि न्यायालय की शरण न लेनी चाहिये ।

१०--सेवा से वियुक्ति के एक आदेश के विरुद्ध एक कर्मचारी के पुनरीक्षण प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में आयोग ने यह कहा कि उस मामले में की गई विभागिक कार्यवाही में कुछ महत्वपूर्ण अनियमितताओं के कारण सेवा-वियुक्ति के आदेश को बने रहने देना सम्भव नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि उसी कारण से सम्बन्धित कर्मचारी के विरुद्ध उन्हीं दोषारोपों पर फिर से विभागिक कार्यवाही नहीं की जा सकती है, जिन पर दो बार पहले ही असफलता पूर्वक कार्यवाही की जा चुकी थी। उन्हें दुख हुआ कि विभागिक कार्यवाही करने में उत्तरदायी अधिकारियों की पर्याप्त सावधानी के अभाव में उन कार्यवाहियों को वर्षों बाद रद्द करना पड़ता है और दोषी कर्मचारियों को बहाल करके पूरी अवधि का पूरा वेतन देना पड़ता है। आयोग का विचार था कि जो अधिकारी आनुशासनिक कार्यवाही करते हैं, उन्हें कार्यवाही की प्रक्रिया से भलीभांति परिचित होना चाहिये और जो आवश्यक औपचारिकताओं का पालन नहीं करते हैं जिसके फल-स्वरूप शासन को आर्थिक क्षति पहुंचती है तथा उनके सम्मान को धक्का लगता है, उन्हें उनकी भूलों के लिये पर्याप्त दंड मिलना चाहिये। जनवरी, १९६३ में इसके विषय में मुख्य सचिव तथा मुख्य मंत्री को भी लिखा गया। फरवरी १९६३ में आयोग को उत्तर देते हुये शासन ने सूचित किया कि उस विषय में सभी सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक अनुदेश पहले ही जारी किये जा चुके हैं। मुख्य मंत्री जी ने भी आयोग को यह आश्वासन देने की कृपा की कि यह सुनिश्चित करने के लिये कार्यवाही की जायगी कि भविष्य में दन्डाधिकारी ऐसी अनियमितताओं को न करें ।

११--आयोग को निर्दिष्ट अपील के एक प्रकरण में उन्होंने देखा कि विभागाध्यक्ष द्वारा दिया गया दिनांक ८ जून, १९५९ का मूल दन्डादेश कदाचित् ही एक आदेश था। वास्तव में यह अधीनस्थ अधिकारी को भेजा गया एक पत्र था, जिसमें यह कहा गया था कि अपीलकर्ता का स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नहीं था और इसलिये, भावी वेतन वृद्धियों को स्थगित करते हुये तीन वर्ष के लिये उसकी वेतन-वृद्धियां रोक ली गई थीं। आयोग को ऐसा लगा कि विभागाध्यक्ष ने स्पष्टीकरण पर विचार नहीं किया था, क्योंकि आदेश में स्पष्टीकरण के असन्तोषजनक होने का कोई कारण नहीं दिया गया था। बाद में उसी विभागाध्यक्ष ने १९ मई, १९६० को अपेक्षाकृत एक लम्बा आदेश दिया था। तात्पर्य यह है कि विभागाध्यक्ष स्पष्टीकरणों तथा प्रतिनिवेदनों पर विचार करना जानते थे और जब चाहते थे, कर सकते थे। जिस ढंग से विभागाध्यक्ष ने ८ जून, १९५९ का अपना उपर्युक्त आदेश लिखा था, उस ढंग से यदि कोई न्यायिक आदेश लिखा जाता तो अपील प्राधिकारी उसे इस आधार पर तुरन्त रद्द कर देता कि आदेश को देखने से यह पता नहीं चलता है कि दन्डाधिकारी ने उस पर कुछ विचार भी किया है। न्यायिक कार्यवाही के फलस्वरूप दिये गये आदेश के लिये जो बात सच है, सम्भव है वही बात आनुशासनिक कार्यवाही में दिये गये आदेश के लिये सच न हो और यद्यपि एक अनवहित आदेश, जिसको देखने से यह प्रत्यक्ष हो जाता है कि आदेश देने वाले अधिकारी ने अपना दिमाग नहीं लगाया है, आनुशासनिक कार्यवाही में केवल उसी कारण से, रद्द न किया जा सके, फिर भी, आयोग के विचार से, आनुशासनिक कार्यवाही के मामलों में दिये गये आदेश सुबोध होने चाहिये। आदेश में विनिश्चय के कारण संक्षेप में दे देने चाहिये, ताकि पुनरीक्षण प्राधिकारी को यह पता चल सके कि आदेश देने के कारण क्या थे और अपील पर निर्णय लेने में उसे सहायता मिल सके। आयोग ने अपने उपर्युक्त विचार शासन को भेजे ताकि वे सभी सम्बन्धित अधिकारियों के सामान्य पथप्रदर्शन के लिये उनको सूचित करें। अभी तक शासन की प्रतिक्रिया का पता नहीं चला है ।

१२---१९६१-६२ के प्रतिवेदन के अध्याय १३ के पैरा ७ की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जो आनुशासनिक कार्यवाहियों तथा अपीलों के मामलों को निपटाने में किये गये विलम्ब के सम्बन्ध में था। ऐसे ७ मामलों में यह कहा गया था कि जो कागज-पत्र अथवा सूचना मांगी गई थी, उसमें से कुछ उस वर्ष की समाप्ति तक नहीं प्राप्त हुई थी। ये वांछित कागज-पत्र तथा सूचना प्रतिवेदनाधीन वर्ष में प्राप्त हुये।

ऊपर पैरा २ में निर्दिष्ट १२ मामलों में से, जिनमें आयोग ने कुछ वांछित कागज-पत्रों अथवा अग्रेतर सूचना की मांग की थी, दो मामले ऐसे थे, जिनमें प्रतिवेदनाधीन वर्ष की समाप्ति के दिन कागज-पत्रों को मांगे ६ महीने से अधिक का समय बीत चुका था, परन्तु कागज पत्रादि प्राप्त नहीं हुये थे।

१४---असाधारण पेंशन तथा उपदान

प्रतिवेदनाधीन वर्ष में पद का जोखिम वाले कर्तव्यों का पालन करने के फलस्वरूप जिन सरकारी कर्मचारियों को चोट लगी थी उनसे अथवा जो मृत्यु के शिकार हुये थे उनके परिवार वालों से असाधारण पारिवारिक अथवा चोट पेंशन तथा/अथवा उपदान के कुल २८ मामले आयोग के परामर्श के लिये प्राप्त हुये। इनमें १९६१-६२ के अग्रेनीत ८ मामले हैं और १९६२-६३ में प्राप्त १८ नये मामले हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट ८ में दी हुई है। इनके अतिरिक्त २ मामले वे हैं, जिनमें आयोग ने अपना परामर्श पहले दिया था, किन्तु जो उनके पुनर्विचारार्थ फिर भेजे गये थे।

२---उपर्युक्त २८ मामलों में, १६ पुलिस विभाग के थे, ४ राजस्व विभाग के, दो-दो सिंचाई तथा वन विभागों के तथा एक-एक सार्वजनिक निर्माण, कारागार, सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा पशुपालन विभागों के थे।

३---उपर्युक्त २८ मामलों में से २१ मामले आयोग द्वारा प्रतिवेदनाधीन वर्ष में निपटाये गये। शेष ७ निपटाये नहीं जा सके।

४---प्रतिवेदनाधीन वर्ष में निपटाये गये २१ मामलों में से ९ मामलों में शासन द्वारा जारी किये गये आदेश वर्ष के भीतर प्राप्त हो गये थे और उन सभी मामलों में आयोग का परामर्श मान लिया गया था। शेष १२ मामलों में से, ४ मामलों में शासन ने वर्ष की समाप्ति के बाद शीघ्र ही आदेश जारी कर दिये और ८ मामलों में शासनादेश प्रतीक्षित रहे।

५---दस मामले ऐसे थे, जिनमें आयोग ने पूर्व वर्षों में अपना परामर्श दिया था, किन्तु जिनके विषय में शासनादेश १९६१-६२ की समाप्ति तक प्राप्त नहीं हुये थे। इनमें से दो मामले बाद में आयोग के पुनर्विचारार्थ उनके पास फिर भेजे गये थे, जिनके विषय में ऊपर पैरा १ में पहले ही लिखा जा चुका है। शेष ८ मामलों में से, केवल ४ मामलों में शासनादेश प्रतिवेदनाधीन वर्ष में प्राप्त हुये और ४ मामलों में शासनादेश प्रतीक्षित रहे।

६---एक प्रकरण में यह प्रतिवेदित किया गया था कि एक तहसीलदार जन-गणना कार्य के सम्बन्ध में प्रशिक्षण देने के लिये एक गांव में गया हुआ था। दो दिन बाद उसी गांव में, वह स्नानागार में गया और लगभग ७ बजे प्रातः बेहोश होकर गिर पड़ा। गांव तहसील से दूर एक कोने में बसा हुआ था, जहां चैकित्सिक सहायता की व्यवस्था नहीं की जा सकती थी और १०-३० बजे पूर्वान्ह में तहसीलदार का स्वर्गवास हो गया। तत्पश्चात् उसकी विधवा ने असाधारण पेंशन की स्वीकृति के लिये प्रार्थना-पत्र दिया,

जिसका समर्थन उपायुक्त, आयुक्त तथा राजस्व परिषद् ने किया। किन्तु महालेखाकार का यह विचार था कि जिन परिस्थितियों में उपर्युक्त कर्मचारी की मृत्यु हुई थी, वे उत्तर प्रदेश असैनिक सेवाओं (असाधारण पेन्शन) की नियमावली के नियम ३(६) तथा ३(७) में परिभाषित "पद का जोखिम" अथवा "पद का विशेष जोखिम" पद के अन्तर्गत नहीं आती, अतः कोई पेन्शन ग्राह्य नहीं थी। उनके पास भेजे गये कागज-पत्रों का अवलोकन करने के बाद आयोग महालेखाकार के विचारों से सहमत हुये और जनवरी, १९६२ में शासन को परामर्श दिया कि स्वर्गीय तहसीलदार के आश्रितों को कोई असाधारण पेन्शन ग्राह्य नहीं है। शासन सहमत हुये, किन्तु जून, १९६२ में उन्होंने आयोग से पूछा कि यदि उपर्युक्त नियमों के नियम १४ के अन्तर्गत, जो राज्यपाल को उन परिस्थितियों में पेन्शन प्रदान करने का अधिकार देता है, जिनमें सामान्य नियमों के अन्तर्गत पेन्शन नहीं दी जा सकती, पेन्शन प्रदान की जाय तो क्या उन्हें कोई आपत्ति होगी। आयोग ने अपना विचार व्यक्त किया कि नियम १४ के अन्तर्गत पेन्शन प्रदान करना न्यायोचित न होगा, और बतलाया कि शासन के गृह (पुलिस-ख) विभाग ने अपने पत्र संख्या ५२९४-आर/आठ-बी--१०००(९)-'५५, दिनांक नवम्बर शून्य, १९५५ में निम्नलिखित कथन किया था :--

> "नियम १४ के उपबन्धों की शरण असामान्य रूप से कठोर प्रकरणों में ली जाती है, जिनमें सामान्य नियमों की प्रायः सभी अपेक्षाओं की पूर्ति तो हो जाती है, किन्तु कुछ तकनीकी कारणों से पेन्शन की स्वीकृति नहीं दी जा सकती है। यदि ऐसा न हो तो सम्भव है कि शासन भारी वित्तीय उत्तरदायित्वों में फंस जायं, क्योंकि तब प्रकरण-प्रकरण में भेद करना कठिन हो जायगा ....।"

अतः आयोग ने परामर्श दिया कि जब तक शासन उक्त प्रकार के सभी मामलों में पेन्शन की स्वीकृति देने को तैयार न हों, तब तक उक्त मामले में पेन्शन प्रदान करना न्यायोचित न होगा, क्योंकि पूर्वोदाहरणों से सावधान रहना आवश्यक है, जो सम्भव है बाद में असुविधाजनक सिद्ध हों और जिनकी अवहेलना करना कठिन हो जाय। किन्तु आयोग की संस्तुतियों को शासन ने नहीं माना और उन्होंने ५ अप्रैल, १९६३ को उस मामले में नियम १४ के अन्तर्गत कुछ पेन्शन प्रदान करने के आदेश जारी कर दिये और आयोग से असहमत होने का कोई कारण नहीं बतलाया।

१५--वैध व्ययों के प्रत्यर्पण के दावे

अपने सरकारी कर्तव्यों को करने के फलस्वरूप उनके विरुद्ध चलाये गये वादों में अपनी पैरवी करने के सम्बन्ध में सरकारी कर्मचारियों द्वारा किये गये वैध व्ययों के प्रत्यर्पण के दावों की कुल संख्या ३० थी। इसमें १९६१-६२ के अग्रेनीत ४ मामले, प्रतिवेदनाधीन वर्ष में प्राप्त २३ मामले, जिनका उल्लेख परिशिष्ट ९ में किया गया है, तथा ३ वे मामले थे जिनमें पहले शासन को परामर्श दिया गया था, किन्तु जो आयोग के पुनर्विचारार्थ उनके पास फिर भेजे गये थे।

२--उपर्युक्त ३० मामलों में, २३ पुलिस विभाग के, २ कारागार विभाग के तथा एक-एक सार्वजनिक निर्माण, सहकारिता वित्त, सिंचाई एवं आबकारी विभागों के थे।

३--उपर्युक्त ३० मामले में से, १३ मामले आयोग द्वारा प्रतिवेदनाधीन वर्ष में निपटाये गये। शेष १७ मामले निपटाये नहीं जा सके। इन १७ मामलों में से ६ मामलों में कुछ सूचना मांगी गई थी जो वर्ष की समाप्ति तक प्राप्त नहीं हुई थी।

४——प्रतिवेदनाधीन वर्ष में निपटाये गये १३ मामलों में से एक, आयोग के पुनर्विचारार्थ उनके पास फिर भेजा गया था, जो उपर्युक्त पैरा १ में निर्दिष्ट ३० मामलों में सम्मिलित है। शेष १२ मामलों में शासनादेशों की प्रतीक्षा वर्ष की समाप्ति तक की जाती रही।

५——१९६१–६२ के प्रतिवेदन के अध्याय १५ के पैरा ५ की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि ६ मामलों में शासनादेशों की प्रतीक्षा उस वर्ष की समाप्ति तक की गई थी। प्रतिवेदनाधीन वर्ष में उनमें से दो आयोग के पुनर्विचारार्थ उनके पास फिर भेजे गये थे। ये दो मामले उपर्युक्त पैरा १ में निर्दिष्ट ३० मामलों में सम्मिलित हैं। शेष ४ मामलों में शासनादेशों की प्रतीक्षा प्रतिवेदनाधीन वर्ष में की जाती रही।

६——उपर्युक्त के अतिरिक्त, ४ अन्य मामलों में, जिनमें आयोग ने १९६१–६२ में परामर्श दिया था, शासनादेशों की प्रतीक्षा की जाती रही।

१६——सेवाओं तथा पदों के लिये नियम

प्रतिवेदनाधीन वर्ष मे ७८ ऐसे प्रकरण आये, जिनका सम्बन्ध विभिन्न सेवाओं तथा पदों पर भर्ती सम्बन्धी तथा/अथवा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों सम्बन्धी नियमों या सिद्धान्तों से था। आयोग ने उनका परीक्षण करके अपनी आलोचनायें भेजीं या प्रस्तावित संशोधनों अथवा आसंशोधनों पर परामर्श दिया। न प्रकरणों का विवरण परिशिष्ट १० में दिया गया है। इनमें से ५६ मामलों (मद १–५६ में वर्णित) में आयोग का परामर्श प्रतिवेदनाधीन वर्ष में दिया गया। शेष २२ मामलों (मद ५७——७८ में वर्णित) में आयोग का परामर्श प्रतिवेदनाधीन वर्ष में नहीं भेजा जा सका।

२——निम्नलिखित नियमावलियों अथवा नियमों के संशोधनों को, जिनके आलेख्यों पर आयोग की आलोचनायें वर्ष के भीतर या पहले भेजी जा चुकी थीं, प्रतिवेदनाधीन वर्ष में अन्तिम रूप दिये जाने की सूचना प्राप्त हुई :

*(१) अधीनस्थ राजस्व अधिशासी सेवा (तहसीलदार, नायब तहसीलदार तथा पेशकार) नियमावली के नियम १२ व १५ का संशोधन।

(२) अधीनस्थ राजस्व अधिशासी सेवा (तहसीलदार, नायब तहसीलदार तथा पेशकार) नियमावली के नियम २४ व २७ का संशोधन।

(३) अधीनस्थ राजस्व अधिशासी सेवा (तहसीलदार, नायब तहसीलदार तथा पेशकार) नियमावली के नियम २३ व २६ का संशोधन।

(४) अधीनस्थ राजस्व अधिशासी सेवा (तहसीलदार, नायब तहसीलदार तथा पेशकार) नियमावली के नियम १७ का संशोधन।

---

*(१) देखिये शासनादेश संख्या ४३९७ (१)/आई–बी——१३७–टी–६०, दिनांक २० नवम्बर, १९६२ ई०।

(२) देखिये शासनादेश संख्या ४३९७(२)/आई–बी——१३७–टी–६०, दिनांक २० नवम्बर, १९६२ ई०।

(३) देखिये शासनादेश संख्या ४३९७/आई–बी——१३७–टी–६०, दिनांक २० नवम्बर, १९६२ ई०।

(४) देखिये शासनादेश संख्या ५५९२/आई–बी——१००–टी–६१, दिनांक ८ जनवरी, १९६३ ई०।

(५) उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़क शाखा), अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा नियमावली, १९६१ के नियम १, २, ३, ४, ६, ७, ९, १०, १२, १३, १४, १५, १६, १७, २०, २४, २६, २७, २९ एवं परिशिष्ट क, ख, ग का संशोधन तथा नये नियमों ९-क, ११-क तथा ३० को जोड़ना ।

(६) उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग अधीनस्थ विद्युत अभियन्त्रण सेवा (विद्युत ओवरसियर्स) नियमावली, १९५२ के नियम ३, ७, ८, ९, ११, १४ का संशोधन तथा उस में नियम २८ को जोड़ना ।

(७) स्थानीय स्वशासन अभियन्त्रण विभाग, उत्तर प्रदेश में सहायक अभियन्ता के पदों पर पदोन्नति के लिये ओवरसियरों की संनिरीक्षा उप परीक्षा की प्रक्रिया में शासन द्वारा किया गया संशोधन ।

(८) "लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती सम्बन्धी अनुदेश" के अनुदेश ४ व ६ में संशोधन ।

(९) मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश के वैयक्तिक सहायक (लिपिक वर्गीय) के लिये नियमावली ।

(१०) स्वशासन अभियन्त्रण विभाग अधीनस्थ अभियंत्रण सेवा नियमावली, १९६२ ।

(११) सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश में सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) के पद पर पदोन्नति के लिये अधीनस्थ विद्युत व यांत्रिक अभियन्त्रण सेवा के सदस्यों की अर्हकारी परीक्षा के लिये नियम ।

(१२) उत्तर प्रदेश ब्वायलरों तथा फैक्टरियों के निरीक्षकों की सेवा, क्लास एक, नियमावली के नियम ४ व ९ का संशोधन ।

(१३) उन सभी सेवाओं के नियमों में संशोधन, जिनमें भर्ती के हेतु परीक्षाओं अथवा चुनावों में बैठने के लिये विभागीय अभ्यर्थियों को आयु सीमा से छूट देने की व्यवस्था है (यदि अभ्यर्थी त्याग-पत्र दे दें तो छूट वापस ले ली जाय) ।

---

(५) देखिये विज्ञप्ति संख्या ४५०३-ई-बी-आर/२३-पी-डब्ल्यू-डी--१-ओ० एस० डी० (आर)-४९, दिनांक २७ अगस्त, १९६२ ई० ।

(६) देखिये विज्ञप्ति संख्या १५३०-ई-बी-आर०/२३-पी-डब्ल्यू-डी--८-ओ-एस-डी (आर)-४९, दिनांक २८ अप्रैल, १९६२ ई० ।

(७) देखिये शासनादेश संख्या २७३९/९-बी--४८६-सी-६१, दिनांक २४ अगस्त, १९६२ ई० ।

(८) देखिये नियुक्ति विभाग कार्यालय ज्ञाप संख्या ५१६/दो-बी--१८९-५३, दिनांक २३ जनवरी, १९६३ ई० ।

(९) देखिये विज्ञप्ति संख्या ५४९८-ई-बी-आर/२३-पी-डब्ल्यू-डी--६-ओ एस-डी (आर)-५४, दिनांक ६ दिसम्बर, १९६२ ई० ।

(१०) देखिये शासनादेश संख्या १४२५ (ii)/९-बी--७०-एम-ई-५४, दिनांक ७ जून, १९६२ ई० ।

(११) देखिये शासनादेश संख्या १०५२-ए/२३-आई-ए--२-ओ-एस-डी, (२)-५४, दिनांक १५ मार्च, १९६३ ई० ।

(१२) देखिये विज्ञप्ति संख्या १९३६ (एल)/३६-बी--९६-६०, दिनांक ३ नवम्बर, १९६२ ई० ।

(१३) देखिये नियुक्ति (ख) विभाग कार्यालय ज्ञाप संख्या ६७५/२-बी--१९०-६१, दिनांक २३ मई, १९६२ ई० ।

(१४) उत्तर प्रदेश नगर महापालिका सेवा नियमावली, १९६२।

(१५) उत्तर प्रदेश नगर महापालिका सेवा (पदनाम, वेतन-क्रम, अर्हतायें, (भर्ती की विधि तथा सवारी भत्ता) आदेश, १९६३।

(१६) सहायक निबन्धक के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चुने गये अभ्यर्थियों तथा पदोन्नत कर्मचारियों के अनुपात को १ जनवरी, १९६२ से ५०:५० निश्चित करने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सहकारिता सेवा, क्लास दो, नियमावली में संशोधन।

(१७) उत्तर प्रदेश सहकारिता सेवा, क्लास दो, नियमावली के नियम ९ में एक नया परन्तुक जोड़ना ।

३--अगस्त १९६२ में आयोग ने शासन को सुझाव दिया कि आलेख्य नियमावलियों की संनिरीक्षा में समय तथा श्रम की बचत करने और आयोग एवं शासन दोनों के यहां सेवा नियमावलियों को अन्तिम रूप देने की सम्पूर्ण प्रक्रिया में गतिवृद्धि करने के विचार से भी सभी आलेख्य सेवा नियमावलियों अथवा नियमों के आलेख्य संशोधनों की तीन ऐसी प्रतियां आयोग के पास भेजी जानी चाहिये, जो पार्श्व में काफी जगह छोड़ते हुये द्विगुणान्तर देकर टंकित की गई हों, ताकि एक प्रति में छोटे मोटे संशोधन तथा आलोचनायें की जा सकें। यदि आयोग किसी विशेष आलेख्य नियम को संशोधित करके फिर से लिखने की आवश्यकता समझेंगे तो वे संशोधित आलेख्य की उक्त प्रति में यथास्थान अध्यारोपित कर देंगे और मूल आलेख्य को ज्यों का त्यों रहने देंगे। आयोग द्वारा अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के बाद आलेख्य सेवा नियमावली में किये जाने वाले परिवर्तन आलेख्य सेवा नियमावली की दूसरी और तीसरी प्रतियों में साफ-साफ लिख दिये जायेंगे। इन दो स्वच्छ प्रतियों में से एक शासन को भेज दी जायगी और दूसरी अग्रेतर निर्देश के लिये आयोग के कार्यालय में रख ली जायगी। यदि कोई बड़ी और महत्वपूर्ण आलोचना होगी तो उसे अग्रसारण पत्र में आसानी से लिखा जा सकता है। शासन इससे सहमत हुये और उन्होंने अक्टूबर १९६२ में सचिवालय के सभी विभागों को तदनुसार आवश्यक निर्देश जारी कर दिया।

---

(१४) देखिये विज्ञप्ति संख्या १७२-म(नि-१८)/११-सी-१ कार्य० (४)-५७, दिनांक १४ दिसम्बर, १९६२ ई०।

(१५) देखिये विज्ञप्ति संख्या १६-म/११-सी-२८-कार्य०-६२--दिनांक १ मार्च, १९६३ ई०।

(१६) देखिये शासनादेश संख्या २५०८-सी-१२-सी-बी/११८-६२, दिनांक १२ जुलाई, १९६२ ई०।

(१७) देखिये विज्ञप्ति संख्या २५३३-सी/१२-सी-बी--३९/६२, दिनांक १८ अक्तूबर, १९६२ ई०।

४—१९६१-६२ के प्रतिवेदन के अध्याय १६ के पैरा ३ की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि समिति अधिकारी के पद पर चुनाव सम्बन्धी तदर्थ सिद्धान्तों के पुनरीक्षित आलेख्य पर आयोग की आलोचनाओं के विषय में शासन का विनिश्चय उस वर्ष की समाप्ति तक नहीं प्राप्त हुआ था। स मामले में शासन के विनिश्चय की प्रतीक्षा प्रतिवेदनाधीन वर्ष की समाप्ति तक भी की जाती रही।

५—१९६१-६२ के प्रतिवेदन के अध्याय १६ के पैरा ४ में निर्दिष्ट ४ सेवा नियमावलियों को प्रतिवेदनाधीन वर्ष में भी शासन अंतिम रूप नहीं दे सके।

१७—कृत्यों का परिसीमन विनियम

प्रतिवेदनाधीन वर्ष में निम्नलिखित पद आयोग के विचारक्षेत्र में रक्खे गये—

*१—राजकीय पालीटेक्निक, बख्शी का तालाब, लखनऊ में भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, गणित तथा अंग्रेजी में कनिष्ठ व्याख्याता।

२—श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में २००—३५० रु० के वेतन-क्रम में मुख्य लेखा निरीक्षक।

३—उत्तर प्रदेश परिवहन संगठन में २००—४०० रु० तथा २००—३५० रु० के वेतन-क्रम में क्रमशः कर-अधीक्षक एवं यात्री-कर अधीक्षक के अधीनस्थ राजपत्रित पद।

४—शिक्षा प्रसार कार्यालय, इलाहाबाद में १२०—३०० रु० के वेतन-क्रम में सहायक कैमरामैन तथा २००—३०० रु० के वेतन-क्रम में आर्टिस्ट।

उत्तर प्रदेश उद्योग निदेशक के अधीन—

५—प्रभागीय उद्योग अधीक्षक (ऋण तथा अनुदान)।

६—अधीक्षक (तकनीकी)।

७—प्रचार अधिकारी (एच० एल०)।

८—संख्याधिकारी (एच० एल०)।

९—योजना अधिकारी (भांडार)।

१०—अधीक्षक (आई० टी० एम०)।

११—ज्येष्ठ विश्लेषक।

---

*१—देखिए शासनादेश संख्या ४२४७/२६—४३६-६१, दिनांक २१ दिसम्बर, १९६२।

२—देखिए शासनादेश सं० ३६०४ (एल)/३६-बी—४५९-६१, दिनांक [illegible] अक्तूबर, १९६२।

३—देखिए शासनादेश सं० ३६४-ए-२/३०-ए—८९-एम-६२, दिनांक १३ मार्च, १९६३।

४—देखिए शासनादेश सं० [illegible]/१५, दिनांक २७ [illegible], [illegible]।

५—११—देखिए शासनादेश संख्या ११२३ (आई)/१८-ए—१८७-६१, दिनांक [illegible] मई, १९६२।

१२—प्रभागीय उद्योग अधीक्षक (सी० पी०)।

१३—प्रभागीय उद्योग अधीक्षक (गुणचिन्हांकन)।

१४—संख्याधिकारी।

१५—प्रभागीय उद्योग अधीक्षक (ऊन)।

१६—प्रभागीय उद्योग अधीक्षक (गुड़)।

१७—प्राविधिक अधिकारी (अम्बर खादी)।

१८—प्रभारी अधिकारी (प्रशिक्षण तथा लेखा)।

१९—प्रभागीय उद्योग अधिकारी (चिकन)।

२०—प्रभागीय उद्योग अधीक्षक (चमड़ा)।

२१—प्रभागीय उद्योग अधीक्षक (आई०डी०)।

२२—प्रभागीय उद्योग अधीक्षक।

२३—प्रभागीय उद्योग अधीक्षक (सी)।

२४—जिला उद्योग अधिकारी (ग्रेड दो)।

२५—श्रम कल्याण अधिकारी।

२६—अधीक्षक खुर्जा मृद्भाण्ड।

२७—प्रसार एवं प्रचार अधिकारी।

२८—प्रसार अधिकारी (दरियां)।

२९—धिकारी अधीक्षक (नान–फेरस)।

३०—प्रभारी प्रबन्धक, राजकीय कम्बल फैक्ट्री।

३१—बिजिनेस मैनेजर (ऊन)।

३२—प्रबन्धक, औद्योगिक आस्थान (तकनीकी)।

३३—तकनीकी प्रबन्धक (पावरलूम)।

३४—मेटलर्जिस्ट।

३५—यांत्रिक तथा विद्युत् अभियन्ता।

३६—प्रसार अधिकारी (दस्तकारी)।

३७—प्रबन्धक (तकनीकी, पी० पी० फुटवियर)।

३८—प्रबन्धक, गैस प्लांट।

३९—धर्मशाला अधीक्षक (डब्ल्यू० एन०)।

४०—तकनीकी प्रबन्धक (पावरलूम)।

४१—अधीक्षक, प्लास्टिक वस्तुएं।

४२—अधीक्षक, हस्तनिर्मित कागज योजना।

४३—प्रभागीय उद्योग अधीक्षक (टी० सी०)।

४४—अधिकारी प्रबन्धक (सैन्ड वाशिंग प्लांट)।

---

*१२—४४—देखिए शासनादेश संख्या १११३ (१)/१८-ए--१४७-६१, दिनांक ३० मई, १९६२।

*४५—पाइलाट प्रोजेक्ट अधिकारी (हस्तशिल्प सहकारी समितियां)।
४६—संख्याधिकारी (योजना)।
४७—सहायक विकास अधिकारी (खिलौने)।
४८—आइवरी इनले एक्सपर्ट।
४९—डिजाइन प्रचार अधिकारी।
५०—प्रयागीय उद्योग अधीक्षक (एच० एल०)।
५१—प्रयागीय उद्योग अधीक्षक (बार्डर)।
५२—शाल, गलीचा आदि की विकास योजना के प्रबन्धक।
५३—प्रयागीय उद्योग अधीक्षक (कम्बल)।
५४—प्रयागीय उद्योग अधीक्षक (लेखा)।
५५—सहायक सर्वे अधिकारी-सहित-सम्पादक, तथा
५६—प्रदर्शिनी-सहित-प्रचार अधिकारी।
५७—उ०प्र० सैनिक विद्यालय के अध्यापन पद, जो उ० प्र० लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियमों के विनियम ४ (क) के अन्तर्गत नहीं आते।
५८—औद्योगिक प्रशिक्षण विद्यालय में २००—३५० ० के वेतन-क्रम में फोरमैन।
५९—राजकीय दन्त अस्पतालों से सम्बद्ध दांत के सर्जन।

२—प्रतिवेदनाधीन वर्ष में आयोग के परामर्श से निम्नलिखित पद उनके विचार क्षेत्र में से निकाल दिये गये :—

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतन-क्रम
राजकीय पालीटैक्निक बख्शी-का-तालाब, लखनऊ में—		
†१—विद्युत तथा यांत्रिक अभियन्त्रण में डिमान्स्ट्रेटर	२	१२०—३०० ०।
२—रेखा-चित्र (ड्राइंग) अनुदेशक (अभियन्त्रण)	१	१२०—३०० रु०।
३—(१) राजकीय केंद्रीय वस्त्र संस्थान, कानपुर में—		
[१] छपाई सहायक	१	१२०—३०० रु०।
[२] बुनाई डिमान्स्ट्रेटर	१	२००—३५० रु०।
[३] अभियंत्रण में डिमान्स्ट्रेटर	१	१२०—३०० रु०।

*४५-५६—देखिये शासना देश संख्या १११३ (१)/१८-ए-१४७/६१, दिनांक ३० मई, १९६२ ई०।

५७—देखिये शासनादेश संख्या १२२४-एस-एस/तीन—६-एम-एस-६०, दिनांक २९ सितम्बर, १९६२ ई०।

५८—देखिये—शासनादेश संख्या २७१८ (ई०)/३६-बी-७९१ (ई०)/५८, दिनांक ११ अक्तूबर, १९६२ ई०।

५९—देखिये शासनादेश संख्या १००९०-ए/वी-डी-११/६१, दिनांक २ नवम्बर, १९६२ ई०।

†१—२—देखिए शासनादेश संख्या ०४२४७/२६—४३६-६१, दिनांक २१ दिसम्बर, १९६२।

३—देखिए शासनादेश संख्या ९४९-ई-डी/१८-डी—४०६-ई-डी-६०, दिनांक २ अप्रैल, १९६२।

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतन-क्रम
[४] कताई में डिमान्स्ट्रेटर	१	२००—३५० रु० ।
[५] मशीन में डिमान्स्ट्रेटर	१	१२०—२०० रु० ।
[६] कार्डिंग में ड्राइंग डिमान्स्ट्रेटर	१	१२०—३०० रु० ।
[७] हैंडलूम में ड्राइंग डिमान्स्ट्रेटर	१	१२०—३०० रु० ।
[८] रंगाई में ड्राइंग डिमान्स्ट्रेटर	१	१२०—३०० रु० ।
[९] प्रिंटिंग में ड्राइंग डिमान्स्ट्रेटर	१	१२०—३०० रु० ।
[१०] मर्सराईजिंग तथा ब्लीचिंग में ड्राइंग डिमांस्ट्रेटर ।	१	१२०—३०० रु० ।
(२) राजकीय चर्म संस्थान, कानपुर में—		
[१] इन्स्ट्रक्टर, लेदर वर्किग	१	१२०—३०० रु० ।
[२] मशीन ग्लास इन्स्ट्रक्टर	१	१२०—३०० रु० ।
[३] टैनिंग इन्स्ट्रक्टर	१	१२०—३०० रु० ।
(३) राजकीय पालीटेक्निक, लखनऊ में—		
[१] सेकन्ड टेक्निकल मास्टर	१	१२०—३०० रु० ।
[२] प्रथम सहायक अध्यापक	१	१२०—३०० रु० ।
[३] अनुदेशक	१	१२०—३०० रु० ।
[४] पावर हाउस वर्किंग इन्स्ट्रक्टर	१	१२०—३०० रु० ।
[५] सीनियर ड्राइंग इन्स्ट्रक्टर	२	२००—४५० रु० ।
[६] ड्राफ्ट्समैन ट्रेन्ड	६	१२०—२५० रु० ।
(४) राजकीय काष्ठ-शिल्प विद्यालय, इलाहाबाद में—		
[१] सहायक कैबिनेट इन्स्ट्रक्टर	१	१२०—३०० रु० ।
[२] इन्स्ट्रक्टर	२	१२०—३०० रु० ।
[३] मास्टर डिजाइनर	१	१२०—३०० रु० ।
(५) बी० पी० के० राजकीय पालीटेक्निक, वाराणसी में—		
[१] जूनियर इन्स्ट्रक्टर	३	१२०—३०० रु० ।
[२] कास्टिंग तथा क्ले माडलिंग इन्स्ट्रक्टर	१	१२०—३०० रु० ।
[३] डाफ्ट्समैन	१	१२०—२५० रु० ।

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतन-क्रम
(६) राजकीय केन्द्रीय काष्ठ शिल्प विद्यालय, बरेली में—		
[१] सहायक कैबिनेट इन्स्ट्रक्टर	१	१२०—३०० रु० ।
७) राजकीय पालीटैक्निक, गोरखपुर में—		
[१] द्वितीय अध्यापक	१	१२०—३०० रु० ।
[२] तृतीय अध्यापक	१	१२०—३०० रु० ।
[३] पावर हाउस इन्स्ट्रक्टर	१	१२०—३०० रु० ।
[४] सीनियर ड्राइंग इन्स्ट्रक्टर	२	२००—४५० रु० ।
५—ड्राफ्ट्समैन ट्रेन्ड	६	१२०—२५० रु० ।
(८) राजकीय औद्योगिक तथा प्राविधिक संस्थान, गोरखपुर में—		
[१] प्रथम मोटर मैकेनिक इन्स्ट्रक्टर	१	१२०—३०० रु० ।
[२] प्रथम ट्रैक्टर मेकेनिक इन्स्ट्रक्टर	१	१२०—३०० रु० ।
[३] प्रथम इलेक्ट्रीशियन इन्स्ट्रक्टर	१	१२०—३०० रु० ।
(९) राजकीय जूनियर टेक्निकल स्कूल, झांसी में—		
[१] वर्कशाप इन्स्ट्रक्टर	८	१२०—३०० रु० ।
[२] मेकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राफ्ट्समैन	१	१२०—२५० रु०।
(१०) राजकीय औद्योगिक तथा प्राविधिक संस्थान, मेरठ में—		
[१] मास्टर आटोमोबाइल	१	१२०—३०० रु० ।
[२] मास्टर जनरल मेकेनिक्स	१	१२०—३०० रु० ।
[३] वर्कशाप चार्जमैन	३	१२०—३०० रु० ।
[४] इलेक्ट्रीशियन	१	१२०—३०० रु० ।
[५] ब्लैकस्मिथी हाईक्लास	१	१२०—२५० रु० ।
[६] मास्टर इलेक्ट्रोप्लेटिंग	१	१२०—३०० रु० ।
[७] मास्टर इलेक्ट्रिकल वायरिंग तथा आर्मेचर बाइंडिंग	१	१२०—३०० रु० ।
[८] मोल्डर हाई क्लास	१	१२०—३०० रु० ।
[९] सोल्डरिंग तथा वेल्डिंग मेकेनिक	१	१२०—३०० रु० ।

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतन-क्रम
[१०] कार्पेन्टर हाई क्लास	१	१२०--३०० रु० ।
[११] मास्टर शीट मेटल	१	१२०--३०० रु० ।
(११) राजकीय जूनियर टेक्निकल स्कूल, दौराला (मेरठ) में--		
[१] मेकेनिकल इंजीनियरिंग इन्स्ट्रक्टर	१	१२०--३०० रु० ।
[२] वर्कशाप इंस्ट्रक्टर	८	१२०--३०० रु० ।
(१२) राजकीय औद्योगिक तथा प्राविधिक संस्थान, देहरादून में--		
[१] सहायक फोरमैन	१	१२०--३०० रु० ।
[२] आटोमोबाइल इन्स्ट्रक्टर	१	१२०--३०० रु० ।
[३] इलेक्ट्रिक इन्सपेक्टर	१	१२०--३०० रु० ।
(१३) राजकीय औद्योगिक तथा प्राविधिक संस्थान, चरखारी (हमीरपुर) में--		
[१] ज्येष्ठ सिलाई अनुदेशक	१	१२०--३०० रु० ।
(१४) राजकीय चर्म विद्यालय, फतेहपुर में--		
[१] सीनियर इन्स्ट्रक्टर	१	१२०--३०० रु० ।
[२] लेबोरेटरी सहायक	१	१२०--३०० रु० ।
[३] शूमेकिंग इन्स्ट्रक्टर	१	१२०--३०० रु० ।
[४] हस्तनिर्मित चर्म-वस्तु निदेशक	१	१२०--३०० रु० ।
(१५) राजकीय जूनियर टेक्निकल स्कूल, गाजीपुर में--		
[१] वर्कशाप इन्स्ट्रक्टर	४ ५	१२०--३०० रु० । १२०--३०० रु० ।
[२] पावर हाउस इंचार्ज	१	१२०--३०० रु० ।
[३] मेकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राफ्ट्समैन	१	१२०--२५० रु० ।
(१६) राजकीय जूनियर टेक्निकल स्कूल, जौनपुर में--		
[१] वर्कशाप इन्स्ट्रक्टर	८	१२०--३०० रु० ।
[२] मेकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राफ्ट्समैन	१	१२०--२५० रु० ।

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतन-क्रम
(१७) राजकीय औद्योगिक तथा प्राविधिक संस्थान, लखनऊ में--		
[१] प्रथम अनुदेशक	४	१२०--३०० रु० ।
[२] अनुदेशक	६	१२०--३०० रु० ।
(१८) उत्तर क्षेत्रीय मुद्रण औद्योगिक विद्यालय, इलाहाबाद में--		
[१] हैन्ड कम्पोजिंग	१	१२०--३०० रु० ।
[२] लेटर प्रेस प्रिंटिंग	१	१२०--३०० रु० ।
[३] प्लेट मेकिंग	१	१२०--३०० रु० ।
[४] डुप्लीकेटिंग प्रासेसेज	१	१२०--३०० रु० ।
[५] पैकेजिंग	१	१२०--३०० रु० ।
[६] आर्ट वर्क	१	१२०--३०० रु० ।
[७] फोटो एन्ग्रेविंग	१	१२०--३०० रु० ।
[८] बाइंडिंग	१	१२०--३०० रु० ।
[९] लिथो प्रिंटिंग	१	१२०--३०० रु० ।
[१०] लिनो टाइप, तथा	१	१२०--३०० रु० ।
[११] मोनोटाइप में डिमांस्ट्रेटर	१	१२०--३०० रु० ।
[१२] मशीनिस्ट ऐन्ड रि[illegible]िंग इन्स्ट्रक्टर	१	१२०--[illegible] रु० ।
[१३] ड्राफ्ट्समैन	१	१२०--[illegible] रु० ।
(१९) राजकीय पालीटेक्निक, झांसी तथा बरेली में--		
[१] पावर हाउस इन्स्ट्रक्टर	१	१२०--[illegible] रु० ।
[२] जूनियर इन्स्ट्रक्टर	२	१२०--[illegible] रु० ।
[३] लेबोरेटरी इन्स्ट्रक्टर	१	१२०--[illegible] रु० ।
[४] जूनियर ड्राइंग इन्स्ट्रक्टर	१	२००--[illegible] रु० ।
(२०) सेठ गंगा सागर जाटिया पालीटेक्निक, खुर्जा में--		
[१] वर्कशाप इन्स्ट्रक्टर	२	१२०--३[illegible] रु० ।
[२] सर्वे इन्स्ट्रक्टर	१	१२०--३[illegible] रु० ।
(२१) राजकीय जूनियर टेक्निकल स्कूल, इलाहाबाद में--		
[१] वर्कशाप इन्स्ट्रक्टर	८	१२०--[illegible] रु० ।
[२] मेकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राफ्ट्समैन	१	१२०--[illegible] रु० ।

३—१९६१–६२ के प्रतिवेदन के अध्याय १७ के [illegible]रा ४ की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि शिक्षा प्रसार कार्यालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के विभिन्न पदों को आयोग के विचार–क्षेत्र में रखने के लिये शासनादेश उस वर्ष की समाप्ति तक नहीं प्राप्त हुए थे। प्रतिवेदनाधीन वर्ष मे २००—३०० रु० के वेतन–क्रम में आर्टिस्ट तथा १२०—३०० रु० के वेतन–क्रम में सहायक कैमरामैन के पदों को आयोग के विचार–क्षेत्र मे रखने के आदेश प्राप्त हुए, किन्तु शेष पदों के संबंध में शासनादेशों की प्रतीक्षा इस वर्ष भी की जाती रही।

४—१९६१–६२ के प्रतिवेदन के अध्याय १७ के पैरा ५ की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि प्रधानाचार्य तथा ज्येष्ठ अनुदेशकों के पदों पर आयोग के परामर्श से भर्ती करने से संबंधित मामला जुलाई, १९५८ से लगातार शासन के विचाराधीन था। उस मामले में शासन का विनिश्चय प्रतिवेदनाधीन वर्ष के अन्त तक भी प्रतीक्षित रहा।

५—१९६१–६२ के प्रतिवेदन के अध्याय १७ के [illegible]रा ६ की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि उस मामले में मुख्य मंत्री से उस वर्ष की समाप्ति तक कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ था। प्रतिवेदनाधीन वर्ष की समाप्ति तक भी स्थिति वैसी ही रही।

६—१९६१–६२ के प्रतिवेदन के अध्याय १७ के [illegible]रा ७ की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि आयोग ने यह सुझाव दिया था कि सूचना निदेशक के पद के लिये सेवा नियमावली आयोग के परामर्श से बनाई जाय, जिसमें यह व्यवस्था की जाय कि पद के लिये चुनाव भारतीय प्रशासनिक सेवा के किसी अधिकारी को नियुक्त करके, अथवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती द्वारा किया जायगा और यह कि वर्ष की समाप्ति तक शासन का कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ था। प्रति–वेदनाधीन वर्ष में मामला शासन के विचाराधीन रहा और वर्ष की समाप्ति तक उसका विनिश्चय नहीं प्राप्त हुआ।

७—१९६१–६२ के प्रतिवेदन के अध्याय १७ के पैरा ८ की ओर ध्यान आक–र्षित किया जाता है, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि "उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, १९५४ से अनुबद्ध सूची" के पद ४ के नीचे की टिप्पणी को निकाल देने के संबंध में कोई आदेश उस वर्ष की समाप्ति तक नहीं प्राप्त हुए थे। नवम्बर, १९६२ में सचिव, विधानमंडल, उत्तरप्रदेश ने आयोग को सूचित [illegible]किया कि सभापति, विधान परिषद तथा अध्यक्ष, विधान सभा ने विनिश्चय किया है [illegible]क विद्यमान स्थिति में विधान परिषद् तथा विधानसभा दोनों क सचिवालयों के कर्मचारि–[illegible]र्ग आयोग के विचार क्षेत्र से बाहर हैं। किन्तु आयोग इस विचार से सहमत नहीं हुए हैं और इस मामले पर मुख्यमंत्री से विचार विमर्श कर रहे हैं।

१८—नगर महापालिकाय

प्रतिवेदनाधीन वर्ष, अर्थात् १९६२–६३, नगर महापालिका सेवा इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ बिन्दु के रूप में विख्यात होगा, क्योंकि इस वर्ष दो महत्वपूर्ण विधानों का निर्माण किया गया। विधान ये हैं :—

(१) उत्तरप्रदेश महापालिका सेवा नियमावली, १९६२, जो विज्ञप्ति संख्या १७३ म० (नि०–१८)/११–सी—१–कार्प–(४)–५७, दिनांक १४ दिसम्बर, १९६२ म प्रकाशित की गयी थी, तथा

(२) उत्तर प्रदेश महापालिका सेवा (पद नाम, वेतन-क्रम, अर्हतायें, भर्ती की विधि तथा सवारी भत्ता) आदेश, १९६३, जो विज्ञप्ति संख्या १६-में/११-सी--२८-कार्प-६२, दिनांक १ मार्च, १९६३ में प्रकाशित किया गया था।

जैसा गत वर्षीय प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया था, ऊपर (१) के पुनरीक्षित आलेख्य पर आयोग की आलोचना जून, १९६१ में भेज दी गई थी। ऊपर (२) के विषय में आदेश का आलेख्य आयोग के परामर्श के लिये ५ जनवरी, १९६३ को भेजा गया था। उस पर आयोग की आलोचना ३१ जनवरी, १९६३ को भेज दी गई थी।

२--१९६१-६२ के प्रतिवेदन के अध्याय १८ के पैरा २ में यह उल्लेख किया गया था कि आयोग ने १९६१-६२ में नगर महापालिका, कानपुर के लिये सहायक अभियन्ता (असैनिक) के तीन तथा अधिशासी अभियन्ता (असैनिक) के तीन पदों को विज्ञापित किया था। उपर्युक्त पदों के लिये चुनाव कार्य प्रतिवेदनाधीन वर्ष में सम्पन्न किया गया, देखिए परिशिष्ट ३ की मदसंख्या २३७ तथा ४२०। सहायक अभियन्ता (असैनिक) के पदों के लिये १५ आवेदन थे और वे सब साक्षात्कार के लिये बुलाये गये थे, किन्तु केवल ६ उपस्थित हुए। आयोग ने ४ जनवरी, १९६३ को उनका साक्षात्कार करके तीन को नियुक्ति के लिये संस्तुत किया। अधिशासी अभियन्ता (असैनिक) के पदों के लिये कुल ५ अभ्यर्थियों ने आवेदन-पत्र भेजा था। उनमें से ४ साक्षात्कार के लिये बुलाये गये और वे सभी उपस्थित हुए। किन्तु चारों में से कोई नियुक्ति के लिये उपयुक्त नहीं पाया गया। आयोग ने मुख्य नगर अधिकारी, कानपुर को सुझाव दिया कि उपयुक्त पदों पर सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश के उपयुक्त अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाय और इस विषय में विनिश्चय होने तक उक्त पदों पर सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश के उपयुक्त सेवा निवृत्त अधिकारी आयोग के परामर्श से नियुक्त किये जायें। जनवरी, १९६३ में आयोग ने शासन के स्वायत्त शासन विभाग को यह भी सुझाव दिया कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग की सेवाओं के संवर्ग में वृद्धि करके महापालिकाओं के अधीन पदों को भी सम्मिलित करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जाय। मुख्य नगर अधिकारी, कानपुर तथा शासन के विनिश्चयों की प्रतीक्षा प्रतिवेदनाधीन वर्ष के अन्त तक की जाती रही।

३--१९६१-६२ के प्रतिवेदन के अध्याय १८ के पैरा ३ की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि नगर महापालिका, वाराणसी के लिये लेखा परीक्षक का पद उस वर्ष नहीं विज्ञापित किया जा सका था, क्योंकि आयु-सीमा तथा अर्हताओं में आशोधन के प्रश्न पर शासन विचार कर रहे थे। आयु सीमा तथा अर्हताओं का निर्धारण तो अब हो गया है, देखिए उपर्युक्त पैरा १ में निर्दिष्ट विज्ञप्ति। किन्तु वह विज्ञप्ति १ मार्च, १९६३ को जारी हुई थी, इसलिये उक्त पद के लिये चुनाव प्रतिवेदनाधीन वर्ष में पूरा नहीं किया जा सका।

४--१९६१--६२ के प्रतिवेदन के अध्याय १८ के पैरा ४ में यह उल्लेख किया गया था कि नगर महापालिका, लखनऊ में वांछित सूचना उस वर्ष की समाप्ति तक भी नहीं भेजी थी। नवम्बर, १९६२ में मुख्य नगर अधिकारी, लखनऊ ने आयोग को सूचित किया कि जब नगर महापालिका के लिये नियमावली अन्तिम रूप से प्रकाशित हो जायगी, तभी वह महापालिका उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९, के अनुसार पदों को सृजित कर सकेगी और तभी महापालिका को यह भी मालूम होगा कि किस विधि से लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायगा। उन्होंने यह भी कहा कि उपर्युक्त सेवा नियमावली के बन जाने पर नगर महापालिका, लखनऊ, आयोग के पास निर्देश भेजेगी। मुख्य नगर अधिकारी, लखनऊ ने यह भी बतलाया कि विद्यमान

पद अधिनियम की धारा ५७७ के अधीन चल रहे हैं और यह कि अतिरिक्त पद धारा १०८ के अधीन प्रदत्त अधिकारों के अनुसार सृजित किये जा रहे हैं। जनवरी, १९६३ में मुख्य नगर अधिकारी, लखनऊ को सूचित किया गया कि यह सही है कि "विहित विधि के अनुसार (इन दि मैनर प्रेस्क्राइब्ड)" शब्द उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा १०७ की उपधाराओं (१) व (२) दोनों में प्रयुक्त किये गये हैं। यह भी सही है कि महापालिकाओं द्वारा सृजित तथा आयोग के विचार क्षेत्र में आने वाले विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिये नियमित चुनाव आयोग द्वारा तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि नियमावली का निर्माण अन्तिम रूप से नहीं हो जाता है और आयोग से परामर्श लेने की प्रक्रिया शासन द्वारा विहित नहीं कर दी जाती है। किन्तु उपर्युक्त प्रकार के पदों पर स्थानापन्न तथा अस्थायी नियुक्तियों के संबंध में स्थिति बिल्कुल भिन्न है। वे नियुक्तियां धारा १०८ के अधीन की जाती हैं जो धारा १०७ के उपबन्धों के अधीन नहीं है, और जिसमें "विहित विधि के अनुसार" शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। धारा १०८ में स्पष्ट उल्लेख है कि धारा १०७ में कुछ भी लिखा होने पर भी, आयोग के परामर्श के बिना किसी भी स्थानापन्न या अस्थायी नियुक्ति को एक वर्ष की अवधि से अधिक समय तक न चलते रहने देना चाहिये और न ऐसी कोई नियुक्ति करनी ही चाहिये जिसके एक वर्ष से अधिक समय तक चलते रहने की संभावना हो। अतः यह स्पष्ट है कि उक्त धारा के अधीन परामर्श करने के लिये धारा ११३ के अधीन निर्मित किये जाने वाली नियमावलियों के अन्तिमीकरण अथवा धारा १०७ में निर्दिष्ट प्रक्रिया के निर्धारण की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। उनके इस कथन के संदर्भ में कि लखनऊ नगर महापालिका में अतिरिक्त पदों का धारा १०८ के अधीन प्रदत्त अधिकारों का अनुसरण करके सृजित किया जा रहा है और यह कि कुछ पद एक वर्ष से अधिक समय से चलते आ रहे हैं, किन्तु उनके संबंध में आयोग को निर्देश नहीं भेजा जा सका है, मुख्य नगर अधिकारी, लखनऊ को बतलाया गया कि धारा १०८ का उससे कोई संबंध नहीं है। धारा १०८ में धारा १०६ के अधीन सृजित पदों पर अस्थायी नियुक्ति करने का अधिकार मात्र दिया गया है। ऊपर स्पष्ट की गई स्थिति के विचार से, मुख्य नगर महापालिका, लखनऊ से उन सभी व्यक्तियों की नियुक्तियों के नियमितकरण के लिये निर्देश भेजने का अनुरोध किया गया, जो धारा १०८ के अधीन आयोग द्वारा नियमित चुनाव होने तक नियुक्त किये गये थे और जिनकी नियुक्ति की अवधि एक वर्ष से अधिक हो गई थी या हो जाने वाली थी। किन्तु वांछित निर्देश प्रतिवेदनाधीन वर्ष की समाप्ति तक नहीं प्राप्त हुआ था।

५—अगस्त, १९६२ में मुख्य नगर अधिकारी, इलाहाबाद से उन सभी व्यक्तियों की नियुक्तियों के नियमितकरण के लिये निर्देश भेजने का अनुरोध किया गया, जो धारा १०८ के अधीन आयोग द्वारा नियमित चुनाव होने तक नियुक्त किये गये थे। प्रतिवेदनाधीन वर्ष की समाप्ति तक निर्देश नहीं प्राप्त हुआ था, किन्तु मार्च, १९६३ में नगर महापालिका, इलाहाबाद के लिये सहायक अभियन्ता (असैनिक) के पद पर सीधी भर्ती द्वारा चुनाव करने के हेतु एक अधियाचन हुआ।

६—अगस्त, १९६२ में मुख्य नगर अधिकारी, वाराणसी ने आयोग को सूचित किया कि धारा १०६ के अधीन नगर महापालिका, वाराणसी में कोई पद सृजित नहीं किया गया था।

७—जनवरी, १९६३ में मुख्य नगर अधिकारी, कानपुर से उन सभी व्यक्तियों की नियुक्तियों के नियमितकरण के लिये निर्देश भेजने का अनुरोध किया गया, जो धारा १०८ के अधीन आयोग द्वारा नियमित चुनाव होने तक नियुक्त किये गये थे। प्रतिवेदनाधीन वर्ष की समाप्ति तक वांछित निर्देश नहीं प्राप्त हुआ।

८--अगस्त, १९६२ में मुख्य नगर अधिकारी, कानपुर ने नगर महापालिका, कानपुर के २१०-३०० ० के वेतन क्रम में कार्यालय अधीक्षक के पद पर पदोन्नति द्वारा नियमित चुनाव करने के लिये आयोग से अनुरोध किया। किन्तु अक्तूबर, १९६२ में उन्होंने अपना निर्देश वापस ले लिया। पर, जनवरी, १९६३ में उन्होंने उपर्युक्त पद पर पदोन्नति द्वारा चुनाव करने का फिर अनुरोध किया। प्रतिवेदनाधीन वर्ष की समाप्ति तक आयोग चुनाव कार्य सम्पन्न न कर सके।

९--फरवरी, १९६३ में मुख्य नगर अधिकारी, कानपुर ने नगर महापालिका, कानपुर के (१) नगर अभियन्ता (जलकल) तथा (२) सहायक अभियन्ता (जलकल) के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चुनाव करने के लिये एक निर्देश आयोग के पास भेजा। ये पद वर्ष की समाप्ति तक विज्ञापित नहीं किये जा सके।

१०--फरवरी, १९६३ में मुख्य नगर अधिकारी, वाराणसी से नगर महापालिका, वाराणसी के नगर अभियन्ता (विकास) के पद पर सीधी भर्ती द्वारा चुनाव करने के लिये एक निर्देश प्राप्त हुआ। चूंकि पर्याप्त विवरण नहीं प्राप्त हुए थे, इसलिये मार्च, १९६३ में मुख्य नगर अधिकारी, वाराणसी से उक्त पद के लिये विहित प्रपत्र में अर्थना भेजने का अनुरोध किया गया।

११--मार्च, १९६३ में कानपुर तथा आगरा महापालिकाओं के लिये--(१) जलकल तथा (२) सीवेज पम्पिंग स्टेशन में सहायक अभियन्ता के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चुनाव करने के हेतु एक निर्देश प्राप्त हुआ। किन्तु वर्ष की समाप्ति तक ये पद विज्ञापित नहीं किये जा सके।

१६--प्रकीर्ण निर्देश

शासन के अधीन विभिन्न सेवाओं और पदों के चुनाव के लिये डिग्रियों और डिप्लोमाओं की मान्यता, सेवा निवृत्त अधिकारियों की एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये पुनर्नियुक्ति, ज्येष्ठता निर्धारण प्रतिनिवेदन, सेवा नियमों से मुक्ति, आयोग के विचार-क्षेत्र के अंतर्गत सेवाओं और पदों के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा भेजे गये वार्षिक परिलेख (ऐनुअल रिटर्न्स) आदि से संबंधित ९० अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण निर्देशों की सूची परिशिष्ट ११ में दी हुई है।

२--जिन अर्हताओं के विषय में आयोग से १९६२--६३ में या पूर्व वर्षों में परामर्श किया गया था, उनमें से निम्नलिखित अर्हताओं की प्रतिवेदनाधीन वर्ष में प्रत्येक के सामने अंकित कार्यों के लिये मान्यता प्रदान की गई :--

क्रम-संख्या	तिथि जब मान्यता के आदेश जारी किये गये	अर्हता	कार्य, जिसके लिये मान्यता दी गई
१	२	३	४
१	२७-७-६१ (शासनादेश की प्रतिलिपि आयोग के कार्यालय में १०-८-६२ को प्राप्त हुई।)	बी० एस-सी० (एजी०) तथा बी० एस-सी० (कृषि तथा उद्यानकर्म)	एल० टी० कोर्स पास करने के बाद शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश में सहायक अध्यापक, कृषि। उद्यान कर्म के पदों पर चुनाव के लिये।

१	२		३	४
२	९–५–६२	...	मिशिगन विश्वविद्यालय (संयुक्त राज्य अमेरिका) द्वारा प्रदत्त असैनिक अभियन्त्रण में बैचलर आफ साइंस	उत्तर प्रदेश अभियन्त्रण सेवा, सिंचाई विभाग में सहायक अभियन्ता (असैनिक) के पदों पर चुनाव के लिये ।
३	८–१–६३	..	प्राविधिक शिक्षा के लिये अखिल भारतीय परिषद् द्वारा प्रदत्त असैनिक अभियंत्रण में नेशनल सर्टिफिकेट	नगर तथा ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश में ओवरसियर तथा/सर्वे सहायक के पदों पर चुनाव के लिये ।
४	१६–२–६३	..	रायल इंडियन नेवी का हायर एजूकेशनल टेस्ट	राज्य सरकार के अधीन सेवाओं में अथवा पदों पर नियुक्ति के लिये उत्तर प्रदेश माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद् की हाई स्कूल परीक्षा ।
५	१२–१०–६२	..	असैनिक अभियन्त्रण में नेशनल डिप्लोमा	सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश अभियन्त्रण सेवा, जूनियर स्केल में चुनाव के लिये ।
६	१२–१०–६२		यांत्रिक अभियंत्रण में नेशनल डिप्लोमा	उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग में सहायक अभियन्ता (विद्युत्) तथा (यांत्रिक) के पदों पर चुनाव के लिये ।
७	१२–१०–६२		असैनिक अभियन्त्रण में नेशनल सर्टिफिकेट	अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा (ओवरसियर), सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिये ।
८	१२–१०–६२		विद्युत् अभियन्त्रण में नेशनल सर्टिफिकेट	अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा (विद्युत् ओवरसियर), सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिये ।

१	२	३	४
९	१२-१०-६२	प्राविधिक शिक्षा के लिये अखिल भारतीय परिषद् द्वारा प्रदत्त यांत्रिक अभियन्त्रण में नेशनल सर्टिफिकेट	अधीक्षक (विद्युत तथा यांत्रिक), सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश के पदों पर चुनाव के लिये।
१०	९-५-६२	इंडियन स्कूल आफ पब्लिक ऐडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त पब्लिक ऐडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स डिप्लोमा	राज्य सरकार के अधीन सेवाओं में तथा पदों पर नियुक्ति के लिये किसी मान्यताप्राप्त विश्व-विद्यालय की पब्लिक ऐडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स डिग्री।

३--१९६१-६२ के प्रतिवेदन के अध्याय १९ के पैरा ४ की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि परिवहन विभाग में कुछ सामान्य प्रबन्धकों की पारस्परिक ज्येष्ठता के निश्चयन के विषय में शासन का अन्तिम विनिश्चय आयोग के पास इस वर्ष की समाप्ति तक नहीं भेजा गया था। प्रतिवेदनाधीन वर्ष की समाप्ति तक भी शासन के अन्तिम आदेश की प्रतीक्षा की जाती रही।

४--आयोग ने १९५९ में ली गई परीक्षा के आधार पर अनुसूचित जाति के एक अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश असैनिक (न्यायिक) सेवा के लिये उपयुक्त घोषित किया था। उस अभ्यर्थी को राजकीय स्वास्थ्य परीक्षक परिषद् ने दृष्टि दोष के कारण दो बार स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुपयुक्त पाया। पर शासन ने आयोग के परामर्श से उस अभ्यर्थी के प्रकरण को बहुत ही विशेष प्रकरण मानकर उसे नियम २० से मुक्त करने के विचार से नियमावली के नियम ३२ के अधीन उसे अनन्तिम रूप से ६ मास के लिये इस शर्त पर नियुक्त किया कि उस अवधि के बीत जाने पर वह स्वास्थ्य परिषद् के समक्ष प्रस्तुत होगा। तदनन्तर संबंधित कर्मचारी ने अनुरोध किया कि नियम को शिथिल करके उसे सेवा मे मुंसिफ के पद पर नियुक्त करने के लिये स्वास्थ्य परीक्षा से मुक्त कर दिया जाय। यह प्रार्थना स्वीकार नहीं की गई। पर शासन ने इस बीच १९५८ में एक पुनरीक्षित आदेश निकाल कर चाक्षुष स्तर को गिरा दिया और उक्त कर्मचारी की परीक्षा तीसरी बार स्वास्थ्य परिषद् द्वारा ली गई, किन्तु वह फिर पुनरीक्षित स्तर के अनुसार भी अनुपयुक्त पाया गया। तदनन्तर उसकी सेवायें समाप्त कर दी गईं। पर अभ्यर्थी ने प्रार्थना किया कि शासन द्वारा निर्धारित चाक्षुष स्तर से उसे मुक्त कर दिया जाय और सेवा में बने रहने दिया जाय। शासन ने उसके पक्ष में नियम को शिथिल करना संभव न समझा, किन्तु चूंकि वह ४ वर्ष की सेवा पहले ही कर चुका था और चूंकि १९५७ की परीक्षा में अनुसूचित जाति का कोई भी अभ्यर्थी न्यायिक अधिकारी के पदों के लिये उत्तीर्ण नहीं हुआ था, इसलिये शासन ने उसके मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया और उसे १० अक्तूबर, १९५८ से एक अस्थायी न्यायिक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया। उन्होंने उसी वर्ष अक्तूबर में आयोग से उसकी अस्थायी नियुक्ति को अनुमोदित करने का अनुरोध

किया। आयोग ने इस मामले पर विचार किया और यह मत व्यक्त किया कि न्यायिक अधिकारियों के लिये मुंसिफों के लिये अपेक्षित चाक्षुष स्तर से उच्चतर स्तर पर बल देना चाहिये क्योंकि न्यायिक अधिकारियों को प्रथमश्रेणी के दन्डाधिकारीय अधिकारों का प्रयोग करना पड़ता है और वे प्रायः दंडाधिकारी कर्त्तव्यों पर लगा दिये जाते हैं। आयोग ने यह भी कहा कि उनकी आलोचना के हेतु भेजे गये न्यायिक अधिकारी सेवा नियमावली के आलेख्य में "शारीरिक उपयुक्तता" तथा "स्वास्थ्य परीक्षा के विनियम" के विषय में ठीक वही नियम हैं, जो उत्तर प्रदेश असैनिक (न्यायिक) सेवा के लिये हैं। मूल नियम (फंडा-मेंटल रूल) १० के अधीन शासन की सेवा में प्रवेश पाने के लिये चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना एक सामान्य शर्त है और उस नियम के संबंध में राज्यपाल के आदेशों के अधीन :—

> "एक बार जब किसी व्यक्ति से शासन की सेवा में प्रवेश पाने हेतु स्वस्थता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिये कहा जाता है और वह परीक्षा के बाद वस्तुतः स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुपयुक्त घोषित कर दिया जाता है, तब नियुक्ति प्राधिकारी को यह अधिकार नहीं है कि वह अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करके प्रस्तुत प्रमाण-पत्र की उपेक्षा कर दे।"

मार्च, १९५९ में आयोग ने तदनुसार शासन को सूचित करते हुए उक्त कर्म-चारी की न्यायिक अधिकारी के पद पर नियुक्ति से सहमत होने में अपनी असमर्थता प्रकट की। यह मामला लगभग दो वर्ष तक शासन के विचाराधीन रहा और मार्च, १९६१ में उन्होंने आयोग को सूचित किया कि शासन ने न्यायिक अधिकारी के रूप में उक्त कर्मचारी की सेवाओं को एक मास की नोटिस देने के बाद समाप्त कर देने का विनिश्चय कर लिया है। जून, १९६१ में आयोग को सूचित किया गया कि कर्मचारी ने फिर प्रतिनिवेदन किया है, जो शासन के विचाराधीन है। जून, १९६१ में शासन ने उसके मामले को अनुकम्पा के आधारपर आयोग के पुनर्विचारार्थ फिर भेजा, क्योंकि दृष्टि दोष के कारण न्यायिक अधिकारी के रूप में उस कर्म-चारी के कार्य में कोई कमी नहीं आई थी और दूसरे ४१ वर्ष की आयु पार कर जाने के कारण उसके लिये अब और कोई व्यवसाय करना कठिन हो जायगा। दिसम्बर, १९६१ में आयोग ने उस अधिकारी की चरित्रावली तथा स्वास्थ्य परिषद् के प्रतिवेदन, जिसमें पुनरीक्षित स्तर के अनुसार उसको अनुपयुक्त घोषित किया गया था, को देखने के लिये मांगा। जनवरी, १९६२ में आयोग के पास उपयुक्त कागज-पत्र भेजे गये। आयोग के विचार से उस कर्मचारी के पक्ष में शारीरिक स्वस्थता की शर्तों को शिथिल करने का कोई आधार नहीं था और न कोई असामान्य परिस्थितियां हो थीं। वह कर्मचारी अब तक शासन की सेवा में इसलिये बना रहा कि शासन उसको सेवाओं से प्रमुक्त करने में हिचक रहे थे। वह अब भी अपनी वकालत प्रारम्भ कर सकता था और बेंच का उसका अनुभव उसके लिये बड़ा उपयोगी सिद्ध होगा। फरवरी, १९६२ में आयोग ने शासन को तदनुसार सूचित किया और एक बार फिर उस कर्मचारी का अस्थायी न्यायिक अधिकारी के रूप में सेवा में बने रहने देने से सहमत होने में अपनी असमर्थता प्रकट की। किन्तु शासन ने आयोग का परामर्श नहीं माना और अगस्त, १९६२ में आयोग को सूचित किया कि राज्यपाल द्वारा स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने संबंधी शर्त से मुक्त किये जाने पर उसे अस्थायी न्यायिक अधिकारी के रूप में चलते रहने की अनुमति दे दी गई है। आयोग के विचार से शारीरिक निर्बलता से मुक्त करने का यह आदेश एक नई बात थी जो भयास्पद थी। अतः उन्होंने सितम्बर, १९६२ में शासन को तदनुसार लिखा।

२०—अन्य विषय

अतिरिक्त कार्य—सदा की भांति आयोग ने इस वर्ष भी संघ लोक सेवा आयोग की ओर से इलाहाबाद केन्द्र में निम्नलिखित परीक्षाओं के संचालन तथा उनकी देख-रेख का प्रबन्ध किया :—

(क) इंडियन मिलिटरी अकादमी परीक्षा, अप्रैल, १९६२।

(ख) आशुलिपिक परीक्षा, अप्रैल, १९६२।

(ग) एयर फोर्स फ्लाइंग कालेज परीक्षा, अप्रैल, १९६२।

(घ) टंकन उप परीक्षा, अप्रैल, १९६२।

(च) नेशनल डिफेंस अकादमी परीक्षा, मई, १९६२।

(छ) स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेन्टिसेज परीक्षा, जून, १९६२।

(ज) टंकन उपपरीक्षा, जून, १९६२।

(झ) दिसम्बर, १९६१ में ली गई क्लर्क्स ग्रेड परीक्षा के संबंध में टंकन उप परीक्षा।

(ट) इंडियन नेवी परीक्षा, जुलाई, १९६२।

(ठ) आर्मी मेडिकल कोर परीक्षा, जुलाई, १९६२।

(ड) इंजीनियरिंग सर्विसेज (एलेक्ट्रानिक्स), परीक्षा, १९६२।

(ढ) भारतीय प्रशासन सेवा आदि परीक्षा, १९६२।

(त) अभियन्त्रण सेवा परीक्षा १९६२।

(थ) एयर फोर्स फ्लाइंग कालेज परीक्षा, नवम्बर, १९६२।

(द) इंडियन मिलिटरी अकादमी परीक्षा, नवम्बर, १९६२।

(ध) असिस्टेन्ट्स ग्रेड परीक्षा, दिसम्बर, १९६२।

(न) दिसम्बर, १९६१ में ली गई क्लर्क्स ग्रेड परीक्षा के संबंध में पूरक टंकन उप परीक्षा।

(प) इंडियन नेवी परीक्षा, दिसम्बर, १९६२।

(फ) नेशनल डिफेन्स अकादमी परीक्षा दिसम्बर, १९६२।

(ब) क्लर्क्स ग्रेड परीक्षा, दिसम्बर, १९६२।

(भ) टंकन उप परीक्षा, जनवरी, १९६३।

२—अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाही—गन्ना विभाग में लेखा परीक्षा के पद के लिये एक अभ्यर्थी ने अपने मूल हाई स्कूल परीक्षा प्रमाण-पत्र में अपनी जन्म तिथि में अनधिकृत परिवर्तन कर दिया था। आयोग ने उसको अपने सभी भावी परीक्षाओं तथा चुनावों से प्रतिवारित कर दिया और उसका हाई स्कूल प्रमाण-पत्र जब्त कर लिया। चूंकि वह गन्ना विभाग में पहले ही से कार्य कर रहा था, इसलिये गन्ना विभाग को भी उसके विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही करने के लिये परामर्श दिया गया।

सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश के पद के लिये एक अभ्यर्थी ने बी० काम० परीक्षा में प्राप्त अपनी श्रेणी के विषय में जानबूझ कर अपूर्ण सूचना दी थी। निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश से, जिसके अधीन वह कार्य कर रहा था उसका स्पष्टीकरण मांगने तथा उसके विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही करने के लिये क

गया। निबन्धक ने अभ्यर्थी से उसका स्पष्टीकरण मांगा, जिसको उन्होंने असन्तोषजनक पाया और अभ्यर्थी को आयोग को गलत एवं अपूर्ण सूचना देने के लिये चेतावनी दी तथा ऐसे मामलों में भविष्य में अधिक सावधानी बरतने के लिये कहा।

तीन अभ्यर्थी---सहायक बिक्री कर अधिकारी/मनोरंजन कर निरीक्षक के पदों के चुनाव के लिये सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षा के दो तथा नायब तहसीलदार के पदों के चुनाव के लिये प्रतियोगिता परीक्षा का एक अभ्यर्थी---आयोग द्वारा अपने सभी भावी परीक्षाओं तथा चुनावों से प्रतिबारित कर दिये गये, क्योंकि उन्होंने उन परीक्षाओं में अनुचित साधनों का उपयोग किया था। उपयुक्त परीक्षाओं के लिये उनकी अभ्यर्थिता भी निरस्त कर दी गई।

३---<u>यह सुझाव कि आयोग की संस्तुति पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक बार नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों को बार-बार आवेदन-पत्र न भेजना पड़े</u>---मार्च, १९६३ में आयोग ने शिक्षा निदेशक को लिखा कि उन्होंने एल० टी० ग्रेड में सामान्य विज्ञान में सहायक अध्यापक के पदों पर नियुक्त करने के लिये ५ अभ्यर्थियों को मुख्य सूची तथा ४ को आरक्षित सूची में संस्तुत किया था। आदेशों की जो प्रतिलिपि आयोग को पृष्ठांकित की गई थी उससे पता चला कि आयोग द्वारा संस्तुत नवों अभ्यर्थी नियुक्त कर दिये गये थे, किन्तु आरक्षित सूची में संस्तुत अभ्यर्थियों को यह निदेश दिया गया था कि जब कभी आयोग एल० टी० ग्रेड में सहायक अध्यापक के पदों को विज्ञापित करें तब वे फिर आयोग के समक्ष प्रस्तुत हों। आयोग ने कहा कि आयोग की संस्तुति पर नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा एक बार नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों को बारबार आयोग के पास आवेदन-पत्र भेजने की आवश्यकता नहीं है। जितनी संस्तुत रिक्तियां हैं उतने अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्राधिकारी मुख्य तथा आरक्षित सूचियों में से नियुक्त कर सकते हैं। यदि वर्ष के भीतर कुछ और रिक्तियां हों तो आयोग का अनुमोदन लेकर अतिरिक्त अभ्यर्थियों को भी संस्तुति करने के एक वर्ष के भीतर नियुक्त किया जा सकता है। ऐसे मामले में जो अतिरिक्त अभ्यर्थी नियुक्त किये जायं उनको फिर से आयोग के पास आवेदनपत्र भेजने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार शिक्षा निदेशक से अनुरोध किया गया कि वे भविष्य में मार्ग प्रदर्शन के लिये इसको नोट कर लें ताकि ऐसे अभ्यर्थियों को कठिनाई न उठानी पड़े। शिक्षा निदेशक से यह भी कहा गया कि उपर्युक्त मामले में यदि चुनाव के पहले रिक्तियों की बढ़ी हुई संख्या, अर्थात्, ५ की जगह ९, आयोग को बतला दी गई होती तो वे सभी अभ्यर्थी जो आरक्षित सूची में संस्तुत किये गये थे, मुख्य सूची में संस्तुत किये जाते और तब वे सभी बातों के लिये नियमित रूप से चुने हुए अभ्यर्थी माने जाते। आयोग की संस्तुति पाने पर भी यदि उन्होंने रिक्तियों की बढ़ी हुई संख्या को बतला कर आयोग से उन रिक्तियों के लिये अभ्यर्थियों को संस्तुत करने का अनुरोध किया होता तो आयोग आरक्षित सूची के अभ्यर्थियों को नियमित रूप से चुने हुए अभ्यर्थियों की भांति नियुक्त करने के लिये संस्तुत करते।

४---<u>यह सुझाव कि किसी पद के पदधारी के अधिवर्ष वय प्राप्त कर लेने पर उसकी सेवा अवधि में वृद्धि की स्वीकृति देने के साथ ही उस पद के नियमित चुनाव के लिये आयोग को निर्देश भेजना चाहिये</u>---जून, १९६२ में आयोग ने उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव को सुझाव दिया कि नियुक्ति प्राधिकारियों को यह हृदयंगम करा दिया

जाय कि किसी पद के पदधारी के अधिवर्ष वय प्राप्त कर लेने पर उसकी सेवा अवधि में वृद्धि की स्वीकृति देने के साथ ही उस पद के नियमित चुनाव के लिये आयोग को निर्देश भेज देना चाहिये । शासन आयोग के सुझाव से सहमत हुए और उन्होंने नियुक्ति (ख) विभाग कार्यालय ज्ञाप संख्या २८२०/२–बी––७७–६२, दिनांक १७ अक्टूबर, १९६२ में सभी संबंधित अधिकारियों को तदनुसार आदेश जारी किया ।

५––प्राविधिक परामर्शदाताओं द्वारा समयनिष्ठता तथा परिधान संबंधी शिष्टाचार का पालन––आयोग के अनुरोध पर शासन ने नियुक्ति (ख) विभाग कार्यालय ज्ञाप संख्या २८१९/२–बी––६८–६२, दिनांक २० दिसम्बर, १९६२ में प्राविधिक परामर्शदाताओं द्वारा समयनिष्ठता तथा परिधान संबंधी शिष्टाचार के पालन के संबंध में निम्नलिखित अनुदेश जारी किये :

> "लोक सेवा आयोग ने शासन को सूचित किया है कि साक्षात्कार के साथ आयोग की सहायता के लिये नियुक्त प्राविधिक परामर्शदाता कभी–कभी समय निष्ठता तथा परिधान संबंधी शिष्टाचार का यथाविधि पालन नहीं करते हैं । इससे साक्षात्कारों की भरी सूची ही अस्त व्यस्त नहीं हो जाती है, बल्कि कुछ हद तक आयोग के गौरव को भी क्षति पहुंचती है ।

२––किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने कर्त्तव्यों के पालन में समय निष्ठता का कठोरता से पालन करने की आवश्यकता पर जितना ही बल दिया जाय थोड़ा है । भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अनुरोध पर शासन ने भी "असैनिक अधिकारियों के लिये परिधान" के संबंध में अनुदेश जारी किये हैं । विहित कार्यालय परिधान एक छोटा बन्द गले का कोट तथा पतलून है, यह आवश्यक नहीं है कि दोनों एक ही रंग के हों । प्रत्येक वसन सफेद, भूरा या अन्य किसी हल्के रंग का होना चाहिये । चटक या भड़कीले रंगों से बचना चाहिये । गर्मी में बुशशर्ट पहनी जा सकती है। प्राविधिक परामर्शदाताओं से साक्षात्कारों में आयोग की सहायता करते समय इन्हीं अनुदेशों के अनुसार परिधान पहनने की अपेक्षा की जाती है । कृपया इन अनुदेशों से सभी संबंधित अधिकारियों को अवगत करा दें।"

६––१९६१–६२ के प्रतिवेदन के अध्याय २० के पैरा ३ की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि उस मामले में उस वर्ष की समाप्ति तक शिक्षा निदेशक या तीसरे अध्यापक से कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ था । जनवरी, १९६३ में शिक्षा निदेशक ने आयोग के सूचनार्थ तीसरे अध्यापक के उत्तर को अग्रसारित किया । साथ ही अपने उस परिपत्र की एक प्रतिलिपि भी भेजी जिसको उन्होंने सभी संबंधित व्यक्तियों को भेजा था और जिसमें इसबात पर जोर दिया गया था कि खेल खेलने संबंधी प्रमाण–पत्रों को देते समय उचित सावधानी बरतनी चाहिये । उन्होंने संबंधित अध्यापकों के विरुद्ध की गई कार्यवाही से भी अवगत कराया । तदनन्तर यह प्रकरण समाप्त कर दिया गया ।

२१––सामान्य कथ्य तथा निष्कर्षीय वक्तव्य

कार्य का भार––प्रतिवेदनाधीन वर्ष, १९६२–६३ में आयोग द्वारा किये गए कार्य पर एक विहंगम दृष्टि डालने के लिये परिशिष्ट १ में दिया गया समेकित विवरण देखा जा सकता है । उसमें दिये गए अंकों की तुलना १९५६–५७ से १९५८–५९ के तीन वर्षों के वार्षिक औसत के अंकों से करने पर, जिनके आधार पर आयोग ने अपने कर्मचारिवर्ग की आवश्यकता का हिसाब लगाया था, पता चलता है कि

आयोग के कार्य में निरन्तर वृद्धि होती रही है। नीचे वास्तविक आंकड़े दिये जाते हैं :

संख्या	विवरण	तीन वर्षों, १९५६–५७ से १९५८–५९ का वार्षिक औसत	१९६१–६२ के वास्तविक आंकड़े	१९६२–६३ के वास्तविक आंकड़े	स्तम्भ ३ में दिखलाये अंकों पर वृद्धि का प्रतिशत
१	२	३	४	५	६
					प्रतिशत
१	प्रतियोगिता परीक्षा एवं केवल साक्षात्कार द्वारा दोनों प्रकार के चुनावों के संबंध में निपटाये गये आवेदन–पत्रों की संख्या	२६,२१३	३९,०१८	४४,५९७	७०.१
२	चुने तथा संस्तुत किये गये अभ्यर्थियों की संख्या	२,८८०	२,९८५	५,८८०	१०४.२
३	उन प्राप्त आवेदन–पत्रों की संख्या, जिनके विषय में संबंधित वर्ष में चुनाव नहीं किया जा सका अर्थात् जो अनुवर्ती वर्ष के लिये छोड़ दिये गये (ऊपर मद १ में निर्दिष्ट मामले के संबंध में)	८,७२३	२७,४७९	२१,३४५	१४४.७
४	उन अभ्यर्थियों की संख्या, जिन पर बिना विज्ञापन के भर्ती के, पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा भर्ती के और पुष्टिकरण के अथवा अस्थायी नियुक्तियों के नियमितकरण के संबंध में विचार किया गया	२,३४६	५,०७७	४,९८३	११२.४

१	२	३	४	५	६
					प्रतिशत
५	उन अभ्यर्थियों की संख्या, जिनके मामले वर्ष की समाप्ति तक नहीं निपटाये गये थे (ऊपर मद संख्या ४ में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में)	२,५४०*	५,०६०*	७,७२८*	*२०४.२

यह देखकर उत्साह बढ़ता है कि मद संख्या १ व २ में जितना कार्य निपटाया हुआ दिखलाया गया है वह गत वर्ष अर्थात् १९६१–६२ में निपटाये गये कार्य से बहुत अधिक है और स्तम्भ ३ में दिखलाये गये औसत से तो कहीं अधिक है। इसका कारण यह है कि शासन ने १९५९ में समय-समय पर कर्मचारिवर्ग की वृद्धि की स्वीकृति दी थी। अनुवर्ती वर्ष के लिये बच रहे आवेदन–पत्रों की संख्या १९६१–६२ में २७,४७९ से घटकर १९६२–६३ में २१,३४५ रह गई। यह भी अच्छा लक्षण है, किन्तु यह स्पष्ट है कि २१,३४५ की संख्या भी १९५६–५७ से १९५८–५९ के तीन वर्षों की औसत संख्या ८,७२३ से कहीं अधिक है। विज्ञापित पदों की संख्या और आवेदकों की संख्या में सर्वत्र वृद्धि होने के कारण न निपटाये गये कार्यों में कुछ वृद्धि होना तो स्वाभाविक है। किन्तु १४४·७ प्रतिशत वृद्धि का होना इस बात का द्योतक है कि कर्मचारियों की संख्या भी बढ़नी चाहिये, पर इस विषय का प्रस्ताव शासन के यहां बहुत दिनों से पड़ा है, जिससे कार्य एवं दक्षता को हानि पहुंच रही है। मद संख्या २ पर एक दृष्टि डालने से पता चलता है कि गत चार वर्षों में आयोग द्वारा चुने और संस्तुत किये गये अभ्यर्थियों की संख्या दूने से अधिक हो गई है।

ऊपर की मद संख्या ४ व ५ से पता चलता है कि बिना विज्ञापन की भर्ती के, पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा भर्ती के और पुष्टिकरण के अथवा अस्थायी नियुक्तियों के नियमितकरण से सम्बन्धित अभ्यर्थियों का जहां तक सम्बन्ध है, उन अभ्यर्थियों की संख्या, अर्थात् ४९८३, जिन पर वर्ष में विचार किया गया और जिनके मामलों को निपटाया गया, उन अभ्यर्थियों की संख्या अर्थात् ७७२८ से कम है, जिनके मामले निपटाये नहीं जा सके। इसका कारण कुछ अंश तक यह है कि चरित्रावलियों के अभाव में पदोन्नति तथा नियमितकरण आदि के बहुत से मामले निपटाये नहीं जा सके, और कुछ अंश तक यह है कि सामान्य विभाग के कर्मचारिवर्ग को, जिन्हें ऐसे कार्य करने पड़ते हैं, कई अन्य मामलों को भी निपटाना पड़ा था, जो परिशिष्ट १ में "३––प्रकीर्ण" शीर्षक के अन्तर्गत मद संख्या (२) से (७) में दिखलाये गये हैं। फिर भी इन अंकों से पता चलता है कि उस उप विभाग में गत चार वर्षों में काम तिगुना बढ़ गया है।

२––ऊपर पैरा १ के विवरण में मद संख्या १ से ३ में दिये हुये अंक पृष्ठ ५२–क पर ग्राफ संख्या १ में दिखलाये गये हैं, और मद संख्या ४ व ५ के अंक पृष्ठ ५२–ख पर ग्राफ संख्या २ में दिखलाये गये हैं। इन ग्राफों पर एक नजर डालने से कार्य में भारी वृद्धि का पता चल जाता है।

३––कार्यालय के लिये स्थान––प्रतिवेदनाधीन वर्ष में आयोग का पूरा कार्यालय १०, स्टैनली रोड, इलाहाबाद पर स्थित भवन में, जहां पहले अधिकारी प्रशिक्षण विद्यालय था, चला गया। वह भवन बहुत पुराना है और उसके एक पूरे के पूरे पार्श्व

*पदोन्नति द्वारा चुनाव से संबंधित अंकों (मद संख्या ५ के सामने) को छोड़कर सभी अंक वास्तविक हैं। पदोन्नति के संबंध में अंक इस धारणा पर दिये गये हैं कि प्रत्येक रिक्ति के लिये लगभग ३ अभ्यर्थियों पर विचार करना पड़ता होगा।

में कई दरारें पड़ गई हैं। उसका एक भाग असुरक्षित घोषित कर दिया गया है। अतः उसको गिरा कर उसके स्थान पर एक नया भवन निर्माण करना आवश्यक होगा।

४---सामान्य कथ्य---विभिन्न सेवाओं तथा पदों के लिये चुनाव तथा पदोन्नति दोनों प्रकार से भर्ती में चरित्रावलियों का महत्वपूर्ण स्थान रहता है, इस तथ्य पर जोर देना अनावश्यक है। चुनावों के मामले में, आयोग अपने समक्ष उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की चरित्रावलियों के अभाव में, अपनी संस्तुतियों के सम्बन्ध में अन्तिम रूप से निश्चय नहीं कर पाते। इन मामलों में इस प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है कि किसी सेवा विशेष या पद विशेष के लिये प्राप्त आवेदन-पत्रों की संनिरीक्षा समाप्त होते ही नियुक्ति प्राधिकारियों से साक्षात्कार में बुलाये गये अभ्यर्थियों की चरित्रावलियों को भेजने का अनुरोध किया जाता है अर्थात् यह मांग किसी अभ्यर्थी विशेष के साक्षात्कार की वास्तविक तिथि से महीनों पहले की जाती है। इतना होने पर भी कुछ मामलों में अपेक्षित चरित्रावलियां समय पर नहीं प्राप्त हुई थीं और कुछ मामलों में तो साक्षात्कार की तिथि के महीनों बाद भी नहीं प्राप्त हुई थीं। इससे स्वभावतः साक्षात्कार के परिणाम का निर्णय करने में देर हो जाती है। यदि नियुक्ति प्राधिकारी इस ओर अधिक ध्यान दें और सम्बन्धित अभ्यर्थियों के साक्षात्कार की तिथि से काफी पहले उनकी चरित्रावलियां भेज दिया करें तो आयोग उनके कृतज्ञ होंगे।

५---आयोग यह भी देखते हैं कि नियुक्ति प्राधिकारी अपने अधीन कार्य करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदनपत्रों को समय के भीतर अग्रसारित नहीं करते हैं और न वे इस बात की ही सूचना देते हैं कि उन्होंने उन अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्रों को रोक लिया है, जिनको वे छोड़ नहीं सकते हैं। आयोग को उनके लिये प्रायः मांग करनी पड़ती है। इससे आयोग अनिश्चितावस्था में पड़े रहते हैं और संस्तुतियों को अन्तिम रूप से निश्चय करने में भी विलम्ब होता है।

६---राज्य में प्राविधिक शिक्षा के हेतु अध्यापन एवं प्रशासनिक पदों के लिये वास्तव में उपयुक्त अभ्यर्थियों को पाने में आयोग ने सदैव कठिनाई का अनुभव किया है। इस कठिनाई को हल करने के विचार से आयोग ने पहले ही शासन को यह सुझाव दिया है कि ऐसे सभी पद राज्य की विभिन्न अभियन्त्रण चिकित्सा इत्यादि सेवाओं के संवर्गों में विलीन कर दिये जायें, जहां से शैक्षिक रुचि वाले उपयुक्त व्यक्ति समय-समय पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किये जा सकें। यह जानकर सन्तोष होता है कि शासन ने सिद्धान्त रूप से यह स्वीकार कर लिया है कि सम्प्रति विभिन्न विभागों में फैले हुये प्राविधिक या व्यावसायिक अर्हताओं की अपेक्षा रखने वाले छिट-फुट पदों को अन्य विभागों में समान पदों के विस्तारित संवर्गों में विलीन कर दिया जाय। आयोग का विचार है कि ऐसी सेवाओं के विशाल संवर्गों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को पाने में कोई कठिनाई न होगी, विशेषतः जब कि इन संस्थाओं की आवश्यकताओं के हिसाब से उनके संवर्गों में वृद्धि कर दी जायगी। यद्यपि विभिन्न अध्यापन एवं प्रशासनिक पदों के वेतन-क्रम काफी अच्छे कर दिये गये हैं, फिर भी लोग उधर आकर्षित नहीं होते हैं, क्योंकि पदोन्नति के अवसर अवरुद्ध हैं और क्षेत्र कार्यों में प्राप्त अन्य सुविधाओं का वहां अभाव है।

एक मामले में आयोग ने शासन को प्राविधिक शिक्षा के लिये प्रशिक्षण-क्रम प्रारम्भ करने का सुझाव दिया और कहा कि रुड़की विश्वविद्यालय तथा/अथवा मोती लाल नेहरू अभियन्त्रण महाविद्यालय, इलाहाबाद से अनुरोध किया जाय कि वे कक्षा खोल दें और उसमें नियमित अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों तथा अल्पकालिक नवीकरण पाठ्यक्रमों दोनों की व्यवस्था करें।

७--आयोग ने, हाल में, एक विज्ञापन निकाल कर उत्तर प्रदेश सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा (ग्रेड दो) में चिकित्सा अधिकारी के ६२ पदों के लिये आवेदन-पत्र आमंत्रित किये। उस विज्ञापन के उत्तर में केवल एक अभ्यर्थी ने आवेदन-पत्र भेजा। वह साक्षात्कार के लिये बुलाया गया पर आया नहीं। इससे यह बिल्कुल स्पष्ट है कि उस सेवा में कोई भी आकर्षण नहीं है। अतः आयोग ने सुझाव दिया कि शासन उस सेवा को अधिक आकर्षक बनाने तथा/अथवा सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्य के लिये विशिष्ट पाठ्यक्रम चलाने का उपाय ढूढ़ें। शासन को सुझाव दिया गया कि वे सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिये एक ऐसा नया पाठ्य-क्रम चलाने की वांछनीयता पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें, जिसमें चैकित्सिक विषयों का केवल उतना ही ज्ञान कराया जाय जितना बीमारियों तथा महामारियों को रोकने के कार्य में कर्मचारियों के लिये उपयोगी हो। यह अब और अधिक आवश्यक हो गया है क्योंकि कुछ अस्पताल ऐसे पड़े हैं जिनमें कोई अर्ह चिकित्सक है ही नहीं। इसके अतिरिक्त सेना की बढ़ती हुई मांग को भी पूरा करना है।

८--सम्प्रति आयोग पदों और सेवाओं--प्राविधिक तथा अप्राविधिक दोनों--की एक बड़ी संख्या के लिये चुनाव करने के हेतु कोई प्रतियोगिता परीक्षा नहीं लेते हैं। प्रत्युत वे विज्ञापन निकाल कर अभ्यर्थियों से आवेदन-पत्र आमंत्रित करते हैं, उनमें से प्रमाण-पत्रों आदि में दी हुई अर्हताओं के आधार पर प्रत्यक्षतः उपयुक्त समझे जाने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये बुलाते हैं और तब अन्तिम चुनाव करते हैं। ऐसे प्रकरणों में और विशेषतः उन सेवाओं और पदों के चुनाव में, जिनके लिये केवल सामान्य अर्हतायें निर्धारित रहती हैं, काफी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी केवल इस कारण छांट दिये जाते हैं कि वे विश्वविद्यालय की परीक्षा अच्छी श्रेणी में नहीं उत्तीर्ण किये रहते हैं। इस विधि से अभ्यर्थियों की प्रारम्भिक छंटनी करने पर कभी-कभी उन अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो जाता है जो वास्तव में प्रतिभा-सम्पन्न तो रहते हैं किन्तु बीमारी आदि कुछ कारणों से, जिन पर उनका वश नहीं चलता है, केवल द्वितीय श्रेणी प्राप्त किये रहते हैं। इस तथ्य के अतिरिक्त उपर्युक्त विधि में विभिन्न अध्यापन संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाओं के विभिन्न स्तरों पर विचार नहीं किया जाता है और ऐसी संस्थाओं की संख्या इधर बहुत बढ़ गई है तथा जैसे-जैसे नई-नई संस्थायें समय-समय पर खुलती जा रही हैं, वैसे-वैसे उनकी संख्या भी उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। एक समान स्तर से अभ्यर्थियों की सापेक्षिक योग्यताओं का मूल्यांकन करने के विचार से आयोग ने मई, १९६२ में अपने विचार-क्षेत्र की विभिन्न सेवाओं तथा पदों के चुनाव के लिये सम्मिलित परीक्षाओं की एक विस्तृत योजना बना कर शासन के मुख्य सचिव को भेजा। उस योजना पर मुख्य सचिव के कक्ष में २२ दिसम्बर, १९६२ की एक बैठक में मुख्य सचिव, विकास आयुक्त, शासन के विभिन्न विभागों के सचिवों तथा आयोग के सचिव के बीच विचार-बिमर्श हुआ। बैठक की अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष ने की थी। जिन सेवाओं के लिये अभी तक साक्षात्कार के आधार पर चुनाव किया जाता है उनके लिये चुनाव के हेतु प्रतियोगिता परीक्षाओं को चालू करने और यथासम्भव इन परीक्षाओं को सम्मिलित करने के आयोग के प्रस्ताव को सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लिया गया। यह भी विनिश्चय किया गया कि इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये सेवा नियमावलियों में संशोधन करने के हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाय।

९--विद्यमान परिपाटी के अनुसार आयोग नियुक्ति प्राधिकारियों तथा शासन, जैसी कि स्थिति हो, से चुनावों के समय उनकी सहायता करने के लिये उपयुक्त प्राविधिक परामर्शदाताओं को मनोनीत करने का अनुरोध करते हैं। किन्तु यह देखा गया है कि कभी-कभी पदों के महत्व तथा उनके लिये वांछित प्रकार की अर्हताओं के अनुरूप प्राविधिक परामर्शदाताओं का चुनाव नहीं किया जाता है। कभी-कभी तो

प्राविधिक परामर्शदाता विभागीय प्रतिनिधि मात्र बन कर आते हैं, जो आयोग के लिये सहायक नहीं के बराबर होते हैं। आयोग को आशा है कि शासन तथा नियुक्ति प्राधिकारी आयोग की सहायता के लिये प्राविधिक परामर्शदाताओं का चुनाव करते समय इसका ध्यान रक्खेंगे।

१०—आयोग के देखने में आया है कि विभिन्न परीक्षा समितियां तथा विश्वविद्यालय भिन्न-भिन्न रूप से परीक्षा लेते हैं और जहां चुनाव केवल साक्षात्कार के आधार पर किये जाते हैं वहां स्तरों की भिन्नता से कुछ अभ्यर्थियों को हानि हो जाती है। कुछ विश्वविद्यालयों में ४५ प्रतिशत या अधिक अंक योग पाने पर विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण घोषित किये जाते हैं, जब कि कुछ विश्वविद्यालयों में इसके लिये ४८ प्रतिशत के न्यूनतम अंक योग की अपेक्षा की जाती है। यह ठीक है कि सभी जगह शिक्षा के स्तरों में एकरूपता लाना आसान नहीं है किन्तु एक समान स्तर लागू करके विभिन्न विश्वविद्यालयों में भिन्न-भिन्न प्रतिशत अंक प्राप्त करने के आधार पर जो भेद किया जाता है, उसे तो सम्भवतः दूर किया ही जा सकता है।

११—आयोग शिक्षा संस्थाओं के लिये अध्यापकों, व्याख्याताओं तथा प्राध्यापकों के पदों पर अभ्यर्थियों को संस्तुत करने में बड़ी कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं। उनका विचार है कि अच्छे विद्यार्थी इन पदों के लिये आवेदन-पत्र देना बेकार समझते हैं। अतः यही उपयुक्त समय है जब शासन को चाहिये कि वे इस प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें ताकि इन पदों के लिये अच्छे विद्यार्थी आकर्षित हों। ऐसा करने के लिये वेतन का उपयुक्त पुनरीक्षण करके शिक्षण संस्थाओं में कार्य करने वाले अध्यापकों को अन्य सुविधाओं को प्रदान किया जा सकता है।

१२—आयोग यह देखते हैं कि उनके पास पदोन्नति के मामले नियमित रूप से नहीं भेजे जाते ह और कभी-कभी नियुक्ति प्राधिकारी केवल ज्येष्ठता के आधार पर तदर्थ पदोन्नति कर देते हैं। ऐसे चुनावों में कभी-कभी वर्षों की देरी हो जाती है, जिसका परिणाम यह होता है कि नियमित चुनाव होने पर—विशेषतः श्रेष्ठता के आधार पर, जब तदर्थ पदोन्नति पाये हुये अभ्यर्थी नहीं चुने जाते हैं तो उन्हें प्रत्यावर्तित होना पड़ता है, जिससे सेवाओं में बड़ा असन्तोष फैलता है। अतः आयोग फिर अनुरोध करते हैं कि सेवाओं में सन्तोष तथा दक्षता के हित में यह आवश्यक है कि पदोन्नति के मामले उनके पास नियमित रूप से भेजे जाया करें।

१३—एक ही सेवा में पदोन्नति के मामले, जैसे सहायक अभियन्ता से अधिशासी अभियन्ता के पद पर पदोन्नति तथा ऐसे अन्य पदोन्नति के मामले, आयोग के पास इस कारण से नहीं भेजे जाते हैं कि ये एक ही सेवा के अन्तर्गत पदोन्नति के मामले हैं। आयोग की यह दृढ़ धारणा है कि जब कर्त्तव्यों के प्रकार तथा वेतन-क्रम बदल जाते हैं, जैसा कि उपरिनिर्दिष्ट मामले में हैं, तब आयोग से परामर्श लेना चाहिये। 'सेवा' शब्द की परिभाषा कहीं नहीं दी हुई है और प्रायः मनमानी विनिश्चय करके विभिन्न पदों का वर्गीकरण करके उनको एक ही सेवा के अन्तर्गत दिखला दिया जाता है। आयोग का विचार है कि अवर पदक्रम (पुराना क्लास दो) से प्रवर पद क्रम (पुराना क्लास एक) में पदोन्नति में जब कर्त्तव्यों के प्रकार तथा वेतन-क्रम में स्पष्ट परिवर्तन हो जाता है, तब इसे एक ही सेवा में पदोन्नति की संज्ञा नहीं दी जा सकती है तथा सेवा की दक्षता को बनाये रखने एवं उसे सन्तुष्ट रखने के लिये यह आवश्यक है कि इस प्रकार की पदोन्नत के सभी मामले उनके पास भेजे जायें।

१४—आयोग देखते हैं कि एक सेवा से दूसरी सेवा में पदोन्नति किये गये अधिकारियों के प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। उनका विचार है कि सेवान्तर्गत प्रशिक्षण (इन सर्विस ट्रेनिंग) की एक योजना का श्रीगणेश तुरन्त कर दिया जाना चाहिये। विशे-

षतः उन अधिकारियों के लिये जो निम्न श्रेणी से उच्चतर श्रेणी में पदोन्नत किये जाते हैं। यह उनके लिये और भी आवश्यक है जो किसी अधीनस्थ सेवा से राज्य सेवा में पदोन्नति पाते हैं, जिसमें अधिकारियों को लेखा नियमावली, आनुशासनिक कार्यवाही प्रक्रिया आदि में प्रशिक्षण देना वांछनीय है।

१५--उच्चतर न्यायिक सेवा में चुनाव का प्रश्न भी अभी तक नहीं तय हो पाया है। आयोग का सदा से यह विचार रहा है कि अन्य सेवाओं की भांति उच्चतर न्यायिक सेवा के लिये भी आयोग द्वारा चुनाव किया जाना चाहिये, क्योंकि राज्य की विभिन्न सेवाओं के लिये चुनाव करना उनका संविधि कर्त्तव्य है। किन्तु इस प्रश्न पर अभी तक विचार विमर्श से आगे कोई प्रगति नहीं हुई है ।

१६--उपसंहार--आयोग को संतोष है कि केवल थोड़े से मामलों को छोड़कर, जिनका उल्लेख इस प्रतिवेदन में किया गया है, शासन तथा अन्य नियुक्ति प्राधिकारियों ने भारतीय संविधान एवं लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियमों के उप-बन्धों का समुचित रूप से पालन किया और आयोग के परामर्शों को भी यथाविधि मान लिया। आयोग मुख्य मंत्री के विशेष रूप से कृतज्ञ है कि जो मामले उनके समक्ष रक्खे गये, उन पर उन्होंने शीघ्र समुचित कार्यवाही की।

आज्ञा से,

इलाहाबाद :   पूरन चन्द्र पान्डे,

दिनांक २६ नवम्बर, १९६३ ई०।   सचिव।

परिशिष्ट

परिशिष्ट १

आयोग द्वारा १९६२–६३ वर्ष के अन्तर्गत किये गये कार्यों की सूची

१—परीक्षा द्वारा भर्ती—

(१)	ली गई परीक्षाओं की संख्या	१४
(२)	प्राप्त आवेदन–पत्रों की संख्या	१३,८२१
(३)	अभ्यर्थियों की संख्या, जिन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई	१२,६६२
(४)	अभ्यर्थियों की संख्या, जो परीक्षा में बैठे ...	९,९७३
(५)	साक्षात्कार किये गये अभ्यर्थियों की संख्या ..	१,०३७
(६)	चुने गये अभ्यर्थियों की संख्या ..	३८९

२—साक्षात्कार के उपरान्त चुनाव द्वारा भर्ती—

(१)	निकाले गये विज्ञापनों की संख्या	६५४
(२)	विज्ञापित पदों की संख्या, जिनके लिये :	
	(क) चुनाव वर्ष के अन्तर्गत किया गया	५,३४९
	(ख) चुनाव वर्ष के अन्त तक नहीं किया जा सका ...	१,९५७
(३)	आवेदन–पत्रों की संख्या, जिनके लिये :	
	(क) चुनाव वर्ष के अन्तर्गत किया गया	३०,७७६
	(ख) चुनाव वर्ष के अन्त तक नहीं किया जा सका ...	२१,३४५
(४)	साक्षात्कार किये गये अभ्यर्थियों की संख्या	१०,८७०
(५)	चुने गये अभ्यर्थियों की संख्या	५,४९१

३—विविध विवरण—

(१)	अभ्यर्थियों की संख्या, जिनके सम्बन्ध में निम्नलिखित मामलों पर विचार किया गया :—	
	(क) बिना विज्ञापन के भर्ती	१३६
	(ख) पदोन्नति	३,४५०
	(ग) अस्थायी नियुक्तियों का नियमितकरण	१,०१०
	(घ) स्थानान्तरण द्वारा भर्ती	१
	(ङ) पुष्टिकरण ...	३८६
(२)	विलीनीकृत राज्यों तथा अन्तर्क्षेत्रीय खण्डों के उन कर्मचारियों की संख्या, जिन पर राज्य सेवाओं में विलीन करने के लिये विचार किया गया	१
(३)	निबटाये गये अपील के तथा आनुशासनिक मामले ...	६५
(४)	निबटाये गये असाधारण पेन्शन तथा/अथवा उपदान के मामले ...	२१
(५)	निबटाये गये वैद्य व्ययों के प्रत्यर्पण के मामले ...	१३
(६)	नियमावलियां तथा नियमावलियों के संशोधन, जिन पर विचार किया गया	७८
(७)	अन्य महत्वपूर्ण प्रकीर्ण निर्देश, जिन पर विचार किया गया ...	९०

परिशिष्ट

परीक्षा द्वारा भर्ती—

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	रिक्त स्थानों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	परीक्षा में बैठने की अनुमति पाये हुये अभ्यर्थियों की संख्या	परीक्षा मे बैठे हुये अभ्यर्थियो की संख्या	परीक्षा की तारीख	परीक्षा का स्थान
१	२	३	४	५	६	७	८
१	अधीनस्थ राजस्व (अधिशासी) सेवा में निम्नलिखित पदों पर भर्ती के लिये सम्मिलित परीक्षा, १९६१						(१) आयोग का परीक्षा भवन
	(१) नायब तहसीलदार	३०	२,०४१	१,८७६	१,५८०	२३,२४ एवं २५ नवम्बर, १९६१	(२) एन० ए० एस० कालेज, मेरठ
	(२) पेशकार	३					(३) राजकीय पालीटेक्निक एवं प्राविधिक संस्थान, गोरखपुर
	(३) कलेक्शन नायब तहसीलदार	२०					

१९६२-६३

पर्यवेक्षक का नाम	व्यक्तित्व परीक्षा एवं साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक परामर्श-दाता का नाम, यदि कोई हो	साक्षात्कार हेतु बुलाये गये अभ्यर्थियों की संख्या	संस्तुत अभ्यर्थियों की संख्या	नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों की संख्या	अभ्युक्ति
९	१०	११	१२	१३	१४	१५
श्री शिव चरन लाल गुप्त, अ० स० सचिव, लोक एवं सेवा आयोग	१५, १६, १७, १८ २१, २२ २३, २४ एवं २५ मई, १९६२	...	...	...	...	*तहसीलदार के पद पर अनुसूचित जाति के एक अभ्यर्थी तथा पेशकार के पद पर एक सामान्य अभ्यर्थी की नियुक्ति के आदेशों की प्रतीक्षा थी।
(२) श्री बी० एल० शर्मा, प्रधानाचार्य					(१)-२९ (२)-२ (३)-शून्य†	†कलेक्शन नायब तहसीलदार आदि पदों के चुनाव के लिये अधियाचन आयोग *के पास आ जाने के बाद कलेक्शन नायब तहसीलदार के पदों की स्थिति बदल गई।
(३) श्री एम० वी० रामाराव प्रधानाचार्य	...	२६३	७			अस्थायी पद, जिनके लिये चुनाव किये गये थे, स्थायी हो गये और नायब तहसीलदार तथा कलेक्शन नायब तहसीलदार के संवर्ग ५ नवम्बर, १९६२ से एक में मिला दिये गये। विलीनीकरण हो जाने पर कलेक्शन नायब तहसीलदार के पद

परिशिष्ट

परीक्षा द्वारा भर्ती—

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	रिक्त स्थानों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	परीक्षा में बैठने की अनुमति पाये हुए अभ्यर्थियों की संख्या	परीक्षा में बैठे हुए अभ्यर्थियों की संख्या	परीक्षा की तारीख	परीक्षा का स्थान
१	२	३	४	५	६	७	८
२	उ०प्र० असैनिक (न्यायिक) सेवा, १९६१	१६‡	६०६	५०८	३७६	२७ व २८ नवम्बर, १९६१	लोक सेवा आयोग परीक्षा भवन, इलाहाबाद

२—(क्रमशः)

१९६२-६३

पर्यवेक्षक का नाम	व्यक्तित्व परीक्षा एवं साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक परामर्श-दाता का नाम, यदि कोई हो	साक्षात्कार हेतु बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	संस्तुत अभ्यर्थियों की संख्या	नियुक्त किए गए अभ्यर्थियों की संख्या	अभ्युक्ति
९	१०	११	१२	१३	१४	१५
						अब नियमित नायब तहसीलदार के सम्मिलित संवर्ग के अंग हो गये हैं। इन परिस्थितियों में यह निश्चय किया गया कि कलेक्शन नायब तहसीलदार के पदों के लिये संस्तुत अभ्यर्थियों को नियमित नायब तहसीलदार के स्थायी पदों पर नियुक्त किया जाय। इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति के आदेशों की प्रतीक्षा है।
श्री मुनीश्वरानन्द सक्सेना, स० सचिव, लो० से० आयोग, उ० प्र०	९, १०, ११ व १२ अप्रैल, १९६२	न्यायाधीश श्री बी० जी० ओक, आई० सी० एस०, हाई कोर्ट, इलाहाबाद	६७	२१	२१	‡रिक्तियों की संख्या बाद में बढ़कर १६ से २१ हो गई और सभी संस्तुत अभ्यर्थी नियुक्त कर दिये गये।

परिशिष्ट

परीक्षा द्वारा भर्ती—

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	रिक्त स्थानों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	परीक्षा में बैठने की अनुमति पाये हुए अभ्यर्थियों की संख्या	परीक्षा में बैठे हुये अभ्यर्थियों की संख्या	परीक्षा की तारीख	परीक्षा का स्थान
१	२	३	४	५	६	७	८
	निम्नलिखित के लिये सम्मिलित परीक्षा——						
३	(१) उ० प्र० असैनिक (अधिशासी) सेवा	१२	१,६२७	१,३८०	१,०२२	५, ६, ७, ८, ९, ११ १२, १३, १४, १५, १६, १७, १८, १९, २०, २१, २२ व २३ दिसम्बर, १९६१	(१) लोक सेवा आयोग परीक्षा भवन, इलाहाबाद (२) सिनेट हाल, प्रयाग विश्वविद्यालय
	(२) उ० प्र० पुलिस सेवा	१२					
	(३) उ० प्र० वित्त तथा लेखा सेवा	११					
	(४) उ० प्र० बिक्री-कर अधिकारी सेवा	२					
	(५) उ० प्र० परिवहन संगठन म सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी	२					

२—(क्रमशः)

१९६२—६३

पर्यवेक्षक का नाम	व्यक्तित्व परीक्षा एवं साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक परामर्श-दाता का नाम, यदि कोई हो	साक्षात्कार हेतु बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	संस्तुत अभ्यर्थियों की संख्या	नियुक्त किये गए अभ्यर्थियों की संख्या	अभ्युक्ति
९	१०	११	१२	१३	१४	१५
(१) श्री मु० सक्सेना स० सचिव तथा (२) श्री शि० च० लाल गुप्त, अ० स० सचिव, लोक सेवा आयोग, उ० प्र० (३) श्री जे० ई० कर्न्स, अधीक्षक, लोक सेवा आयोग, उ० प्र०	२८, २९, ३० व ३१ मई, १९६२ तथा १, ४, ५, ६, ७, ८, ११, १२, १४, १५ व १८ जून, १९६२	सर्वश्री एच० के० कर तथा ए० एस० गुप्त उप-कारागार महानिरीक्षक, उ०प्र० केवल उ० प्र० पुलिस सेवा के लिये। श्री कर २८ मई से १ जून तक और श्री गुप्त ४ से १२ जून, १९६२ तक रहे।	२६०	(१) (२)} ३१ (५) (३) (४)} ३२	(१)-१२ (२)—८ (३)—शून्य (४)—,, (५)—,,	बाद में इस परीक्षा के आधार पर क्षेत्रीय लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां तथा पंचायत के पद के लिये एक अभ्यर्थी का चुनाव करने का निश्चय हुआ। तद-नुसार इस पद के लिये भी एक अभ्यर्थी संस्तुत किया गया, जो स्तम्भ १३ में दिखलाये गये ३२ अभ्यर्थियों में शामिल है। उ० प्र० असैनिक (अधिशासी) सेवा की सभी रिक्तियों तथा उ० प्र० पुलिस सेवा की केवल ८ रिक्तियों के लिये नियुक्ति आदेश प्राप्त हुये और शेष रिक्तियों के संबंध में आदेश अब भी प्रतीक्षित हैं।

परिशिष्ट

परीक्षा द्वारा भर्ती—

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	रिक्त स्थानों की संख्या	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	परीक्षा में बैठने की अनुमति पाये हुये अभ्यर्थियों की संख्या	परीक्षा में बैठे हुये अभ्यर्थियों की संख्या	परीक्षा की तारीख	परीक्षा का स्थान
१	२	३	४	५	६	७	८
४	सहकारिता लेखा परीक्षा संगठन में पुनरीक्षित वेतनक्रम में नियुक्ति के लिये लेखा परीक्षकों की अर्हकारी उपपरीक्षा	...	१७८	१७८	१३५	१३ व १४ फरवरी, १९६२	लोक सेवा आयोग परीक्षाभवन इलाहाबाद
५	लोक सेवा आयोग, उ० प्र० के कार्यालय में वैयक्तिक सहायक	२	१३	११	८	२६ व २७ मार्च, १९६२	तदैव
६	लोक सेवा आयोग, उ० प्र० के कार्यालय में विभागीय अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित प्रवर वर्ग सहायक	३	२१	१८	१८	तदैव	तदैव
७	उ० प्र० अधीनस्थ सब-रजिस्ट्रार सेवा में सब-रजिस्ट्रार	२१	२२३	१९४	१४२	१,२ व ३ मई १९६२	लोक सेवा आयोग परीक्षा भवन, इलाहाबाद

२—(क्रमशः)

१९६२–६३

पर्यवेक्षक का नाम	व्यक्तित्व परीक्षा एवं साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक परामर्श-दाता का नाम, यदि कोई हो	साक्षात्कार हेतु बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	संस्तुत अभ्यर्थियों की संख्या	नियुक्त किए गए अभ्यर्थियों की संख्या	अभ्युक्ति
९	१०	११	१२	१३	१४	१५
श्री शि० च० लाल गुप्त, अ० स० सचिव, लोक सेवा आयोग, उ० प्र०	...	...	..	३०	३०	..
श्री मुनी-श्वरानन्द सक्सेना, स०सचिव, लोक सेवा आयोग, उ० प्र०	१७ मई, १९६२	...	२	२	२	...
श्री शि० च० लाल गुप्त, अ० स० सचिव, लोक सेवा आयोग, उ० प्र०	...	..	..	९	९	बाद में रिक्तियों की संख्या बढ़ कर ३ से ९ हो गई।
श्री शि० च० लाल गुप्त, अ० स० सचिव, लोक सेवा आयोग, उ० प्र०	१ व ३ अगस्त, १९६२	...	४	२१	२१	

परिशिष्ट

परीक्षा द्वारा भर्ती--

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	रिक्त स्थानों की संख्या	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	परीक्षा में बैठने की अनुमति पाये हुये अभ्यर्थियों की संख्या	परीक्षा में बैठे हुये अभ्यर्थियों की संख्या	परीक्षा की तारीख	परीक्षा का स्थान
१	२	३	४	५	६	७	८
८	सहायक बिक्री-कर अधिकारी/ मनोरंजन कर निरीक्षक	३७ ४	२,७४७	२,५१९	२,०४४	१७, १८ व १९ मई, १९६२	(१) एन० ए० एस० महाविद्यालय, मेरठ (२) सेन्ट जान्स महाविद्यालय, आगरा (३) बरेली महाविद्यालय, बरेली (४) डी० ए० वी० महाविद्यालय, कानपुर (५) लखनऊ क्रिश्चियन कालेज, लखनऊ (६) राजकीय पालीटेक्निक तथा प्राविधिक संस्थान, गोरखपुर (७) लोक सेवा आयोग परीक्षा भवन, इलाहाबाद

२—(क्रमशः)

१९६२–६३

पर्यवेक्षक का नाम	व्यक्तित्व परीक्षा एवं साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक परामर्श दाता का नाम, यदि कोई हो	साक्षात्कार हेतु बुलाए गये अभ्यर्थियों की संख्या	संस्तुत अभ्यर्थियों की संख्या	नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों की संख्या	अभ्युक्ति
९	१०	११	१२	१३	१४	१५
(१) श्री बी० एल० शर्मा, प्रधानाचार्य (२) श्री ए० सी० शर्मा, प्राध्यापक (३) श्री पी० एस० सुन्दरम, प्रधानाचार्य (४) श्री एस०पी० सिंह, प्रधानाचार्य (५) डा० सी० एन० ठाकोर, प्रधानाचार्य (६) श्री एम० बी० रामाराव, प्रधानाचार्य (७) श्री शि० च० लाल गुप्त, अ० स० सचिव, लोक सेवा आयोग, उ० प्र०	५,६,७, ८,९,१२ १३,१४, १५,१६, १९,२०, २१,२२ व २३ नवम्बर, १९६२	..	३०१	७६	..	मनोरंजन कर निरीक्षक के पदों की रिक्तियां बाद में ४ से १६ हो गयीं। वास्तविक नियुक्ति आदेश प्रतीक्षित रहे।

परिशिष्ट

परीक्षा द्वारा भर्ती—

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	रिक्त स्थानों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	परीक्षा में बैठने की अनुमति पाये हुये अभ्यर्थियों की संख्या	परीक्षा में बैठे हुये अभ्यर्थियों की संख्या	परीक्षा की तारीख	परीक्षा का स्थान
१	२	३	४	५	६	७	८
९	आशुलिपिक— (१) उ० प्र० सचिवालय में (२) लोक सेवा आयोग, उ० प्र० के कार्यालय में	 ४३ १	२९५	२७८	२१०	२२,२३ व २४ मई, १९६२	लखनऊ क्रिश्चियन कालेज, लखनऊ
१०	फारेस्ट रेंजर्स कोर्स, १९६२-६४	१०	३२२	३०४	२५२	२५,२६ व २७ मई, १९६२	लोक सेवा आयोग परीक्षा भवन, इलाहाबाद
११	विभागीय अभ्यर्थियों की पदोन्नति से खंड विकास अधिकारी	२४२	१,६८७	१,६६३	१,५४८	३० व ३१ मई, १९६२	(१) एन० ए० एस० कालेज, मेरठ (२) विद्यान्त हिन्दू डिग्री कालेज, लखनऊ (३) राजकीय पालीटेक्निक तथा प्राविधिक संस्थान, गोरखपुर (४) लोक सेवा-आयोग परीक्षा भवन, इलाहाबाद ।

२—(क्रमशः)

१९६२–६३

पर्यवेक्षक का नाम	व्यक्तित्व परीक्षा एवं साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक परामर्श–दाता का नाम, यदि कोई हो	साक्षात्कार हेतु बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	संस्तुत अभ्यर्थियों की संख्या	नियुक्त किए गए अभ्यर्थियों की संख्या	अभ्युक्ति
९	१०	११	१२	१३	१४	१५
डा० सी० एम० ठाकोर, प्रधानाचार्य	..	..	..	५९	३६	७ अभ्यर्थियों के विषय में नियुक्ति आदेश प्रतीक्षित रहे ।
श्री शि० च० लाल गुप्त, अ० स० सचिव, लोक सेवा आयोग, उ० प्र०	१९,२०, २८,२९ व ३० नवम्बर, १९६२	श्री बी० एन० चतुर्वेदी वन पाल, दक्षिण वृत्त	६९	१६	१०	
(१) श्री बी० एल० शर्मा, प्रधानाचार्य (२) श्री जी० एल० दीक्षित, उपप्रधानाचार्य, (३) श्री एस० डी० दुबे, प्रभारी प्रधानाचार्य, (४) श्री शि० च० लाल गुप्त, अ० स० सचिव, लोक सेवा आयोग, उ० प्र०	..	..	..	..	..	प्रतिवेदनाधीन वर्ष में व्यक्तित्व उपपरीक्षा नहीं ली जा सकी ।

परिशिष्ट

परीक्षा द्वारा भर्ती—

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	रिक्त स्थानों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	परीक्षा में बैठने की अनुमति पाये हुये अभ्यर्थियों की संख्या	परीक्षा में बैठे हुये अभ्यर्थियों की संख्या	परीक्षा की तारीख	परीक्षा का स्थान
१	२	३	४	५	६	७	८
१२	वरिष्ठ वन सेवा (डिप्लोमा) कोर्स, १९६३—६५	८	१९०	१४९	९७	२५, २६, २७, २८ व ३० जुलाई, १९६२	लोक सेवा आयोग परीक्षा भवन, उ० प्र०, इलाहाबाद
१३	निम्नलिखित पदों के चुनाव के लिये सम्मिलित परीक्षा—						
	[१] उ० प्र० सचिवालय के लिये—						
	(१) प्रवर वर्ग सहायक	बा—६० वि०—६०					(१) आगरा विश्वविद्यालय, आगरा
	(२) अवर वर्ग सहायक	बा०—३०	२,२४३	२,०९४	१,८६९	२६, २७ व २८ सितम्बर, १९६२	(२) विद्यान्त हिन्दू कालेज, लखनऊ
	(३) अवर वर्ग सहायक (अस्थायी पद)	बा०—१५०					
	[२] उ० प्र० लोक सेवा आयोग कार्यालय के लिये—						(३) अग्रवाल विद्यालय, महाविद्यालय, लखनऊ
	(१) प्रवर वर्ग सहायक	बा—१					(४) लोक सेवा आयोग परीक्षा भवन, इलाहाबाद
	(२) अवर वर्ग सहायक	बा—३					

२—(क्रमशः)

१९६२–६३

पर्यवेक्षक का नाम	व्यक्तित्व परीक्षा एवं साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक परामर्श-दाता का नाम, यदि कोई हो	साक्षात्कार हेतु बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	संस्तुत अभ्यर्थियों की संख्या	नियुक्त किए गए अभ्यर्थियों की संख्या	अभ्युक्ति
९	१०	११	१२	१३	१४	१५
श्री मुनी श्वरानन्द सक्सेना, स० सचिव, लोक सेवा आयोग, उ० प्र०	८ व ९ नवम्बर, १९६२	श्री एस० एम० सिब्टैन, वन-पाल, पश्चिमी वृत्त	०	११	८	...
(१) श्री टी० पी० मित्तल, उपनिबंधक, (२) श्री एस० सी० मुकर्जी, प्रधानाचार्य, (३) श्री आर० प्रसाद, प्रधानाचार्य (४) श्री शि० च० लाल गुप्त, अ० स० सचिव, लोक सेवा आयोग, उ० प्र०	..	..	..	..	...	प्रतिवेदनाधीन वर्ष में संस्तुतियां नहीं भेजी जा सकीं।

परिशिष्ट

परीक्षा द्वारा भर्ती

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	रिक्त स्थानों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	परीक्षा में बैठने की अनुमति पाये हुए अभ्यर्थियों की संख्या	परीक्षा में बैठे हुए अभ्यर्थियों की संख्या	परीक्षा की तारीख	परीक्षा का स्थान
१	२	३	४	५	६	७	८
१४	उ० प्र० अधीनस्थ आबकारी सेवा में आबकारी निरीक्षक	७	२६०	१८०	११७	३, ४ व ५ अक्टूबर, १९६२	लोक सेवा-आयोग परीक्षा भवन, इलाहाबाद
१५	उ०प्र०अभियन्ता सेवा में निम्नलिखित पदों के चुनाव के लिये सम्मिलित परीक्षाः—						
	(१) उ० प्र० सा० नि० वि० में सहायक अभियन्ता (असैनिक)	१३०					
	(२) उ० प्र० सिंचाई विभाग में सहायक अभियन्ता (असैनिक)	२५६					
	(३) उ० प्र० स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग में सहायक अभियन्ता (असैनिक)	३९	९१८	८४५	३६६	८, ९, १०, १२, १३, १४ व १५ नवम्बर, १९६२	तदेव
	(४) उ० प्र० सिंचाई विभाग में सहायक अभियन्ता (यांत्रिक)	१४					
	(५) उ० प्र० सा० नि० वि० में सहायक अभियन्ता (विद्युत् एवं यांत्रिक)	१३					
	(६) उ० प्र० स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग में सहायक अभियन्ता (विद्युत् एवं यांत्रिक)	३					

२—(क्रमशः)

१९६२–६३

पर्यवेक्षक का नाम	व्यक्तित्व परीक्षा एवं साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	साक्षात्कार हेतु बुलाये गये अभ्यर्थियों की संख्या	संस्तुत अभ्यर्थियों की संख्या	नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों की संख्या	अभ्युक्ति
९	१०	११	१२	१३	१४	१५
श्री शि० च० लाल गुप्त, अ० स० सचिव, लोक सेवा आयोग, उ० प्र०	..	...	...	...	..	प्रतिवेदनाधीन वर्ष में व्यक्तित्व उप-परीक्षा नहीं ली जा सकीं।
[illegible] कृ० शर्मा, उप-सचिव लोक सेवा आयोग, उ० प्र०	..					

परिशिष्ट

परीक्षा द्वारा

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	रिक्त स्थानों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	परीक्षा में बैठने की अनुमति पाये हुए अभ्यर्थियों की संख्या	परीक्षा में बैठे हुए अभ्यर्थियों की संख्या	परीक्षा की तारीख	परीक्षा का स्थान
१	२	३	४	५	६	७	८
१६	(१) उ० प्र० असैनिक (न्यायिक) सेवा (२) उ० प्र० न्यायिक अधिकारी सेवा के लिये सम्मिलित परीक्षा	२५ २५	१,१२४	९९८	७५९	२३,२४ व २५ नवम्बर, १९६२	(१) लोक सेवा आयोग परीक्षा भवन इलाहाबाद (२) अधिकारी प्रशिक्षण विद्यालय, इलाहाबाद
१७	अधीनस्थ राजस्व (अधिशासी) सेवा में निम्नलिखित पदों के चुनाव के लिये सम्मिलित परीक्षा:--						(१) एन० ए० एस० कालेज, मेरठ (२) आगरा कालेज, आगरा
	(१) नायब तहसीलदार (२) पेशकार	३७ ४	२,०५२	१,८९५	१,४६९	२८,२९ व ३० नवम्बर, १९६२	(३) विद्यान्त हिन्दू डिग्री कालेज, लखनऊ

२

भर्ती

पर्यवेक्षक का नाम	व्यक्तित्व परीक्षा एवं साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	साक्षात्कार हेतु बुलाये गये अभ्यर्थियों की संख्या	संस्तुत अभ्यर्थियों की संख्या	नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों की संख्या	अभ्युक्ति
९	१०	११	१२	१३	१४	१५
(१) श्री मुनीश्वरानन्द सक्सेना, स०सचिव, लोक सेवा आयोग, उ०प्र० (२) श्री के० कृ० शर्मा, उप-सचिव लोक सेवा आयोग, उ० प्र०	...	...	..	..	...	प्रतिवेदनाधीन वर्ष में व्यक्तित्व उपपरीक्षा नहीं ली जा सकी ।
(१) श्री बी०एल० शर्मा, प्रधानाचार्य, (२) श्री आर० के० चतुर्वेदी, प्राध्यापक तथा अध्यक्ष, गणित विभाग (३) श्री जी० एल० दीक्षित, उपप्रधानाचार्य	..	..	..	.		

परिशिष्ट

परीक्षा द्वारा

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	रिक्त स्थानों की संख्या	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	परीक्षा में बैठने की अनुमति पाये हुये अभ्यर्थियों की संख्या	परीक्षा मे बैठे हुये अभ्यर्थियों की संख्या	परीक्षा की तारीख	परीक्षा का स्थान
१	२	३	४	५	६	७	८
१८	निम्नलिखित के लिये सम्मिलित परीक्षा--						
	(१) उ० प्र० असैनिक (अधिशासी) सेवा	२५					
	(२) उ०प्र० पुलिस सेवा	२०	१,७२६	१,५१७	१,०८१	५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३, १४, १५, १६, १७, १८, १९, २०, २१ तथा २२ दिसम्बर, १९६२	(१) लोक सेवायोग परीक्षा भवन, इलाहाबाद (२) सिनेट हाल, प्रयाग विश्व-विद्यालय
	(३) उ०प्र० वित्त एवं लेखा सेवा	७					
	(४) उ०प्र० बिक्रीकर अधिकारी सेवा	८					
	(५) उ०प्र० परिवहन संगठन में सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी	१					
१९	१९६० की परीक्षा के आधार पर चुने गये आशुलिपिकों के उ० प्र० सचिवालय में पुष्टिकरण के पूर्व अंग्रेजी अथवा हिन्दी में उनकी अर्हकारी परीक्षा	७	७	७	७	२१ जनवरी, १९६३	लोकसेवा आयोग परीक्षा भवन, इलाहाबाद
२०	उ० प्र० विधान परिषद् के लिये हिन्दी प्रतिवेदक	५	२७	१९	१२	२० व २१ फरवरी, १९६३	अधिकारी प्रशिक्षण विद्यालय, इलाहाबाद

२

भर्ती

पर्यवेक्षक का नाम	व्यक्तित्व परीक्षा एवं साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक परामर्श दाता का नाम यदि कोई हो	साक्षात्कार हेतु बुलाये गये अभ्यर्थियों की संख्या	संस्तुत अभ्यर्थियों की संख्या,	नियुक्ति किये गये अभ्यर्थियों की संख्या	अभ्युक्ति
९	१०	११	१२	१३	१४	१५
(१) श्री बी० के० शर्मा, उप-सचिव, लो० से० आ०	..	..	..	..	..	उ० प्र० असैनिक (अधिशासी) सेवा में सामान्य अभ्यर्थियों की रिक्तियां बाद में ५ और बढ़ गई ।
(२) श्री मु० न० सक्सेना, स० स०, लो० से० आयोग	..	..	..	..	..	
(३) श्री शि० च० लाल गुप्त, स० स०, लो०से०आ०	..	..	..	..	..	
(४) श्री एच० विलियम्स, सहायक रजिस्ट्रार (प्रशासन)	..	..	.	..	...	प्रतिवेदनाधीन वर्ष में व्यक्तित्व उप परीक्षा नहीं ली जा सकी ।
श्री जे० ई० कर्न्स, स० सचिव, लो० से० आयोग, उ० प्र०	..	..	..	७	७	..
सदैव	..	..	..	..	..	प्रतिवेदनाधीन वर्ष में संस्तुति भेजी नहीं जा सकी ।

परिशिष्ट

परीक्षा द्वारा

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	रिक्त स्थानों की संख्या	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	परीक्षा में बैठने की अनुमति पाये हुये अभ्यर्थियों की संख्या	परीक्षा में बैठे हुये अभ्यर्थियों की संख्या	परीक्षा की तारीख	परीक्षा का स्थान
१	२	३	४	५	६	७	८
२१	(१) उ० प्र० सचिवालय	४१	...	...	...	...	..
	(२) कार्यालय, लोक सेवा आयोग, उ० प्र० में आशुलिपिक	१					
२२	कार्यालय लोक सेवा आयोग में निम्नलिखित पदों के चुनाव के लिये सम्मिलित परीक्षा:—						
	(१) प्रवर वर्ग सहायक	४	...	..	...	...	..
	(२) अवर वर्ग सहायक	१०					
२३	कार्यालय, लोक सेवा आयोग, उ०प्र० में वैयक्तिक सहायक	१	...	...	...	...	...
२४	फारेस्ट रेंजर्स कोर्स, १९६४-६६	१०	...	...	...	...	..
२५	सहकारिता लेखा परीक्षा संगठन में पुनरीक्षित वेतन-क्रम में नियुक्ति के लिये लेखा परीक्षकों की अर्हकारी उपपरीक्षा	...	...	...	...	...	..
		१,३६९*	१३,८२१*	१२,६६२*	९,९७३*	...	...

*स्तम्भ सं० ३,४,५ व ६ के मद सं० १ से ६ के अंकों को छोड़कर जो गत वर्ष १९६१-६२ की हैं।

२ (समाप्त)

भर्ती

पर्यवेक्षक का नाम	व्यक्तित्व परीक्षा एवं साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक परामर्श दाता का नाम यदि कोई हो	साक्षात्कार हेतु बुलाये गये अभ्यर्थियों की संख्या	संस्तुत अभ्यर्थियों की संख्या	नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों की संख्या	अभ्युक्ति
९	१०	११	१२	१३	१४	१५
....	...	...	..	...	..	प्रतिवेदनाधीन वर्ष में केवल विज्ञापन निकाला गया था।
...	..	..	..	..	..	तदैव
..	..	..	...	...	..	प्रतिवेदनाधीन वर्ष में केवल विज्ञापन निकाला गया था
...	..	..	...	...	...	तदैव
..	...	...	..	..	..	प्रतिवेदनाधीन वर्ष में परीक्षा नहीं हो जा सकी।
..	..	..	..	१,०३७	३८९	१९५

परिशिष्ट

चुनाव द्वारा भर्ती—

वे मामले जिनमें सन् १९६२–६३ के अन्तर्गत चुनाव कार्य, साक्षात्कार करन अथवा विज्ञापन रद्द कर दिये जाने तक की कार्यवाही की जा सकी।

क्रम–संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन–पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किए गए अभ्यर्थियों की संख्या	[illegible] गए अभ्यर्थियों
१	२	३	४	५	६	७
२	सिंचाई विभाग में ओवरसियर	५६२	१,६१८	१,२५३	१,२०६	८४७
३	नियोजन विभाग में सहायक विकास अधिकारी (ग्राम्य अभियन्त्रण)/ओवरसियर	२००	६०३	२६२	९५	८५
४	नियोजन विभाग के अधीन प्रशिक्षण सहित प्रसार योजना के लिये प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी	९	४७	२८	१६	५

३

१९६२–६३

अथवा वस्तुस्थिति से संबंधित नियुक्ति प्राधिकारियों को अवगत कराये जाने

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	अभ्युक्ति
८	९	१०
१९, २२, २४, २५, २९, ३१ जनवरी; १, २, १५, १६ फरवरी; १६,२३, २६–३० मार्च; २–६, ९–१२ तथा १६ अप्रैल, १९६२	श्री आर० एस० जौहरी, उप-शिक्षा निदेशक, इलाहाबाद रीजन, इलाहाबाद तथा श्री आर० आर० चौहान, अतिरिक्त सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश (केवल २२ जनवरी, १९६२ को)	अर्हकरी उप परीक्षा के आधार पर साक्षात्कार के लिये बुलाये गये।
१५,१६, २३, २६–३० मार्च; २–६, १६–१९, २३–२७, ३० अप्रैल; १–४, ७–११, १४, १६–१८, २१–२४ मई तथा २१ जुलाई, १९६२	श्री आर० पी० अग्रवाल, अधीक्षण अभियन्ता, बुन्देलखंड प्रभाग, इलाहाबाद	
२–७ अप्रैल, १९६२	श्री सी० के० अडधीर, अधिशासी अभियन्ता (नियोजन), इलाहाबाद (२ तथा ३ अप्रैल, १९६२ को)	..
	श्री एच० सी० कौशल, उपविकास आयुक्त (प्रावि०) (शेष दिनों में)	...
१७ तथा २८ अप्रैल, १९६२	श्री एच० सी० कौशल, उपविकास आयुक्त (प्राविधिक) नियोजन विभाग	शेष पदों को संशोधित अर्हता के साथ पुनर्विज्ञापन का परामर्श दिया गया।

परिशिष्ट

चुनाव द्वारा भर्ती—

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिए बुलाए गये अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किए गए अभ्यर्थियों की संख्या	चुने गए अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७
५	राजकीय हस्तनिर्मित कागज उत्पादन सहित अनुसंधान केन्द्र, काल्पी में क्राफ्ट्समैन इन्सट्रक्टर	१	४	३	३	१
६	प्रान्तीय चिकित्सा सेवा, प्रथम (महिला शाखा) में चिकित्सा अधिकारी	२१	४३	२४	२०*	१७
७	उ० प्र० पशुपालन विभाग के अधीन सहायक सांख्यिक	३	५२	१८	११	५
८	ग० शं० स्ना० चि० महाविद्यालय, कानपुर में शल्य चिकित्सा में व्याख्याता	२	३०	२६	२१	४
९	अधीनस्थ कृषि सेवा, प्रथम ग्रूप में वरिष्ठ कृषि विपणन निरीक्षक	६	१८४	३८	२४	९
१०	अधीनस्थ कृषि सेवा, द्वितीय ग्रूप में दुग्धशाला सहायक	१	४	३	२	१
११	अधीनस्थ कृषि सेवा, द्वितीय ग्रूप में कनिष्ठ पौध संरक्षण सहायक (एन्टोमालोजी)	२०	१७९	६५	५५	२६

३—(क्रमशः)

१९६२-६३

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	अभ्युक्ति
८	९	१०
१८ अप्रैल, १९६२	श्री जी० एस० त्रिपाठी, सहायक उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश	...
१८ तथा १९ अप्रैल, १९६२	डा० (कु०) बी० मेन्डोनका उप-निदेशक (महिला) चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश	दो अतिरिक्त के मामलों पर उनकी अनुपस्थिति में विचार किया गया।
१९ अप्रैल, १९६२	डा० एस० एन० सिंह, उपपशु-पालन निदेशक, आगरा तथा डा० के० किशन, मुख्य सांख्यिक, उत्तर प्रदेश	...
२३, २४ अप्रैल, १९६२	डा० आर० बी० सिंह, प्राध्यापक शल्य चिकित्सा, चि० महा-विद्यालय, लखनऊ	...
२३, २४ अप्रैल, १९६२	डा० एच० के० राना, राजकीय कृषि विपणन अधिकारी, लखनऊ	...
२४ अप्रैल, १९६२	डा० आर० के० टन्डन, अतिरिक्त कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश	...
२५, ३० अप्रैल, तथा १ मई, १९६२	श्री पी० एल० चतुर्वेदी, उप पौध-संरक्षण निदेशक, उत्तर प्रदेश	..

परिशिष्ट

चुनाव द्वारा भर्ती—

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किए गए अभ्यर्थियों की संख्या	[illegible] गए अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७
१२	गन्ना विभाग, उ० प्र० में उप गन्ना आयुक्त (विकास)	१	३०	१४	१३	२*
१३	पशुपालन निदेशक, उ० प्र० के मुख्यालय में उप मत्स्य निदेशक	१	७	६	६	२
१४	मो० लाल नेहरू चिकित्सा महा-विद्यालय, इलाहाबाद में अनाटामी में प्राध्यापक	१	५	२	१	१
१५	उ० प्र० कृषि सेवा के सेक्शन 'सी' में प्रदेश मधुमक्षिपाल	१	२१	१५	१३	२
१६	श्रम संगठन, उ० प्र० में संराधन अधिकारी	१०	३०२	७४	६५	१०
१७	सार्वजनिक निर्माण विभाग, उ० प्र० में वैद्युत् ओवरसियर	३६	१४	८	४	४
१८	सार्वजनिक निर्माण विभाग, उ० प्र० में अधीक्षक (विद्युत् तथा यांत्रिकी)	४०	१७	६	५	५

३—(क्रमशः)

१९६२—६३

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	अभ्युक्ति
८	९	१०
२६ अप्रैल, १९६२	श्री एम० जुनुरेन गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश	*कोई भी नियुक्त न किया जा सका क्योंकि जिस रिक्ति के लिये चुनाव किया गया था, वह हुई ही नहीं।
तदेव	डा० एच० के० लाल, अतिरिक्त पशुपालन निदेशक, उत्तर प्रदेश तथा डा० वी० जी० झिंगरन, अनुसंधान अधिकारी, केन्द्रीय अन्तर्देशीय मत्स्य अनुसंधान शाला, इलाहाबाद	
२७ अप्रैल, १९६२	डा० डी० नारायन, अनाटामी के प्राध्यापक के० जी० चि० म०, लखनऊ	
३० अप्रैल, १९६२	डा० ई० एस० नारायनन, एनाटमी प्रभाग के अध्यक्ष आई० ए० आर० आई०, नई दिल्ली	..
१–४ मई, १९६२	श्री उमाशंकर, श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश	..
२ मई, १९६२	श्री पी० एन० श्रीवास्तव, अधीक्षण अभियन्ता, ५वीं वृत्त इलाहाबाद	शेष रिक्तियों को पुर्नविज्ञापन करने का परामर्श दिया गया।

परिशिष्ट

चुनाव द्वारा भर्ती—

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किए गए अभ्यर्थियों की संख्या	चुने गए अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७
१९	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा ग्रेड में राजकीय महिला शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, इलाहाबाद में खेल-कूद तथा शारीरिक शिक्षा में महिला व्याख्याता	१	८	८	७	२
२०	अधीनस्थ कृषि सेवा के ग्रूप दो में कनिष्ठ अनुसंधान सहायक (रसायन विज्ञान)	१६	७८	६०	३५	१९
२१	उप प्रधानाचार्य राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, रामपुर	१	२९	१९	१७	२
२२	सैनिक शिक्षा तथा समाज सेवा प्रशिक्षण निदेशक, उ० प्र० के अधीन शारीरिक शिक्षा अधीक्षक	१				२
२३	नियोजन अनुसंधान तथा कार्य संस्थान में कनिष्ठ सहयुक्त तथा	१	११	३	३	१
२४	कनिष्ठ सहयुक्त (कृषि अभियन्त्रण)	१	९	५	४	२

३—(क्रमशः)

१९६२-६३

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	अभ्युक्ति
८	९	
७ मई, १९६२	ब्रि० वी० डी० जयाल, निदेशक, सैनिक प्रशिक्षण तथा समाज सेवा प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश	..
३, ४ तथा ७, ८ मई १९६२	श्री एन० के० दास, कृषि रसायनविद्, उत्तर प्रदेश (३ तथा ४ मई, १९६२) तथा श्री पी० एस० विलसन, उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश (केवल ७ मई, १९६२ को) तथा श्री आर० एल० अस्थाना, प्रक्षेत्र प्रबन्ध अधिकारी, इलाहाबाद (केवल ८ मई, १९६२ को)	..
७ मई, १९६२	ब्रि० वी० डी० जयाल, निदेशक, सैनिक शिक्षा तथा समाज सेवा प्रशिक्षण	..
८ मई, १९६२	डा० राम दास, निदेशक, नि० अ० तथा का० संस्थान, लखनऊ	..

परिशिष्ट

चुनाव द्वारा भर्ती—

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किए गए अभ्यर्थियों की संख्या	चुने गए अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७
२५	नि० अ० तथा का० संस्थान, उ० प्र० के कर्मचारिवर्ग में कम आयु वालों के बीच प्रसार कार्य के लिये कनिष्ठ सहयुक्त	१	६६	१०	१०	२
२६	श्रमायुक्त, उ० प्र० के कार्यालय में फैक्टरियों के उप मुख्य निरीक्षक	१	१०	४	१	१
२७	प्रधानाचार्य, चिकित्सा महाविद्यालय, आगरा	१	४	४	३	२
२८	नगर तथा ग्राम नियोजन विभाग, उ० प्र० में सहायक अभियन्ता (नगर नियोजन)	२	५	५	३	१
२९	नगर तथा ग्राम नियोजन विभाग, उ० प्र० में आर्किटेक्ट प्लानर	१	३	२	१	..
३०	राजकीय रजा डिग्री महाविद्यालय, रामपुर में वनस्पति विज्ञान में प्राध्यापक	१	५	३	१	१

३—(क्रमशः)

१९६२–६३

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	अभ्युक्ति
८	९	१०
८ मई, १९६२	डा० रामदास, निदेशक, लि० अ० तथा का० संस्थान, लखनऊ	...
तदेव	श्री ओ० पी० भसीन, मुख्य अभियन्ता (हाइडेल), उत्तर प्रदेश	...
९ मई, १९६२	डा० जी० एल० शर्मा, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक, मध्य प्रदेश	...
	तथा	
	डा० डी० एन० शर्मा चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक, उत्तर प्रदेश	...
तदेव	श्री के० एन० मिश्रा, मुख्य अभियन्ता नगर तथा ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश	दूसरे पद को पुर्नविज्ञापित करने का परामर्श दिया ।
तदेव	तदेव	*एक और अभ्यर्थी के मामले पर विचार किया जाना है ।
१० मई, १९६२	डा० आर० एन० टन्डन, वनस्पति विज्ञान में प्राध्यापक, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	...

परिशिष्ट

चुनाव द्वारा भर्ती—

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किए गए अभ्यर्थियों की संख्या	चुने गए अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७
३१	एडवर्ड सप्तम आरोग्याश्रम, भुवाली, नैनीताल में अधीक्षक	१	६	४	२	"
३२	उद्योग निदेशालय, उ० प्र० के भारी उद्योग पुनस्संगठन योजना अनुभाग के अधीन उप उद्योग निदेशक (प्रायोजना)	१	३३	९	८	१
३३	उप प्रबन्धक (प्राविधिक), राजकीय सूक्ष्म उपयन्त्र निर्माणशाला लखनऊ	१	३	२	१	१
३४	विशेष अधीनथ शिक्षा सेवा वेतन क्रम में सहायक अध्यापक (रसायन शास्त्र)	१६	४४	४०	१३	१०
३५	वैज्ञानिक अधिकारी, उ० प्र० राजकीय वेधशाला, नैनीताल	३	१४	१२	८	२
३६	मत्स्य विभाग में वनस्पतिविद्	१	१	१	१	१

३—(क्रमशः)

१९६२–६३

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	अभ्युक्ति
८	९	१०
१० मई, १९६२	डा० जे० बी० एल० माथुर, अध्यक्ष, क्षय विभाग, चि० म०, लखनऊ	...
१० मई तथा १८ जुलाई, १९६२	श्री समीउद्दीन, उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश	...
१४ मई, १९६२	श्री जगदीश नारायण मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश	..
१४ तथा १६ मई,	डा० ओ० एन० पर्ती, प्राध्यापक, रसायन विज्ञान, राजकीय डिग्री महाविद्यालय, नैनीताल	शेष पदों को पुर्नविज्ञापित करने का परामर्श दिया।
१७ मई, १९६२	डा० एस० डी० सिन्हवाल निदेशक उत्तर प्रदेश, राजकीय वेधशाला नैनीताल	दूसरे पद को पुर्नविज्ञापित करने का परामर्श दिया।
तदेव	डा० एम० पी० मुतबानी, मत्स्य जीवविज्ञानविद्, उत्तर प्रदेश	..

परिशिष्ट

चुनाव द्वारा भर्ती--

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किए गए अभ्यर्थियों की संख्या	चुने गए अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७
३७	सार्वजनिक निर्माण विभाग, उ० प्र० में ओवरसियर	३००	१३८६	११३७	८५७	४७१
३८	अधीनस्थ कृषि सेवा द्वितीय ग्रूप में सहायक रसायनविद्	३	८३	२१	१५	४
३९	अधीनस्थ कृषि सेवा के द्वितीय ग्रूप म अग्रानामी में इन्सट्रक्टर	२	५४	२३	१३	६
४०	अधीनस्थ कृषि सेवा के प्रथम ग्रूप में वरिष्ठ सस्य सहायक	४	८०	२८	१६	९
४१	अधीनस्थ कृषि सेवा के प्रथम ग्रूप में वरिष्ठ कीटविद्या सहायक	४	५८	३७	२६	८
४२	अधीनस्थ कृषि सेवा के द्वितीय ग्रूप में पौधव्याधि विज्ञान में प्रदर्शक	१	१५	७	५	३
४३	अधीनस्थ कृषि सेवा के द्वितीय ग्रूप में रसायन विज्ञान में प्रदर्शक	१	७	३	२	१

३—(क्रमशः)

१९६२–६३

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	अभ्युक्ति
८	९	१०
१७ मई से १०अगस्त, १९६२	श्री पी० एन० श्रीवास्तव, अधीक्षण अभियन्ता, सा० नि०वि०, उत्तर प्रदेश	इसी चुनाव के आधार पर पशु पालन विभाग तथा उद्योग निदेशालय, उत्तर प्रदेश प्रत्येक में एक–एक ओवरसियर, श्रम विभाग में १३ ओवरसियरों तथा मत्स्य विभाग में ६ ओवरसियरों का भी चुनाव किया गया।
१८ मई, १९६२	श्री पी० मुकर्जी, उप संयुक्त निदेशक, उर्वरक तथा खाद, उत्तर प्रदेश	..
२१ मई, १९६२	डा० ए० डी० खान, संयुक्त कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश	..
२२ मई, १९६२	डा० बाबू सिंह, प्रधानाचार्य, राजकीय कृषि महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश	..
२३ तथा २४ मई, १९६२	डा० ए० एस० श्रीवास्तव, राज्य के कीटविद्, उत्तर प्रदेश	..
२४ मई, १९६२	डा० बाबू सिंह, प्रधानाचार्य, राजकीय कृषि महाविद्यालय, कानपुर	..
तदेव	तदेव	..

परिशिष्ट

चुनाव द्वारा भर्ती—

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किए गए अभ्यर्थियों की संख्या	चुने गए अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७
४४	अधीनस्थ कृषि सेवा के द्वितीय ग्रुप में सहायक व्याख्याता	४	२२	२२	१०	७
४५	महामारीविद्, तथा	१	४	२	१	१
४६	चिकित्सा अधिकारी, क्षयरोग प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण केन्द्र, आगरा	३	३	१	१	१
४७	उ० प्र० पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, मथुरा में एन्डोक्रिनोलाजी में व्याख्याता	१	१	१	१	१
४८	विरोलाजी में व्याख्याता, तथा	१	५	५	२	२
४९	क्लिनिकल पैथोलाजी में व्याख्याता	१	४	३	३	२
५०	उ० प्र० उद्योग निदेशालय के स्टोर्स पर्चेज सेक्शन के लिये भान्डार परीक्षक (दवायें)	१	३	३	३	१
५१	सेक्सन इंचार्ज, राजकीय प्रेसीजन इन्स्ट्रूमेन्ट्स फैक्टरी, लखनऊ	१	२	२	२	१
५२	गैस फोरमैन, राजकीय गैस प्लान्ट-कम-साइंटिफिक टैनल ब्लोइंग प्रशिक्षण सहित उत्पादन केन्द्र, फिरोजाबाद	१	४	२	२	१

३—(क्रमशः)

१९६२–६३

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	अभ्युक्ति
८	९	१०
२५ मई, १९६२	डा० बाबू सिंह, प्रधानचार्य, राजकीय कृषि महाविद्यालय, कानपुर	..
तदेव	डा० एम० एल० मेहरोत्रा, निदेशक, क्षयरोग प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण केन्द्र, आगरा	..
२८ मई, १९६२	डा० एच० के० लाल, अतिरिक्त निदेशक, पशुपालन, उत्तर प्रदेश	..
२९ मई, १९६२	श्री० पी० एन० अग्रवाल, संयुक्त उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश	..
तदेव	श्री आर० के० सिंह, अभियन्ता प्रबन्धक, राजकीय प्रेसीजन इन्स्ट्रूमेन्ट्स फैक्टरी, लखनऊ	..
१ जून, १९६२	श्री बी० बी० भाटिया, विकास अधिकारी (ग्लास), उत्तर प्रदेश	..

परिशिष्ट

चुनाव द्वारा भर्ती—

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिये बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किये गए अभ्यर्थियों की संख्या	चुने गए अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७
५३	विश्लेषक, राजकीय पाइलट सैन्ड वाशिंग प्लांट, शंकरगढ़	१	१	१	१	१
५४	सिंचाई विभाग में विद्युत् एवं यांत्रिक पर्यवेक्षक	४०	९५	६९	२८	२४
५५	उत्तर प्रदेश उद्योग निदेशालय के भारी उद्योग अनुभाग के अन्तर्गत अनुसन्धान सहायक	३	५	५	३	१
५६	राजकीय मृद्भांड विकास केन्द्र, खुर्जा में प्राविधिक सहायक	१	३	२	२	१
५७	उत्तर प्रदेश उद्योग निदेशालय की गुण चिन्हांकन योजना के अन्तर्गत अधीक्षक (पक्का कलई)	१	७	३	२	१
५८	प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राजकीय जेल डिपो	१	१०	२	१	१
५९	उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महा-विद्यालय, मथुरा में अनुसंधान अधिकारी, वीर्य संरक्षण योजना	१	४	४	२*	१
६०	सहकारिता विभाग की प्रासेसिंग तथा वेयर हाउसिंग स्कीम में सिविल ओवरसियर	२	१६	१३	२	२

३--(क्रमशः)

१९६२-६३

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	अभ्युक्ति
८	९	१०
१ जून, १९६२	श्री बी० बी० भाटिया, विकास अधिकारी (ग्लास), उत्तर प्रदेश	..
४ से ६ जून, १९६२	श्री ए० संघी, अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कर्मशाला केन्द्र, कानपुर	शेष पदों को पुर्नविज्ञापित करने का परामर्श दिया।
७ जून, १९६२	डा० एल० एम० डे०, सहायक उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश	..
तदेव	श्री पी० एन० अग्रवाल, संयुक्त उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश	..
तदेव	श्री सी० नारायण, उत्तर प्रदेश उद्योग निदेशक के अधीन विकास अधिकारी (प्राविधिक)	..
तदेव	श्री एच० सी० सक्सेना, उत्तर प्रदेश कारागार महानिरीक्षक	..
८ जून, १९६२	श्री सी० बी० जी० चौधरी, प्रधानाचार्य, पशुचिकित्सा महाविद्यालय, मथुरा	*एक और अभ्यर्थी के मामले पर उसकी अनुपस्थिति में विचार किया गया।
तदेव	श्री पी० एन० श्रीवास्तव, अधीक्षणअभियन्ता, पंचम वृत्त, सा० नि० वि०, इलाहाबाद	..

परिशिष्ट

चुनाव द्वारा भर्ती--

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किए गए अभ्यर्थियों की संख्या	चुने गए अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७
६१	उत्तर प्रदेश खनिकर्म तथा भूगर्भ शास्त्र निदेशालय के अन्तर्गत प्राविधिक सहायक (भूगर्भशास्त्र)	३	८	८	६	४
६२	प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी में सहायक अध्यापक (कृषि), तथा	३८	१५२	१०७	६३	३४*
६३	सहायक अध्यापक (उद्यानकर्म)	२३				१६*
६४	मुख्य अनुदेशक, राजकीय फल संरक्षण तथा वपनीयन संस्थान, लखनऊ	१	७	४	४	२
६५	औद्यानिक, राजकीय पर्वतीय फल अनुसंधान स्टेशन, चौबतिया रानीखेत	१	८	४	३	१
६६	जिला मत्स्य अधिकारी के रूप में द्विवर्षीय प्रशिक्षण के लिये अभ्यर्थियों का चुनाव	२	२१	१४	१२	४
६७	उप उद्योग निदेशक (शिक्षा)	१	३४	११	८	२
६८	फलोपयोग निदेशक, उत्तर प्रदेश के अधीन अधीनस्थ शिक्षा (ग्रूप १) में वरिष्ठ क्रय-विक्रय निरीक्षक	१	१४	८	६	२
६९	सहायक अनुदेशक, सामुदायिक वपनीयन केन्द्र	२	६	६	२	१*

३—(क्रमशः)

१९६२-६३

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	अभ्युक्ति
८	९	१०
८ जून, १९६२	कृषि निदेशक, भूगर्भशास्त्र तथा खनिकर्म, उत्तर प्रदेश	..
११, १२, १४, १६ जून तथा ७ जुलाई, १९६२	श्री पी० के० शुक्ल, जिला विद्यालय निरीक्षक, इलाहाबाद	*शेष पदों को पुर्नविज्ञापित करने का परामर्श दिया गया ।
१९ जून, १९६२	डा० डी० एन० श्रीवास्तव, निदेशक, फलोपयोग, उत्तर प्रदेश	..
तदैव	तदैव	
तदैव	डा० एम० पी० मोटवानी, मत्स्य जीवविज्ञानविद्, उत्तर प्रदेश	..
२० जून, १९६२	श्री पी० के० कौल, निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश	..
तदैव	डा० डी० एन० श्रीवास्तव, निदेशक, फलोपयोग, उत्तर प्रदेश	..
तदैव	तदैव	*शेष पदों को पुर्नविज्ञापित करने का परामर्श दिया गया ।

परिशिष्ट

चुनाव द्वारा भर्ती--

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिए बुलाये गए अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किये गए अभ्यर्थियों की संख्या	चुने गए अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७
७०	रासायनिक सहायक	१	५	३	३	१
७१	कीट विद्या सहायक, तथा	१	५	३	२	१
७२	कनिष्ठ शरीर क्रिया विज्ञान सहायक, उत्तर प्रदेश फलोपयोग निदेशालय के अधीन अधीनस्थ सेवा (ग्रुप २) में	१	१	१	१	१
७३	सरोजिनी नायडू चिकित्सा महाविद्यालय, आगरा में रेडियोलाजी में प्राध्यापक	१	२	२	२	१
७४	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, क्षय प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण केन्द्र, आगरा	१	१०	५		१
७५	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापक (मनो-विज्ञान)	१	३६	१०	६	२

३—(क्रमशः)

१९६२–६३

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	अभ्युक्ति
८	९	१०
२० जून, १९६२	डा० डी० एन० श्रीवास्तव, निदेशक, फलोपयोग, उत्तर प्रदेश।	..
तदैव	तदैव	..
तदैव	तदैव	..
२१ जून, १९६२	डा० के० के० गोविल, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश के संयुक्त निदेशक तथा	..
	डा० बी० एन० लाल, रेडियोलांजी में प्राध्यापक, के० जी० चिकित्सा महाविद्यालय, लखनऊ	..
तदैव	डा० के० के० गोविल, संयुक्त निदशक, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश तथा डा० एम० एल० मेहरोत्रा, निदेशक, क्षय प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण केन्द्र, आगरा	..
२२ जून, १९६२	डा० सीतावर सरन, शिक्षा उप निदेशक, उत्तर प्रदेश	..

परिशिष्ट

चुनाव द्वारा भर्ती—

क्रम संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिये बुलाये गये अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किये गये अभ्यर्थियों की संख्या	चुने गये अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७
७६	सहायक विकास अधिकारी (उद्योग) द्वितीय ग्रूप	३७०	२,३७७	१,०७६	८३७	४८८
७७	नियोजन विभाग में प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य तथा इन्स्ट्रक्टर	१५	४४५	१२१	१११	३४
७८	प्राध्यापक तथा अध्यक्ष हिन्दी विभाग, राजकीय रजा डिग्री महाविद्यालय, रामपुर	१	१४	१२	२	१
७९	अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राजपत्रित) में प्रधानाध्यापक	२१	१,०३१	३४३	३१८*	४०
८०	फलोपयोगी निदेशालय, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत अधीनस्थ सेवा ग्रुप दो में कनिष्ठ अनुसंधान सहायक (कृषि औषधि)	१	७	२	२	२
८१	अधीनस्थ कृषि सेवा के प्रथम ग्रूप में वरिष्ठ रासायनिक सहायक	४	६७	२९	१७	८

३—(क्रमशः)

१९६२-६३

साक्षात्कार की ततिथि	प्राविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	अभ्युक्ति
८	९	१०
२५-२९ जून, २-६, ९-१३, १८-२०, २३, २४, ३० जुलाई तथा ९ अगस्त, १९६२	श्री बलवन्त सिंह, संयुक्त उद्योग निदेशक, दक्षिणी जोन, इलाहाबाद (केवल २६-२९ जून, ९-१३, १८-२०, २३, २४ जुलाई, १९६२ को)	..
२६-२९ जून तथा १० दिसम्बर, १९६२	श्री एस० के० दीक्षित, संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश	..
२२ जून, १९६२	डा० दीनदयाल गुप्त, हिन्दी प्राध्यापक, लखनऊ विश्व-विद्यालय	..
२-६ तथा ९-१३ जुलाई, १९६२	श्री बी० एस० सियाल, उप शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश	एक और अभ्यर्थी के मामले पर अनुपस्थिति में विचार किया गया।
६ तथा ९ जुलाई, १९६२	डा० डब्ल्यू० बी० दाते, उप-फलोपयोग निदेशक, उत्तर प्रदेश	..
६ जुलाई, १९६२	डा० आर० आर० अग्रवाल, कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश	..

परिशिष्ट

चुनावद्वारा भर्ती—

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किए गए अभ्यर्थियों की संख्या	चुने गए अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७
८२	प्रधानाचार्य, राजकीय कृषि महा-विद्यालय, कानपुर	१	२२	१४	१४	३
८३	प्रभारी चल शिक्षण क्लास टीमें/प्रभारी सामुदायिक वपनीयन केन्द्र/प्रदर्शक, फल प्रौद्योग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्स के लिये	११	३२	२९	२३	१६
८४	इन्स्ट्रक्टर, चल शिक्षण कक्षा टीमें	२	४	३	३	३
८५	वरिष्ठ जीवरसायनिक सहायक	१	२	१	१	१
८६	वरिष्ठ पौध संरक्षण सहायक	२	१९	१४	९	४
८७	वनस्पति वैज्ञानिक सहायक (कृषि औषधि)	१	१३	८	६	२
८८	सहायक भू-रसायनविद्	१	४	३	१	१
८९	सहायक रसायनविद्	२	१९	९	८	४
९०	सहायक कवकविद्	१	५	३	२	२
९१	माली प्रशिक्षण अनुदेशक/बाग निरीक्षक/वरिष्ठ उद्यानकर्म निरीक्षक	९	५२	४३	२६	१३

३—(क्रमशः)

१९६२-६३

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	अभ्युक्ति
८	९	१०
७ जुलाई, १९६२	श्री राम सहाय, राज्य के सचिव तथा आयुक्त, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश, तथा श्री आर० आर० अग्रवाल, कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश	..
९ जुलाई, १९६२	डा० डब्ल्यू० बी० दाते, उप-फलोपयोग निदेशक, उत्तर प्रदेश	..
तदैव	तदैव	..
तदैव	तदैव	..
१० जुलाई, १९६२	तदैव	..
तदैव	तदैव	..
तदैव	तदैव	...
तदैव	तदैव	...
११ जुलाई, १९६२	तदैव	...
११-१२ जुलाई, १९६२	तदैव	...

परिशिष्ट

चुनाव द्वारा भर्ती—

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किए गए अभ्यर्थियों की संख्या	चुने गए अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७
९२	बाग निरीक्षक/प्रक्षेत्र अधीक्षक/ उद्यान कर्म निरीक्षक/ कनिष्ठ वनस्पति रक्षा सहायक/प्रभारी पौधशाला/उद्यानकर्म सहायक	१३	७२	५१	२३	१*
९३	अधीनस्थ कृषि सेवा (ग्रूप १) में वरिष्ठ अनुसंधान सहायक (उद्यानकर्म)	४	६२	३५	१८	७
९४	उत्तर प्रदेश उद्योग निदेशालय के भांडार क्रय अनुभाग में नियोजन अधिकारी (भांडार)	१	४४	१६	१४	२
९५	उत्तर प्रदेश उद्योग निदेशालय की गुण चिन्हांकन योजना के अधीन सहायक उद्योग निदेशक (क्रय-विक्रय)	१	४२	१९	१८	२
९६	अधीनस्थ कृषि सेवा (ग्रूप १) में वरिष्ठ वनस्पति सहायक	९	११५	५३	२९	१८
९७	कल्याण अधिकारी, राजकीय सीमेंट फैक्टरी, चुर्क, मिर्जापुर	१	५६	२१	९	१
९८	अधीनस्थ कृषि सेवा (ग्रूप २) में कनिष्ठ अनुसंधान सहायक (वनस्पति विज्ञान)	१९	१११	८४	४०	२४
९९	योजना विख्यापन अधिकारी, सूचना निदेशालय, उत्तर प्रदेश	१	२४	९	६	१

३—(क्रमशः)

१९६२–६३

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	अभ्युक्ति
८	९	१०
१२–१३ जुलाई, १९६२	डा० डब्ल्यू० बी० दाते, उप फलोपयोग निदेशक, उत्तर प्रदेश	*शेष पदों को पुर्नविज्ञापित करने का सुझाव दिया गया।
१७ जुलाई, १९६२	डा० एल० बी० सिंह, निदेशक, उद्यान अनुसंधान संस्थान, सहारनपुर	...
तदैव	श्री पी० के० कौल, निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश	...
तदैव	श्री पी० के० कौल, अतिरिक्त, उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश	...
१८–१९ जुलाई, १९६२	डा० जी० एन० पाठक, उ० प्र० शासन के अथ–वनस्पतिविद्	...
१९ जुलाई, १९६२	श्री एन० पी० भटनागर, निदेशक, राजकीय सीमेंट फैक्टरी, चुर्क	...
१९, २० तथा २३ जुलाई, १९६२	श्री जी० एन० पाठक, शासन के अर्थ–वनस्पतिविद्	...
२० जुलाई, १९६२	श्री ए० बी० मलिक, सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश	बाद में मितव्ययिता के विचार से पद तोड़ दिया गया और कोई नियुक्त नहीं किया गया।

परिशिष्ट

चुनाव द्वारा भर्ती—

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिये बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किए गए अभ्यर्थियों की संख्या	चुने गए अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७
१००	उत्तर प्रदेश कृषि निदेशालय के अन्तर्गत प्रक्षेत्र प्रबन्धक (कृषि)	१	२५	९	७	१
१०१	अधीनस्थ कृषि सेवा (ग्रूप-२) में जिला उद्यान निरीक्षक	५	६५	१३	६	६
१०२	अधीनस्थ शिक्षा स्नातक श्रेणी में विद्यालय मनोवैज्ञानिक	१३	३५	३५	३०	२१
१०३	प्राविधिक सहायक-सहित-यंत्र चालक;	६	२६	७	७*	७
१०४	प्राविधिक सहायक-सहित-यंत्र चालक तथा	६	१९	४	४*	२
१०५	बाटमर-कम-फिनिशर, खाल निस्त्वचन, नमक पोत कर सुर-क्षित करना तथा शव उपयोग प्रशिक्षण-सहित-उत्पादन केन्द्र, बक्शी का तालाब, लखनऊ की विस्तार योजना के अन्तर्गत चमड़ा कमाने तथा जूता एवं चमड़ा उपयोग अनुभागों के लिये	१	२	१	१*	१
१०६	उत्तर क्षेत्रीय मुद्रण औद्योगिक विद्यालय, इलाहाबाद में जिल्दसाजी तथा बंडल बंधाई में निदर्शक	१	७	७	[illegible]	१

३—(क्रमशः)

१९६२–६३

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	अभ्युक्ति
८	९	१०
२० जुलाई, १९६२	डा० रामदास, निदेशक, पी० आर० ए० आई०, उत्तर प्रदेश	...
२३ जुलाई, १९६२	श्री एस० पी० गुप्त, उपनिदेशक, उद्यान अनुसंधान संस्थान, सहारनपुर	...
तदेव	डा० यमुना प्रसाद, निदेशक, मनो-विज्ञानशाला, उत्तर प्रदेश	...
२४ जुलाई, १९६२	श्री आर० के० अग्रवाल, विकास अधिकारी (चमड़ा), उत्तर प्रदेश	†शेष पदों को पुनर्विज्ञापित करने का परामर्श दिया गया । *टिप्पणी——एक व्यावहारिक उपपरीक्षा के बाद अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिये बुलाये गये थे ।
तदेव	श्री एल० आर० नागपाल, उत्तर क्षेत्रीय मुद्रण औद्योगिक विद्यालय, इलाहाबाद के प्रधानाचार्य	...

परिशिष्ट

चुनाव द्वारा भर्ती—

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किए गए अभ्यर्थियों की संख्या	ने गए अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७
१०७	सहायक निबन्धक, सहकारिता समितियां, उत्तर प्रदेश	२०	१,४९९	१८७	१६३	२९
१०८	वि० अ० शि० सेवा में सहायक अध्यापक (भौतिक विज्ञान)	२६	५४	४८	३४	३२
१०९	राजकीय डिग्री महाविद्यालयों के लिये कनिष्ठ व्याख्याता (भौतिक विज्ञान)	२	१२	१२	१०	४
११०	वि० अ० शि० सेवा में सहायक अध्यापक (नागरिक शास्त्र)	२	६२	२०	१६	४
१११	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापक (वाणिज्य)	१	१९	१०	१०	२
११२	वि० अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापक (कृषि)	२	१४	१४	१२	४
११३	वि० अ० शि० सेवा में सहायक अध्यापक (तर्कशास्त्र)	१	१३	६	५	२

३—(क्रमशः)

१९६२–६३

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	अभ्युक्ति
८	९	१०
२४–२६, ३०, ३१ जुलाई तथा १३ अगस्त, १९६२	श्री बी० एन० राजदान, अतिरिक्त निबन्धक, सहकारिता समितियां, उत्तर प्रदेश	...
२५–२६ जुलाई, १९६२	डा० डी० डी० पन्त, प्राध्यापक, भौतिक विज्ञान, राजकीय डिग्री महाविद्यालय, नैनीताल	...
२५ जुलाई, १९६२	तदेव	
२७ जुलाई, १९६२	डा० जी० डी० श्रीवास्तव, प्राध्यापक (राजनीति शास्त्र), राजकीय डिग्री कालेज, ज्ञानपुर	...
२७ जुलाई, १९६२	चौधरी जे० एन० सक्सेना, प्राध्यापक, वाणिज्य, राजकीय डिग्री महाविद्यालय, ज्ञानपुर	...
३० जुलाई, १९६२	डा० एस० सी० गुप्त, प्राध्यापक, वनस्पति विज्ञान, राजकीय डिग्री महाविद्यालय, ज्ञानपुर	...
तदेव	डा० ओ० बी० एल० कपूर, प्राध्यापक, दर्शन शास्त्र, राजकीय डिग्री महाविद्यालय, नैनीताल	...

परिशिष्ट

चुनाव द्वारा भर्ती--

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किए गए अभ्यर्थियों की संख्या	चुने गए अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७
११४	राजकीय डिग्री महाविद्यालयों के लिय रसायन शास्त्र में कनिष्ठ व्याख्याता	२	७	७	५	४
११५	राजकीय डिग्री महाविद्यालयों में कनिष्ठ व्याख्याता (वाणिज्य)	२	१६	१५	१०	४
११६	राजकीय डिग्री महाविद्यालयों में कनिष्ठ व्याख्याता (अंग्रेजी)	३	११	१०	५	२*
११७	राजकीय डिग्री महाविद्यालयों में कनिष्ठ व्याख्याता (गणित)	२	१३	१२	११	३
११८	वि० अ० शि० सेवा में अभियन्त्रण में व्याख्याता	७	१४	१४	८	५*
११९	स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग उत्तर प्रदेश में अधीक्षण अभियन्ता (वैद्युत तथा यान्त्रिकी)	१	६	५	३	२,
१२०	गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक चिकित्सा महाविद्यालय, कानपुर तथा मोती लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, इलाहाबाद के लिये प्रधानाचार्य	२	४	३	२	२

३—(क्रमशः)

१९६२–६३

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक परामर्श दाता का नाम, यदि कोई हो	अभ्युक्ति
८	९	१०
३० जुलाई, १९६२	डा० ओ० एन० पर्ती, प्राध्यापक, रसायन शास्त्र, राजकीय महा–विद्यालय, नैनीताल	...
३१ जुलाई, १९६२	डा० बी० सी० एल० श्रीवास्तव, प्राध्यापक, वाणिज्य, राजकीय डिग्री महाविद्यालय, ज्ञानपुर	...
तदेव	डा० मोहन लाल, प्रा० अंग्रेजी, राजकीय डिग्री महाविद्यालय, ज्ञानपुर	*शेष पदों को पुनर्विज्ञापित करने का परामर्श दिया।
१ अगस्त, १९६२	डा० बी० बी० लाल, प्रा० गणित, राजकीय डिग्री महाविद्यालय ज्ञानपुर	...
तदेव	डा० जी० एस० श्रीवास्तव, प्रधानाचार्य, राजकीय बहुधंधी विद्यालय, बरेली	*शेष रिक्तियों को पुनर्विज्ञापित करने का परामर्श दिया।
२ अगस्त, १९६२	श्री ए० के० राय, मुख्य अभियन्ता, स्वा० शा० अ० वि०, उ० प्र० तथा श्री बी० एस० गोखले, सामान्य प्रबन्धक, के० ई० एस० ए० कानपुर	...
तदेव	डा० डी० एन० शर्मा, निदेशक, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवायें उत्तर प्रदेश तथा श्री बी० एस० सेठ, सचिव, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश	†कानपुर के पद के लिये चुनाव स्थगित करने की शासन ने प्रार्थना की।

परिशिष्ट

परीक्षा द्वारा भर्ती—

क्रम–संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन–पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किए गए अभ्यर्थियों की संख्या	[illegible] गए अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७
१२१	राजकीय केन्द्रीय वस्त्र संस्थान, कानपुर में बुनाई प्रदर्शक	१	४	४	३	१
१२२	ताड़ गुड़ विकास निरीक्षक	४	१३	६	५	४
१२३	राजकीय अभिलेखागार, उत्तर प्रदेश में प्राविधिक सहायक (संरक्षण)	१	२	२	२	२
१२४	निदेशक, पशुपालन, उत्तर प्रदेश के मुख्यालय में पशुधन क्रय–विक्रय बोध निरीक्षक	१	३	२	२	१
१२५	निदेशक, भूतत्व तथा खनिकर्म, उत्तर प्रदेश के अधीन भूगर्भ शास्त्री, तथा	१	१३	९	५	२
१२६	सहायक भूगर्भ शास्त्री	१	१४	५	४	२
१२७	मुद्रण तथा लेखन-सामग्री विभाग, उत्तर प्रदेश में कार्मिक अधिकारी	१	२०	४	२	२
१२८	उत्तर प्रदेश जन–स्वास्थ्य सेवा, द्वितीय क्लास में चिकित्सा अधिकारी	४५	१२	१०	५	५

३—(क्रमशः)

१९६२–६३

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	अभ्युक्ति
८	९	१०
३ अगस्त, १९६२	श्री जे० एन० सिंह, सहायक पाध्यापक, राजकीय केन्द्रीय वस्त्र संस्थान, कानपुर	...
६ अगस्त, १९६२	श्री बी० सी० जोशी, तालगुड़ विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश	...
तदेव	डा० जी० एन० शलेठोर, अभिलेखाध्यक्ष, राजकीय अभिलेखागार, उत्तर प्रदेश	...
तदेव	श्री एच० आर० अरोरा, उप-पशुपालन निदेशक (मुख्यालय), उत्तर प्रदेश	...
१० अगस्त, १९६२	डा० कृष्ण मोहन, निदेशक, भूतत्व तथा खनिकर्म, उत्तर प्रदेश	..
१३ अगस्त, १९६२	श्री उमा शंकर, श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश	..
तदेव	डा० जी० पी० मित्तल, संयुक्त निदेशक, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश	..

परिशिष्ट

चुनाव द्वारा भर्ती--

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किए गए अभ्यर्थियों की संख्या	चुने गए अभ्यर्थियों की संख्या
१*	२	३	४	५	६	७
१२९	सहायक अधीक्षक प्रोटेक्टिव होम्स (महिला)	५	४५	३८	३२	८
१३०	सहायक अभियन्ता (सिविल)--					
	(१) सिंचाई विभाग में	५९१				४३९
	(२) सार्वजनकि निर्माण बिभाग में	१९३				१२४
	(३) स्वायत शासन अभियंत्रण विभाग में	४९				३७
१३१	सिंचाई विभाग में सहायक अभियंता यान्त्रिकी	५१				
			८१५	८१२	८०९*	३३
१३२	सहायक अभियन्ता (वैद्युत तथा यांत्रिकी)--					
	(१) सार्वजनिक निर्माण विभाग में	१३				१३
	(२) स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग में	१३				२
१३३	अधीनस्थ सहकारिता सेवा में संपरीक्षक	१६०	१,३२२	६५१	४४५	२४३*

३—(क्रमशः)

१९६२–६३

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	अभ्युक्ति
८	९	१०
१६ तथा १७ अगस्त, १९६२	श्रीमती बी० किर्कउड, उपनिदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश	...
१६, १७, २०, २१, २४, २७–३१ अगस्त, ३–७, १०–१४, १७–२१ तथा २४ से २९ सितम्बर, १९६२	मुख्य अभियन्ता, सा० नि० वि०, उत्तर प्रदेश,	...
	मुख्य अभियन्ता, स्वा० शा० अ० वि०, उत्तर प्रदेश	
	उप मुख्य अभियन्ता, सा० नि० वि०, उत्तर प्रदेश	...
	संयुक्त मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश	*एक और अभ्यर्थी के मामले पर उसकी अनुपस्थिति में विचार किया गया।
	अधीक्षण अभियन्ता, सा० नि० वि०, इलाहाबाद	...
	अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, इलाहाबाद	...
१७, २०, २१, २४, २७–३१ अगस्त, ३–७, १०–१२, १४, १७–२१ सितम्बर, तथा २५, २६, २७ अक्टूबर, १९६२	श्री डब्ल्यू० बी० गोखले, मुख्य संपरीक्षा तथा श्री एच० के० टन्डन, मुख्य उप संपरीक्षा अधिकारी	*बाद में आयोग ने उन के बारे में अपनी संस्तुतियों को वापस ले लिया।
	केवल १०–१४ सितम्बर, १९६२ को	...

परिशिष्ट

चुनाव द्वारा भर्ती--

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किए गए अभ्यर्थियों की संख्या	चुने गए अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७
१३४	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापक (जीव विज्ञान)	२२	८४	७५	५५	१०
१३५	राजकीय कला और शिल्प महा-विद्यालय, लखनऊ में मृद्भान्ड कला में व्याख्याता	१	२	२	२	१
१३६	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापक (गणित)	७	१३८	६३	५०	१३
१३७	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापक (भूगोल)	४	१४१	५४	४९	८
१३८	जिला गन्ना अधिकारी	४	६३	१७	१७	४
१३९	उद्योग निदेशालय, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत सहायक विकास अधिकारी (वैद्युत उद्योग)	१	३	१	१	१
१४०	उद्योग निदेशालय, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत औद्योगिक सर्वेक्षण अधिकारी	१	१५	११	९	२

३—(क्रमशः)

१९६२—६३

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	अभ्युक्ति
८	९	१०
२०, २१ तथा २७ अगस्त, १९६२	डा०ए०पी०मेहरोत्रा, प्राध्यापक, वनस्पति विज्ञान, राजकीय डिग्री महाविद्यालय, नैनीताल	...
२७ अगस्त, १९६२	श्री एच० एल० मेढ़, कला तथा शिल्प प्राध्यापक, राजकीय कला और शिल्प महाविद्यालय, लखनऊ	...
२८–३० अगस्त, १९६२	डा० बी० बी० लाल, प्राध्यापक, गणित, राजकीय डिग्री महा–विद्यालय, ज्ञानपुर	...
३० तथा ३१ अगस्त, १९६२	डा० बी० एन० गांगुली, प्राध्यापक, भूगोल, राजकीय डिग्री महा–विद्यालय, ज्ञानपुर	...
३ तथा ४ सितम्बर, १९६२	श्री एम० जुत्शुरेन, गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश	...
४ सितम्बर, १९६२	श्री बी० एन० मेहरोत्रा, अधीक्षण अभियन्ता, रिहन्द हाईडेल ट्रान्समिशन वृत इलाहा–बाद	शासन के सुझाव पर पद को उन्नत किया गया तथा पुर्नविज्ञापित किया गया
तदेव	श्री पी० के० कौल, संयुक्त उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश	...

परिशिष्ट

चुनाव द्वारा भर्ती

क्रम संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किए गए अभ्यर्थियों की संख्या	किए गए अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७
१४१	सरोजिनी नायडू चिकित्सा महा-विद्यालय, आगरा में साइटोलाजी में व्याख्याता	१	१	१	१	१
१४२	अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक मनोवैज्ञानिक (स्नातक वर्ग)	१०	४६	४०	२६	१२
१४३	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में जिला मनोवैज्ञानिक केन्द्रों में वोकेशनल गाइड	३	४७	४३	३६	८
१४४	बिड़ला राजकीय डिग्री महाविद्या-लय, श्रीनगर, गढ़वाल के लिये प्राध्यापक तथा अध्यक्ष गणित विभाग तथा	१	६	६	३	१
१४५	प्राध्यापक तथा अध्यक्ष अंग्रेजी विभाग	१	५	४	४	१
१४६	प्रधान पुस्तकाध्यक्ष, पशु-चिकित्सा विज्ञान तथा पशुपालन महा विद्यालय, उत्तर प्रदेश	१	१	१	१	१
१४७	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापक (अर्थ-शास्त्र)	३	८४	२५	१९	४
१४८	श्रमायुक्त के कार्यालय के दक्षता सेक्शन में अभियन्ता (विद्युत् एवं यांत्रिक)	१	६	५	४	२

३—(क्रमशः)

१९६२–६३

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	अभ्युक्ति
८	९	१०
४ सितम्बर, १९६२	डा० पी० एन० वाही, प्रधानाचार्य, स० ना० चि० महाविद्यालय, आगरा	..
५, ६ १२ तथा १३ सितम्बर, १९६२	डा० जमुना प्रसाद, निदेशक मनो-विज्ञान शाला, उत्तर प्रदेश	...
५–६ सितम्बर, १९६२	तदेव	...
१० तथा ११ सितम्बर, १९६२	डा० जे० एल० शर्मा, प्रधानाचार्य, डी० एस० बिष्ट राजकीय डिग्री महाविद्यालय, नैनीताल	...
	प्रो० एस० सी० देब, अवकाशप्राप्त प्राध्यापक, अंग्रेजी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय	..
११ सितम्बर, १९६२	श्री सी० बी० जी० चौधरी, प्रधानाचार्य पशुचिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, मथुरा	...
१४ सितम्बर, १९६२	श्री बी० एन० जिग्रास, अर्थ शास्त्र के प्राध्यापक, राजकीय डिग्री महाविद्यालय, ज्ञानपुर	..
१५ सितम्बर, १९६२	श्री एस० एन० सिंह, मुख्य अभि-यन्ता (हाईडेल), उत्तर प्रदेश	...

परिशिष्ट

चुनाव द्वारा भर्ती—

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किए गए अभ्यर्थियों की संख्या	चुने गए अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७
१४९	पौधव्याधि विज्ञान में प्राध्यापक	१	५	५	५	१
१५०	दुग्धशाला में प्राध्यापक	१	३	३	३	१
१५१	राजकीय कृषि महाविद्यालय, कानपुर में उद्यानकर्म में प्राध्यापक	१	८	५	४	१
१५२	प्रान्तीय चिकित्सा सेवा—द्वितीय (महिला शाखा) में चिकित्सा अधिकारी	१३३	६८	६८	४९*	५१
१५३	प्रसार सेवा अधिकारी, राजकीय फल संरक्षण एवं कैनिंग संस्थान, लखनऊ	१	९	४	३	२
१५४	पशुपालन निदेशालय, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत जीव वैज्ञानिक उत्पादन सेक्शन में सहायक अनुसन्धान अधिकारी, प्रभारी मानकीकरण	१	४	३	३	१
१५५	जीवाणु विज्ञान में सहायक प्राध्यापक, पशुचिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश, मथुरा	१	५	५	४	२

३—(क्रमशः)

१९६२-६३

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	अभ्युक्ति
८	९	१०
२४ सितम्बर, १९६२	डा० पी० आर० मेहता, उप निदेशक (पौधव्याधि), भारत सरकार, नई दिल्ली	...
तदेव	डा० जे० वर्नर, प्राध्यापक तथा अध्यक्ष, दुग्धशाला प्रौद्योग विभाग, कृषि संस्थान, इलाहाबाद	...
तदेव	श्री बी० नर्सिंग राव, उप कृषि आयुक्त, भारत सरकार, नई दिल्ली	..
२५, २६ सितम्बर, १९६२ तथा ११, १२ फरवरी, १९६३	डा० (कु०) बी० मेन्डोन्का, उप निदेशक (महिला), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश	*दो अभ्यर्थियों पर उनकी अनुपस्थिति में विचार किया गया तथा मई, १९६३ में एक अभ्यर्थी का साक्षात्कार भी किया जाना है।
२७ सितम्बर, १९६२	डा० डी० एन० श्रीवास्तव, फलोपयोग निदेशक, उत्तर प्रदेश	...
तदेव	श्री एच० के० लाल, संयुक्त पशुपालन निदेशक, उत्तर प्रदेश	..
तदेव	श्री सी० बी० जी० चौधरी, प्रधानाचार्य, पशु चिकित्सा महाविद्यालय, मथुरा	...

परिशिष्ट

चुनाव द्वारा भर्ती—

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किए गए अभ्यर्थियों की संख्या	चुने गए अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७
१५६	उत्पादन प्रबन्धक, राजकीय फल संरक्षण, फूलबाग, नैनीताल	१	६	३	३	१
१५७	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापक (इतिहास)	५	१५३	६१	४८	१७
१५८	नान-फेरस मेटलवेयर, वाराणसी के लिये पुनस्संघठन योजना के अन्तर्गत विकास अधीक्षक	२	५	५	१	१*
१५९	शाल, गलीचा, आसनी तथा दरी विकास योजना के अन्तर्गत प्रबन्धक	१	१८	१०	८	[illegible]
१६०	निरीक्षक, सहकारी समितियां (प्रथम ग्रुप)	३१*	१,५२१	३४०	२४९†	२९
१६१	सहकारिता विभाग में दुग्धशाला प्रभारी	२	१	१	१	१
१६२	उद्योग निदेशालय, उत्तर प्रदेश के गुणचिन्हांकन योजना के अन्तर्गत उद्योग के प्रभागीय अधीक्षक	१	७५	१५	१३	२

३—(क्रमशः)

१९६२–६३

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	अभ्युक्ति
८	९	१०
२७ सितम्बर, १९६२	ड० डी० एन० श्रीवास्तव, फलोपयोग निदेशक, उत्तर प्रदेश	...
१७, १८ तथा १९ सितम्बर, १९६२	डा० जी० एन० द्विवेदी इतिहास के प्राध्यापक, राजकीय डिग्री महाविद्यालय, ज्ञानपुर	..
१ अक्तूबर, १९६२	श्री ए० आर० कपूर, विकास अधिकारी (एस० ई० आई०) उद्योग निदेशालय, उत्तर प्रदेश	*पदों को पुर्नविज्ञापित करने का परामर्श दिया ।
तदेव	श्री टी० एन० भाटिया, उप उद्योग निदेशक (सी), उत्तर प्रदेश	..
१, ३–५, ११, १२, १५–१९, २३–२५ अक्तूबर तथा ५–९ और २९ नवम्बर, १९६२	श्री आर० बी० लाल, उप निबंधक सहकारी समितियां, इलाहाबाद	*बाद में घटा कर २३ कर दी गई । †एक और पर उसकी अनुपस्थिति में विचार किया गया ।
३ अक्तूबर, १९६२	श्री रणजीत सिंह, मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश	*शेष पद को पुर्नविज्ञापित करने का सुझाव दिया ।
तदेव	श्री एस० पी० मुकर्जी, अतिरिक्त उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश	

परिशिष्ट

चुनाव द्वारा भर्ती—

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किए गए अभ्यर्थियों की संख्या	चुने गए अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७
१६३	उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश में पुनस्संगठित प्रसार कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत यान्त्रिक अभियन्ता	१	२०	५	२	१
१६४	अभियन्ता, लघु औद्योगिक आस्थान, वाराणसी एवं मेरठ	२	१७	१३	९	४
१६५	कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश में सहायक कृषि अभियन्ता	४	२५	१७	१०	७
१६६	राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय, उत्तर प्रदेश मे चिकित्सा अधि-कारी	७२	३४३	३२६	२३९	८५
१६७	कृषि निदेशालय के उत्तर प्रदेश, अन्तर्गत सहायक कृषि विपणन अधिकारी (मुख्यालय)	३	१९	८	३	१*
१६८	सहायक कृषि विपणन अधिकारी (बाजार बोध)	१	१०	७		
१६९	पशुपालन निदेशक, उत्तर प्रदेश के मुख्यालय में सहायक पशु-पालन निदेशक (नियोजन)	१	२३	११	९	१
१७०	विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश के मुख्यालय में सहायक पशु-पालन निदेशक	१	१०	६	५	१

३—(क्रमशः)

१९६२-६३

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	अभ्युक्ति
८	९	१०
३ अक्तबर, १९६२	श्री अनूप सिंह, संयुक्त उद्योग निदेशक (प्रसार), उत्तर प्रदेश	
तदेव	श्री एन० सेथुरामन, संयुक्त उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश	
१० अक्टूबर, १९६२	श्री एच० पी० भार्गव कृषि अभियन्ता (मुख्यालय) टाकटोरा कर्मशाला, लखनऊ	
१०, ११, १२, २२-२६, ३१ अक्टूबर तथा १, २, १० नवम्बर, १९६३	श्री एम० एल० द्विवेदी, निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा, उत्तर प्रदेश	
११ अक्टूबर, १९६२ तथा २४ जनवरी, १९६३	डा० आर० के० टंडन, अतिरिक्त कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश	*शेष पदों के पुनर्विज्ञापन का परामर्श दिया।
१२ अक्टबर, १९६२	श्री एच० के० लाल, अतिरिक्त पशुपालन निदेशक, उत्तर प्रदेश	
तदेव	तदेव	

परिशिष्ट

चुनाव द्वारा भर्ती—

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कर किए गए अभ्यर्थियों की संख्या	चुने गए अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७
१७१	सहायक पशु चिकित्सक	११६	१४४	१३५	१२८	१२१
१७२	सहकारिता विभाग में दुग्धशाला प्रबन्धक	१	१०	६	६	२
१७३	पशुपालन निदेशालय के पशुधन विपणन सक्शन में कम्प्यूटर	१	२	२	१	१
१७४	प्रभागीय पशुधन अनुसंधान सब-स्टेशन, पशुलोक, ऋषिकेश के स्थापन की योजना में सहायक अनुसंधान अधिकारी	१	४	२	२	१
१७५	कनिष्ठ अनुसंधान अधिकारी	१	५	३	३	१
१७६	पशुधन अनुसंधान स्टेशन, मथुरा के एनिमल जेनेटिक्स सेक्शन में अनुसंधान अधिकारी (कृत्रिम गर्भाधान)	१	३	३	२	२
१७७	मत्स्य विभाग में वरिष्ठ मत्स्य निरीक्षक	७	२९	२४	१८	१०
१७८	राजकीय पालीटेक्निक देहरादून के लिये कर्मशाला अधीक्षक	१	९	८	५	१

३--(क्रमशः)

१९६२-६३

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	अभ्युक्ति
८	९	१०
१५-१९ अक्टूबर, १९६२	श्री एम० एच० नकवी, उप पशुपालन निदेशक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद	..
२२ अक्टूबर, १९६२	श्री रणजीत सिंह, मुख्य दुग्धशाला अधिकारी, उत्तर प्रदेश	...
तदेव	श्री एच० आर० अरोरा, उप पशुपालन निदेशक, उत्तर प्रदेश	..
तदेव	डा० एस० के० तलपात्रा, प्राध्यापक, पशु पुष्टाहार पशुचिकित्सा महावि०, मथुरा	... ..
तदेव	तदेव	...
तदेव	तदेव	..
तदेव	डा० एस० पी० मुतबानी, मत्स्य विज्ञ नविद्, उत्तर प्रदेश	...
२३ अक्टूबर, १९६२*	श्री आर० के० बसु, मुख्य यांत्रिक अभियन्ता, केंद्रीय रोडवेज कर्मशाला, कानपुर	*उपस्थित नहीं हुये ।

परिशिष्ट

परीक्षा द्वारा भर्ती--

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिए बुलाये गए अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किए गए अभ्यर्थियों की संख्या	...ए गए अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७
१७९	अनुसंधान सहायक, वीर्य संरक्षण योजना, उत्तर प्रदेश पशु-चिकित्सा महाविo, मथुरा	१	३	३	१	१
१८०	हिस्टोलोजी में व्याख्याता, उत्तर प्रदेश पशुचिकित्सा महाविo, मथुरा	१	३	३	३	१
१८१	जमुनापारी बकरियों को उनके गृह स्थानों से बाहर ले जाने पर उनके ह्रास के कारणों की जांच करने की योजना के अन्तर्गत अनुसंधान अधिकारी एवं	१	८	८	८	३
१८२	सहायक अनुसंधान अधिकारी	१	८	७	७	२
१८३	एल० टी० ग्रेड में सहायक अध्यापक (औद्योगिक रसायन शास्त्र)	२	८	८	७	३
१८४	एल० टी० ग्रेड में सहायक अध्यापक (सेरेमिक्स)	२	७	७	४	३
१८५	अधिकारी प्रभारी, राजकीय पहाड़ी फल अनुसंधान स्टेशन, चौबटिया बाग	१	७	३	१*	१

३—(क्रमशः)

१९६२–६३

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	अभ्युक्ति
८	९	१०
२४ अक्टूबर, १९६२	डा० एस० के० तलपात्रा, प्राध्यापक, पशु पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश पशुचिकित्सा महा–वि०, मथुरा	..
२४ अक्टूबर, १९६२	डा० एस० के० तलपात्रा, प्राध्यापक, पशु पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश पशुचिकित्सा महावि०, मथुरा	...
तदेव	तदेव	...
तदेव	तदेव	...
२६ अक्टूबर, १९६२	श्री पी० आर० चौहान, अतिरिक्त सचिव, माध्यमिक शिक्षा परि–षद्, उत्तर प्रदेश	...
तदेव	श्री टी० एन० शर्मा, मृद्भान्ड, कला विकास अधिकारी, खुर्जा	...
३१ अक्टूबर, १९६२ २४ जनवरी, १९६३	डा० डी० एन० श्रीवास्तव, फलोपयोग निदेशक, उत्तर प्रदेश	*एक और अभ्यर्थी को साक्षा–त्कार के लिये फिर बुलाया गया, पर वह आया नहीं ।

परिशिष्ट

चुनाव द्वारा भर्ती—

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिए बुलाए गये अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किए गए अभ्यर्थियों की संख्या	चुने गए अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७
१८६	एल० टी० ग्रेड में सहायक अध्यापक (सामान्य विज्ञान)	५	७५	३५	२३	९
१८७	वि० अ० शि० सेवा में सहायक अध्यापक (अंग्रेजी)	१०	१७९	६०	४७	१७
१८८	उत्तर प्रदेश कृषि सेवा (कनिष्ठ वेतन-क्रम) के "सी" सेक्शन में कृषि प्रसार के सहायक प्राध्यापक	१	१३	७	६	२
१८९	राजकीय कृषि महावि०, कानपुर में प्राणिशास्त्र तथा कीट विज्ञान के सहायक प्राध्यापक	१	८	५	४*	२
१९०	पशुपालन निदेशालय के मुख्यालय में सहायक कुक्कुट विकास अधिकारी	१	७	५	४*	२
१९१	उद्योग निदेशालय, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत सहायक वित्तीय नियन्त्रक	३	४०	२४	२२	४
१९२	उच्च तथा निम्न टेन्शन के विद्युत् अवरोधकों की परीक्षण योजना के अन्तर्गत रसायनविद्	१	३	३	३	१†

३—(क्रमशः)

१९६२-६३

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	अभ्युक्ति
८	९	१०
१ एवं २ नवम्बर, १९६२	श्री ओ० एन० श्रीवास्तव, प्राणि-शास्त्र के प्राध्यापक, राजकीय डिग्री महावि०, ज्ञानपुर	..
१, २ तथा १७ नवम्बर, १९६२	डा० मोहनलाल, अंग्रेजी प्राध्यापक, राजकीय उपाधि महावि०, ज्ञानपुर	...
५ नवम्बर, १९६२	डा० आर० के० टंडन, अतिरिक्त कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश	..
५ नवम्बर, १९६२	डा० आर० के० टंडन, अतिरिक्त कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश	एक और मामले पर उसकी अनुपस्थिति में विचार किया गया।
तदेव	डा० एच० के० लाल, अतिरिक्त पशुपालन निदेशक, उत्तर प्रदेश	*तदेव
६ नवम्बर, १९६२	श्री एम० समीउद्दीन, उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश	...
७ नवम्बर, १९६२	श्री पी० एन० अग्रवाल, संयुक्त उद्योग निदेशक	†कार्य संचालनार्थ नियुक्ति के लिये।

परिशिष्ट

चुनाव द्वारा भर्ती--

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किए गए अभ्यर्थियों की संख्या	चुने गए अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७
१९३	सरोजिनी नायडू चिकित्सा महावि०, आगरा में पेडियाट्रिक्स में प्राध्यापक	१	३	३	१	१
१९४	मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के कार्यान्वियन के लिये सहायक यूनिट अधिकारी (नान-मेडिकल)	५०	२६८	२२१	१९०	६०
१९५	एल० टी० ग्रेड में सहायक अध्यापक (भूगोल)	२०	२५०	८९	६६	३०
१९६	पशुपालन निदेशालय, उत्तर प्रदेश के अधीन व्याख्याता, पशुपालन प्रशिक्षण कक्षा	३	३७	२३	१७	५
१९७	भूतत्व तथा खनिकर्म निदेशालय में सर्वेक्षक	१	३१	११	६	१
१९८	फलोपयोग निदेशालय, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत अधीनस्थ सेवा ग्रुप २ में वैद्युत् तथा यान्त्रिक सहायक	२	५	५	३	१*
१९९	कनिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, व्याधि तथा महामारी सेक्शन, पशुधन अनुसंधान स्टेशन, मथुरा	१	७	७	५	२

३—(क्रमशः)

१९६२-६३

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	अभ्युक्ति
८	९	१०
७ नवम्बर, १९६२	डा० पी० एन० तनेजा, पेडिया-ट्रिक्स के प्राध्यापक, अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था, नई दिल्ली तथा डा० डी० एन० शर्मा, निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा, उत्तर प्रदेश	...
८, ९,१२—१६ तथा १९ नवम्बर, १९६२	श्री एम० बी० सिंह, उप मलेरिया विज्ञान निदेशक, उत्तर प्रदेश (केवल ८ तथा ९ नवम्बर, १९६२ को) श्री बी० आर० बोस (शेष ६ दिन)	...
२०-२२ नवम्बर, १९६२	श्री बी० एन० गंगोली, भूगोल प्राध्यापक, डिग्री कालेज, ज्ञानपुर	..
३ दिसम्बर, १९६२	श्री एम० आर० महाजन, पशु-पालन निदेशक, उत्तर प्रदेश	*बाद में एक के बारे में संस्तुति वापस ले ली गई।
तदेव	डा० के० मोहन, भूतत्व तथा खनिकर्म निदेशक, उत्तर प्रदेश	...
४ दिसम्बर, १९६२	डा० डी० एन० श्रीवास्तव, फलो-पयोग निदेशक, उत्तर प्रदेश	*शेष पदों के पुनर्विज्ञापन का परामर्श दिया।
तदेव	श्री सी० बी० जी० चौधरी, प्रधानाचार्य, पशुचिकित्सा महावि०, मथुरा	...

परिशिष्ट

चुनाव द्वारा भर्ती—

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किए गए अभ्यर्थियों की संख्या	चुने गए अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७
२००	पशुपालन निदेशालय, उत्तर प्रदेश के विख्यापन सेक्शन के लिये सहायक विख्यापन अधिकारी	१	५	४	३	१
२०१	उत्तर प्रदेश पशुचिकित्सा सेवा, द्वितीय क्लास में जिला पशुधन अधिकारी	१५	१७६	७६	६४*	२८
२०२	पशुपालन निदेशक, उत्तर प्रदेश मुख्यालय में वरिष्ठ संपरीक्षक	१	२६	१०	९	२
२०३	पशुधन अनुसंधान स्टेशन, मथुरा में चारा एवं फोरेन अनुसंधान प्रभाग की स्थापना की योजना में प्रक्षेत्र सहायक	१	१०	६	६	२
२०४	उद्योग निदेशालय, उत्तर प्रदेश के कांच प्रोद्योग सेक्शन में प्रयोग-शाला सहायक	३	५	२	२	२‡
२०५	कांच ब्लोइंग प्रशिक्षण केन्द्र, फिरोजाबाद में कांच ब्लोइंग विशेषज्ञ तथा	१	३	३	१	१
२०६	निर्देशन इंस्ट्रक्टर	१	२	१	१	१
२०७	एल० टी० ग्रेड में सहायक अध्यापक (विज्ञान एवं गणित)	४१	१३०	१२६	९९	५१

३—(क्रमशः)

१९६२–६३

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	अभ्युक्ति
८	९	१०
४ दिसम्बर, १९६२	श्री एच० आर० अरोरा, उप-निदेशक (मुख्यालय), पशु-पालन निदेशालय	..
४–७ दिसम्बर, १९६२	श्री एम० आर० महाजन, पशु निदेशक, उत्तर प्रदेश	*चार औरों पर अनुपस्थिति में विचार किया गया।
५ दिसम्बर, १९६२	श्री एस० एस० सिन्हा, लेखा अधिकारी, पशुपालन निदेशालय, उत्तर प्रदेश	...
तदेव	श्री सी० वी० जी० चौधरी, प्रधानाचार्य, पशुचिकित्सा महावि०, मथुरा	...
तदेव	श्री बी० बी० भाटिया, विकास अधिकारी (कांच), उत्तर प्रदेश	‡शेष पदों को पुनर्विज्ञापित करने का परामर्श दिया।
तदेव	तदेव	..
तदेव	तदेव	..
३–७ दिसम्बर, १९६२	श्री आर० एस० जौहरी, रीजनल उप शिक्षा निदेशक, इलाहाबाद	..

परिशिष्ट

चुनाव द्वारा भर्ती--

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किए गए अभ्यर्थियों की संख्या	चुने गए अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७
२०८	एल० टी० ग्रेड में सहायक अध्यापक (अर्थशास्त्र)	१०	२८४	८४	६१	१२
२०९	एल० टी० ग्रेड में सहायक अध्यापक (वाणिज्य)	४	४०	१६	१०	५
२१०	सिंचाई विभाग में अनुसंधान पर्यवेक्षक	३०	३९	२५	१७	१३
२११	अनुसंधान सहायक (पौध व्याधि विद्), डी० एस० बिष्ट उपाधि महावि०, नैनीताल	१	२	२	१	१
२१२	रा० मृद्भान्ड विकास केन्द्र, खुर्जा में मृद्भान्ड कलाविद्	१	३	२	२	२
२१३	अधीनस्थ सहकारिता सेवा, प्रथम ग्रुप में वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक	३	९	६	५	४
२१४	अनुसंधान अधिकारी (प्रक्षेत्र प्रबंध), राजकीय कृषि महावि०, कानपुर	१	५	५	४	२

३—(क्रमशः)

१९६२–६३

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	अभ्युक्ति
८	९	१०
४–६ एवं २० दिसम्बर, १९६२	डा० के० एन० श्रीवास्तव, प्रधानाचार्य, राजकीय उपाधि महावि०, ज्ञानपुर	
६ एवं २० दिसम्बर, १९६२	श्री बी० सी० श्रीवास्तव, वाणिज्य के प्राध्यापक, रा० उपाधि महावि०, ज्ञानपुर	..
६ दिसम्बर, १९६२	श्री एस० एन० गुप्त, निदेशक, सिंचाई अनुसंधान संस्था, रुड़की	..
७ दिसम्बर, १९६२	श्री एस० सी० गुप्त, वनस्पति विज्ञान में प्राध्यापक, रा० उपाधि महावि०, ज्ञानपुर	..
तदेव	श्री एच० के० पारिख, सामान्य प्रबन्धक, विभूति कांच वर्क्स, वाराणसी	..
तदेव	श्री रणजीत सिंह, मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश	..
तदेव	डा० आर० के० टन्डन, अतिरिक्त कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश	...

परिशिष्ट

चुनाव द्वारा भर्ती—

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिये बुलाये गये अभ्यर्थियों की संख्या	सत्क्षाकार किये गये अभ्यर्थियों की संख्या	चुने गये अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७
२१५	सूचना निदेशालय, उत्तर प्रदेश में सहायक फोटोग्राफर	२	४९	३५	१०*	३
२१६	सूचना निदेशालय, उत्तर प्रदेश में कैमरा सहायक	१	२४	१६	५	२
२१७	कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश के क्रप फिजियोलोजी से ट्रेस एलिमेन्ट अधिकारी	१	१४	१०	७	१
२१८	एल० टी० ग्रेड में सहायक अध्यापक (जीव विज्ञान)	३२	१८३	१०४	८०	४२
२१९	पशुधन अनुसंधान स्टेशन, मथुरा में अनुसंधान अधिकारी (पैरा-साइटोलोजी)	१	८	२	२	२
२२०	समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश में मनोविज्ञानविद	३	१७	१४	११	४
	चिकित्सा महावि०. कानपुर में भेषज विज्ञान में प्राध्यापक	१	७	७	२	२

३--(क्रमशः)

१९६२-६३

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	अभ्युक्ति
८	९	१०
१० दिसम्बर, १९६२	कु० सरला सहानी, सहायक सूचना-निदेशक, उत्तर प्रदेश श्री एम० पी० गुप्त, अध्यापक, प्रभारी फोटोग्राफी सेक्शन, इलाहाबाद विश्वविद्यालय	अभ्यर्थियों की एक व्यावहारिक उप परीक्षा ली गई।
तदेव	तदेव	...
तदेव	श्री बोशी सेन, निदेशक, विवेकानन्द प्रयोगशाला, अल्मोड़ा	...
		...
१०-१३ दिसम्बर, १९६२	डा० ए० पी० मेहरोत्रा, वनस्पति विज्ञान के प्राध्यापक, रा० उपाधि महावि०, नैनीताल	
११ दिसम्बर, १९६२	श्री एच० के० लाल, अतिरिक्त पशुपालन निदेशक, उत्तर प्रदेश	...
तदेव	श्री एस० एन० गांगुली, उप-निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश	...
१२ दिसम्बर, १९६२	डा० बी० एल० अरोरा, भेषज विज्ञान के प्राध्यापक, अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था, नई दिल्ली	...

परिशिष्ट

चुनाव द्वारा भर्ती--

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियां की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किए गए अभ्यर्थियों की संख्या	[illegible] गए अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७
२२२	राज्य के अलकोहल प्रौद्योगविद्, उत्तर प्रदेश	१	३	३	२	१
२२३	निदेशक, जेल उद्योग, उत्तर प्रदेश	१	२४	१३	९	२
२२४	उद्योग निदेशालय, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत गणित तथा विज्ञान में इन्स्ट्रक्टर	७	८	६	४	४*
२२५	प्रशासनिक अधिकारी, पुरातत्व संग्रहालय, मथुरा	१	१०	४	४	१
२२६	उत्तर प्रदेश कृषि सेवा (वरिष्ठ वेतनक्रम) के 'सी' सेक्शन में अर्थ-वनस्पतिविद् (कपास एवं तम्बाकू)	१	२१	१३	८	१
२२७	नव राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ के लिये चिकित्सा अधिकारी	१	७	५	४	२
२२८	राज्य में हस्तशिल्प सहकारी संगठन के लिये अग्रगामी प्रयोजना योजना में अग्रगामी प्रयोजना अधिकारी	२	३४	१५	११	४

३—(क्रमशः)

१९६२–६३

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक परामर्शदाता का नाम यदि कोई हो	अभ्युक्ति
८	९	१०
१२ दिसम्बर, १९६२	श्री सी० आर० मित्रा, औद्योगिक परामर्शी, हरकोर्ट बटलर औद्योगिक संस्था, कानपुर	...
१३ दिसम्बर, १९६२	डा० एस० एन० चटर्जी, कारागार महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश	...
तदेव	श्री जी० एस० श्रीवास्तव, प्रधानाचार्य, राजकीय बहुधंधी विद्यालय, बरेली	*शेष पदों को पुर्नविज्ञापित करने का परामर्श दिया।
१४ दिसम्बर, १९६२	श्री एम० जहीर, निदेशक, सांस्कृतिक मामलों एवं वैज्ञानिक अनुसंधान, उत्तर प्रदेश	..
तदेव	डा० आर० आर० अग्रवाल, कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश	....
तदेव	डा० के० के० माथुर, उप निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा, उत्तर प्रदेश	...
१७ दिसम्बर, १९६२	श्री अनूप सिंह, संयुक्त उद्योग निदेशक	..

परिशिष्ट

चुनाव द्वारा भर्ती—

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किए गए अभ्यर्थियों की संख्या	चुने गए अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७
२२९	गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश के अधीन गन्ना निरीक्षक	३	१००	४२	३९	५
२३०	उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश के अधीन प्रबन्धक प्रभारी राजकीय कम्बल फैक्ट्री	२	१४	११	११	४
२३१	एल० टी० ग्रेड में सहायक अध्यापक (अंग्रेजी)	३०	३५६	९६	५२	३८
२३२	गन्ना विकास विभाग में संपरीक्षक	१५	२०८	९८	४४	२०
२३३	श्रम विभाग में कल्याण अधीक्षक	१८	२४६	१०६	७१	२३
२३४	सहायक निबन्धक, ट्रेड यूनियन, उत्तर प्रदेश	२	४१	२२	२०	३
२३५	राजकीय काष्ठ कला विद्यालय, इलाहाबाद में काष्ठकला अनुदेशक	१	२८	१२	१०	२
२३६	उत्तर प्रदेश उद्योग विभाग में औद्योगिक सहकारिता निरीक्षक	१२	१४७	४८	३६	१८

३—(क्रमशः)

१९६२–६३

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	अभ्युक्ति
८	९	१०
१७ एवं १८ दिसम्बर, १९६२	श्री एम० जुन्नूरेन, गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश	..
१८ दिसम्बर, १९६२	श्री वी० वरदराजन, संयुक्त उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश	...
२० दिसम्बर, १९६२ तथा २१–२४ जनवरी, १९६३	श्री के० पी० लाल, सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद	
१०–१३ दिसम्बर, १९६२	श्री बी० आर० चतुर्वेदी, उप गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश	..
२–४ जनवरी, १९६३	श्री पी० एन० चतुर्वेदी, संयुक्त श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश	...
३ जनवरी तथा ४ मार्च, १९६३	तदेव	
३ जनवरी, १९६३	श्री आर० के० शर्मा, प्रधानाचार्य, राजकीय केन्द्रीय काष्ठकला विद्यालय, बरेली	...
३ व ४ जनवरी, १९६३	श्री के० एन० माथुर, उपनिबन्धक, औद्योगिक सहकारिता समितियां, कानपुर	...

परिशिष्ट

चुनाव द्वारा भर्ती--

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिए बुलाये गए अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किए गए अभ्यर्थियों की संख्या	चुने गए अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७
२३७	सहायक अभियन्ता (असैनिक), कानपुर नगर महापालिका	३	१५	१५	६	३
२३८	प्रधानाचार्य, राजकीय चर्म संस्थान, आगरा	१	१०	५	५	२
२३९	पी० एम० एस० (दो) में चिकित्सा अधिकारी (संवर्गातिरिक्त पद)	५०	९	८	२	२
२४०	ग० शं० वि० स्मारक चिकित्सा महाविद्यालय, कानपुर/स०ना० चि० म०, आगरा के लिये शरीर क्रिया शास्त्र में व्याख्याता	५	४	२	२	२
२४१	मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, उ० प्र० में संयुक्त अधीक्षक (मुद्रण)	१	९	५	४	१
२४२	राजकीय बहुधंधी विद्यालय, गोरखपुर में भौतिक रसायन शास्त्र में व्याख्याता	१	७	३	३	१
२४३	राजकीय चर्म संस्थान के चर्म कर्म सेक्शन के अध्यक्ष	१	११	६	५	२

३—(क्रमशः)

१९६२-६३

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	अभ्युक्ति
८	९	१०
४ जनवरी, १९६३	श्री के० के० चक्रवर्ती, मुख्य अभियन्ता, नगरमहापालिका, कानपुर	...
४ जनवरी, १९६३	श्री आर० एफ० मेसन, मुख्य टैनर कूपर अलेन, कानपुर शाखा	...
तदेव	डा० प्रीतम दास, प्रधानाचार्य, चिकित्सा महाविद्यालय, इलाहाबाद	...
७ जनवरी, १९६३	डा० यू० आर० भारद्वाज, शरीर क्रिया शास्त्र प्राध्यापक, मो० ने० वि०म०, इलाहाबाद	...
तदेव	श्री जे० डब्ल्यू० हाल्ज, अधीक्षक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश	..
तदेव	श्री जे० बी० लाल, अध्यक्ष, रासायनिक अभियन्त्रण विभाग एवं राज्य के औद्योगिक रसायन विद्, हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिक संस्था, कानपुर	...
तदेव	श्री ए० सिंह, प्रबन्धक सहित प्रधान अधिकारी, जूता फैक्ट्री, ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन, कानपुर	...

परिशिष्ट

चुनाव द्वारा भर्ती—

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किए गए अभ्यर्थियों की संख्या	चुने गए अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७
२४४	उद्योग निदेशालय, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत सहायक उद्योग निदेशक (हस्त-कागज)	१	१०	५	४	२
२४५	खुर्जा में चीनी मिट्टी के लिये प्रायोजना अनुसंधान तथा संरक्षण-प्रयोगशाला स्थापित करने की योजना के अन्तर्गत अनु-संधान रसायनविद्	१	३	३	१	१
२४६	सिंचाई विभाग में वैज्ञानिक सहा-यक	५३	३३	२६	१३	९
२४७	वरिष्ठ विश्लेषण सहायक (औषधि)	१	५	४	२	१
२४८	कनिष्ठ विश्लेषण सहायक (खाद्य)	१०	२०	१८	१०	१०
२४९	सिंचाई विभाग में सहायक भूतत्व-विद्	२	१६	१४	४	२

३--(क्रमशः)

: १९६२-६३

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	अभ्युक्ति
८	९	१०
७ जनवरी, १९६३ ई०	श्री एम० वरदराजन, संयुक्त उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश	...
तदेव	श्री पी० एन० अग्रवाल, संयुक्त उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश	...
तदेव	श्री एस० एन० गुप्त, निदेशक, सिंचाई अनुसंधान, संस्थान रुड़की	शेष पदों को पुनर्विज्ञापित करने का परामर्श दिया ।
८ जनवरी, १९६३	डा० आर० एस० श्रीवास्तव, राज्य के जन विश्लेषक, उत्तर प्रदेश	...
तदेव	श्री जगदीश नारायण, संयुक्त मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग	*उपस्थित नहीं थे ।

परिशिष्ट

चुनाव द्वारा भर्ती——

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किए गए अभ्यर्थियों की संख्या	चुने गए अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७
२५०	उ० प्र० विशेषज्ञ (राजकीय मुद्रणालय अधिकारी) सेवा, उप अधीक्षक एवं	१	८	२	२	१
२५१	सहायक अधीक्षक	१	१४	६	६	२
२५२	एल० टी० ग्रेड में सहायक अध्यापक (कला)	५०	७५	१७	१२	१२*
२५३	श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश के कार्यालय के लिये क्षेत्र विख्यापन सहायक	१	१५	६	४	१
२५४	केन्द्रीय डिजाइन केन्द्र, लखनऊ में——					
	(क) मृद्भान्ड	१	५	१	१	१
	(ख) वस्त्र छपाई	१	८	३	३	२
	(ग) बुनाई एवं जरी	१	९	२	२	२
	(घ) उड कार्विंग	१	५	२	२	२
	(ङ) खिलौने	१	२	२	२	२
	(च) कापरवेयर में डिजाइन प्रसार अधिकारी	१	१	१	१	१

३—(क्रमशः)

१९६२–६३

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	अभ्युक्ति
८	९	१०
८ जनवरी, १९६३	श्री जे० डब्ल्यू० हाल्ज, अधीक्षक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश तथा श्री एन० आर० नागपाल, प्रधानाचार्य, एन० आर० मुद्रण प्रौद्योगिक विद्यालय, इलाहाबाद	...
९ जनवरी, १९६३	श्री एच० एल० मेढ़, प्रधानाचार्य, राजकीय कला एवं शिल्प विद्यालय, लखनऊ	शेष पदों को पुनर्विज्ञापित करने का परामर्श दिया।
तदेव	श्री बी० एस० शर्मा, संयुक्त श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश	साक्षात्कार के पूर्व एक व्यावहारिक उप परीक्षा ली गई।
तदेव	श्री टी० एन० भाटिया, उप-उद्योग निदेशक, कानपुर	...

परिशिष्ट

चुनाव द्वारा भर्ती--

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिये बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किए गए अभ्यर्थियों की संख्या	चुने गए अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७
२५५	स० ना० चि० म०, आगरा में पेडियाट्रिक्स में व्याख्याता	१	११	८	४†	२
२५६	स० ना० चि० म०, आगरा में पेडियाट्रिक्स में प्रवाचक	१	१०	८	४†	१
२५७	उद्योग निदेशालय, उत्तर प्रदेश की पहाड़ी ऊन योजना के अन्तर्गत उत्पादन अधीक्षक	१	१६	७	६	२
२५८	सहायक उत्पादन अधीक्षक	४	३२	५	५	४
२५९	प्राविधिक सहायक	१	७	२	२	१
२६०	लेखा अधिकारी, राजकीय सूक्ष्म उपयन्त्र निर्माणशाला, लखनऊ	१	१	१	१	१
२६१	केन्द्रीय डिजाइन निदेशालय, लखनऊ (सिंचाई विभाग के अन्तर्गत) सहायक वास्तुविद्	२	९	९	४	३
२६२	शिक्षा प्रसार कार्यालय में कैमरा-मैन	१	३	३	३	२
२६३	राजकीय अभिलेखागार, उत्तर प्रदेश में प्रक्षेत्र सहायक	१	१०	६	३	१

३--(क्रमशः)

१९६२-६३

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	अभ्युक्ति
८	९	१०
१० जनवरी, १९६३	डा० पी० एन० तनेजा, पेडिया-ट्रिक्स के प्राध्यापक, अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली तथा डा० प्रीतम दास, प्रधानाचार्य, चि० म०, इलाहाबाद	तीन और अभ्यर्थियों के मामलों में उनकी अनुपस्थिति में विचार किया गया।
११ जनवरी, १९६३	श्री ए० पी० माथुर, उप उद्योग निदेशक (ग्राम उद्योग), उत्तर प्रदेश	....
११ जनवरी, १९६३	श्री एस० सी० सिंघल, उप महा-लेखाकार, इलाहाबाद	...
तदेव	श्री जे० पी० मित्तल, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश	...
१५ जनवरी, १९६३	श्री एस० डी० त्रिवेदी*, शिक्षाप्रसार अधिकारी, इलाहाबाद	*उपस्थित नहीं थे।
तदेव	श्री एम० जहीर*, निदेशक, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं वैज्ञानिक अनुसंधान	*तदेव

परिशिष्ट

चुनाव द्वारा भर्ती--

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किए गए अभ्यर्थियों की संख्या	चुने गए अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७
२६४	राजकीय संग्रहालय, लखनऊ के लिये फोटोग्राफर सहति-कलाकार	१	५	४	१	१
२६५	उद्योग निदेशालय, उत्तर प्रदेश के अधीन विभिन्न राजकीय प्राविधिक संस्थानों/बहुधंधी विद्यालयों में अध्यक्ष वैद्युत् अभियंत्रण विभाग	३	८	८	५	३
२६६	उत्तर प्रदेश राजकीय वेधशाला, नैनीताल में वरिष्ठ प्रविधिज्ञ तथा	१	२	२	१	१
२६७	ड्राफ्ट्समैन	१	१८	७	३	२
२६८	अ० शि० सेवा (महिला शाखा) में सहायक अध्यापिका (वाद्य संगीत)	२	४	४	४	३
२६९	प्रशिक्षित स्नातक वर्ग में सहायक अध्यापक (संगीत)	३	९	५	५	३
२७०	राज्य के रासायनिक परीक्षक, उत्तर प्रदेश	१	९	६	६	१

३—(क्रमशः)

१९६२–६३

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	अभ्युक्ति
८	९	१०
१५ जनवरी, १९६३	श्री एम० *जहीर, निदेशक, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं वैज्ञानिक अनुसंधान	*उपस्थित नहीं थे।
१५ एवं १६ जनवरी, १९६३	श्री बी० एन० मेहरोत्रा, अधीक्षण अभियन्ता (हाईडल), ट्रांसमिशन वृत्त, इलाहाबाद	...
१६ जनवरी, १९६३	डा० एस० डी० सिन्हवाल, निदेशक, उत्तर प्रदेश, राजकीय वेधशाला, नैनीताल	...
तदेव	डा० सितावर सरन, उप शिक्षा (प्रशिक्षण) निदशक, उत्तर प्रदेश, श्री जे० एन० पाठक, निबन्धक, प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद	...
तदेव	तदेव	..
१७ जनवरी, १९६३	डा० सी० आर० कृष्णमूर्ती, सहायक निदशक, केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, लखनऊ	..

परिशिष्ट

चुनाव द्वारा भर्ती—

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किए गए अभ्यर्थियों की संख्या	चुने गए अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७
२७१	सहकारिता विभाग के मुख्यालयों में जनसंपर्क अधिकारी	१	१७	९	९	१
२७२	सम्पादक "हूज हू" सूचना निदेशालय, उत्तर प्रदेश	१	४	३	३	१
२७३	उत्तर प्रदेश कृषि सेवा (कनिष्ठ वेतन-क्रम) के सेक्शन "सी" में सहायक ज्वार विशेषज्ञ एवं	१	७	६	३	१
२७४	सहायक बाजरा विशेषज्ञ	१	१०	९	६	२
२७५	पी० आर० ए० आई०, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कर्मचारिवर्ग में उद्योग विशेषज्ञ	१	५	४	३	१
२७६	स० ना० चि० म०, आगरा में औषधि में व्याख्याता	१	१०	८	३	२
२७७	निदेशक, क्षयरोग प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण केन्द्र, आगरा	१	५	२	२	१
२७८	विविध राजकीय प्राविधिक संस्थानों/राजकीय बहुधंधी विद्यालयों में वरिष्ठ ड्राइंग इन्स्ट्रक्टर (सिविल) एवं	२	२१	९	६	३
२७९	वरिष्ठ ड्राइंग इन्स्ट्रक्टर (यान्त्रिकी)	४	१८	६	५	४

३—(क्रमशः)

१९६२–६३

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	अभ्युक्ति
८	९	१०
१७ जनवरी, १९६३	श्री एस० इफ्तिखार हुसेन, निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश एवं शंकरदयाल श्रीवास्तव, सहायक संपादक (लीडर), इलाहाबाद	...
तदेव	श्री ए० बी० मलिक, सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश एवं श्री राम गोपाल, सहायक संपादक, 'लीडर', इलाहाबाद	...
१८ जनवरी	डा० वाई० आर० मेहता, अर्थ वनस्पतिविद् (रबी फसलें तथा आलू), उत्तर प्रदेश, कानपुर	...
तदेव	श्री एस० दीक्षित, संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश	...
तदेव	डा० बी० एन० मित्तल, औषधि में प्रवाचक, चि० म०, इलाहाबाद	...
तदेव	डा० आर० एन० टन्डन, अवकाश प्राप्त क्षय रोग के प्राध्यापक, बटलर रोड, लखनऊ	...
२१ जनवरी, १९६३	श्री जी० एस० श्रीवास्तव, प्रधानाचार्य, राजकीय बहुधंधी विद्यालय, बरेली	..

परिशिष्ट

चुनाव द्वारा भर्ती—

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किए गए अभ्यर्थियों की संख्या	चुने गए अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७
२८०	पी० आर० ए० आई०, उत्तर प्रदेश के कर्मचारिवर्ग में स्वच्छता तथा स्वास्थ्य शिक्षा के विशेषज्ञ के कनिष्ठ सहयुक्त	१	२	१	१	१
२८१	कर्मशाला अधीक्षक, राजकीय नव डिप्लोमा संस्थान, बरेली/झांसी	२	२	२	१	१
२८२	एल० टी० ग्रेड में सहायक अध्यापक (इतिहास)	२०	३०२	५१	३१	२६
२८३	अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राजपत्रित) में प्रधानाध्यापक, राजकीय मूक-बधिर विद्यालय, बरेली	१	१३	१२	१०*	२
२८४	वन विभाग में संख्या अधिकारी	१	१०	६	५	२
२८५	उत्तर प्रदेश कृषि सेवा (कनिष्ठ वेतन क्रम) के 'सी' सेक्शन में सहायक भू-रसायनविद्	१	१७	१३	९	१
२८६	राजकीय उपाधि महाविद्यालयों के लिये—					
	(क) वनस्पति विज्ञान	२	८	५	४	१*
	(ख) प्राणि विज्ञान में कनिष्ठ व्याख्याता	२	१०	७	२	२

३—(क्रमशः)

१९६२-६३

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	अभ्युक्ति
८	९	१०
२१, जनवरी १९६३	डा० राम दास, निदेशक, पी० आर० ए० आई०, उत्तर प्रदेश	...
२१ जनवरी, १९६३	श्री जी० एस० श्रीवास्तव, प्रधानाचार्य, राजकीय पालीटेक्निक, बरेली	दूसरे पद को पुनर्विज्ञापित किया गया।
२१ एवं २२ जनवरी, १९६३	श्री एच० एच० उस्मानी, सहायक शिक्षा (प्राथमिक) निदेशक, इलाहाबाद	...
२२ जनवरी, १९६३	श्री बी० एस० स्याल, उप शिक्षा (सेवायें) निदेशक, उत्तर प्रदेश	एक और पर उसकी अनुपस्थिति में विचार किया गया।
तदेव	श्री जे० एन० सिंह, वन कन्जर्वेटर (मुख्यालय), लखनऊ	...
२३ जनवरी, १९६३	डा० सी० एल० मेहरोत्रा, उत्तर प्रदेश राज्य के कृषि रसायनविद्	...
तदेव	डा० ए० पी० मेहरोत्रा, वनस्पति विज्ञान के प्राध्यापक, रा० उ० म०, नैनीताल	*दूसरे पद को पुनर्विज्ञापित करने का परामर्श दिया।
तदेव	डा० ओ० एन० श्रीवास्तव, प्राणि-विज्ञान के प्राध्यापक, रा० उ० म०, ज्ञानपुर	...

परिशिष्ट

चुनाव द्वारा भर्ती—

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किए गए अभ्यर्थियों की संख्या	चुने गए अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७
२८७	वि० अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापक (संस्कृत)	६	९६	१३	११	४*
२८८	उत्तर प्रदेश कृषि सेवा (कनिष्ठ वेतन-क्रम) के सेक्शन "सी" में गन्ना अनुसंधान स्टेशन, गोला-गोकरननाथ में गन्ना एग्रोनामिस्ट	१	११	९	८	२
२८९	उत्तर प्रदेश कृषि सेवा (वरिष्ठ वेतन-क्रम), लखनऊ मुख्यालय में सस्य क्रिया शारीरविद्	१	१३	७	५	२
२९०	उत्तर प्रदेश पशुपालन निदेशक के मुख्यालय में अतिरिक्त लेखाधिकारी	१	४७	२०	१९	४
२९१	लेखा अधिकारी, केन्द्रीय दुग्धशाला प्रक्षेत्र, अलीगढ़	१				
२९२	विवेकानन्द प्रयोगशाला, अल्मोड़ा में सहायक ज्वार विशेषज्ञ	१	६	२	२	२
२९३	उत्तर प्रदेश पशुपालन निदेशालय के अधीन वीर्य एकत्रीकरण स्टेशनों के प्रभारी अधिकारी	५	२०	१४	१०	५
२९४	उत्तर प्रदेश कृषि निदेशक के मुख्यालय में अनुसंधान नियोजन-सहित-समन्वय अधिकारी	१	२३	६	६	२

३ (क्रमशः)

१९६२–६३

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	अभ्युक्ति
८	९	१०
२३ जनवरी, १९६३	डा० एस० एन० शास्त्री, संस्कृत के प्राध्यापक, रा० उ० म०, ज्ञानपुर	* दूसरे पद को पुनर्विज्ञापित करने का सुझाव दिया।
तदेव	डा० आर० के० टन्डन, अतिरिक्त कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश	...
२४ जनवरी, १९६३	श्री बोशी सेन, निदेशक, विवेकानन्द प्रयोगशाला, अल्मोड़ा	...
तदेव	श्री वीरेन्द्र ,उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वित्त विभाग, लखनऊ	...
तदेव	श्री बोशी सेन, निदेशक, विवेकानन्द प्रयोगशाला, अल्मोड़ा	...
२५ जनवरी, १९६३	श्री एच० के० लाल, अतिरिक्त निदेशक, पशुपालन, उत्तर प्रदेश	..
तदेव	डा० आर० के० टंडन, अतिरिक्त कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश	..

परिशिष्ट

चुनाव द्वारा भर्ती—

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किए गए अभ्यर्थियों की संख्या	चुने गए अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७
२९५	चित्रकला अध्यापक, राजकीय औद्योगिक तथा प्राविधिक संस्थान, मेरठ	१	११	६	३	२
२९६	उत्तर प्रदेश श्रमायुक्त के कार्यालय में परिलेख सहायक	१	३४	१०	४	२
२९७	राजकीय मृद्भाण्ड विकास केन्द्र, चुनार की विस्तार योजना मे प्रतिरूपक तथा परिकल्पक	१	९	५	४	२
२९८	माडल वायरनेटिंग यूनिट, वाराणसी में रासायनिक, तथा	१	२	१	१	
२९९	प्राविधिक पर्यवेक्षक	२	१	१	१	
३००	प्लास्टिक वस्तु योजना, इटावा में अनुदेशक	१	१	१	१	
३०१	वुड सीजनिंग प्लान्ट, लाहाबाद व बरेली के लिये किल्न आपरेटर	६	१२	८	६	
३०२	वुड सीजनिंग प्लान्ट, इलाहाबाद व बरेली के लिये ब्वायलर मैन	६	१२	११	७	
३०३	चल बढ़ईगीरी योजना में काष्ठ-कला अनुदेशक	१	११	१०	८	
३०४	चल लोहारी दूकानों के लिये निदर्शक सहित अनुदेशक	२	२०	९	६	

३–(क्रमशः)

१९६२–६३

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	अभ्युक्ति
८	९	१०
२८ जनवरी, १९६३	श्री जी० एस० शर्मा,* प्रधानाचार्य, राजकीय पालीटेक्निक, बरेली	*बीमारी के कारण आ नहीं सके।
तदेव	श्री उदय बीर सिंह, उप श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश	..
तदेव	श्री बी० बी० भाटिया, विकास अधिकारी (शीशा), उत्तर प्रदेश निदेशालय	..
२८ व २९ जनवरी, १९६३	श्री सी० नारायण, विकास अधिकारी (प्राविधिक), उत्तर प्रदेश उद्योग निदेशालय के अधीन	*पद को पुनर्विज्ञापित करने का सुझाव दिया।

परिशिष्ट

चुनाव द्वारा भर्ती--

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किए गए अभ्यर्थियों की संख्या	चुने गए अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७
३०५	उत्तर-प्रदेश उद्योग निदेशालय के अधीन प्राविधिक संस्थानों में नक्शानवीस (विद्युत्)	२	१	१	१	१*
३०६	राजकीय पालीटेक्निक, झांसी में अभियन्त्रण में अनुदेशक	१	१	१	१	१
३०७	उत्तर प्रदेश उद्योग निदेशालय के अधीन कर्मशाला अनुदेशक (लोहारी), तथा	२	१८	११	१०	३
३०८	कर्मशाला अनुदेशक (बढ़ईगीरी)	१	११	६	४	१
३०९	राजकीय पालीटेक्निक, गोरखपुर में गणित में व्याख्याता	१	६	६	४	१
३१०	श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में कल्याण निरीक्षिका	५	५९	३६	२५	८
३११	उत्तर प्रदेश उद्योग निदेशालय के अन्तर्गत उप-उद्योग निदेशक (भांडार)	१	३१	१५	१३*	१

३—(क्रमशः)

१९६२–६३

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	अभ्युक्ति
८	९	१०
२९ जनवरी, १९६३	श्री जी० एस० श्रीवास्तव, प्रधानाचार्य, राजकीय पालीटेक्निक, बरेली	*पद पुनर्विज्ञापित करने का सुझाव दिया ।
तदेव	तदेव	..
२९ व ३० जनवरी, १९६३	तदेव	..
३० जनवरी, १९६३	तदेव	..
३० व ३१ जनवरी, १९६३	श्री पी० एन० चतुर्वेदी, अतिरिक्त श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश	..
१ फरवरी, १९६३	श्री एम० समीउद्दीन, उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश	*एक और पद उसकी अनुपस्थिति में विचार किया गया ।

परिशिष्ट

चुनाव द्वारा भर्ती--

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किए गए अभ्यर्थियों की संख्या	चुने गए अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७
३१२	राजकीय मृद्भाण्ड विकास केन्द्र, खुर्जा के विस्तार की योजना के अन्तर्गत वरिष्ठ यांत्रिक फोरमैन	२	१३	५	२	१*
३१३	श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में सर्वेयर	१	१८	१	१	१
३१४	राज्य संग्रहालय, लखनऊ तथा पुरातत्व संग्रहालय, मथुरा के लिये पुस्तकाध्यक्ष	२	७	३	२	२
३१५	उत्तर प्रदेश कृषि सेवा (निम्न वेतनक्रम) के सेक्शन 'सी' में जीवाणुविद्	१	१५	१०	८	२
३१६	उत्तर प्रदेश कृषि सेवा (निम्न वेतनक्रम) के सेक्शन 'सी' में विरोलाजिस्ट	१	११	६	६	१
३१७	उत्तर प्रदेश कृषि सेवा (निम्न वेतनक्रम) के सेक्शन 'सी' में सहायक पौध व्याधिविद्	१	२१	८	५	१
३१८	उत्तर प्रदेश कृषि सेवा (निम्न वेतनक्रम) के सेक्शन 'सी' में सिस्टेमेटिक कवकविद्	१	१९	११	८	२

३—(क्रमशः)

१९६२-६३

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	अभ्युक्ति
८	९	१०
४ फरवरी, १९६३	डा० टी० एन० शर्मा, मृदभान्ड विकास अधिकारी, खुर्जा	*दूसरे पद को पुर्नविज्ञापित करने का परामर्श दिया गया।
तदेव	श्री जीवनलाल, अधिशासी अभियन्ता, कार्यालय, श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर	.
तदेव	श्री एम० जहीर, निदेशक, सांस्कृतिक कार्य तथा वैज्ञानिक अनुसंधान, उत्तर प्रदेश	..
तदेव	डा० आर० एस० माथुर, उत्तर प्रदेश शासन के पौध व्याधिविद्	..
तदेव	तदेव	..
तदेव	तदेव	..
तदेव तथा २६ मार्च, १९६३	तदेव	

परिशिष्ट

चुनाव द्वारा भर्ती--

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किए गए अभ्यर्थियों की संख्या	चुने गए अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७
३१९	पं० जे० जे० पालीटेक्निक, अल-मोड़ा में चित्रकला अध्यापक	१	२८	१०	९	२
३२०	चीनी मिट्टी की अग्रगामी अनु-संधान तथा संरक्षण प्रयोग-शाला, खुर्जा में अनुसंधान सहायक (डिजाइन)	१	६	४	४	१
३२१	उत्तर प्रदेश उद्योग निदेशालय के अधीन व्यापार चिन्ह उल्लंघन तथा नकली वस्तुओं की बिक्री को रोकने की योजना के विस्तार के अधीन नियंत्रक (मुख्यालय)	१	१४	२	२	१
३२२	व्यापार चिन्ह उल्लंघन तथा नकली वस्तुओं की बिक्री को रोकने की योजना में निरीक्षक	५	५०	२९	१४	७
३२३	राजकीय कृषि महाविद्यालय, कान-पुर में प्राणिशास्त्र तथा कीट विज्ञान में प्राध्यापक	१	१०	९	७	२
३२४	का० न० राजकीय डिग्री महा-विद्यालय, ज्ञानपुर/ठा० देवसिंह विष्ट राजकीय डिग्री महा-विद्यालय, नैनीताल में वनस्पति विज्ञान में व्याख्याता	१	६	३	२	१

३—(क्रमशः)

१९६२–६३

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	अभ्युक्ति
८	९	१०
४ फरवरी, १९६३	श्री आर० के० शर्मा, प्रधानाचार्य, राजकीय केन्द्रीय काष्ठकला विद्यालय, बरेली	..
तदेव	डा० टी० एन० शर्मा, मृद्भान्ड विकास अधिकारी, खुर्जा	..
तदेव	श्री पी० एन० अग्रवाल, संयुक्त उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश	..
४ व ५ फरवरी, १९६३	तदेव	..
५ फरवरी, १९६३	डा० एस० प्रधान, कीट विज्ञान प्रभागाध्यक्ष, आई० ए० आर० आई०, नई दिल्ली	..
तदेव	डा० आर० एन० टंडन, प्राध्यापक, वनस्पति विज्ञान, प्रयाग विश्व–विद्यालय, प्रयाग	..

परिशिष्ट

चुनाव द्वारा भर्ती--

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अभ्यार्थियों की संख्या	साक्षात्कार किए गए अभ्यार्थियों की संख्या	नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७
३२५	श्रमायुक्त के कार्यालय में अनुसंधान सहायक	१	५७	१२	७	२
३२६	राजकीय केन्द्रीय वस्त्र संस्थान, कानपुर में बुनाई में व्याख्याता	१	४	२	१	१
३२७	रंगाई तथा छपाई में व्याख्याता, तथा	१	२	२	१	१
३२८	कर्घा में अनुदर्शक	१	३	१	१	१
३२९	यांत्रिक अभियंत्रणमें व्याख्याता,	४	६	६	४	३*
३३०	असैनिक अभियंत्रण में व्याख्याता, तथा	३	२	१	१	१*
३३१	विद्युत् अभियंत्रण में व्याख्याता, राजकीय पालीटेक्निक, कानपुर में	२	४	३	१	१*
३३२	उत्तर प्रदेश निदेशालय के अधीन छुरी-कैंची निर्माण योजना की पुनस्संघटन एवं विस्तार योजना में धातुविद्	३	३	३	३	३
३३३	ग्रूप मैनेजर, रोडवेज सेन्ट्रल वर्क-शाप, कानपुर	१	२	२	२	२

३—(क्रमशः)

१९६२–६३

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	अभ्युक्ति
८	९	१०
६ फरवरी, १९६३	डा० बंशीधर, दक्षता परामर्शद, श्रम संगठन, उत्तर प्रदेश	..
६ फरवरी, १९६३	श्री ई० डी० दारुवाला, प्रधानाचार्य, राजकीय केन्द्रीय वस्त्र संस्थान, कानपुर	..
	श्री आर० के० बासु, मुख्य अभियंता, राजकीय रोडवेज, सेंट्रल वर्कशाप, कानपुर	
६ व ७ तथा १५ फरवरी, १९६३	श्री जे० के० सक्सेना, अधीक्षण अभियन्ता, सा० नि० वि०, इलाहाबाद	
	अधीक्षण अभियन्ता (जल–विद्युत्), रिहन्द जलविद्युत्, प्रेषण वृत्त, इलाहाबाद	
		*विभिन्न अभियन्त्रण सेवाओं के संवर्गों में इन पदों के समुच्चयन तथा इन पदों के पदधारियों के लिये अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्य–क्रम खोलने का परामर्श दिया।
७ फरवरी, १९६३	श्री आर० के० बसु, मुख्य अभियन्ता, रोडवेज केन्द्रीय कर्मशाला, कानपुर	...
८ फरवरी, १९६३	श्री एम० एम० गुप्त, उप परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश	...

परिशिष्ट

चुनाव द्वारा भर्ती—

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किए गए अभ्यर्थियों की संख्या	चुने गए अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७
३३४	पी० आर० ए० आई०, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कर्मचारिवर्ग में सहकारिता में विशेषज्ञ के कनिष्ठ सहयुक्त	१	१८	११	८	१
३३५	पी० आर० ए० आई०, उत्तर प्रदेश लखनऊ के कर्मचारिवर्ग में ग्राम्य जीवन विश्लेषक के वरिष्ठ सहयुक्त	१	१८	९	६	२
३३६	अधीनस्थ शिक्षासेवा (एल० टी० ग्रेड) में मेट्रन	१	२	२	२	१
३३७	एच० बी० टी० आई०, कानपुर में स्टोरकीपर (रासायनिक तथा साधित्र)	१	५	३	२	१
३३८	राजकीय मृद्भाण्ड विकास केन्द्र, खुर्जा में मृद्भाण्ड उद्योग योजना के अन्तर्गत प्रयोगशाला सहायक	२	३	२	२	२
३३९	राजकीय औद्योगिक तथा प्राविधिक संस्थान, लखनऊ में मोटर मेकेनिक इन्स्ट्रक्टर	१	७	४	३	१
३४०	राजकीय ज्योतिष वेधशाला, नैनीताल में पुस्तकाध्यक्ष	१	३	२	१	१

३—(क्रमशः)

१९६२–६३

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	अभ्युक्ति
८	९	१०
८ फरवरी, १९६३	डा० रामदास, निदेशक, पी० आर० ए० आई०, उत्तर प्रदेश	...
तदेव	तदेव	..
११ फरवरी, १९६३	श्रीमती पी० रस्तोगी, क्षेत्रीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, इलाहाबाद	..
तदेव	डा० सी० आर० मित्रा, उप प्रधानाचार्य, एच० बी० टी० आई०, कानपुर	...
तदेव	श्री बी० बी० भाटिया, विकास अधिकारी (शीशा), कानपुर	...
तदेव	श्री जे० आर० मानसिंह, प्रधानाचार्य, राजकीय पालीटेक्निक, कानपुर	..
तदेव	डा० एस० डी० सिन्हवल, निदेशक, राज्य वेधशाला, नैनीताल	...

परिशिष्ट

चुनाव द्वारा भर्ती--

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किए गए अभ्यर्थियों की संख्या	चुने गए अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७
३४१	श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में लेखा निरीक्षक	३	५०	२२	१०	४
३४२	जूनियर टेक्निकल स्कूलों के लिए जूनियर टेक्निकल कोर्स के अध्यक्ष तथा अभियंत्रण में अनुदेशक	८	१५	१४	१४	१२
३४३	श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में दक्षता अनुभाग में लागत लेखा अधिकारी	१	३	१	१	१
३४४	खनिकर्म अभियन्ता-सहित-सहायक पाषाण खनि प्रबन्धक, राजकीय सीमेंट फैक्टरी, चुर्क	१	४	३	२	१
३४५	सहायक अध्यापक (नागरिकशास्त्र) एल० टी० ग्रेड में	१०	२६५	४७	३२	१४
३४६	उत्तर प्रदेश कृषि सेवा (क्लास २) में जिला कृषि अधिकारी; तथा	१७	४३३	१७२	१४१	१७+ ५+
३४७	प्रक्षेत्र प्रबन्ध अधिकारी	५	१५८	९७		४+

३—(क्रमशः)

१९६२—६३

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	अभ्युक्ति
८	९	१०
१२ फरवरी, १९६३	श्री उदय बीर सिंह, उप श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश	...
१३ फरवरी, १९६३	डा० कृपाशंकर, उप निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश	...
तदेव	श्री एस० वेंकटरमन, मुख्य लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्, लखनऊ	...
तदेव	श्री एन० पी० भटनागर, निदेशक, राजकीय सीमेंट फैक्टरी, चुर्क, तथा श्री रवि प्रकाश, भूगर्भ-शास्त्री, भूगर्भ शास्त्र एवं खनि-कर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश	..
१३, १४ व १८ फरवरी, १९६३	श्री डी० डी० तिवारी, प्रधानाचार्य, राजकीय केन्द्रीय अध्यापन विज्ञान संस्थान, इलाहाबाद	..
१३, १४, १५, १८, २०, २१, २५, २७, २८, फरवरी तथा २ व २० मार्च, १९६३	डा० आर० आर० अग्रवाल, कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, तथा डा० आर० के० टंडन, अतिरिक्त कृषि निदेशक, बारी-बारी से	+इन दोनों पदों के लिये चार और अभ्यर्थी आरक्षित सूची में संस्तुत किये गये।

परिशिष्ट

चुनाव द्वारा भर्ती—

क्रम-संख्या	सेवा या पद नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किए गए अभ्यर्थियों की संख्या	चुने गए अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७
३४८	सहायक विकास अधिकारी (लघु-अभियंत्रण उद्योग)	१	७	७	७	२
३४९	सहायक लेखा अधिकारी, राजकीय प्रेसीजन इन्स्ट्रूमेंन्ट्स फैक्टरी, लखनऊ	१	३२	७	७	२
	सेठ गंगा सागर जटिया राजकीय प्राविधिक संस्थान, खुर्जा में—					
३५०	यांत्रिक अभियंत्रण में व्याख्याता	१	३	२	२	२
३५१	विद्युत् अभियंत्रण में व्याख्याता	१	१०	८	६	२
३५२	असैनिक अभियंत्रण में व्याख्याता	१	६	६	२	२
	श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश के अधीन—					
३५३	मुख्य अन्वेषक, तथा	१	२३	१३	९	३
३५४	वरिष्ठ अनुसंधान सहायक	१	३७	१२	६	२
३५५	समाज कल्याण विभाग में प्रोबेशन अफसर	१५	४३८	६७	५५	२५
	अधीनस्थ गन्ना सेवा में—					
३५६	सहायक गन्ना रक्षा निरीक्षक, तथा	४५	२४८	१७९	१२०*	५५
३५७	खाद निरीक्षक	७	१७	१४	९	७

३—(क्रमशः)

१९६२–६३

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	अभ्युक्ति
८	९	१०
१४ फरवरी, १९६३	श्री ए० आर० कपूर, विकास अधिकारी (लघु अभियन्त्रण उद्योग), उत्तर प्रदेश	..
तदेव	श्री एस० सी० बनर्जी, वरिष्ठ उप महालेखाकार, उत्तर प्रदेश	..
१५ फरवरी, १९६३	श्री सूरज भान, प्रधानाचार्य, सेठ गंगा सागर जटिया राजकीय पालीटेक्निक, खुर्जा	..
१५ फरवरी, १९६३	श्री उदय बीर सिंह, अतिरिक्त श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश	..
१८ से २१ फरवरी, १९६३	श्री एस० एन० गांगुली, निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश	..
१८–२१, २५ तथा २६ फरवरी, १९६३	श्री जी० पी० कपूर उप गन्ना आयुक्त (विकास), उत्तर प्रदेश	*एक और अभ्यर्थी पर उसकी अनुपस्थिति में विचार किया गया।

परिशिष्ट

चुनाव द्वारा भर्ती—

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किए गए अभ्यर्थियों की संख्या	चुने गए अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७
३५८	श्रम विभाग में कल्याण निरीक्षक	२	१०५	२१	१७	३
३५९	उत्तर प्रदेश सहकारिता सेवा मे सहायक कृषि अधिकारी	१	४२	१०	५	२
३६०	स० ना० चिकित्सा महाविद्यालय, आगरा में शरीर क्रिया शास्त्र म प्रवाचक	१	२	२	२	१
३६१	उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निदेशालय में सहायक निदेशक, समाज कल्याण (महिला)	१	२५	८	५	३
३६२	मुद्रा अधिकारी, राज्य संग्रहालय, लखनऊ	१	२	१	१	१
३६३	अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तर प्रदेश में सहायक ग्राफ कलाकार	३	१०	५	५	४
	लकड़ी के खिलौने तथा प्रतिरूप निर्माण केन्द्र, सुल्तानपुर में—					
३६४	अधीक्षक क्राफ्ट्समैन, तथा	१	१५	३	२	२
३६५	वरिष्ठ अनुदेशक	१	१३	१	१	१

३—(क्रमशः)

१९६२–६३

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई	अभ्युक्ति
८	९	१०
१९ फरवरी, १९६३	श्री पी० एन० चतुर्वेदी, अतिरिक्त श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश	..
२५ फरवरी, १९६३	डा० आर० के० टंडन, अतिरिक्त कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश	..
तदेव	डा० यू० आर० भारद्वाज, प्राध्यापक, शरीर क्रिया शास्त्र, चिकित्सा महाविद्यालय, इलाहाबाद	.
२८ फरवरी, १९६३	श्री एस० एन० गांगुली, निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश	..
तदेव	श्री एम० जहीर, निदेशक, सांस्कृतिक कार्य व वैज्ञानिक अनुसंधान, उत्तर प्रदेश	..
१ मार्च, १९६३	श्री जे० के० पांडे, निदेशक, आर्थिक अभिसूचना एवं संख्या, उत्तर प्रदेश	..
तदेव	श्री लक्ष्मी चन्द, निदेशक, केन्द्रीय डिजाइन केन्द्र, लखनऊ	..
	..	..

परिशिष्ट

चुनाव द्वारा भर्ती—

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किए गए अभ्यर्थियों की संख्या	चुने गए अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७
३६६	उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा महा-विद्यालय, मथुरा में विस्तार के सहायक प्राध्यापक	१	१४	४	४	२
३६७	उत्तर प्रदेश उद्योग निदेशक के अधीन— वरिष्ठ अन्वेषक, तथा	२	३१	१६	१२	४
३६८	कनिष्ठ अन्वेषक	५	२६	१४	१२	८
३६९	उत्तर प्रदेश उद्योग निदेशालय के अधीन सहायक उद्योग निदेशक (अधिष्ठान)	१	६४	११	८	१
३७०	परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश में लेखा अधिकारी	२	५६	१५	११	३
३७१	परिवहन विभाग में सहायक लेखा अधिकारी	२	२३१	२३	१८	५
३७२	उत्तर प्रदेश उद्योग निदेशालय के अधीन राजकीय काष्ठकला विद्यालयों के लिये काष्ठकला अनुदेशक	१	२२	९	९	२

३—(क्रमशः)

१९६२–६३

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	अभ्युक्ति
८	९	१०
४ मार्च, १९६३	श्री सी० बी० जो० चौधरी, प्रधानाचार्य, पशुचिकित्सा महाविद्यालय, मथुरा	..
५ व ६ मार्च, १९६३	श्री कुंवर सिंह, उप उद्योग निदेशक (सी०आई०), कानपुर	..
४ मार्च, १९६३	श्री एम० समीउद्दीन, उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश	.
५ मार्च, १९६३	श्री एस० वेंकटरमन, मुख्य लेखा अधिकारी, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश	..
५ व ६ मार्च, १९६३	तदेव	..
६ मार्च, १९६३	श्री जी० एस० श्रीवास्तव, प्रधानाचार्य, राजकीय पालीटेक्निक, बरेली	..

परिशिष्ट

चुनाव द्वारा भर्ती—

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किए गए अभ्यर्थियों की संख्या	चुने गए अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७
३७३	चित्रकला अध्यापक, राजकीय औद्योगिक तथा प्राविधिक विद्यालय, गोरखपुर	१	७	२	१	१
३७४	नक्शानवीस (यांत्रिक), राजकीय पालीटेक्निक, लखनऊ	१	६	३	२	१
३७५	प्रधानाचार्य, भू-संरक्षण प्रशिक्षण केन्द्र, मुजफ्फराबाद (सहारनपुर)	१	१५	१०	८	२
३७६	पी० आर० ए० आई०, उत्तर प्रदेश के कर्मचारिवर्ग में महिला कार्यक्रम में विशेषज्ञ	१	१३	६	४	१
३७७	प्रशिक्षण तथा सेवा-योजन विभाग, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिये—प्राविधिक अधिकारी, तथा	३१	४१	३४	१७	*८
३७८	प्रधानाचार्य/उप प्रधानाचार्य					
३७९	भू-गर्भशास्त्र एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश के लिये—					
	खनिकर्म निरीक्षक; तथा	२	१३	१२	९	३
३८०	सर्वेयर	१	८	६	२	२
३८१	प्रभागीय उद्योग अधीक्षक, उत्तर प्रदेश	३	३९	१७	१३	४

३—(क्रमशः)

१९६२–६३

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	अभ्युक्ति
८	९	१०
६ मार्च, १९६३	श्री जी० एस० श्रीवास्तव, प्रधानाचार्य, राजकीय पालीटेक्निक, बरेली	..
तदेव	तदेव	..
७ मार्च, १९६३	डा० राम दास, निदेशक, पी० आर० ए० आई०, लखनऊ	..
तदेव	तदेव	..
७ व ८ मार्च, १९६३	श्री एन० एल० गुप्त, मोतीलाल नेहरू अभियंत्रण महाविद्यालय, इलाहाबाद	*शेष रिक्तियों को पुनर्विज्ञापित करने का सुझाव दिया गया।
८ मार्च, १९६३	डा० कृष्ण मोहन, निदेशक, भूगर्भ-शास्त्र एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश	..
१३ व १४ मार्च, १९६३	श्री एम० वरदाराजन, संयुक्त उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश	..

परिशिष्ट

चुनाव द्वारा भर्ती –

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किए गए अभ्यर्थियों की संख्या	चुने गए अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७
३८२	सहायक अध्यापक (संस्कृत), अधीनस्थ शिक्षा सेवा (प्रशिक्षित स्नातक वर्ग) में	१०	१४०	६४	५०	१२
३८३	(क) कान, नाक तथा गला	६	८	८	८	६
	(ख) क्षयरोग	२०	२६	२२	२०	१६†
	(ग) रेडियोलाजी	८	१०	१०	९	७†
	(घ) मेन्टल स्पेशलिटी	१	४	३	३	३
	(ङ) निश्चेतन विज्ञान	१३	८	७	७	६†
	(च) औषधि	८	९०	५७	३९*	१५
	(छ) सर्जरी	८	७५	४५	२६	१५
	(ज) उच्च विकलांग विद्या में पी० एम० एस० १ में चिकित्साधिकारी	५	२७	१७	१४*	१०
३८४	उत्तर प्रदेश फलोपयोग निदेशक के अधीन अधीनस्थ सेवा (ग्रुप १) में सहायक रसायनविद्	२	५	३	३	३
३८५	राजकीय यूनानी दवाखानों में चिकित्सा अधिकारी (हकीम)	१८	४४	४३	३६	२४

३—(क्रमशः)

१९६२–६३

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	अभ्युक्ति
८	९	१०
१३, १४, १५, १८ तथा १९ मार्च, १९६३	प्रो० सी० बी० एल० गुप्त, राजकीय डिग्री महाविद्यालय, ज्ञानपुर प्रो० डा० आर० एन० मिश्र, चि० म०, लखनऊ	†शेष पदों के पुर्नविज्ञापन का परामर्श दिया।
१३ से १५ मार्च, १९६३	डा० डी० पी० मित्तल, प्रवाचक, क्षय रोग, चि० म०, कानपुर तथा डा० एम० अजमल खां, सिविल सर्जन, इलाहाबाद डा० पी० के० हल्दर, प्राध्यापक, रेडियोलाजी, चि० म०, आगरा डा० के० सी० दुबे, अधीक्षक, मेन्टल अस्पताल, आगरा डा० आर० पी० बुडोला, प्राध्यापक, चि० म०, लखनऊ	*चार और पर उनकी अनुपस्थिति में विचार किया गया।
१३ से १५ तथा १८ व २१ मार्च, १९६३	डा० के० सी० माथुर, औषधि में प्राध्यापक, स० ना० चि० म०, आगरा डा० आर० बी० सिंह, प्रधानाचार्य, चि० म०, लखनऊ, तदेव	*एक और पर उसकी अनुपस्थिति में विचार किया गया।
१९ मार्च, १९६३	श्री डब्ल्यू० बी० दाते, उपनिदेशक, फलोपयोग, उत्तर प्रदेश	*बाद में संस्तुति रद्द कर दी गई और पुनरीक्षित संस्तुति बाद में भेजी जायगी।
२० व २१ मार्च, १९६३	हकीम श्री अब्दुल लतीफ साहब, झबिया टोला, लखनऊ	

परिशिष्ट

चुनाव द्वारा भर्ती--

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किए गए अभ्यर्थियों की संख्या	... अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७
३८६	सहायक विकास अधिकारी (उद्योग) ग्रेड--१	३०	१,८२२	२०५	१७४	५१
३८७	उत्तर प्रदेश उद्योग निदेशालय के भारी उद्योग अनुभाग में लाइ-सेंसिंग परीक्षक	१	९	५	५	१
३८८	सा० नि० वि० अनुसंधान संस्थान, लखनऊ में कनिष्ठ सहायक रसायनविद्	३	७	५	४	२*
३८९	राजकीय पालीटेक्निक्स, उत्तर प्रदेश में प्रथम अनुदेशक	१	८	५	३	२
३९०	राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय, लखनऊ में क्राफ्ट्स तथा अप्लाइड आर्ट्स के सहायक प्राध्यापक	१	२२	७	५	१
३९१	राजकीय पालीटेक्निक, गोरखपुर/लखनऊ में असैनिक अभियंत्रण के अध्यक्ष	२	८	७	५	२
३९२	राजकीय पालीटेक्निक, गोरखपुर/लखनऊ में कर्मशाला अधीक्षक	१	४	४	२	२
३९३	उत्तर प्रदेश श्रमायुक्त के कार्यालय में मुख्य अन्वेषक	३	८४	१९	१७	६

३—(क्रमशः)

१९६२–६३

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	अभ्युक्ति
८	९	१०
२० से २२, २५ से २९ मार्च तथा ३ व ४ अप्रैल, १९६३	श्री बलवन्त सिंह, संयुक्त उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद	..
२२ मार्च, १९६३	श्री जी० एन० मेहरा, संयुक्त उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश	..
तदेव	श्री जी० दयाल, अधिशाशी अभियन्ता, प्राविंशियल प्रभाग, इलाहाबाद	*शेष पदों के पुनर्विज्ञापन का परामर्श दिया गया।
२२ मार्च, व ८ अप्रैल, १९६३	श्री जी० एस० श्रीवास्तव, प्रधानाचार्य, राजकीय पालीटेक्निक, बरेली	..
२५ मार्च, १९६३	श्री ए० के० हल्दर, अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य, राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय, लखनऊ	..
२६ मार्च, १९६३	श्री पी० एन० श्रीवास्तव, उप-मुख्य अभियन्ता, सा० नि० वि०, उत्तर प्रदेश	..
तदेव	श्री आर० के० बसु, मुख्य यांत्रिक अभियन्ता, राजकीय रोडवेज केन्द्रीय कर्मशाला, कानपुर	..
तदेव	श्री उदय बीर सिंह, उप श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश	..

परिशिष्ट

चुनाव द्वारा भर्ती—

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किए गए अभ्यर्थियों की संख्या	चुने गए अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७
३९४	उत्तर प्रदेश कृषि सेवा, वरिष्ठ वेतनक्रम के सेक्शन 'सी' में क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशनों के लिये अग्रोनामिस्ट	५	६८	४४	३६	७
३९५	उद्यान कर्म अनुसंधान संस्थान, सहारनपुर में अनुसंधान अधिकारी	१	६	२	२	१
३९६	उत्तर प्रदेश कृषि सेवा (निम्न वेतन-क्रम) के सेक्शन 'ई' में सहायक तरकारी विशेषज्ञ	१	२६	१०	७	२
३९७	विज्ञान में कनिष्ठ इन्स्ट्रक्टर	२	६	६	४	२
३९८	ड्राइंग इन्स्ट्रक्टर					
	(क) यान्त्रिकी अभियन्त्रण	१	३	२	१	१
	(ख) सिविल अभियन्त्रण	१	७	६	५	२
३९९	विभिन्न राजकीय पालीटेक्निक्स/औद्योगिक/प्राविधिक संस्थानों में ड्राफ्ट्स मैन (सिविल)	१	१०	५	३	२
४००	औषधि में प्राध्यापक, ग० शं० वि० स्मारक चि० महाविद्यालय, कानपुर	१	२	२	—	१

३—(क्रमशः)

१९६२–६३

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	अभ्युक्ति
८	९	१०
२७ व २८ मार्च, १९६३	डा० आर० के० टंडन, अतिरिक्त कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश	एक ओर पर उसकी अनुपस्थिति में विचार किया गया।
२९ मार्च, १९६३	तदेव तथा	..
	डा० आर० एस० सिंह, विस्तार निदेशक, कृषि विश्व-विद्यालय, पन्तनगर	..
तदेव	तदेव	..
२९ मार्च, १९६३	श्री बी० के० लोहानी, राजकीय पालीटेक्निक, कानपुर	—
तदेव तदेव तदेव	श्री गुरु दयाल, अधिशासी अभियन्ता, सा० नि० विभाग, इलाहाबाद	—
—	—	दोनों अभ्यर्थियों का क्लिनिकल मेडिसिन में प्राध्यापक के पद के चुनाव के लिये साक्षात्कार हो चुका था इसलिये इस पद के लिये उन्होंने साक्षात्कार नहीं किया।

परिशिष्ट

चुनाव द्वारा भर्ती—

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किए गए अभ्यर्थियों की संख्या	चुने गए अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७
४०१	गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक चि० म०, कानपुर में नेत्र चिकित्सा में प्राध्यापक	१	८	५	३	...
४०२	नगर तथा ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश में ग्राम निवास व्यवस्था में अधिशासी अभियन्ता (नगर नियोजन)	१	१	१	१	..
४०३	स० न० चि० म०, आगरा में भेषज विज्ञान में प्रवाचक	१	२	२	१	...
४०४	उद्योग निदेशालय, उत्तर प्रदेश की चर्म योजना में अनुसन्धान सहायक	१	१	१	१	...
४०५	सा० नि० विभाग, उत्तर प्रदेश में फोरमैन (कर्मशाला)	१	५	३	२	...
४०६	राजकीय संग्रहालय, लखनऊ के लिये रसायन विद्	१	१	१	१	..

३—(क्रमशः)

१९६२-६३

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	अभ्युक्ति
८	९	१०
२७ अप्रैल, १९६२	डा० डी० एन० शर्मा, निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा, उत्तर प्रदेश तथा डा० ए० एच० फिरदौसी, नेत्र चिकित्सा में प्राध्यापक, चि० म०, ग्वालियर	संशोधित अर्हताओं के साथ पुन-विज्ञापन का परामर्श दिया ।
९ मई, १९६२	श्री के० एन० मिश्र, मुख्य अभि-यन्ता, नगर तथा ग्राम नियो-जन, उत्तर प्रदेश	पद को पुनर्विज्ञापित करने का परामर्श दिया ।
१४ मई, १९६२	डा० के० पी० पी० भार्गव, भेषज विज्ञान में प्राध्यापक, चि० म०, लखनऊ	संशोधित अर्हता के साथ पुन-विज्ञापित करने का परामर्श दिया ।
२९ मई, १९६२	श्री जी० डी० पान्डे, उद्योग निदेशालय, उत्तर प्रदेश के अधीन अनुसन्धान रसायनविद्	पुनर्विज्ञापित करने का परामर्श दिया ।
१ जून, १९६२	श्री पी० एन० श्रीवास्तव, अधी-क्षण अभियन्ता, सा० नि० विभाग, इलाहाबाद	तदेव
८ जून, १९६२	डा० कृष्ण मोहन, निदेशक, भू-तत्व तथा खनिकर्म, उत्तर प्रदेश	उच्चतर प्रारम्भिक वेतन की व्यवस्था के साथ पद को पुनः-विज्ञापित करने का परामर्श दिया ।

परिशिष्ट

चुनाव द्वारा भर्ती—

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिये बुलाये गये अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किये गये अभ्यर्थियों की संख्या	चुने गये अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७
४०७	फलोपयोग निदेशालय, उत्तर प्रदेश में नक्षत्र विज्ञान सहायक	१	१	१	१	..
४०८	निदेशक, मनोविज्ञानशाला, उत्तर प्रदेश	१	१२	१०	७	..
४०९	निदेशक, भूतत्व तथा खनिकर्म, उत्तर प्रदेश	१	२३	५	४	..
४१०	सिंचाई अनुसन्धान संस्थान, रुड़की में आधारिक अनुसन्धान (हाइड्रोलिक) के लिये सहायक अनुसन्धान अधिकारी	१	४	२	१	..
४११	उद्योग निदेशालय के भारी उद्योग मे पुनस्संगठन योजना के अन्तर्गत सहायक उद्योग निदेशक (सर्वेक्षण) एवं	१	१५	१०	९	..
४१२	सहायक उद्योग निदेशक (प्राविधिक)	१	२१	१६	१४	..
४१३	प्रायोजना विकास योजना, इटवा में उप विकास अधिकारी (कृषि)	१	२६	५	१	..

३—(क्रमशः)

१९६२-६३

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	अभ्युक्ति
८	९	१०
९ जुलाई, १९६२	डा० डब्ल्यू० बी० दाते, उप जलोपयोग निदेशक, उत्तर प्रदेश	पद को पुर्नविज्ञापित करने का परामर्श दिया।
१६ जुलाई, १९६२	डा० डब्ल्यू० टी० बी० अदिशे-शिया, मुख्य मनोवैज्ञानिक, प्रतिरक्षा मंत्रालय भारत सरकार	पुर्नविज्ञापित करने का परामर्श दिया।
तदेव	श्री पी० सी० हजारा, रीजनल निदेशक, भारत का भूगर्भ सर्वेक्षण, लखनऊ	पुनरीक्षित वेतन-क्रम तथा अर्ह-ताओं के साथ पद को पुर्नविज्ञा-पित करने का परामर्श दिया।
१७ जुलाई, १९६२	श्री जे० पी० जैन, मुख्य अभियन्ता (पूर्व) सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश	पुनरीक्षित अर्हताओं के साथ पद को पुर्नविज्ञापित करने का सुझाव दिया।
१८, जुलाई, १९६२	श्री एम० समीउद्दीन, उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश	किसी दूसरे कार्यालय से क्लास २ में आयोग द्वारा अनुमोदित जिला उद्योग अधिकारियों के स्थानान्तरण द्वारा भर्ती का परामर्श दिया।
१८ जुलाई, १९६२ एवं ७ मार्च, १९६३	डा० राम दास, निदेशक, पी० आर० ए० आई०, उत्तर प्रदेश	कृषि या कृषि अभियन्त्रण विभाग के अधिकारियों को प्रति नियुक्ति द्वारा प्राप्त करके पद को भरने का परामर्श दिया गया।

परिशिष्ट

चुनाव द्वारा भर्ती—

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किए गए अभ्यर्थियों की संख्या	चुने गये अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७
४१४	फैक्टरीज के मुख्य निरीक्षक, उत्तर प्रदेश	१	४	३	१	..
४१५	पशुपालन निदेशालय, उत्तर प्रदेश के मुख्यालयों में मत्स्य विज्ञान विद्	१	२	२	१	..
४१६	मत्स्य विभाग में कनिष्ठ अनुसन्धान सहायक	२	४	४	१	..
४१७	राजकीय बिड़ला उपाधि म०, श्रीनगर (गढ़वाल) में प्राध्यापक तथा अध्यक्ष, प्राणिविज्ञान तथा	१	७	६	४	..
४१८	प्राध्यापक एवं अध्यक्ष, वनस्पति विज्ञान	१	२	२	१	..
४१९	सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश में मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी	१	४	३	२*	..

३—(क्रमशः)

१९६२–६३

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	अभ्युक्ति
८	९	१०
१९, जुलाई, १९६२	श्री एस० एन० सिंह, मुख्य अभियन्ता, (हाइडेल) उत्तर प्रदेश एवं उप मुख्य अभियन्ता, उत्तर पूर्वी रेलवे, गोरखपुर	पद को पुनर्विज्ञापित करने का परामर्श दिया ।
२० जुलाई, १९६२	श्री एच० के० लाल, अतिरिक्त पशुपालन निदेशक, उत्तर प्रदेश तथा तथा डा० वी० जी० झिंगरन, वरिष्ठ अनुसन्धान अधिकारी, केन्द्रीय देशीय मत्स्य, इलाहाबाद	..
६ अगस्त, १९६२	श्री एम० पी० मुतवानी, मत्स्य विज्ञानविद्, उत्तर प्रदेश	निजी बातचीत द्वारा चुनाव करने का परामर्श दिया ।
१० एवं ११ सितम्बर, १९६२	डा० डी० एन० वर्मा, प्राणीविज्ञान में प्रवाचक, इलाहाबाद विश्वविद्यालय	पुनर्विज्ञापन का परामर्श दिया ।
तदेव	डा० आर० एन० टन्डन, वनस्पति विज्ञान में प्राध्यापक, इलाहाबाद विश्वविद्यालय	तदेव
११ सितम्बर, १९६२	श्री एच० बी० सहाय, अवकाशप्राप्त निदेशक तथा आयुक्त, पशुपालन, उत्तर प्रदेश तथा डा० जेम्स एन० वार्नर, अध्यक्ष, दुग्धशाला प्रौद्योग, कृषि संस्थान, नैनी	संशोधित अर्हता के साथ पुनर्विज्ञापित करने का परामर्श दिया । *एक, जिस पर उसकी अनुपस्थिति में विचार किया गया, को शामिल करते हुये ।

परिशिष्ट

चुनाव द्वारा भर्ती—

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किए गए अभ्यर्थियों की संख्या	चुने गए अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७
४२०	अधिशासी अभियन्ता, (सिविल) नगर महापालिका, कानपुर	३	५	४	४	..
४२१	स० ना० चि० म०, आगरा में सर्जरी में प्राध्यापक	१	४	४	३	..
४२२	पशुपालन निदेशालय, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत प्राविधिक सहायक	१	३	२	१	..
४२३	राजकीय पहाड़ी फल अनुसन्धान स्टेशन, चौबटिया में पौध फिजियोलॉजिस्ट	१	६	५	२	..
४२४	राजकीय फल संरक्षण फैक्ट्री, फूल बाग के लिये, उत्पादन सहित विक्रय प्रबन्धक	१	५	३	२	..
४२५	मुरादाबाद में एलेक्ट्रिप्लेटिंग प्लान्ट की स्थापना के अन्तर्गत अधीक्षक (कर्मशाला)	१	१४	८	७	..

३—(क्रमशः)

१९६२–६३

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	अभ्युक्ति
८	९	१०.
१५ सितम्बर एवं ११ दिसम्बर, १९६२	श्री के० के० चक्रवर्ती, मुख्य अभियन्ता, नगर महापालिका, कानपुर	सा० नि० वि० के अवकाशप्राप्त अभियन्ताओं की पुर्नानियुक्ति या उसी विभाग के अधि–कारियों की प्रतिनियुक्ति का परामर्श दिया।
१५ सितम्बर, १९६२	डा० डी० एन० शर्मा. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा, उत्तर प्रदेश तथा डा० एस० सी० मित्रा, सर्जरी में प्राध्यापक, चि० महाविद्यालय, लखनऊ।	पुर्नाविज्ञापन का परामर्श दिया।
२० सितम्बर, १९६२	डा० सी० बी० सिंह, उप निदेशक की विलेज स्कीम, उत्तर प्रदेश	संशोधित अर्हताओं के साथ पुर्नाविज्ञापन का परामर्श दिया।
२० जुलाई, १९६२	डा० डब्ल्यू० बी० दाते, उप फलो–पयोग निदेशक, उत्तर प्रदेश।	पद को पुर्नाविज्ञापित करने का परामर्श दिया।
२७ सितम्बर, १९६२	डा० डी० एन० श्रीवास्तव, फलो–पयोग निदेशक, उत्तर प्रदेश।	तदेव
२३ अक्टूबर, १९६२	श्री ए० आर० कपूर, विकास अधि–कारी (ई० एस० आई) कानपुर	उच्चतर वेतनक्रम के साथ पुर्नाविज्ञापित करने का परामर्श दिया।

परिशिष्ट

चुनाव द्वारा भर्ती—

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किए गए अभ्यर्थियों की संख्या	चुने गये अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७
४२६	श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश के कार्यालय के दक्षता सेक्शन में औद्योगिक मनोवैज्ञानिक	१	२	२	१	..
४२७	क्षेत्र सहायक (विख्यापन), सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश	१	४२	८	५	..
४२८	अनुसन्धान सहायक (कीटविद्), डी० एस० बिष्ट राजकीय उ० महाविद्यालय, नैनीताल	१	३	३	१	..
४२९	लोक सेवा आयोग के पुस्तकालय के लिये पुस्तकाध्यक्ष	१	५	३	१	..
४३०	प्रक्षेत्र सहायक, पशुपुष्टाहार सेक्शन, भरारी	१	२	२	१	..
४३१	राजकीय (पाइलाट) सैन्ड वाशिंग प्लान्ट-सहित-सेवा प्रयोगशाला, शंकरगढ़ में वरिष्ठ फोरमैन	१	५	३	१	..
४३२	उत्तर प्रदेश कृषि सेवा (कनिष्ठ वेतन-क्रम) के सेक्शन 'सी' में रेडियोट्रेसर विशेषज्ञ	१	८	७	५	..

३—(क्रमशः)

१९६२–६३

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	अभ्युक्ति
८	९	१०
७ नवम्बर, १९६२	श्री डी० एन० सिन्हा, अध्यक्ष, मनोविज्ञान विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय	पुनर्विज्ञापित करने का परामर्श दिया। राष्ट्रीय संकट के कारण मितव्ययता के विचार से शासन ने इस पद को भरने का प्रस्ताव वापस ले लिया।
३ दिसम्बर, १९६२	श्री महीपत प्रसाद, शिक्षा–सहित–विख्यापन अधिकारी, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश	संशोधित अर्हताओं के साथ पुनर्विज्ञापन का परामर्श दिया।
४ दिसम्बर, १९६२	डा० ओ० एन० श्रीवास्तव, प्राणि-विज्ञान के प्राध्यापक, रा० उपाधि म०, ज्ञानपुर	पुनर्विज्ञापन का परामर्श दिया।
तदैव	डा० ए० एन० अग्रवाल, पुस्तकाध्यक्ष, इलाहाबाद विश्वविद्यालय	पद को पुनर्विज्ञापित किया गया।
तदैव	श्री सी० बी० जी० चौधरी, प्रधानाचार्य, पशुचिकित्सा म० मथुरा	पुनर्विज्ञापित करने का परामर्श दिया।
५ दिसम्बर, १९६२	श्री बी० बी० भाटिया, विकास अधिकारी (कांच), उत्तर प्रदेश	पुनर्विज्ञापन का परामर्श दिया।
१० दिसम्बर, १९६२	श्री बोशी सेन, निदेशक, विवेकानन्द प्रयोगशाला, अल्मोड़ा	परामर्श दिया कि एक योग्य अभ्यर्थी को प्रशिक्षण के लिये चुना जाय, किन्तु शासन ने पद को समाप्त कर दिया।

परिशिष्ट

चुनाव द्वारा भर्ती—

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किए गए अभ्यर्थियों की संख्या	[illegible] गए अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७
४३३	नियोजन संगठन के अधीन व्यक्तिगत लघु सिंचाई कार्यक्रम के लिये सहायक अभियन्ता	७	२५	११	६	..
४३४	राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, लखनऊ में स्त्रीरोग, प्रसूति, कौमार भृत्य में व्याख्याता	१	१२	७	५	..
४३५	केन्द्रीय डिजाइन केन्द्र, लखनऊ के लिये वरिष्ठ शिल्पी (वस्त्र)	१	१७	१२	९	..
४३६	केन्द्रीय डिजाइन केन्द्र, लखनऊ में सहायक सर्वेक्षण अधिकारी सहित-सम्पादक	१	६	२	२	..
४३७	उन्नत प्रशिक्षण के लिये कनिष्ठ व्याख्याता, राजकीय हस्तनिर्मित कागज उत्पादन-सहित-अनुसन्धान केन्द्र, कालपी	१	३	३	२	..
४३८	श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में अनुसन्धान सहायक (गति अध्ययन)	१	५	४	४	..
४३९	राजकीय बहुधन्धी विद्यालय, गोरखपुर के लिये प्रधानाचार्य	१	९	४	४	..

३—(क्रमशः)

१९६२–६३

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	अभ्युक्ति
८	९	१०
४ जनवरी, १९६३	श्री एच० सी० कौशल, उप-विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश	परामर्श दिया कि इन निःसंवर्गीय पदों को किसी अभियन्त्रण सेवा के संवर्गीय पदों में विलीन कर दिया जाय ।
८ जनवरी, १९६३	श्री एम० एल० द्विवेदी, निदेशक, आयुर्वेदिक एवं युनानी सेवा, उत्तर प्रदेश	पुनर्विज्ञापन का परामर्श दिया ।
९ जनवरी, १९६३	श्री लक्ष्मी चन्द, निदेशक, केन्द्रीय डिजाइन केन्द्र, लखनऊ	निजी बातचीत द्वारा नियुक्ति करने का परामर्श दिया ।
तदेव	श्री टी० एन० भाटिया, उप उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश, कानपुर	पद को पुनर्विज्ञापित करने का परामर्श दिया ।
११ जनवरी, १९६३	श्री ए० पी० माथुर, उप उद्योग निदेशक (वी० आई०), कानपुर	उच्चतर वेतन-क्रम के साथ पद को पुनर्विज्ञापित करने का परामर्श दिया ।
तदेव	डा० बंशीधर, दक्षता परामर्शी, श्रमायुक्त कार्यालय, कानपुर	उच्चतर वेतन-क्रम तथा संशोधित अर्हताओं के साथ पुनर्विज्ञापित करने का परामर्श दिया ।
१५ जनवरी, १९६३	श्री आर० के० बसु, मुख्य यान्त्रिकी अभियन्ता, केन्द्रीय रोडवेज कर्मशाला, कानपुर एवं श्री बी० एन० मेहरोत्रा, अधीक्षण अभियन्ता (हाइडेल), रिहन्ड हाइडेल ट्रान्समिशन वृत्त, इलाहाबाद	पुनर्विज्ञापन करने का परामर्श दिया ।

परिशिष्ट

चुनाव द्वारा भर्ती—

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किए गए अभ्यर्थियों की संख्या	चुने गए अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७
४४०	सहायक प्रक्षेत्र प्रबन्धक, जिला दुग्धशाला प्रदर्शन प्रक्षेत्र, मथुरा	१	६	३	[illegible]	..
४४१	राजकीय बहुधन्धी विद्यालय, उत्तर प्रदेश के लिये पांच प्रधानाचार्य एवं	५	८	[illegible]	..	..
४४२	पांच कर्मशाला अधीक्षक	५	२	१	[illegible]	—
	उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश के अधीन विभिन्न प्रोद्योगिक संस्थानों में :—					
४४३	(क) सिविल अभियन्त्रण	३	३	२	२	..
४४४	(ख) यान्त्रिकी अभियन्त्रण के विभागों के अध्यक्ष	३	७	४	४	..
४४५	(ग) वैद्युत् अभियन्त्रण में व्याख्याता	३	३	२	२	..
४४६	ग्रैफिक डिजाइन में व्याख्याता, उत्तर प्रादेशिक मुद्रण प्रोद्योग विद्यालय, इलाहाबाद	१	२	२	२	..

१—(क्रमशः)

१९६२-६३

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	अभ्युक्ति
८	९	१०
१५ जनवरी, १९६३	श्री सी० बी० जी० चौधरी, प्रधानाचार्य, पशुचिकित्सा महाविद्यालय, मथुरा	पुनर्विलोकन का सुझाव दिया।
१६ जनवरी, १९६३	श्री आर० के० वसु, मुख्य यान्त्रिकी अभियन्ता, केन्द्रीय रोडवेज कर्मशाला, कानपुर एवं श्री बी० एन० मेहरोत्रा, अधीक्षण अभियन्ता (हाइडेल), रिहन्द हाइडेल ट्रान्समिशन वृत्त, इलाहाबाद	तदेव
१५ एवं १६ जनवरी, १९६३	तदेव	तदेव
२१ जनवरी, १९६३	श्री एन० आर० अग्रवाल, प्रधानाचार्य, एन० आर० मुद्रण विद्यालय, इलाहाबाद	तदेव

परिशिष्ट

चुनाव द्वारा भर्ती—

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किए गए अभ्यर्थियों की संख्या	चुने गए अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७
४४७	उद्योग निदेशालय के भारी उद्योग सेक्शन में एसेन्शियल ऑयल स्कीम (प्लान) में अनुसन्धान सहायक	१	१	१	१	..
४४८	राजकीय बहुधन्धी विद्यालय, कानपुर के लिये :—					
	(क) यान्त्रिकी अभियन्त्रण विभाग	१	५	५	५	..
	(ख) सिविल अभियन्त्रण विभाग	१	३	३	३	—
	(ग) वैद्युत् अभियन्त्रण विभाग के अध्यक्ष	१	४	३	२	..
४४९	श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में वरिष्ठ अनुसन्धान अधिकारी	१	७	१	१	—
४५०	उद्योग निदेशालय, उत्तर प्रदेश के गुण चिन्हांकन योजना के अन्तर्गत अधीक्षक (जरी)	१	४	३	३	—
४५१	प्रधानाचार्य, सेठ गंगासागर जटिया राजकीय पालीटेक्निक, खुर्जा	१	५	३	३	—

३—(क्रमशः)

१९६२–६३

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	अभ्युक्ति
८	९	१०
२३ जनवरी, १९६३	श्री जे० एन० गुप्त, शोध रसायन-विद्, एसेन्शियल आयल स्कीम, हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिक संस्थान, कानपुर	उच्चतर प्रारम्भिक वेतन की व्यवस्था के साथ पुनर्विज्ञापन का परामर्श दिया।
६, ७ एवं १५ फरवरी, १९६३	श्री आर० के० बसु, मुख्य यान्त्रिकी अभियन्ता, रोडवेज केन्द्रीय कर्मशाला, कानपुर; श्री जे० के० सक्सेना, अधीक्षण अभियन्ता, सा० नि० वि०, इलाहाबाद, श्री बी० एन० मेहरोत्रा, अधीक्षण अभियन्ता, रिहन्द हाइडेल ट्रान्स-मिशन वृत्त, इलाहाबाद	विभिन्न अभियन्त्रण सेवाओं के संवर्गों में मिलाने का सुझाव दिया।
७ फरवरी, १९६३	डा० ए० आर० राय, सांख्यिक प्राध्यापक, लखनऊ विश्व-विद्यालय	पुनर्विज्ञापन का परामर्श दिया।
१४ फरवरी, १९६३	श्री एल० पी० मुकर्जी, अतिरिक्त उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश	संशोधित अर्हताओं के साथ पुन-र्विज्ञापन का परामर्श दिया।
८ मार्च, १९६३	श्री एस० एन० सिंह, मुख्य अभियन्ता (हाइडेल), राजकीय विद्युत् परिषद्, लखनऊ, श्री पी० एन० श्रीवास्तव, उपमुख्य अभियन्ता, सा० नि० वि०, उत्तर प्रदेश; श्री आर० के० बसु, मुख्य यान्त्रिक अभियन्ता, रोड-वेज केन्द्रीय कर्मशाला, कानपुर	पद को समुचित अभियन्त्रण विभाग में विलीन कर दिया जाय अथवा आयोग से विचार-विमर्श करके किसी अवकाश-प्राप्त अधिकारी की नियुक्ति की जाय।

परिशिष्ट

चुनाव द्वारा भर्ती—

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किए गए अभ्यर्थियों की संख्या	चुने गए अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७
४५२	सहायक अलकोहल प्रौद्योगिक हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिक संस्थान, कानपुर	१	३	१	१	—
४५३	राजकीय पालीटेक्निक, गोरख-पुर में यांत्रिकी अभियन्त्रण में व्याख्याता	१	४	४	१	—
४५४	उद्योग निदेशालय, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत वरिष्ठ सिलाई इन्सट्रक्टर	१	४८	३	२	—
४५५	नगर तथा ग्राम नियोजन विभाग के अन्तर्गत ग्राम आवास में सहायक अभियन्ता (प्रावि-धिक)	१	२	२	—	—
४५६	सा० नि० वि०, उत्तर प्रदेश के वास्तुविद्या सेक्शन में सहायक वास्तुविद्	१	३	२	—	—
४५७	ज्योतिष वेधशाला, नैनीताल के लिये पुस्तकाध्यक्ष	१	२	२	—	—
४५८	सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश में जलकल अधीक्षक	१	३	१	—	—
४५९	पोरसिलेन के लिये प्रायोजना अनुसन्धान एवं संरक्षण प्रयोग-शाला, खुर्जा में अनुसन्धान सहायक (सिरामिक्स)	१	१	१	—	—

३—(क्रमशः)

१९६२–६३

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	अभ्युक्ति
८	९	१०
२५ मार्च, १९६३	श्री सी० आर० मित्रा, प्रधानाचार्य, हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिक संस्थान, कानपुर	संशोधित अर्हता तथा वेतन-क्रम के साथ पुनर्विज्ञापन का परामर्श दिया।
२६ मार्च, १९६३	श्री आर० के० बसु, मुख्य यान्त्रिक अभियन्ता, रोडवेज केन्द्रीय कर्मशाला, कानपुर	पुनर्विज्ञापन का परामर्श दिया।
२९ मार्च, १९६३	श्री बी० के० लोहानी, प्रधानाचार्य, रा० के० प्रौद्योगिक संस्थान, कानपुर	पुनर्विज्ञापन का परामर्श दिया।
..	...	पुनर्विज्ञापन का परामर्श दिया।
१४ मई, १९६२	श्री एम० ए० मिर्जा, उपमुख्य अभियन्ता, सा० नि० वि०, उत्तर प्रदेश	पुनरीक्षित अर्हता एवं उच्चतर प्रारम्भिक वेतन के साथ पद को पुनर्विज्ञापन का परामर्श दिया।
१७ मई, १९६२	डा० एस० डी० सिन्हवाल, निर्देशक, राजकीय वेधशाला, नैनीताल	पुनर्विज्ञापन का परामर्श दिया।
१ जून, १९६२	श्री आर० पी० अग्रवाल, अधीक्षण अभियन्ता, बुन्देलखन्ड, प्रभाग वृत्त, इलाहाबाद	पुनरीक्षित वेतन-क्रम के साथ पद को पुनर्विज्ञापित करने का परामर्श दिया।
तदेव	डा० टी० एन० शर्मा, मृदभाण्ड विकास अधिकारी, खुर्जा	निजी बातचीत द्वारा नियवित करने का परामर्श दिया।

परिशिष्ट

चुनाव द्वारा भर्ती---

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किए गए अभ्यर्थियों की संख्या	चुने गए अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७
४६०	उद्योग निदेशालय, उत्तर प्रदेश के भारी उद्योग सेक्शन में :--					
	(क) प्राविधिक सहायक	३	२	२	—	—
	(ख) ओवरसियर	१	१	१	—	—
४६१	उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा महाविद्यालय, मथुरा में समाज विज्ञान में इन्सट्रक्टर	१	३	२	—	—
४६२	फलोपयोग निदेशालय, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत वरिष्ठ फिजियोलॉजिकल सहायक	१	६	३	—	—
४६३	राजकीय बिड़ला उपाधि महाविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल) में प्राध्यापक तथा अध्यक्ष, भौतिक विज्ञान विभाग	१	३	३	—	—
४६४	राजकीय फल संरक्षण एवं कैनिंग संस्थान, लखनऊ में मुख्य रसायनविद्	१	५	१	—	—
४६५	उद्योग निदेशालय के कांच प्रौद्योग सेक्शन में भट्ठी सहायक	१	१	१	—	—
४६६	पशुलोक प्रक्षेत्र, ऋषिकेश में पशुधन अनुसन्धान स्टेशन की स्थापना की योजना के अन्तर्गत अनुसन्धान सहायक	१	४	१	—	—

१—(क्रमशः)

१९६२–६३

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	अभ्युक्ति
८	९	१०
७ जून, १९६२	श्री एल० एम० दे, अतिरिक्त उद्योग निदेशक (प्राविधिक), उत्तर प्रदेश, कानपुर	पुनर्विज्ञापन का परामर्श दिया ।
२४ जुलाई, १९६२	श्री सी० वी० जी० चौधरी, प्रधानाचार्य, पशु चि० म०, मथुरा	पुनर्विज्ञापन का सुझाव दिया ।
९ जुलाई, १९६२	डा० डब्ल्यू० बी० दाते, उप-फलोपयोग निदेशक, उत्तर प्रदेश	तदेव
१० सितम्बर, १९६२	डा० पी० एन० शर्मा, भौतिक शास्त्र के प्राध्यापक, लखनऊ विश्व-विद्यालय	तदेव
२७ सितम्बर, १९६२	डा० डी० एन० श्रीवास्तव, फलो-पयोग निदेशक, उत्तर प्रदेश	तदेव
५ दिसम्बर, १९६२	श्री० बी० बी० भाटिया, विकास अधिकारी, कांच, उत्तर प्रदेश	तदेव
तदेव	श्री सी० वी० जी० चौधरी प्रधानाचार्य, पशुचिकित्सा महाविद्यालय, मथुरा	निजी बातचीत द्वारा नियुक्ति का परामर्श दिया ।

परिशिष्ट

चुनाव द्वारा भर्ती—

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किए गए अभ्यर्थियों की संख्या	चुने गए अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७
४६७	उच्च तथा निम्न टेन्शन विद्युत्-अवरोधक परीक्षणशाला खुर्जा में अभियन्ता अधीक्षक	१	४	४	—	—
४६८	उत्तर प्रदेश ब्वायलर्स एवं फैक्ट्रीज (क्लास २) निरीक्षक की सेवा में फैक्ट्रीज निरीक्षक (मेडिकल)	१	१	१	—	—
४६९	पीतल वस्तु उद्योग, मिर्जापुर की विस्तार योजना के अधीन कर्मशाला अधीक्षक	१	१	१	—	—
४७०	मशीन आपरेटर, राजकीय चर्म संस्थान, कानपुर	१	२	१	—	—
४७१	रासायनिक सहायक, मत्स्य विभाग	१	१	१	—	—
४७२	चार्जमैन, माडल वायरनेटिंग यूनिट, वाराणसी	१	१	१	—	—
४७३	प्रयोगशाला अनुदेशक, न्यू डिप्लोमा संस्थान, झांसी	१	१	१	—	—
४७४	राजकीय केन्द्रीय वस्त्र संस्थान, कानपुर में कताई में व्याख्याता; तथा	१	४	२	—	—
४७५	रंगाई में निदर्शक	१	१	१	—	—

३--(क्रमशः)

१९६२-६३

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	अभ्युक्ति
८	९	१०
७ दिसम्बर, १९६२	श्री पी० एन० अगरवाल, उप-उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश	पुनर्विज्ञापन का सुझाव दिया ।
१४ दिसम्बर, १९६२	डा० के० के० माथुर उपनिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा, उत्तर प्रदेश	निजी बातचीत द्वारा नियुक्ति करने का परामर्श दिया ।
१४ दिसम्बर, १९६२	श्री ए० आर० कपूर, विकास अधिकारी, उद्योग निदेशालय, उत्तर प्रदेश	निजी बातचीत द्वारा नियुक्ति का परामर्श दिया।
७ जनवरी, १९६३	श्री जी० आर० चौधरी, प्रधानाचार्य, राजकीय चर्म संस्थान, कानपुर	तदेव
१५ जनवरी, १९६३	श्री एम० पी० मोटवानी, मत्स्य जीवविज्ञानविद्	तदेव
२८ जनवरी, १९६३	श्री सी० नारायण, विकास अधिकारी (प्राविधिक), उत्तर प्रदेश	तदेव
२९ जनवरी, १९६३	श्री जी० एस० श्रीवास्तव, प्रधानाचार्य, राजकीय पालीटेक्निक, बरेली	तदेव
९ फरवरी, १९६३	श्री ई० डी० दारूवाला, प्रधानाचार्य, राजकीय केन्द्रीय वस्त्र संस्थान, कानपुर	पुनर्विज्ञापन का सुझाव दिया ।

परिशिष्ट

चुनाव द्वारा भर्ती--

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिये बुलाये गये अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किये गये अभ्यर्थियों की संख्या	चुने गये अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७
४७६	मुख्य धातुविद्, छुरी चाकू निर्माण योजना, मेरठ	१	१	१	..	..
४७७	वस्त्र प्रौद्योगिक में प्राध्यापक, राजकीय केन्द्रीय वस्त्र संस्थान, कानपुर	१	५	२	...	...
४७८	चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा (ग्रेड दो)	६२	१	१	..	..
४७९	असैनिक अभियन्त्रण में व्याख्याता, राजकीय पाली-टेक्निक, बरेली	१	७	४	...	..
४८०	उप-विकास अधिकारी (कृषि अभियन्त्रण), अग्रगामी विकास प्रयोजना, इटावा	१	१२	७	..	..
४८१	अधीक्षक (जरी), गुण चिह्नांकन योजना, आगरा में	१	१	..	..	..
४८२	सहायक अध्यापिका (गणित), एल० टी० ग्रेड	३	४	..	...	.
४८३	मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, उत्तर प्रदेश, में सहायक मुद्रक अभियन्ता	१	३	..	..	.

३—(क्रमशः)

१९६२-६३

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	अभ्युक्ति
८	९	१०
७ फरवरी, १९६३	श्री आर० के० बासू, सी० एम० ई०, रोडवेज, कानपुर	पुनर्विज्ञापन का सुझाव दिया।
८ फरवरी, १९६३	श्री ई० डी० दारूवाला, प्रधानाचार्य तथा श्री आर० के० मोदी, प्रधानाचार्य, विक्टोरिया जुबली प्राविधिक संस्थान, बम्बई	तदेव
१४ फरवरी, १९६३	डा० के० के० गांजिल, उप निदेशक, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश	यह परामर्श दिया कि शासन इस सेवा को अधिक आकर्षक बनाने का उपाय ढूंढ़े।
२८ फरवरी, १९६३	श्री जे० के० सक्सेना, अधीक्षण अभियन्ता, सा० नि० वि०, इलाहाबाद	..
७ मार्च, १९६३	डा० राम दास, निदेशक, पी० आर० ए० आई०, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	यह परामर्श दिया कि कृषि या कृषि अभियंत्रण विभाग से उपयुक्त अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर लेकर पद को भरें।
	..	संशोधित अर्हताओं के साथ पुनर्विज्ञापित करने का परामर्श दिया।
	..	तदेव
	..	निजी बातचीत द्वारा पद को भरने का परामर्श दिया गया, किन्तु शासन का प्रस्ताव है कि पद को पदोन्नति द्वारा भरा जाय।

परिशिष्ट

चुनाव द्वारा भर्ती—

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किए गए अभ्यर्थियों की संख्या	चुने गए अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७
४८४	राजकीय संग्रहालय, लखनऊ में सहायक क्यूरेटर (आर्टवेर, टेक्स-टाइल तथा इथ्नोग्राफी)	१	७	..	..	..
४८५	सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश की प्रासेसिंग तथा वेरहाउसिंग स्कीम में यांत्रिक-सहित-विद्युत् ओवरसियर	२	१	..	..	..
४८६	शिक्षा प्रसार कार्यालय, उत्तर प्रदेश में चलचित्र अनुभाग प्रभारी (दृश्य-श्रव्य शिक्षा अधिकारी)	१	१४	..	..	..
४८७	उत्तर प्रदेश कृषि निदेशालय के अधीन निदर्शक (अभियन्त्रण)	२	३	..	..	..
४८८	फलोपयोग निदेशालय, उत्तर प्रदेश के अधीन अधीनस्थ सेवा, ग्रूप दो में विद्युत् तथा यांत्रिक सहायक	२	८	..	..	..
४८९	उत्तर प्रदेश पशुचिकित्सा महा-विद्यालय, मथुरा में पशुओं के सींग कैंसर के कारण अध्ययन में निहित एन्ड्राक्रिनोलाजिकल तथ्यों की अध्ययन योजना के अधीन अनुसंधान अधिकारी	१	१	.	..	..
४९०	थ्योरेटिकल मेकैनिक्स में व्याख्याता, राजकीय प्राविधिक संस्थान, लखनऊ	१	५	..	..	..

१—(क्रमशः)

१९६२-६३

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	अभ्युक्ति
८	९	१०
..	..	पुनरीक्षित अर्हताओं के साथ पद को पुनर्विज्ञापित करने का परामर्श दिया।
..	..	निजी बातचीत द्वारा नियुक्ति का परामर्श दिया।
.	..	संशोधित अर्हताओं के साथ पुन-र्विज्ञापन का परामर्श दिया।
.	..	तदेव
	..	पुनर्विज्ञापन का परामर्श दिया गया।
	.	तदेव
	.	पुनरीक्षित अर्हताओं के साथ पुनर्विज्ञापन का परामर्श दिया।

परिशिष्ट

चुनाव द्वारा भर्ती—

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिये बुलाये गये अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किये गये अभ्यर्थियों की संख्या	चुने गये अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७
४९१	मैट्रेन, अधीनस्थ शिक्षा सेवा (एल० टी० ग्रेड)	१	१	..	..	..
४९२	पशुपालन निदेशालय, बायोलाजिकल प्राडक्ट्स सेक्शन में विद्युत् सहित-यांत्रिक पर्यवेक्षक	१	१	..	..	..
४९३	राजकीय मृद्भाण्ड विकास केन्द्र, खुर्जा की मृद्भाण्ड विकास योजना के अन्तर्गत प्राविधिक सहायक (लाल मिट्टी)	१	१	..	..	..
४९४	रसायनविद्, सहकारिता विभाग	१	१	..	..	..
४९५	गाजियाबाद में तेल इंजिनों तथा फाउन्डरी के लिये एक टेस्टिंग प्रयोगशाला स्थापित करने की योजना के अधीन कर्मशाला अधीक्षक	१	३	..	..	..
४९६	उद्योग निदेशालय की गुण चिन्हांकन योजना के अन्तर्गत परीक्षक (प्रिन्ट्स), फर्रुखाबाद	१	४	..	..	..
४९७	राजकीय सीमेन्ट फैक्टरी, चुर्क, मिर्जापुर में सहायक अभियन्ता (कर्मशाला)	१	२	..	..	..
४९८	राजकीय केन्द्रीय वस्त्र संस्थान, कानपुर में वस्त्र रसायन में सहायक प्राध्यापक	१	३	..	..	..

३—(क्रमशः)

१९६२-६३

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	अभ्युक्ति
८	९	१०
.	..	पुनर्विज्ञापन का परामर्श दिया गया।
..	..	निजी बातचीत द्वारा नियुक्ति का परामर्श दिया।
..	..	तदेव
..	..	तदेव
..	..	पुनरीक्षित अर्हताओं तथा आयु-सीमा के साथ पुर्नविज्ञापन का परामर्श दिया।
.	..	पुनरीक्षित अर्हताओं के साथ पदको पुर्नविज्ञापित करने का परामर्श दिया।
..	..	संशोधित आयु-सीमा के साथ पद के पुनर्विज्ञापन का परामर्श किया
..	..	पुनरीक्षित अर्हताओं के साथ पद के पुर्नविज्ञापन का परामर्श दिया।

परिशिष्ट

चुनाव द्वारा भर्ती--

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	साक्षाकार के लिए बुलाए गये अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किए गए अभ्यर्थियों की संख्या	...गए, अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७
४९९	राजकीय हस्तनिर्मित कागज उत्पादन-सहित-अनुसन्धान केन्द्र, काल्पी में यांत्रिक ओवरसियर	१	१	..	..	..
५००	क्षयरोग निदर्शन तथा प्रशिक्षण केन्द्र, आगरा में चिकित्सा अधिकारी	२	१	..	..	..
५०१	राजकीय मृद्भाण्ड विकास केन्द्र, खुर्जा में यांत्रिक अभियन्ता	१	१	..	..	..
५०२	उत्तर प्रदेश उद्योग निदेशक के अधीन समाज शास्त्र (ह्यूमैनिटीज) तथा भाषा में अनुदेशक	३	५	..	..	.
५०३	स० ना० चि० म० आगरा में भ्रूण शास्त्र में व्याख्याता	१	१	..	.	.
५०४	प्रधानाचार्य, राजकीय केन्द्रीय काष्ठकला विद्यालय, बरेली	१	८	..	.	.
५०५	सहायक अधीक्षक (लेखन-सामग्री), मुद्रण तथा लेखन-सामग्री विभाग, उत्तर प्रदेश	१	१	..	..	.
५०६	रंगाई व छपाई अनुदेशक, राजकीय केन्द्रीय वस्त्र संस्थान, कानपुर	१	२	..	..	..
५०७	प्रभागीय अभिलेखागारविद्, क्षेत्रीय अभिलेखागार कार्यालय, इलाहाबाद	१	२	..	..	..

३—(क्रमशः)

१९६२–६३

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	अभ्युक्ति
८	९	१०
..	..	निजी बातचीत द्वारा नियुक्ति करने का परामर्श दिया ।
..	.	पुनरीक्षित वेतन–क्रम के सा पद के पुनर्विज्ञापन का परामर्श दिया ।
..	.	पद के पुनर्विज्ञापन का परामर्श दिया ।
..	.	तदेव
..	.	तदेव
..	.	पुनरीक्षित अर्हताओं के साथ पद के पुनर्विज्ञापन का परामर्श दिया ।
..	.	पुनर्विज्ञापन का परामर्श दिया गया ।
..	.	निजी बातचीत द्वारा नियुक्ति करने का परामर्श दिया ।
..	.	तदेव

परिशिष्ट

चुनाव द्वारा भर्ती---

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किए गए अभ्यर्थियों की संख्या	चुने गए अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७
५०८	पशु चिकित्सा महाविद्यालय, मथुरा में ग्रीष्मकाल में गाय भैंसों की प्रजनन-असफलता के कारणों के अध्ययन की योजना के लिये अनुसन्धान अधिकारी	१	१	...	...	....
५०९	कर्मशाला अधीक्षक, सेठ गंगा सागर जटिया राजकीय प्राविधिक संस्थान, खुर्जा	१	१	....	....	
५१०	कर्मशाला अधीक्षक, राजकीय खेल-कूद वस्तु केन्द्र, बरेली/देहरादून	२	६	....	...	
५११	राजकीय कला-शिल्प महाविद्यालय, लखनऊ के लिये शेष मेकिंग इन्स्ट्रक्टर	१	३	...	...	...
५१२	रासायनिक सहायक, राजकीय संग्रहालय, लखनऊ	१	१	...	...	...
५१३	राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, लखनऊ के लिये-- व्याधि विज्ञान में व्याख्याता ; तथा	१	२	....	...	...
५१४	प्रसूति तथा स्त्री रोग चिकित्सा में व्याख्याता	१	१	...	...	...
५१५	उत्तर प्रदेश उद्योग निदेशालय की चर्म योजना के अन्तर्गत अनुसन्धान सहायक	१	२	...	....	....

३—(क्रमशः)

१९६२–६३

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	अभ्युक्ति
८	९	१०
....	..	निजी बातचीत करने का परामर्श दिया।
....	..	पुनर्विज्ञापन का परामर्श दिया गया।
...	...	संशोधित अर्हताओं के साथ पुनर्विज्ञापन का परामर्श दिया गया।
	....	तदेव
	..	पुनर्विज्ञान का परामर्श दिया।
		तदेव
		निजी बातचीत द्वारा नियुक्ति का परामर्श दिया गया।

परिशिष्ट

चुनाव द्वारा भर्ती—

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिये बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किए गए अभ्यर्थियों की संख्या	चुने गए अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७
५१६	राजकीय केन्द्रीय वस्त्र संस्थान, कानपुर में——					
	अभियन्त्रण में व्याख्याता, तथा	१	१	...	...	..
५१७	यांत्रिक अभियंत्रण तथा रेखा-चित्र मे व्याख्याता	१	१	..	..	..
५१८	राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण महा-विद्यालय (बालकों के लिये), लखनऊ में सिरेमिक्स मे व्याख्याता	१	२	...	.	..
५१९	उत्तर प्रदेश उद्योग निदेशालय की गुण चिन्हांकन योजना के अधीन अधीक्षक (ऊनी दरियां)	१	११	...	..	...
५२०	परिकल्पना विस्तार अधिकारी (पीतल के बर्तन), केन्द्रीय परिकल्पना केन्द्र, लखनऊ	१	२	...	..	...
५२१	उत्तर प्रदेश उद्योग निदेशालय की पर्वतीय ऊन योजना के अन्तर्गत प्राविधिक सहायक (ऊन प्रयोग-शाला)	१	१	...	..	...
५२२	उत्तर प्रदेश उद्योग निदेशालय के अधीन राजकीय पालीटेक्निक/प्राविधिक/औद्योगिक संस्थानों में सर्वे अनुदेशक	४	५	...	...	...

३—(क्रमशः)

१९६२–६३

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	अभ्युक्ति
८	९	१०
..	..	पुनर्विज्ञापन का परामर्श दिया गया।
...	...	पुनरीक्षित अर्हताओं के साथ पुनर्विज्ञापन का परामर्श दिया गया।
..	..	पुनरीक्षित आयु–सीमा के साथ पुनर्विज्ञापन का परामर्श दिया गया।
..	..	पद के पुनर्विज्ञापन का परामर्श दिया गया।
...	...	तदेव
..	..	तदेव

परिशिष्ट

परीक्षा द्वारा भर्ती--

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिये बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किए गए अभ्यर्थियों की संख्या	चुने गए अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७
५२३	रचनाशरीर में व्याख्याता, स० शं० वि० स्मारक चि० म० स० ना० चि० म०	७	४	...	..	..
५२४	द्वितीय रेखाचित्र अध्यापक, राजकीय प्राविधिक संस्थान, गोरखपुर	१	१	..	..	...
५२५	पी० आर० ए० आई०, उत्तर प्रदेश के कर्मचारिवर्ग में खण्डसारी निर्माण की ओपेन पान सल्फिटेशन प्रासेस की अग्रगामी प्रायोजना के लिये प्राविधिक अधिकारी	१	१	..	..	..
५२६	परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक रसायनविद्	१	२	...	..	..
५२७	उत्तर प्रदेश उद्योग निदेशालय के अधीन राजकीय प्राविधिक/औद्योगिक संस्थानों तथा पाली टेक्निक के लिये --					
	(क) असैनिक अभियन्त्रण; तथा	३	१	..	.	...
	(ख) यांत्रिक अभियंत्रण में व्याख्याता	३	३	..		..
५२८	उत्तर प्रदेश सूचना निदेशालय में अतिरिक्त रेडियो अभियन्ता	२	१४	..	...	...

३—(क्रमशः)

१९६२–६३

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	अभ्युक्ति
८	९	१०
..	..	पद के पुनर्विज्ञापन का परामर्श दिया गया।
..	.	निजी बातचीत से पद पर नियुक्ति का परामर्श दिया गया।
..	..	तदेव
-	..	संशोधित अर्हताओं के साथ पुनर्विज्ञापन का परामर्श दिया गया।
..	..	पुनर्विज्ञापन का परामर्श दिया गया।
..	..	तदेव
...	..	..

परिशिष्ट

चुनाव द्वारा भर्ती—

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किए गए अभ्यर्थियों की संख्या	चुने गए अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७
५२९	पी० आर० ए० आई०, उत्तर प्रदेश के कर्मचारिवर्ग में वातावरणीय सफाई तथा स्वास्थ्य शिक्षा प्रायोजना में अभियन्ता	१	..	..	..	..
५३०	क्षय रोग निदर्शन तथा प्रशिक्षण केन्द्र, आगरा में जीवाणु-विद्	१	..	..	..	..
५३१	राजकीय संग्रहालय, लखनऊ में प्राविधिक सहायक; तथा	१	..	..	..	.
५३२	टैक्सीडर्मिस्ट	१	..	..	..	..
५३३	खाल निस्त्वचन तथा शव उपयोग केन्द्र, लखनऊ में परिकल्पक-सहित-चिकर	१	..	..	..	..
५३४	राजकीय केन्द्रीय वस्त्रसंस्थान, कानपुर में कताई में निदर्शक	१	..	..	..	..

३—(क्रमशः)

१९६२–६३

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	अभ्युक्ति
८	९	१०
..	..	यह परामर्श दिया गया कि सिंचाई या स्थानीय स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभागों से अनुरोध किया जाय कि वे इस पद पर नियुक्ति के लिये अपने किसी अभियन्ता को मुक्त कर दें। शासन किसी उपयुक्त अधिकारी को पाने में असफल रहे। अतः उन्होंने पद के पुनर्विज्ञापन का निश्चय किया।
..	.	पद के पुनर्विज्ञापन का परामर्श दिया गया।
..	..	पुनरीक्षित अर्हताओं तथा उच्चतर प्रारंभिक वेतन देने की व्यवस्था के साथ पद के पुनर्विज्ञापन का परामर्श दिया गया।
..	..	निजी बातचीत से नियुक्ति का परामर्श दिया गया।
.	.	पद के पुनर्विज्ञापन का परामर्श दिया गया।
.	.	तदैव

परिशिष्ट

चुनाव द्वारा भर्ती—

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिये बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किए गए अभ्यर्थियों की संख्या	चुने गए अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७
५३५	राजकीय पर्वतीय फल अनुसन्धान स्टेशन, चौबतिया में उत्तर प्रदेश फलोपयोग निदेशालय के अधीन भेषज रसायनविद्	१	..	...	..	..
५३६	संरक्षण परामर्शद, सहकारिता समितियां, उत्तर प्रदेश	१	..	..	..	..
५३७	सहकारिता विभाग, उ० प्र० के अधीन बिक्री प्रभारी	१	..	..	..	..
५३८	उत्तर प्रदेश उद्योग निदेशालय के अधीन नान-फेरस मेटल योजना, मुरादाबाद में रसायनविद्	१	..	..	..	..
५३९	हाई ऐण्ड लो टेन्शन इन्सुलेटर्स, खुर्जा की टेस्टिंग प्रयोगशाला में यांत्रिक सहायक (टेस्टिंग)	१	..	..	..	..
५४०	उत्तर प्रदेश चिकित्सा महाविद्यालय, मथुरा में उपयन्त्र प्राविधिज्ञ	६	..	..	..	..
५४१	एच०बी० टी० आई०, कानपुर में—अनुसन्धान सहायक ; तथा	१	..	..	..	..
५४२	प्रयोगशाला तथा कर्मशाला पर्यवेक्षक	१	..	..	..	..

३—(क्रमशः)

१९६२–६३

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	अभ्युक्ति
८	९	१०
..	..	पद के पुर्नविज्ञापन का परामर्श दिया गया।
..	.	तदेव
..	..	तदेव
..	..	निजी बातचीत द्वारा नियुक्ति करने या पुनरीक्षित अर्हताओं के साथ पुर्नविज्ञापित करने अथवा वेतन-क्रम को उन्नत करने का परामर्श दिया।
..	..	निजी बातचीत द्वारा नियुक्ति का परामर्श दिया गया।
..	..	तदेव
..	..	तदेव
..	..	ततेव

परिशिष्ट

चुनाव द्वारा भर्ती——

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किए गए अभ्यर्थियों की संख्या	चुने गए अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७
५४३	राजकीय गैस प्लांट-सहित-साइन्टिफिक टेबुल ब्लोइंग ट्रेनिंग-सहित-उत्पादन केन्द्र, फिरोजाबाद में ग्रेजुएशन में अनुदेशक	१	..	..	..	..
५४४	वायर नेटिंग स्कीम, वाराणसी के अधीन कर्मशाला अधीक्षक ; तथा	१	..	..	..	..
५४५	धातु अभियन्ता	१	..	..	..	..
५४६	राजकीय पालीटेक्निक, बक्शी का तालाब, लखनऊ में—— प्रधानाचार्य ; तथा	१	..	..	..	..
५४७	निर्माण सामग्री (असैनिक अभियंत्रण) में व्याख्याता	१	..	..	..	..
५४८	क्षयरोग निदर्शन तथा प्रशिक्षण केन्द्र, आगरा में जीवाणुविद्	१	..	..	..	.
५४९	उत्तर प्रदेश पशु-चिकित्सा महाविद्यालय, मथुरा में पशुओं में सींग कैंसर के कारण (इटियोलाजी) एनुरेक्रोनोलाजिकल अध्ययन में निहित तथ्यों की अध्ययन योजना में अनुसंधान अधिकारी	१	...	...	..	..

३—(क्रमशः)

१९६२-६३

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	अभ्युक्ति
८	९	१०
..	..	निजी बातचीत द्वारा नियुक्ति का परामर्श दिया गया।
..	..	पुनर्विज्ञापन का परामर्श दिया गया।
..	..	निजी बातचीत द्वारा नियुक्ति का परामर्श दिया गया।
.	..	तदेव
..	.	तदेव
—	—	पुनरीक्षित एवं उन्नत वेतन-क्रम के साथ पुनर्विज्ञापन का परामर्श दिया गया।
...	..	निजी बातचीत द्वारा नियुक्ति का परामर्श दिया गया।

परिशिष्ट

चुनाव द्वारा भर्ती—

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किए गए अभ्यर्थियों की संख्या	चुने गए अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७
५५०	अनुसंधान सहायक, मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश	१	...	..	..	..
५५१	उत्तर प्रदेश शासन के विद्युत निरीक्षक के संगठन में विद्युत ओवरसियर	२	...	..	.	..
५५२	सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग मे क्षेत्रीय मातृत्व तथा शिशु स्वास्थ्य अधिकारी	१	..	..	..	..
५५३	राजकीय पालीटेक्निक, बरेली/झांसी के लिये यांत्रिक अभि-यंत्रण में व्याख्याता	२	...	..	..	..
५५४	निदर्शक (यांत्रिक), राजकीय पालीटेक्निक, खुर्जा	१	..	..	..	..
५५५	उत्तर प्रदेश उद्योग निदेशालय के भारी उद्योग अनुभाग में विशेषज्ञ सहायक	१	....	..	..	..
५५६	वार्यनेटिंग स्कीम, वाराणसी के अधीन कर्मशाला अधीक्षक	१	..	..	.	..
५५७	उत्तर प्रदेश उद्योग निदेशालय के अधीन राजकीय प्राविधिक/औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में मशीन ड्राइंग तथा डिजाइन में व्याख्याता	३	..	..	..	..

३—(क्रमशः)

१९६२–६३

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	अभ्युक्ति
८	९	१०
..	..	निजी बातचीत द्वारा नियुक्ति का परामर्श दिया गया ।
..	..	तदेव
	..	तदेव
..	..	संशोधित अर्हताओं के साथ पुन–विज्ञापन का परामर्श दिया गया ।
..	..	निजी बातचीत द्वारा नियुक्ति का परामर्श दिया गया ।
..	..	उत्तर प्रदेश उद्योग निदेशक से पद को किस प्रकार भरा जाय इस विषय में उनकी राय मांगी गई ।
..	..	पुनर्विज्ञापन का परामर्श दिया गया ।
..	..	तदेव

परिशिष्ट

चुनाव द्वारा भर्ती—

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिये बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किए गए अभ्यर्थियों की संख्या	चुने गए अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७
५५८	उत्तर प्रदेश उद्योग निदेशालय के अधीन राजकीय पालीटेक्निक्स/प्राविधिक तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में——					
	रसायन शास्त्र में व्याख्याता; तथा	१	...	....	..	...
५५९	रेखाचित्र अनुदेशक (विद्युत् अभि-यंत्रण)	१	...	...	....	....
५६०	सहायक प्राध्यापक, विद्युत् अभि-यंत्रण, एच० बी० टी० आई०, कानपुर	१	१	..	..	...
५६१	वस्त्र प्रौद्योग प्राध्यापक, राजकीय केन्द्रीय वस्त्र संस्थान, कानपुर	१	६	..	..	..
५६२	सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग मे वरिष्ठ विश्लेषण सहायक (खाद्य)	१	५	...	..	..

३—(क्रमशः)

१९६२-६३

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	अभ्युक्ति
८	९	१०
..	..	पुनर्विज्ञापन का परामर्श दिया गया।
..	..	तदेव
.	...	चूंकि पद उन्नत कर दिया गया था और निर्धारित अर्हतायें पुनरीक्षित कर दी गई थीं, इसलिये शासन ने आयोग से पद को पुनर्विज्ञापित करने के लिये कहा।
.	..	पद के लिये निर्धारित अर्हतायें पुनरीक्षित कर दी गई थीं और शासन के अनुरोध पर आयोग ने पद को पुनर्विज्ञापित किया।
.	.	उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक के अनुरोध पर पद का विज्ञापन रद्द कर दिया गया।

परिशिष्ट

चुनाव द्वारा भर्ती--

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किए गए अभ्यर्थियों की संख्या	चुने गए अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७
५६३	सहायक प्राध्यापक (हीट ट्रान्सफर आपरेशंस), एच० बी० टी० आई०, कानपुर	१	२	...	...	....
५६४	औद्यानिक, राजकीय पर्वतीय फल अनुसन्धान स्टेशन, चौबटिया रानीखेत	१	...	..	...	...
५६५	उत्तर प्रदेश निदेशालय की पावरलूम योजना के अधीन प्राविधिक प्रबन्धक	२	५	४	.	.
५६६	पी० आर० ए० आई०, उत्तर प्रदेश के कर्मचारिवर्ग में वरिष्ठ सहयुक्त (कृषि अभियन्त्रण)	१	११	११	..	.
५६७	लकड़ी व हाथी दांत की पच्चीकारी तथा तारकशी कार्य, बरेली की योजना के अधीन हाथी दांत पच्चीकारी विशेषज्ञ	१	९	८	..	
५६८	उत्तर प्रदेश निदेशालय के अधीन गुडियां तथा कोमल खिलौना निर्माण योजना, लखनऊ में सहायक विकास अधिकारी (खिलौने)	१	११	११	..	..

३—(क्रमशः)

१९६२–६३

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	अभ्युक्ति
८	९	१०
.	..	चूंकि पद का वेतन-क्रम उन्नत कर दिया गया था, इसलिये विज्ञापन रद्द कर दिया गया और फिर से विज्ञापन निकाला गया ।
	...	शासन के अनुरोध पर पद पुनर्विज्ञापित किया गया ।
		चूंकि ये पद तोड़ दिये गये थे, इसलिये चुनाव रद्द कर दिया गया ।
		शासन ने मितव्ययिता के विचार से चालू वित्तीय वर्ष में पद को बन्द कर दिया । अतः विज्ञापन रद्द कर दिया गया ।
		योजना के बन्द कर दिये जाने के कारण, चुनाव रद्द कर दिया गया ।
		तदेव

परिशिष्ट

परीक्षा द्वारा भर्ती--

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तयों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिये बुलाये गये अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किये गये अभ्यर्थियों की संख्या	चुने गये अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७
५६९	उत्तर प्रदेश श्रमायुक्त के अधीन कानपुर तथा लखनऊ में कार्मिक परामर्श सेवा की स्थापना के लिये कार्मिक परामर्शद्	२	१२	..	..	..
५७०	पंचायत निदेशालय में पत्रकार	१	६	..	..	..
५७१	सा० नि० वि०, उत्तर प्रदेश में वरिष्ठ वास्तुविद्	१	५	५	.	..
५७२	जन सम्पर्क अधिकारी, रिहन्द बांध प्रायोजना, मिर्जापुर	१	३४	..	.	.
५७३	उत्तर प्रदेश निदेशालय की गुण चिन्हांकन योजना के अधीन अधीक्षक (रेशमी वस्तु), वाराणसी	२	२	२	..	..
५७४	सहायक लेखा अधिकारी (प्रायो-जना), राजकीय सीमेन्ट फैक्ट्री, चुर्क	१	८	.	..	..

३––(क्रमशः)

१९६२–६३

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	अभ्युक्ति
८	९	१०
	...	योजना के बन्द कर किये जाने के कारण, चुनाव रद्द कर दिया गया।
	...	पद तोड़ दिया गया तथा चुनाव रद्द कर दिया गया।
...	...	पद स्थायी कर दिया गया। अतः शासन के अनुरोध पर आयोग ने पद को पुन–विज्ञापित किया।
...	..	पद के लिये निर्धारित अर्हतायें तथा वेतन-क्रम पुनरीक्षित किये गये। अतः शासन के अनुरोध पर आयोग ने पद को पुर्नविज्ञापित किया।
..	...	उत्तर प्रदेश उद्योग निदेशक के अनुरोध पर आयोग ने वास्तविक रूप से सुपात्र अभ्यर्थी को ४ अग्रिम वेतन–वृद्धि देने की व्यवस्था के साथ पद को पुर्नविज्ञापित किया।
...	...	इसके स्थान पर सहायक लेखा अधिकारी (उत्पादन) का एक नया पद सृजित किया गया और जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व पद के लिये आवेदन–पत्र दिया था, उन पर इस नये पद के लिये विचार किया गया।

परिशिष्ट

परीक्षा द्वारा भर्ती--

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तयों की संख्या	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिए बुलाये गये अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किये गये अभ्यर्थियों की संख्या	चुने गये अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७
५७५	सर्जरी के प्राध्यापक, स० ना० चि० म०, आगरा	१	४	...	...	...
५७६	नगर तथा ग्राम नियोजन विभाग मे रूरल हाउसिंग सेल के अधीन सहायक अभियन्ता (नगर नियोजन)	१	१	...	...	...
५७७	उपर्युक्त विभाग में क्षेत्रीय-सहित औद्योगिक नियोजक	१	१	...	...	...
५७८	राजकीय उत्तर रक्षागृहों तथा प्रोटेक्टिव्ज गृहों के लिये अन्वेषक	४	४३	...	...	...
५७९	अधीक्षक, भिक्षुकों के लिये काम-घर, फैजाबाद	१	११	५	...	..
५८०	अर्थशास्त्र में व्याख्याता, दान सिंह विष्ट राजकीय डिग्री कालेज, नैनीताल/का० ना० राजकीय डिग्री महाविद्यालय, ज्ञानपुर	१	...	..	...	..

३—(क्रमशः)

१९६२—६३

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक परामर्शदाता का नाम, यदि कोई हो	अभ्युक्ति
८	९	१०
..	..	आयोग शासन के इस प्रस्ताव से सहमत हुये कि उस पद पर डा० एस० पी० श्रीवास्तव को ५८ वर्ष की आयु तक पुनर्नियुक्त कर लिया जाय। अतः विज्ञापन रद्द कर दिया गया।
..	..	राष्ट्रीय संकट के कारण भारत सरकार द्वारा नियत धन में भारी कटौती के फलस्वरूप पद छांट दिया गया।
..	..	तदेव
..	..	पद बन्द कर दिये गये और चुनाव रद्द कर दिया गया।
	..	शासन ने भिक्षुकों के लिये कार्य-घर न खोलने का निश्चय किया। अतः उनके अनुरोध पर विज्ञापन रद्द कर दिया गया।
..	..	शासन ने पद के लिये निर्धारित अर्हताओं को पुनरीक्षित किया। अतः पद पुनर्विज्ञापित किया गया।

परिशिष्ट

चुनाव द्वारा भर्ती—

क्रम संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किए गए अभ्यर्थियों की संख्या	...गए अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७
५८१	प्रधानाचार्य, ठा० दान सिंह विष्ट राजकीय डिग्री महाविद्यालय, नैनीताल	१	१८	..	..	..
५८२	उत्तर प्रदेश कृषि सेवा (निम्न वेतन-क्रम) में राष्ट्रीय हार-टोरियम, मेरठ के लिये सहायक औद्यानिक	१	२०	..	..	...
५८३	उत्तर प्रदेश विधि आयोग के कार्यालय में विधि नवशानवीस	१	८	..	...	...
५८४	एच० बी० टी० आई०, कानपुर में—					
	अभियंत्रण में प्राध्यापक	१	२	..	...	...
	सिलिकेट प्रौद्योग में सहायक प्राध्यापक	२	..	..	...	...
	थर्मोडाइनेमिक्स में सहायक प्राध्यापक	१	१	..	...	...
	रेखाचित्र में सहायक प्राध्यापक; तथा	१	..	..	...	...
	इन्स्ट्रूमेंटेशन में सहायक प्राध्यापक	१	१	...	...	...
	योग ...	५,३४९	३०,७७६	१४,१२९	१०,८७०	५,४९१

३—(समाप्त)

१९६२–६३

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक परामर्श दाता का नाम, यदि कोई हो	अभ्युक्ति
८	९	१०
..	..	शासन के अनुरोध पर चुनाव स्थगित कर दिया गया।
..	..	शासन के अनुरोध पर विज्ञापन रद्द कर दिया गया।
..	..	राष्ट्रीय संकट के कारण पद आस्थगित कर दिया गया और चुनाव स्थगित कर दिया गया।
..	..	पुनरीक्षित अर्हताओं के साथ पद पुर्नविज्ञापित किये गये।

परिशिष्ट ३–क

सूची, जिसमें उन सेवाओं या पदों को दिखलाया गया है, जिनके लिये १९६२–६३ में चुनाव नहीं किया जा सका

क्रम–संख्या	सेवा या पद का नाम	रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन–पत्रों की संख्या	अभ्युक्ति
१	२	३	४	५
१	उत्तर प्रदेश ब्वायलर्स एवं फैक्ट्री निरीक्षकों की सेवा द्वितीय क्लास में ब्वायलर्स निरीक्षक	१	२	
२	उत्तर प्रदेश में क्षेत्र विकास अधिकारी	४५	५१०६	३०-९-६२ को छंटाई परीक्षा ली गई ।
३	राजकीय औद्योगिक प्राविधिक संस्थान, चरखारी (हमीरपुर) में सिलाई इन्स्ट्रक्टर	१	२९	
४	स० ना० चि० महाविद्यालय, आगरा में क्लिनिकल सर्जरी में प्राध्यापक	१	९	विभिन्न विश्व–विद्यालयों से उपयुक्त अभ्य–र्थियों का नाम भेजने के लिये अनुरोध किया गया ।
५	राजकीय सूक्ष्म उपयन्त्र निर्माणशाला, लखनऊ में सहायक प्रबन्धक (शासन)	१	२४	
६	नया औद्योगिक आस्थान स्थापित करने के लिये—			
	(क) प्रबन्धक अभियन्ता	४	९	
	(ख) सहायक अभियन्ता	४	९	
७	गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक चिकित्सा महाविद्यालय, कानपुर में रेडियोलाजी में व्याख्याता	१	३	
८	अधीनस्थ गन्ना सेवा प्रथम ग्रुप में वरिष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक एवं गन्ना संरक्षण निरीक्षक	१२ ४	१२४ ३८	
९	उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश के अधीन प्राविधिक शिक्षा के वैभागिक अधीक्षक	१	४७	

परिशिष्ट ३-क—(क्रमशः)

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	अभ्युक्ति
१	२	३	४	५
१०	मुख्य लेखा निरीक्षक एवं वरिष्ठ लेखा निरीक्षक	४ १९	५२ १२७	
११	जन-स्वास्थ्य विभाग के फाइलेरिया संगठनों में सहायक कीटविद्	३	९	
१२	गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक चि० म०, कानपुर में आब्स्टेट्रिक्स एवं गाइनाकोलोजी में प्रवाचक	१	२	
१३	हारकोर्ट बटलर प्रौद्योगिक संस्थान, कानपुर में वैद्युत् अभियन्त्रण में सहायक प्राध्यापक	१	९	
१४	सहायक अभियन्ता, राजकीय सूक्ष्मयंत्र निर्माण शाला, लखनऊ	२*	१०	*इसमें वह भी शामिल है जिसकी सूचना बाद में मिली।
१५	प्राविधिक शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश में सहायक प्राविधिक शिक्षा निदेशक	२	१३	
१६	केन्द्रीय डिजाइन केन्द्र, लखनऊ में सर्वेक्षण अधिकारी (डिजाइन)	१	२४	
१७	उत्तर प्रदेश के राजकीय, औद्योगिक एवं प्राविधिक संस्थानों के लिये कर्मशाला अधीक्षक	३	१९	
१८	राजकीय पालीटेक्नीक, कानपुर में :			
	(क) अंग्रेजी ...	२	१६	
	(ख) गणित ...	१	३०	
	(ग) भौतिक शास्त्र, तथा ...	१	१३	

परिशिष्ट ३-क—(क्रमशः)

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	अभ्युक्ति
१	२	३	४	५
	(घ) रसायन शास्त्र में कनिष्ठ व्याख्याता	१	९	
	(ङ) सिविल ..	१	११	
	(च) वैद्युत् ..	१	४	
	(छ) यान्त्रिकी में ड्राइंग इन्स्ट्रक्टर, एवं ..	४	११	
	(ज) हाइड्रालिक्स ..	१	—	
	(झ) सर्वे ..	२	७	
	(ञ) सिविल अभियन्त्रण ..	१	४	
	(ट) ताप अभियन्त्रण ..	२	३	
	(ठ) वैद्युत् अभियन्त्रण ..	१	४	
	(ड) परीक्षण प्रयोगशाला में इन्स्ट्रक्टर ..	१	—	
	(ढ) विज्ञान में इन्स्ट्रक्टर ..	१	३	
	(ण) सहायक कर्मशाला अधीक्षक;	१	७	
	(त) बढ़ईगिरी तथा ढांचा (पैटर्न) निर्माण	३	१९	
	(थ) लोहारी तथा रिवेटिंग ..	२	७	
	(द) प्लम्बरिंग ..	३	६	
	(ध) फाउन्ड्री ..	१	४	

परिशिष्ट ३-क--(क्रमशः)

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम		रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	अभ्युक्ति
१	२		३	४	५
	(न) मशीन शाप	..	३	१६	
	(प) वेल्डिंग	..	१	९	
	(फ) शीट मेटल	..	१	७	
	(ब) रंगाई	..	१	७	
	(भ) कार्यालय ड्राफ्ट्समैन में कर्मशाला इन्स्ट्रक्टर	..	१	४	
१९	यातायात अधीक्षक, राजकीय रोडवेज, परिवहन विभाग	..	२	१०८	
२०	विभिन्न राजकीय पालीटेक्निक्स में--				
	(क) निदर्शक (विद्युत्)	..	१	शून्य	
	(ख) निदर्शक असैनिक		१	१	
	(ग) निदर्शक (यांत्रिक)		१	शून्य	
	(घ) नक्शानवीस (विद्युत्) ; तथा	..	१	२	
	(ङ) नक्शानवीस (असैनिक)	..	२	३	
२१	उ० प्र० उद्योग निदेशालय के अधीन--				
	(क) परीक्षक (जरी), आगरा		१	शून्य	
	(ख) परीक्षक (खेलकूद वस्तु), मेरठ		१	५	

परिशिष्ट ३-क (क्रमशः)

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	अभ्युक्ति
१	२	३	४	५
२२	उ० प्र० श्रमायुक्त के कार्यालय में क्षेत्र विख्यापन अधिकारी ..	१	४०	
२३	स० ना० चि० महाविद्यालय, आगरा में निश्चेतन विज्ञान में व्याख्याता ...	१	१	
२४	प्राविधिक सहायक, स्वास्थ्य शिक्षा शाला ...	१	३	
२५	उ० प्र० उद्योग निदेशालय की पिछड़ी तथा अल्प विकसित क्षेत्र योजना में उत्पादन अधीक्षक ..	२	३१	
२६	सहायक लेखा अधिकारी, मुख्यालय में प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, कानपुर ...	१	४०	
२७	स० ना० चि० म०, आगरा में भेषज विज्ञान में व्याख्याता ...	१	१	
२८	स० ना० चि० म०, आगरा में बायो केमिस्ट्री में प्राध्यापक ..	१	९	
२९	स० ना० चि० म०, आगरा में प्रसूति तथा स्त्री रोग चिकित्सा में व्याख्याता ...	१	६	
३०	उ० प्र० सा० नि० वि० के मुख्य अभियन्ता के कार्यालय में वास्तु सहायक ...	९		
३१	फोरमैन वर्कशाप (बढ़ईगीरी), राजकीय औद्योगिक तथा प्राविधिक संस्थान, उ० प्र० ..	१	२३	
३२	ग० शं० वि० स्मारक चि० म०, कानपुर में भेषज विज्ञान में व्याख्याता ...	१	३	
३३	चिकित्सा अधिकारी (रक्त कोष), ग० शं० वि० स्मारक चि० म०, कानपुर ..	१	२	

परिशिष्ट ३—क—(क्रमशः)

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	अभ्युक्ति
१	२	३	४	५
३४	उत्तर प्रादेशिक मुद्रण औद्योगिक विद्यालय, इलाहाबाद, में निम्नलिखित में व्याख्याता :—			
	(क) ग्राफिक रिप्रोडक्शन ..	१	१	
	(ख) लेदर प्रेस प्रिंटिंग ..	१	५	
	(ग) मेकैनिकल टाइप सेटिंग ..	१	४	
	(घ) फोटो एनग्रेविंग कैमरा आपरेशन ..	१	४	
	(ङ) ग्रेव्योर प्रिंटिंग ..	१	२	
	(च) लिथो प्रिंटिंग ..	१	३	
	(छ) हैंड कम्पोजिंग ..	१	१३	
	(ज) विज्ञान ..	१	१	
	(झ) बाइंडिंग व पैकेजिंग ..	१	६	
	(ञ) ह्यूमैनिटीज, तथा ..	१	४	
	(ट) डुप्लेटिंग प्रासेस ..	१	३	
३५	श्रम विभाग में निरीक्षक परिवहन ..	२०	६०२	११-१-६३ को छंटाई परीक्षा ली गई ।
३६	राजकीय जूनियर प्राविधिक संस्थानों में अभियन्त्रण रेखाचित्र में अनुदेशक ..	१	९	
३७	राजकीय केन्द्रीय वस्त्र संस्थान, कानपुर में निम्नलिखित में कनिष्ठ अनुदेशक :—			
	(क) मेकैनिकल टर्निंग व फिटिंग ..	१	१३	
	(ख) मेकैनिकल वेल्डिंग ..	१	६	

परिशिष्ट ३-क—(क्रमशः)

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	अभ्युक्ति
१	२	३	४	५
	(ग) लोहारी ..	१	६	
	(घ) मोल्डिंग ..	१	७	
	(ङ) बढ़ईगीरी ...	१	१५	
	(च) विद्युत्कार, तथा ..	१	१६	
	(छ) ब्वायलर तथा आपरेशन ...	१	४	
३८	रसायन शास्त्र मे व्याख्याता, जी० सी० टी० आई०, कानपुर ...	१	९	
३९	राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, लखनऊ में रस-शास्त्र तथा द्रव्यगुण निदर्शक ..	१	१०	
४०	श्रम विभाग में वरिष्ठ अनुसंधान सहायक (नियोजन) ..	१	२३	
४१	प्रभारी अभियन्ता, रिफैक्टरी फैक्ट्री प्रायोजना, चुर्क (मिर्जापुर) ..	१	२	
४२	उ० प्र० निदेशालय में सहायक उद्योग निदेशक (कर्घा) ...	१	२८	
४३	मो० ला० ने० चि० महाविद्यालय, इलाहाबाद में सर्जरी में प्रवाचक ...	१	१२	
४४	निश्चेतन विज्ञान में प्रवाचक, मो० ला० ने० चि० महाविद्यालय इलाहाबाद	१	३	
४५	अधीक्षक, राजकीय आयुर्वेदिक तथा यूनानी औषधालय, उ० प्र० ..	१	४	
४६	उप-प्रचाधानाचार्य, राजकीय केन्द्रीय काष्ठशिल्प विद्यालय, बरेली ...	१	१९	
४७	कनिष्ठ चिकित्सा सहायक, आयुर्वेदिक महाविद्यालय, लखनऊ	१	५७	

परिशिष्ट ३–क––(क्रमशः)

क्रम–संख्या	सेवा या पद का नाम	रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन–पत्रों की संख्या	अभ्युक्ति
१	२	३	४	५
४८	जिला उद्योग अधिकारी ग्रेड १ ..	१६	३८०	
४९	भेषज में प्रवाचक, मो० ला० ने० चि० म०, इलाहाबाद तथा महा० शं० वि० स्मारक चि० महा०, कानपुर ...	२	१८	
५०	उ० प्र० फैक्टरियों के मुख्य निरीक्षक ...	१	८	
५१	प्रशिक्षण तथा सेवायोजन विभाग, उ० प्र० में उप अप्रेन्टिसशिप परामर्शदाता ..	१	५	
५२	उ० प्र० उद्योग निदेशालय के अधीन––			
	(क) अधीक्षक (मेट०) (साइकिल के पुर्जे) ..	२	३	
	(ख) अधीक्षक (होजियरी) ..	१	७	
	(ग) अधीक्षक (उड कार्विंग) ..	१	१७	
	(घ) अधीक्षक (जरी) ..	१	शून्य	
	(ङ) अधीक्षक (संगमरमर उद्योग) ...	१	१	
	(च) अधीक्षक (हाथ की छपाई) ...	१	३	
	(छ) अधीक्षक (गलीचा) ...	१	२०	
	(ज) परीक्षक (होजियरी) ..	१	९	
	(झ) परीक्षक (जरी) ...	१	शून्य	
	(ञ) परीक्षक (उड कार्विंग) ..	१	६	

परिशिष्ट ३–क––(क्रमशः)

क्रम–संख्या	सेवा या पद का नाम		रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन–पत्रों की संख्या	अभ्युक्ति
१	२		३	४	५
	(ट) परीक्षक (संगमरमर उद्योग)	...	१	शून्य	
	(ड) परीक्षक (हाथ की छपाई)	..	१	१२	
	(ढ) परीक्षक (गलीचा)		१	६	
	(ण) परीक्षक (चमड़ा), तथा	..	२	१५	
	(त) यांत्रिक नक्शानवीस (साइकिल के पुर्जे)	..	१	३	
५३	भेषज में व्याख्याता, ग० शं० वि० स्मारक चि० म०, कानपुर	..	२	२३	
५४	अधीनस्थ उद्योग सेवा में औद्योगिक निरीक्षक	..	६२	१,१३५	
५५	लेखा अधिकारी (उत्पादन), राजकीय सीमेंट फैक्ट्री, चुर्क (मिर्जापुर)	...	१	१५	
५६	पी० आर० ए० आई० के कर्मचारिवर्ग में कनिष्ठ सहयुक्त (उद्योग)	...	१	२	
५७	निश्चेतन विज्ञान में व्याख्याता, ग० शं० वि० स्मारक चि० म०, कानपुर	...	२	७	
५८	(क) प्रधानाचार्य, ग० शं० वि० स्मा० चि० म०, कानपुर	..	१	६	
	(ख) प्राध्यापक, क्लिनिकल सर्जरी, ,,	..	१	[illegible]	
५९	उ० प्र० उद्योग निदेशालय में औद्योगिक परामर्शद (विद्युत् तथा यांत्रिक अभियन्त्रण)		१	१५	
६०	वरिष्ठ सस्य सहायक, अधीनस्थ गन्ना सेवा (प्राविधिक सेवायें), ग्रूप–१	...	१	१४	

परिशिष्ट ३–क (क्रमशः)

क्रम–संख्या	सेवा या पद का नाम	रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन–पत्रों की संख्या
१	२	३	४
६१	कनिष्ठ विश्लेषक, राजकीय अग्रगामी प्लांट–कम–सर्विस प्रयोगशाला, इलाहाबाद	१	२
६२	उ० प्र० गन्ना आयुक्त के अधीन खंडसारी निरीक्षक ...	४८	१,१६८
६३	उ० प्र० सा० नि० वि० में कम्प्यूटर ...	१८	१९
६४	उ० प्र० श्रम विभाग में मुख्य संख्या सहायक ...	१	२५
६५	पर्यवेक्षक (विद्युत् तथा यांत्रिक), सिंचाई विभाग, उ० प्र०	१००	६१
६६	सहायक अभियन्ता (कर्मशाला), राजकीय सीमेंट फैक्ट्री, चुर्क	१	२
६७	मो० ल० ने० चि० म०, इलाहाबाद में––		
	(क) रचना शरीर में व्याख्याता, तथा ...	१	शून्य
	(ख) शरीर क्रिया विज्ञान में व्याख्याता ...	१	१
६८	कैबिनेट अनुदेशक, राजकीय केन्द्रीय काष्ठशिल्प विद्यालय, बरेली ...	१	१३
६९	उ० प्र० उद्योग निदेशालय के भारी उद्योग अनुभाग में––		
	(क) अनुसंधान सहायक	२	शून्य
	(ख) प्राविधिक सहायक, तथा ...	३	१
	(ग) ओवरसियर ...	१	शून्य
७०	व्यापार चिन्ह उल्लंघन तथा नकली माल की बिक्री को रोकने की विस्तार योजना में अधीक्षक ...	२	१६
७१	उ० प्र० निदेशालय के वाणिज्य संग्रहालय में कलाकार ...	१	८

परिशिष्ट ३–क––(क्रमशः)

क्रम–संख्या	सेवा या पद का नाम	रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन–पत्रों की संख्या
१	२	३	४
७२	उ० प्र० परिचारिका सेवा में सिस्टर ट्यूटर ...	६	६
७३	कल्याण अधिकारी, राजकीय प्रेसीजन इंस्ट्रूमेंट फैक्ट्री, लखनऊ	१	२९
७४	राजकीय पालीटेक्निस में मशीन ड्राइंग और डिजाइन में व्याख्याता ...	१	१
७५	उ० प्र० राजकीय औद्योगिक तथा प्राविधिक संस्थानों में––		
	(क) भाषा अध्यापक (१२०–३०० रु० वेतन क्रम) ...	८	८७
	(ख) विज्ञान अध्यापक (भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र तथा गणित) ...	९	२४
	(ग) विज्ञान अध्यापक (जीव विज्ञान) ...	६	२४
	(घ) भाषा अध्यापक (२००–३५० ० वेतनक्रम) ...	३	३२
७६	उ० प्र० कारागार विभाग में प्रतिकर्म मनोवैज्ञानिक ..	१	८
७७	उ० प्र० स्वास्थ्य शिक्षा केन्द्र में––		
	(क) समाज वैज्ञानिक, तथा	१	८
	(ख) प्राविधिक अधिकारी	१	शून्य
७८	उ० प्र० प्रशिक्षण तथा सेवायोजन विभाग में औद्योगिक संस्थानों के प्रधानाचार्य	५	२२
७९	परीक्षा अधीक्षक, प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उ० प्र० ...	१	१६
८०	राजकीय केन्द्रीय वस्त्र उद्योग, कानपुर में माध्यमिक रंगाई सामग्री तथा रंग रसायन में व्याख्याता ...	१	१

परिशिष्ट ३–क—(क्रमशः)

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या
१	२	३	४
८१	जिला उद्योग अधिकारी, ग्रेड दो	१९	५९०
८२	सहायक उद्योग निदेशक (वसूली तथा उपयोग), उ० प्र०	१	११५
८३	कृषि अधिकारी (वृक्षारोपण), प्रेमनगर, देहरादून, उद्योग विभाग के अधीन	१	१८
८४	उ० प्र० श्रमायुक्त के कार्यालय में गति अध्ययन अधिकारी ..	१	१
८५	गन्ना विकास विभाग के ग्रूप दो में विख्यापन निरीक्षक (प्राविधिक)	१	३२
८६	महिला चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य वीक्षक प्रशिक्षण विद्यालय, उ० प्र०	१	शून्य
८७	खुर्जा में हाई तथा लो टेंशन इंसुलेटर्स के लिये टेस्टिंग लेबोरेटरी में अभियन्ता अधीक्षक	१	शून्य
८८	सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रुड़की में आधारिक अनुसंधान (जलशक्ति) के लिये सहायक अनुसंधान अधिकारी ...	१	४
८९	उद्योग विभाग में सहायक वनस्पतिविद् ...	१	८
९०	कल्याण अधिकारी, राजकीय सीमेंट फैक्ट्री, चुर्क ...	१	५६
९१	उप प्रबन्धक, राजकीय चाक्षुष उपकरण फैक्ट्री, लखनऊ ...	१	३
९२	उ० प्र० उद्योग निदेशालय की औद्योगिक आस्थान योजना के अधीन सहायक प्रबन्धक	२१	५४
९३	उ० प्र० उद्योग निदेशालय की औद्योगिक आस्थान योजना के अधीन नक्शानवीस	१०	५०

परिशिष्ट ३—क—(क्रमशः)

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या
१	२	३	४
९४	उ० प्र० सिंचाई विभाग में फोरमैन ...	६	२८
९५	उप-प्रधानाचार्य (अभियन्त्रण), ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र, उ० प्र०	५	४३
९६	उ० प्र० सा० नि० वि० में फोरमैन (वर्कशाप) ...	१	३
९७	उ० प्र० सिंचाई विभाग के मुख्य अभियन्ता के कार्यालय में संख्याविद्	१	८
९८	विद्युत् एवं यांत्रिक अभियन्ता, रिफैक्टरी फैक्ट्री, चुर्क ...	१	१
९९	मो० ला० ने० चिकित्सा महाविद्यालय, इलाहाबाद में—		
	(क) भेषज विज्ञान में प्राध्यापक	१	६
	(ख) व्याधि विज्ञान में प्राध्यापक	१	
	(ग) रेडियोलाजी में प्रवाचक	१	
	(घ) सर्जरी में व्याख्याता	१	[illegible]
	(ङ) निश्चेतन विज्ञान में व्याख्याता, तथा ...	१	[illegible]
	(च) बायो केमिस्ट्री में व्याख्याता ...	१	[illegible]
१००	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, क्षय रोग निदर्शन तथा प्रशिक्षण केन्द्र, आगरा	१	५
१०१	वास्तुविद्, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उ० प्र० ...	१	२
१०२	उ० प्र० उद्योग निदेशालय में नान-फेरस मेटलवेयर की पुनस्संगठित योजना में विकास अधीक्षक ..	१	[illegible]

परिशिष्ट ३-क--(क्रमशः)

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या
१	२	३	४
१०३	किल्न अभियन्ता, उड सीजनिंग प्लांट योजना, सहारनपुर ..	१	२
१०४	नियोजन विभाग में पशुपालन में प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी (अनुदेशक) ...	१	१६
१०५	रसायन परीक्षक, उ० प्र० के द्वितीय सहायक ...	१	१०
१०६	उ० प्र० गन्ना विकास विभाग में अधीनस्थ गन्ना सेवा के ग्रुप १ में सहायक प्रशिक्षण अधिकारी ...	५	३५
१०७	गुण-चिन्हांकन योजना के अधीन परीक्षक (छींट), फर्रुखाबाद	१	११
१०८	विकास अधिकारी (विद्युत् उद्योग) ..	१	३
१०९	उ० प्र० श्रमायुक्त के कार्यालय में मुख्य लेखा निरीक्षक ...	१	१२
११०	प्रधानाचार्य, राजकीय पालीटेक्निक, गोरखपुर ...	१	६
१११	ग० शं० वि० स्मारक चि० म०, कानपुर में प्रवाचक-सहित वरिष्ठ भेषजिक ..	१	१
११२	मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग में सहायक अधीक्षक (लेखन-सामग्री) ..	१	३८
११३	सहायता तथा पुनर्वासन विभाग, खाद्य तथा रसद विभाग के भूतपूर्व कर्मचारियों तथा विशेष भूमि अवाप्ति अधिकारियों (डिप्टी कलेक्टरों को छोड़कर) के लिये आरक्षित निम्नलिखित पद :---		
	(क) सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) ..	६	[illegible]
	(ख) उ० प्र० श्रम विभाग में सहायक कल्याण अधिकारी	१	१८

परिशिष्ट ३—क—(क्रमशः)

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या
१	२	३	४
	(ग) नियोजन विभाग में खंड विकास अधिकारी ..	५	८४
	(घ) निरीक्षक, सहाकारिता समितियां, ग्रुप—१ .	८	५३
	(ङ०) उ० प्र० प्रशिक्षा तथा सेवायोजन विभाग में सहायक, जिला सेवायोजन अधिकारी ..	३	१६
	(च) उ० प्र० उद्योग विभाग में जिला उद्योग अधिकारी (ग्रेड दो)	५	२८
११४	द्रव्यगुण में व्याख्याता, राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, लखनऊ	१	५
११५	उ० प्र० गन्ना विभाग में वरिष्ठ लेखापरीक्षक ..	५	५०
११६	चिकित्सा अधिकारी (महिला), राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय, गंगरोह (देहरादून) ..	१	शून्य
११७	सर्जरी में प्राध्यापक, ग०श० वि० स्मारक चि० म०, कानपुर	१	६
११८	गन्ना विकास विभाग में भू—रसायनविद् ..	१	८
११९	उ० प्र० उद्योग निदेशालय में अनुसंधान रसायनविद् ...	१	२
१२०	सैद्धांतिक मैकेनिक्स में व्याख्याता, राजकीय पालीटेक्निक, लखनऊ	१	६
१२१	सिंचाई विभाग म—		
	(क) कर्मशाला पर्यवेक्षक—सहित—कोठारी, तथा ..	१	४
	(ख) अनुसंधान पर्यवेक्षक ...	२	१

परिशिष्ट ३—क—(क्रमशः)

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	रिक्तयों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या
१	२	३	४
१२२	राजकीय मृद्‌भांड विकास केन्द्र, खुर्जा की विस्तार योजना मे वरिष्ठ यांत्रिक फोरमैन ..	१	६
१२३	उ० प्र० श्रमायुक्त के कार्यालय में वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी	१	७
१२४	अधीक्षक, गुण–चिन्हांकन (मुख्यालय), कानपुर ..	२	१८
१२५	अधीक्षक, गुण–चिन्हांकन (स्वर्ण तागा), वाराणसी ..	१	२
१२६	,, ,, (गलीचा) खमरिया, वाराणसी	१	५
१२७	,, ,, (आर्टमेटलवेयर), मुरादाबाद	१	२
१२८	रसायनविद् गुण–चिन्हांकन (पक्का कलई), मुरादाबाद ...	१	२
१२९	परीक्षा ,, (ताला), अलीगढ़	१	१
१३०	,, ,, (कैंची), मेरठ ..	१	३
१३१	,, ,, (दरी), आगरा ..	१	१३
१३२	(१) उप–निदेशक; तथा ..	१	२१
	(२) सहायक निदेशक की विलेज स्कीम ..	१	३०
१३३	उ० प्र० पशुचिकित्सा महाविद्यालय, मथुरा में जीवाणु विज्ञान में प्राध्यापक	१	४
१३४	उ० प्र० उद्योग निदेशालय में विकास अधिकारी (शीशा) ..	१	४
१३५	ललित कला में प्राध्यापक, राजकीय कला तथा शिल्प महाविद्यालय, लखनऊ ..	१	१९

परिशिष्ट ३–क—(क्रमशः)

क्रम–संख्या	सेवा या पद का नाम	रिक्तयों की संख्या	प्राप्त आवेदन–पत्रों की संख्या
१	२	३	४
१३६	संस्कृत पाठशालाओं के सहायक निरीक्षक ...	१	३६
१३७	विज्ञान अधिकारी, उ० प्र० राजकीय वेधशाला, नैनीताल	३	१६*
१३८	प्रधानाचार्य, बिड़ला राजकीय डिग्री महाविद्यालय, श्रीनगर, गढ़वाल ...	१	१३
१३९	उ० प्र० सहकारिता सेवा (क्लास–दो) में संख्याविद्	१	२८
१४०	कृषि प्रभारी, जिला दुग्धशाला निदर्शन प्रक्षेत्र, मथुरा	१	२
१४१	अनुसंधान अधिकारी (ब्रुसेलोसिस), पशु–चिकित्सा, महाविद्यालय, मथुरा	१	७
१४२	अधीक्षक, राजकीय अनुमोदित विद्यालय, लखनऊ ...	१	२०
१४३	मटेरिया मेडिका के प्राध्यापक, उ० प्र० पशुचिकित्सा विज्ञान तथा पशुपालन महाविद्यालय, मथुरा ...	१	४
१४४	सहायक ज्योतिर्विद, उ० प्र० राजकीय वेधशाला, नैनीताल (जिसको अब प्रभारी सहायक कहते हैं) ...	३	६
१४५	अधीनस्थ सेवा में सहायक अनुदेशक, सामुदायिक वपनीयन केन्द्र	१	८
१४६	खाल निस्त्वचन, नमक पातकर सुरक्षित करने तथा अन्य उपयोग प्रशिक्षण सहित–उत्पादन केन्द्र, बक्सी–का–तालाब, लखनऊ के विस्तार के ट्रेनिंग सेक्शन में प्रबन्धक (प्राविधिक)	१	

*इस विज्ञापन के निकलने के बाद शासन ने अर्हताओं को घटाकर पदों को पुनर्विज्ञापित करने का अनुरोध किया। तदनुसार एक नया विज्ञापन निकाला गया।

परिशिष्ट ३–क––(क्रमशः)

क्रम–संख्या	सेवा या पद का नाम	रिक्तयों की संख्या	प्राप्त आवेदन–पत्रों की संख्या
१	२	३	४
१४७	राजकीय संग्रहालय, लखनऊ में––		
	(क) सहायक संग्रहाध्यक्ष; तथा ...	१	१
	(ख) प्राविधिक सहायक	१	शून्य
१४८	उ० प्र० फलोपयोग निदेशालय के अधीन जिला उद्यान अधिकारी	४	५४
१४९	निदेशक, पशुपालन लखनऊ के मुख्यालय में––		
	(क) संख्याविद; तथा ...	१	८
	(ख) क्षेत्र अधिकारी (संख्या) ...	१	२
१५०	समाज विज्ञान अनुदेशक, पशुचिकित्सा महाविद्यालय, मथुरा	१	५
१५१	उ० प्र० कृषि–सेवा (वरिष्ठ वेतन–क्रम) के सेक्शन 'सी' में प्रभारी अधिकारी, राजकीय फल अनुसंधान स्टेशन, बस्ती	१	५
१५२	रोग नियंत्रण अधिकारी (सुअर), केन्द्रीय दुग्धशाला प्रक्षेत्र, अलीगढ़	१	८
१५३	कृत्रिम गर्भाधान के कार्मिक की 'इन सर्विस ट्रेनिंग, के अधीन––		
	(क) प्रभारी अधिकारी (प्रशिक्षण); तथा ...	१	७
	(ख) व्याख्याता	१	११
१५४	बिड़ला राजकीय डिग्री महाविद्यालय, श्रीनगर, गढ़वाल में––		
	(क) भौतिक विज्ञान	१	६
	(ख) प्राणिशास्त्र; तथा ...	१	१०
	(ग) वनस्पति विज्ञान प्राध्यापक तथा विभागाध्यक्ष	१	४

परिशिष्ट ३-क--(क्रमशः)

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या
१	२	३	४
१५५	लेखक (हिन्दी), शिक्षा प्रसार कार्यालय, उ० प्र०, इलाहाबाद	१	४८
१५६	सामाजिक एवं नैतिक स्वस्थवृत्त तथा उत्तर रक्षा सेवा योजनाओं में सहायक अधीक्षक, राजकीय उत्तर रक्षा गृह (महिलायें) ...	३	१४
१५७	उपनिदेशक, फलोपयोग, उ० प्र०	१	६
१५८	अधीनस्थ सहकारिता सेवा, ग्रूप १ में वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक	६	३९
१५९	उ० प्र० आबकारी आयुक्त के मुख्यालय में प्राविधिक परामर्शद	१	३
१६०	निदेशक, चलचित्र उत्पादन, केन्द्रीय चलचित्र पुस्तकालय, इलाहाबाद	१	७
१६१	उ० प्र० कृषि निदेशक के मुख्यालय में :--		
	(क) जीवाणुविद्	१	९
	(ख) लसीकाविद्	१	९
	(ग) कुक्कुट विकास अधिकारी	१	११
१६२	प्रक्षेत्र अधीक्षक, राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र, चक गंजरिया, लखनऊ	१	१६
१६३	उ० प्र० फलोद्योग निदेशक के अधीन वृक्ष शरीर क्रियाविद्	१	५
१६४	पशुचिकित्सा विज्ञान में सहायक प्राध्यापक-सहित-सर्जन, राजकीय कृषि महाविद्यालय, कानपुर ..	१	११
१६५	उप भूरसायनविद्, गन्ना अनुसंधान उपस्टेशन, मुजफ्फरनगर	१	१३

परिशिष्ट ३--क---(क्रमशः)

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या
१	२	३	४
१६६	हिन्दी में व्याख्याता, का० न० राजकीय डिग्री महाविद्यालय, ज्ञानपुर ..	२	२२
१६७	वि० अ० शि० सेवा में राजकीय महाविद्यालय के लिये व्याख्याता (अभियंत्रण) ...	८	८
१६८	उ० प्र० कृषि सेवा, निम्न वेतन-क्रम में :--		
	(क) रोग विष विकृतिविद्	१	९
	(ख) कीटविद्	१	१९
	(ग) शरीर क्रियाविद, तथा ..	१	११
	(घ) औद्यानिक	१	११
१६९	निदेशक, मनोविज्ञानशाला, उ० प्र०, इलाहाबाद ..	१	४
१७०	प्राध्यापक तथा फारसी विभागाध्यक्ष, राजकीय रजा डिग्री महाविद्यालय, रामपुर ..	१	८
१७१	उ० प्र० अर्थ एवं संख्या निदेशालय में मुख्य ग्राफ आर्टिस्ट	१	५
१७२	निम्नलिखित विषयों में राजकीय डिग्री महाविद्यालयों में व्याख्याता :--		
	(क) अंग्रेजी	२	६
	(ख) भौतिकविज्ञान .	२	१
	(ग) सैद्धांतिक भौतिक विज्ञान ...	१	शून्य
	(घ) भूगोल	१	९
	(ङ) वनस्पति विज्ञान ...	१	२

परिशिष्ट ३—क—(क्रमशः)

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या
१	२	३	४
१७३	निम्नलिखित विषयों में दान सिंह विष्ट राजकीय डिग्री महाविद्यालय, नैनीताल/का० न० रा० डिग्री म०, वाराणसी में व्याख्याता—		
	(क) प्राणिशास्त्र	२	९
	(ख) भौतिक रसायन शास्त्र	१	४
	(ग) भूगोल	१	१७
१७४	अधीनस्थ कृषि सेवा, ग्रुप १ के विभिन्न पद—		
	१—वनस्पति विज्ञान में व्याख्याता ...	१	१०
	२—अभियंत्रण में व्याख्याता ...	१	२
	३—प्राणिशास्त्र तथा कीट विज्ञान में व्याख्याता ...	१	१८
	४—विस्तार में व्याख्याता	१	८
	५—उद्यान कार्य में व्याख्याता	१	१३
	६—वनस्पति रोग विज्ञान में व्याख्याता ...	१	१२
	७—समाज विज्ञान में अनुदेशक	१	१४
	८—विस्तार में अनुदेशक	१	११
	९—सस्य विज्ञान में व्याख्याता	१	२०
	१०—कृषि अर्थशास्त्र में व्याख्याता... ...	१	२०
	११—अनुसंधान सहायक (कृषि अर्थशास्त्र) ...	२	३८

परिशिष्ट ३-क--(क्रमशः)

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या
१	२	३	४
	१२--कलाकार	३	१४
	१३--वरिष्ठ अनुसंधान सहायक (कीट विज्ञान) ..	५	५०
	१४--वरिष्ठ वृक्ष रक्षा सहायक	१७	१५८
	१५--संख्या सहायक	८	५४
	१६--वरिष्ठ अनुसंधान सहायक (वनस्पति विज्ञान) ..	१	९३
	१७--वरिष्ठ अनुसंधान सहायक (कवक विज्ञान) ..	७	४९
	१८--वरिष्ठ वृक्ष रक्षा सहायक (कवक विज्ञान) ..	५	७०
	१९--वरिष्ठ अनुसंधान सहायक (रसायन शास्त्र) ..	८	६६
	२०-- ,, ,, ,, (शरीर क्रिया विज्ञान)	५	२४
	२१-- ,, ,, ,, (सस्य विज्ञान) ..	१४	११४
	२२-- ,, ,, ,, (उद्यान कर्म) ..	५	५१
	२३--वरिष्ठ उद्यान अनुदेशक (विकास) ..	१८	२३४
	२४--उद्यान कर्म में अनुदेशक ..	१	११
	२५--वरिष्ठ सहायक, अग्रोस्टोलाजी-सहित-वनरोपण	२	३१
	२६--वनविज्ञान में अनुदेशक	२	६
	२७--मृत्तिका विज्ञान में अनुदेशक	२	१९

परिशिष्ट ३-क--(क्रमशः)

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या
१	२	३	४
	२८--वरिष्ठ सहायक (अभियंत्रण) ..	२	१
	२९--प्राविधिक सहायक (अभियंत्रण) ..	७	९
	३०--भू-संरक्षण निरीक्षक ..	१	२९
	३१--सदस्य, अधीनस्थ कृषि सेवा, ग्रूप-१ (सूखी खेती योजना) ..	३	७८
	३२--प्रभारी क्षेत्र निदर्शन ..	२	३९
	३३--रसायन विश्लेषक ..	१	१८
	३४--वरिष्ठ क्रय-विक्रय निरीक्षक ..	१०	२५८
	३५--वरिष्ठ रसायनविद् ..	१	११
	३६--तेल बीज निरीक्षक ..	८	१८०
	३७--वरिष्ठ रुई विकास निरीक्षक ..	२	३६
	३८--सदस्य, अ० कृ० सेवा, ग्रूप-१ (बीज योजना)	१४	४०३
	३९--विद्यालय में व्याख्याता ..	१	७
	४०--विद्यालय में व्याख्याता ..	१	१५
	४१--अ० कृ० सेवा, ग्रूप दो (विकास) ..	२५९	५२५
	४२--कनिष्ठ अनुसंधान सहायक (सस्य विज्ञान)	१०	९३
	४३-- ,, ,, ,, (कीट विज्ञान)	९	६५

परिशिष्ट ३—क—(क्रमशः)

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या
१	२	३	४
	४४—कनिष्ठ अनुसंधान सहायक (वनस्पति रोग विज्ञान)	९	३४
	४५—रसायन सहायक	७	३७
	४६—अधीनस्थ कृषि सेवा ग्रूप दो (उद्यान कर्म) ...	६०	२८१
	४७—सहायक व्याख्याता	१	१७
	४८—कलाकार	८	८
	४९—ओवरसियर	९४	७४
१७५	उ० प्र० कृषि सेवा, कनिष्ठ वेतन-क्रम के सेक्शन 'सी' में गन्ना अनुसंधान स्टेशन, शाहजहांपुर में—		
	सहायक कृषि रसायनविद्	१	११
	सांख्यिक	१	१७
	गन्ना सस्यविद्	१	१५
	उ० प्र० फलोपयोग निदेशालय के अधीन अधीनस्थ सेवा, ग्रूप १ में—		
१७६	सहायक निदेशक, कोआप० मार्केटिंग (मत्स्य) ...	१	८
१७७	वरिष्ठ शरीर क्रिया विज्ञान सहायक ...	१	४
१७८	अधीनस्थ सहकारिता सेवा, ग्रूप दो में सहकारिता निरीक्षक	५०	१,१३८

परिशिष्ट ३-क--(क्रमशः)

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या
१	२	३	४
	राजकीय संग्रहालय, लखनऊ के लिये--		
१७९	(क) प्राविधिक सहायक	१	२३
	(ख) सहायक संग्रहाध्यक्ष	१	२२
	(ग) गाइड लेक्चरर	३	२९
१८०	अधीनस्थ सहकारिता सेवा के सेक्शन 'क' में महिला निरीक्षक, ग्रूप दो	१	१५
१८१	उ० प्र० कृषि सेवा, निम्न वेतन-क्रम के सेक्शन 'सी' में--		
	(क) सहायक औद्यानिक		४०
	(ख) औद्यानिक, झांसी	१	२१
	(ग) कनिष्ठ औद्यानिक, चकराता ..	१	२९
	(घ) सहायक पुष्प कृषि अधिकारी, सहारनपुर ...	१	२४
	(ङ) पोमोलाजिस्ट, सहारनपुर ...	१	२२
	(च) फ्रूट ब्रीडर, सहारनपुर ...	१	११
	(छ) विरोलाजिस्ट, सहारनपुर ...	१	८
	(ज) साइटोजेनेटिजिस्ट, सहारनपुर ...	१	७
१८२	कानपुर दुग्ध योजना में--		
	(क) मुख्य दुग्ध विकास अधिकारी ...	१	१३
	(ख) दुग्ध विकास अधिकारी ...	१	२०
	(ग) दुग्ध प्रौद्योगविद्	१	८

परिशिष्ट ३–क (क्रमशः)

क्रम–संख्या	सेवा या पद का नाम	रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन–पत्रों की संख्या
१	२	३	४
१८३	राजकीय डिग्री महाविद्यालयों के लिये अर्थशास्त्र में व्याख्याता	१	१०
१८४	सघन कृषि जिला कार्य–क्रम, अलीगढ़ के अधीन उ० प्र० कृषि सेवा, कनिष्ठ वेतन–क्रम के सेक्शन 'डी' में बीज विकास अधिकारी	१	११
१८५	सिने फोटो आर्टिस्ट, उ० प्र० पशु–चिकित्सा महाविद्यालय, मथुरा	१	९
१८६	उ० प्र० पशुपालन निदेशक के अधीन प्राविधिक सहायक	१	१७
१८७	कलाकार, शिक्षा प्रसार कार्यालय, इलाहाबाद ...	१	१
१८८	मुख्य रसायनविद्, राजकीय फलसंरक्षण तथा वपनीयन संस्थान, लखनऊ	१	९
१८९	उत्पादन–सहित–बिक्री प्रबन्धक, राजकीय प्रासेसिंग फैक्ट्री, फूलबाग	१	८
१९०	लोक सेवा आयोग, उ० प्र० के कार्यालय के पुस्तकालय में पुस्तकाध्यक्ष	१	७
१९१	पशु–चिकित्सा महाविद्यालय, मथुरा, उ० प्र० में—		
	(क) औषधि में व्याख्याता ..	१	११
	(ख) सर्जरी में व्याख्याता ..	१	३
	(ग) प्रसूति चिकित्सा में व्याख्याता ..	१	२
१९२	महिला अधीक्षक, राजकीय महिला शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय	१	१२

परिशिष्ट ३–क—(क्रमशः)

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या
१	२	३	४
१९३	निबन्धक, सहकारिता समितियां, उ० प्र० के अधीन प्रासेसिंग तथा वेरहाउसिंग स्कीम में यांत्रिक सहित विद्युत् ओवरसियर	२	३
१९४	निबन्धक, सहकारिता समितियां, उ० प्र० के अधीन प्रासेसिंग तथा वेरहाउसिंग स्कीम में सिविल ओवरसियर ..	१	५
१९५	प्रधानाचार्या, राजकीय गृह विज्ञान महाविद्यालय, इलाहाबाद	१	४
१९६	उ० प्र० फलोपयोग निदेशालय के अधीन अधीनस्थ सेवा, ग्रुप २ में विद्युत् एवं यांत्रिक सहायक ..	१	७
१९७	क्षेत्र सहायक, पशु पुष्टाहार अनुभाग, भरारी ..	१	३
१९८	ग्रीष्मकाल में भैंसों की प्रजनन विफलता के कारणों के अध्ययन की योजना के लिये सहायक अनुसंधान अधिकारी	१	[illegible]
१९९	सूचना निदेशालय, उ० प्र० में पत्रकार (हिन्दी) ..	२	२३
२००	अनुसंधान सहायक (कीटविद्), डी० एस० बी० डिग्री महाविद्यालय, नैनीताल	१	३
२०१	उ० प्र० अधीनस्थ सहकारिता सेवा में लेखा परीक्षक ..	८०	९,३३
२०२	बायोकेमिस्ट, फल अनुसंधान स्टेशन, बस्ती, उ० प्र० कृषि सेवा कनिष्ठ वेतन–क्रम के अनुभाग 'ग' में ..	१	५
२०३	चकगंजरिया क्षेत्र, लखनऊ में एक क्षेत्रीय अनुसंधान उप-केन्द्र स्थापित करने की योजना में सहायक अनुसंधान अधिकारी	१	३
२०४	भूगर्भ शास्त्र एवं खनिकर्म निदेशालय, उ० प्र० में—		
	(क) वरिष्ठ जियो-केमिस्ट, तथा ..	१	२
	(ख) सहायक भूगर्भशास्त्री	२	२३

परिशिष्ट ३-क--(क्रमशः)

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या
१	२	३	४
२०५	अर्थ एवं संख्या विभाग, उ० प्र० में आर्थिक अभिसूचना निरीक्षक	३०	३१४
२०६	सहायक शरीर क्रियाविद्, उद्यान अनुसंधान संस्थान, सहारनपुर, उ० प्र० कृषि सेवा, कनिष्ठ वेतन-क्रम के अनुभाग 'ग' में	१	९
२०७	राजकीय दुग्धशाला, आगरा के लिये सहायक दुग्धशाला अभियन्ता	१	५
२०८	उ० प्र० पशु चिकित्सा महाविद्यालय, मथुरा में--		
	(क) थेराप्यूटिक्स में व्याख्याता ...	१	८
	(ख) रेडियोलाजी में व्याख्याता ...	१	४
	(ग) टेक्सीकोलॉजी में व्याख्याता ...	१	४
२०९	पशुचिकित्सा महाविद्यालय, मथुरा में--		
	(क) दुग्धोद्योग मे प्राध्यापक ...	१	२
	(ख) भ्रूण विज्ञान में व्याख्याता ...	१	२
२१०	दुग्धशाला प्रबन्धक, सहकारिता दुग्ध संघ, उ० प्र० सहकारिता सेवा क्लास दो में ...	१	९
२११	क्षेत्रीय आधार पर भेड़ तथा ऊन सुधार योजना के अन्तर्गत प्रभारी, अधिकारी क्रास ब्रीडिंग विथ पोलवर्थ ...	१	८
२१२	प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी (१२०-३०० रु०) में सहायक अध्यापिका (अंग्रेजी) ...	४	५६*

*पद पुनर्विज्ञापित/आवेदन-पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि २५-५-६३।

परिशिष्ट ३–क––(क्रमशः)

क्रम–संख्या	सेवा या पद का नाम	रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन–पत्रों की संख्या
१	२	३	४
२१३	अधीनस्थ शिक्षा सेवा में राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय में तैराकी तथा मालिश में व्याख्याता ...	१	५
२१४	राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, रामपुर मे व्याख्याता शारीरिक शिक्षा ..		२२
२१५	निम्नलिखित विषयों में वि० अ० शि० सेवा में सहायक अध्यापक––		
	(क) अंग्रेजी	८	११०
	(ख) गणित	८	१०४
	(ग) भौतिक विज्ञान	११	२५
	(घ) रसायन शास्त्र	८	२५
	(ङ०) मनोविज्ञान	१	२१
	(च) इतिहास	५	११५
	(छ) भूगोल	६	१५[illegible]
	(ज) अर्थशास्त्र	६	१०६
	(झ) वाणिज्य	३	३४
	(ञ) जीव विज्ञान	२०	७[illegible]
	(ट) नागरिक शास्त्र	४	६५
२१६	अर्थ एवं संख्या विभाग, उ० प्र० में ग्राफ आर्टिस्ट ...	२	८

परिशिष्ट ३–क—(क्रमशः)

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम		रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या
१	२		३	४
२१७	अ० शि० सेवा में सहायक बालिका विद्यालय निरीक्षिका	...	५८	१८०
२१८	उ० प्र० कृषि विभाग में लेखा अधिकारी	...	३	८४
२१९	सहायक कृषि विपणन अधिकारी, उ० प्र० कृषि सेवा, कनिष्ठ वेतन-क्रम में	...	३	३९
२२०	प्रभारी अधिकारी, मत्स्य इन-ट्रेनिंग सेवा, प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ	...	१	१२
२२१	राजकीय पालीटेक्निक, बक्शी का तालाब, लखनऊ में—			
	(क) भौतिक विज्ञान में कनिष्ठ व्याख्याता	...	१	शून्य
	(ख) गणित में कनिष्ठ व्याख्याता	...	१	५
	(ग) अंग्रेजी में कनिष्ठ व्याख्याता	...	१	शून्य
	(घ) रसायन शास्त्र में कनिष्ठ व्याख्याता	...	१	१
२२२	राजकीय डिग्री महाविद्यालयों में निम्नलिखित विषयों में व्याख्याता—			
	(क) भौतिक विज्ञान ...	...	१	३
	(ख) रसायन शास्त्र ...	...	१	१५
	(ग) वनस्पति विज्ञान ...	...	१	१२
२२३	सहायक प्रबन्धक, जिला दुग्धशाला निदर्शन क्षेत्र, मथुरा	...	१	३
२२४	कर्मशाला अधीक्षक, राजकीय पालीटेक्निक, कानपुर	...	१	४

परिशिष्ट ३-क—(क्रमशः)

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या
१	२	३	४
२२५	माध्यमिक रंगने के द्रव्य (डाइज) तथा रंग रसायनशास्त्र में व्याख्याता	१	—*
२२६	मशीन ड्राइंग में निदर्शक	१	२*
२२७	रसायनशास्त्र में निदर्शक	१	३*
२२८	कार्डिंग में निदर्शक	१	—*
२२९	छपाई में निदर्शक, तथा	१	३*
२३०	मर्सराइजिंग तथा ब्लीचिंग में निदर्शक राजकीय केन्द्रीय वस्त्र संस्थान, कानपुर में ...	१	—*
२३१	अधिशासी अभियंता (नियोजन तथा सर्वे) ..	१	५
२३२	सहायक अभियन्ता (नियोजन तथा सर्वे) ...	१	९
२३३	सहायक नियोजक	१	३
२३४	मुख्य अभियन्ता, नगर तथा ग्राम नियोजन, उ० प्र० के वैयक्तिक सहायक (प्राविधिक) ...	१	५
	नगर तथा ग्राम नियोजन विभाग, उ० प्र०, में रूरल हाउसिंग सेल में—		
२३५	सहायक समाज विज्ञानवेत्ता ...	१	३०
२३६	अधिशासी अभियन्ता (नगर नियोजन) ...	१	४

*यह प्रतिवेदित किया गया है कि इन पदों के उन्नयन का प्रश्न शासन के विचाराधीन है। अतः इन पदों का चुनाव रोक दिया गया है।

परिशिष्ट ३–क—(क्रमशः)

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम		रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या
१	२		३	४
२३७	सहायक अभियन्ता (वास्तुविद्या) ...	...	१	१४
२३८	सहायक अभियन्ता (वास्तु विद्या) ...	...	१	२
२३९	अ० शि० सेवा में सहायक अध्यापक (हिन्दी)	...	६२	३४२
२४०	वरिष्ठ ड्राइंग अनुदेशक (यांत्रिक) ...	...	२	१३
२४१	वरिष्ठ अनुदेशक (रेडियो मेकेनिक) ...	...	१	२
२४२	ड्राइंग में कनिष्ठ अनुदेशक—			
	(क) यांत्रिक ...	...	२	११
	(ख) असैनिक ...	...	२	४
२४३	निदर्शक—			
	(क) असैनिक अभियंत्रण ...	...	६	७
	(ख) यांत्रिक अभियंत्रण ...	...	५	५
	(ग) विद्युत् अभियंत्रण ...	...	३	५
२४४	कर्मशाला अनुदेशक—			
	(क) फाउन्ड्री ...	...	३	२४
	(ख) वेल्डिंग ...	...	३	२०
	(ग) पैटर्न मेकिंग ...	...	३	६
	(घ) शीट मेटल तथा पेंटिंग ...	...	३	१३
	(ङ) फीटिंग तथा प्लम्बिंग ...	...	३	२५
	(च) मशीन शाप, तथा ...	...	४	२५
	(छ) लोहारी ...	..	१	५

परिशिष्ट ३-क —(समाप्त)

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या
१	२	३	४
२४५	प्रधानाचार्य, राजकीय डिग्री महाविद्यालय, नैनीताल/ज्ञानपुर	१	१६
२४६	पशुधन अनुसंधान केन्द्र, मथुरा में एक संख्या अनुभाग स्थापित करने की योजना में सांख्यिक ...	१	१२
२४७	वाणिज्य में व्याख्याता, डी० एस० बी० डिग्री महाविद्यालय, नैनीताल ...	१	७
	उ० प्र० सूचना विभाग की हिन्दी समिति में—		
२४८	बिक्री प्रबन्धक	१	२
२४९	संपादक	१	२
२५०	डिजाइनर, जूता अग्रगामी केन्द्र, बस्ती ...	१	१४
२५१	कर्मशाला अधीक्षक, राजकीय पॉलीटेक्निक, कानपुर ...	१	४
२५२	कनिष्ठ सस्य सहायक, तथा ...	१८	६७
२५३	कनिष्ठ रसायन सहायक अधीनस्थ गन्ना सेवा में ...	२	६
२५४	अ० शि० सेवा में सहायक अध्यापक (शारीरिक शिक्षा) ...	८	३४
२५५	वि० अ० शि० सेवा में सहायक अध्यापक (हिन्दी) ...	५	१८६
	योग ..	१९५७	२१,३४५

परिशिष्ट ४

बिना विज्ञापन के भर्ती

क्रम-संख्या	सेवा या पद	अभ्यर्थियों की संख्या, जिन पर विचार किया गया	अभ्युक्ति अथवा अनुमोदन के कारण
१	२	३	४
१	उ० प्र० सा० नि० विभाग में ओवरसियर	२	अननुमोदित । सुझाव दिया गया कि उनकी सेवायें तुरन्त समाप्त कर दी जायं ।
२	उ० प्र० पुलिस सेवा	१	अनुमोदित ।
३	पी० एस० एम० एस०	१	१५-२-५८ से ३१-८-६० तक का कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया ।
४	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा	५	साक्षात्कार के बाद विलीनीकरण के लिये अनुमोदित किया गया ।
५	सहायक अध्यापक	४	साक्षात्कार के बाद २ अभ्यर्थियों को अधीनस्थ शिक्षा सेवा (एल० टी० वेतन-क्रम) में तथा २ अभ्यर्थियों को अधीनस्थ शिक्षा सेवा (सी० टी० वेतन-क्रम) में विलीनीकरण के लिये अनुमोदित किया गया ।
६	भूमि-व्यवस्था विभाग, उ० प्र० में लेखा अधिकारी	१	पुष्टिकरण के उपयुक्त नहीं पाया गया । परामर्श दिया गया कि वह उस समय तक प्रतीक्षा करे जब तक उसे अच्छी प्रविष्टियां न मिल जायं ।
७	उद्योग निदेशालय, उत्तर प्रदेश में भवन ओवरसियर	१	सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश में ओवरसियर के लिये चुनाव के आधार पर अनुमोदित किया गया ।

परिशिष्ट ४—(क्रमशः)

बिना विज्ञापन के भर्ती

क्रम-संख्या	सेवा या पद	अभ्यर्थियों की संख्या, जिनपर विचार किया गया	अभ्युक्ति अथवा अनुमोदन के कारण
१	२	३	४
८	सरोजिनी नायडू चिकित्सा महाविद्यालय, आगरा में अनेस्थीसिया में प्रवाचक	१	अननुमोदित। चूंकि पद विज्ञापित किया जा चुका था, इसलिये शासन को सूचित किया गया की विज्ञापन को वापस लेने का प्रश्न ही नहीं उठता।
९	उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा निम्न वेतन-क्रम।	१	अनुमोदित।
१०	श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश के अधीन डाक्टर (एलोपैथिक)	३	दो अभ्यर्थियों को अनुमोदित किया गया शेष एक ने त्याग-पत्र दे दिया था। अतः उसके अनुमोदन का प्रश्न नहीं उठता था।
११	उद्योग निदेशालय, उत्तर प्रदेश के अधीन सहायक निर्यात व्यापार विकास अधिकारी	१	अननुमोदित। पद को पुर्नविज्ञापित करने का सुझाव दिया गया।
१२	उद्योग परामर्शी (औद्योगिक अर्थशास्त्र)	२	दोनों अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिये बुलाये गये थे, किन्तु १९ नवम्बर, १९६२ को केवल एक ही उपस्थित हुआ साक्षात्कार के बाद पद पर नियुक्ति के लिये उसको अनुमोदित किया गया।
१३	जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी	५०	४५ अनुमोदित किये गये। शेष ५ अधिकारियों के मामलों में आयोग ने परामर्श दिया कि उनका काम एक वर्ष तक देखा जाय और तब उनके पास प्रतिवेदन भेजा जाय।

परिशिष्ट ४—(क्रमशः)

बिना विज्ञापन के भर्ती

क्रम-संख्या	सेवा या पद	अभ्यर्थियों की संख्या, जिन पर विचार किया गया	अभ्युक्ति अथवा अनुमोदन के कारण
१	२	३	४
१४	सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश में विद्युत्-सहित-यांत्रिक ओवरसियर	१	अननुमोदित। संशोधित अर्हताओं के साथ पद को पुनर्विज्ञापित करने का परामर्श दिया गया।
१५	बुनाई अध्यापक, राजकीय केन्द्रीय-वस्त्रोद्योग संस्थान, कानपुर	१	अनुमोदित।
१६	श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश में ओवरसियर	१३	सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश में ओवरसियर के पदों के लिये किये गये चुनाव के आधार पर अनुमोदित।
१७	प्रशिक्षण तथा सेवा योजना विभाग में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में फोरमैन	१	अनुमोदित।
१८	राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश, रामपुर में शारीरिक शिक्षा में व्याख्याता	१	अननुमोदित। पद को पुनर्विज्ञापित करने का परामर्श दिया गया।
१९	गुण चिह्नांकन योजना में केन्द्रीय नियंत्रक	१	तदेव
२०	मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश में ओवरसियर	६	सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश में ओवरसियर के पदों के लिये किये गये चुनाव के आधार पर अनुमोदित।
२१	राजकीय सीमेंट फैक्टरी, चुर्क में कल्याण अधिकारी	१	अननुमोदित। पद को पुनर्विज्ञापित किया गया।

परिशिष्ट ४—(क्रमशः)

बिना विज्ञापन के भर्ती

क्रम-संख्या	सेवा या पद	अभ्यर्थियों की संख्या, जिन पर विचार किया गया	अनुमोदित अथवा अननुमोदन के कारण
१	२	३	४
२२	पशुपालन निदेशालय, उत्तर प्रदेश के मुख्यालय में मत्स्य बाइयोलॉजिस्ट, जिसका नाम अब उपनिदेशक मत्स्य (अनुसंधान) पड़ा है	१	अनुमोदित।
२३	अधीनस्थ शिक्षा सेवा के एल० टी० ग्रेड में सहायक अध्यापक (संगीत)	१	अननुमोदित। यह सुझाव दिया गया कि वह अन्यों के साथ चुनाव में भाग ले और यह भी कहा गया कि आयोग की नीति यह नहीं है कि आर्थिक कठिनाई अथवा शारीरिक असमर्थता के कारण साक्षात्कार से छूट दे दी जाय।
२४	बक्शी-का-तालाब में ५००—१,२०० रु० वेतन-क्रम में प्रधानाचार्य	१	अननुमोदित। यह सुझाव दिया गया कि पद को सीधी भर्ती द्वारा भरा जाय और संबंधित अधिकारी चाहे तो उसके साथ भाग ले सकता है।
२५	पशुचिकित्सा विज्ञान तथा पशु-पालन महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश में भवन ओवरसियर	१	सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश में ओवरसियर के पदों के लिये किये गये चुनाव के आधार पर अनुमोदित।
२६	उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश में २००—३०० रु० वेतन-क्रम में परीक्षक (विशेष संविदा)	१	अननुमोदित। यह सुझाव दिया गया कि निर्धारित अर्हताओं को रखने वाले लिपिक वर्गीय कर्मचारियों से ही आवेदन-पत्र आमंत्रित करते हुए पद को पुनर्विज्ञापित किया जाय।

परिशिष्ट ४—(समाप्त)

बिना विज्ञापन के भर्ती

क्रम-संख्या	सेवा या पद	अभ्यर्थियों की संख्या, जिन पर विचार किया गया	अभ्युक्ति अथवा अनुमोदन के कारण
१	२	३	४
३४	नायब-तहसीलदार	३	आयोग ने उन तीन अभ्यर्थियों का साक्षात्कार किया, जो कानूनगो ट्रेनिंग स्कूल, हरदोई की अंतिम परीक्षा में प्रथम तीन स्थान प्राप्त किये थे और उनमें से एक को अधीनस्थ राजस्व अधिशासी सेवा (नायब-तहसीलदार) नियमावली के नियम १८ (२) के अधीन नियुक्ति के लिये चुना।
	योग ..	१३६	

परिशिष्ट—४-क

विना विज्ञापन के भर्ती—१ अप्रैल, १९६३ को न निबटाये गये मामलों की सूची

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	अभ्यर्थियों की संख्या	अभ्युक्ति, यदि
१	२	३	४
१	सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश में ओवरसियर	१	वर्ष की समाप्ति के समय प्राप्त हुआ ।
२	सहायक अध्यापक (भाषा)	१	तदेव
३	उत्तर प्रदेश असैनिक (अधि-शासी शाखा) सेवा	१०	तदेव
४	उत्तर प्रदेश असैनिक (अधिशासी शाखा) सेवा के संवर्ग में सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने के लिए विशेष भूमि अवाप्ति अधिकारी	१३	तदेव
५	प्रान्तीय चिकित्सा सेवा प्रथम	१	तदेव
६	सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश में कम्प्यूटर	४३	[illegible] तथा चरित्रा-वलियों की प्रविष्टियों के अभाव में, जो मांगी गयी थीं, न निबटाया जा सका ।
७	(क) २५०—५०० रु० वेतनक्रम में ध्वनि अभियन्ता (अराज-पत्रित)	१	निबटाया न जा सका
	(ख) २००—४५० रु० वेतन-क्रम में प्रयोगशाला प्रभारी	१	
	(ग) शिक्षा प्रसार कार्यालय में २००—४०० रु० वेतन-क्रम में फिल्म सम्पादक	१	

परिशिष्ट—४—क (क्रमशः)

बिना विज्ञापन के भर्ती—१ अप्रैल, १९६३ को न निपटाये गये मामलों की सूची

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	अभ्यर्थियों की संख्या	अभ्युक्ति, यदि कोई हो
१	२	३	४
८	सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश में सहायक यान्त्रिक अभियन्ता	१	निपटाया न जा सका।
९	सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश में ड्रिलर	१	तदेव
१०	शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश में २००—४५० रु० वेतन-क्रम में व्याख्याता (शारीरिक प्रशिक्षण)।	१	वर्ष की समाप्ति के समय प्राप्त हुआ।
११	औद्योगिक विश्लेषक प्रयोगशाला, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के ड्रग सेक्शन में सहायक राजकीय विश्लेषक (ड्रग्स)	१	निपटाया न जा सका।
१२	सरोजिनी नायडू चिकित्सा महाविद्यालय, आगरा में दन्त विज्ञान में प्रवाचक	१	वर्ष की समाप्ति के समय प्राप्त हुआ।
१३	फलोपयोग निदेशक, रानी खेत के मुख्यालय में उद्यान शास्त्रविद्	१	निपटाया न जा सका।
१४	पन्त नगर प्रक्षेत्र में:—		
	(क) ग्रुप १ में कृषि निरीक्षक	४	वर्ष की समाप्ति के समय प्राप्त हुआ।
	(ख) ग्रुप १ में फोरमैन मेकेनिक	४	
	(ग) ग्रुप २ में कृषि निरीक्षक	१३	
	(घ) ग्रुप २ में मेकेनिक्स	६	

परिशिष्ट—४-क (समाप्त)

बिना विज्ञापन के भर्ती—१ अप्रैल, १९६३ को न निबटाये गये मामलों की सूची

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	अभ्यर्थियों की संख्या	अभ्युक्ति, यदि कोई हो
१	२	३	४
१५	परीक्षक (ऊनी गलीचा),खमरिया तथा भदोही	२	वर्ष की समाप्ति के समय प्राप्त हुआ ।
१६	उद्योग निदेशालय, उत्तर प्रदेश में गुणचिह्नांकन योजना के अधीन परीक्षक (आर्ट, मेटल वेयर)	१	तदेव
१७	पाइलट प्रोजेक्ट क्षेत्र देवबन्द, सहारनपुर, में लकड़ी के खिलौनों के लिये कलाकार सहित इन्स्ट्रक्टर	२	निबटाया न जा सका ।
१८	अनुसंधान सहायक, पशुधन अनुसंधान सब-स्टेशन, पशुलोक, ऋषिकेश, देहरादून	१	वर्ष की समाप्तिके समय प्राप्त हुआ ।
१९	पी० आर० ए० आई० के कर्मचारि-वर्ग में वातावरणीय स्वच्छता तथा स्वास्थ्य शिक्षा योजना में अभियन्ता	१	निबटाया न जा सका ।
२०	अधीनस्थ शिक्षा सेवा में कला अध्यापक	१	मामले को जुलाई, १९६३ ई० में भेजने का सुझाव दिया गया ।
	योग	११३	

परिशिष्ट—

पदोन्नति

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	रिक्त स्थानों की संख्या	अभ्यर्थियों की संख्या		चुनाव समिति की बैठक की तिथि
			जिन पर विचार किया गया	जो साक्षात्कार के लिये बुलाये गये	
१	२	३	४	५	६
१	पंचायत राज विभाग, उत्तर प्रदेश में सहायक जिला पंचायत अधिकारी	२१	४४३	२२४	२८ फरवरी, १, २, ५, ६, ७, १२, १४, एवं १५ मार्च, १९६२
२	आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा निदेशक, उत्तर प्रदेश के वैयक्तिक सहायक	१	३	३	१३ मार्च, १९६२
३	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा निदेशक के वैयक्तिक सहायक	१	१३	१३	१३ मार्च, १९६२
४	सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश में उपराजस्व अधिकारी	३५	५४	३६	२६, २७ एवं २८ मार्च, १९६२
५	सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश में सहायक अभियन्ता	६७	१०१	७४	२, ३, एवं ४ अप्रैल, १९६२
	ताड़ी प्रर्यवेक्षक से आबकारी निरीक्षक	४	१३	९	१६ अप्रैल, १९६२
७	उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में उप-पुलिस अधीक्षक	१५८	२२१	२२१	२, ३, ४, ५, ७, ८, ९, १० एवं ११ मई, १९६२

द्वारा भर्ती

आयोग के प्रतिनिधि का नाम, जिन्होंने समिति की अध्यक्षता की	आयोग की संस्तुति भेजने की तिथि	आयोग की संस्तुति के अनुसार आदेश जारी किए जाने की तिथि	अभ्युक्ति
७	८	९	१०
डा० रामधर	५-५-६२		
तदेव	११-४-६२	१८-५-६२	
तदेव	तदेव	२५-६-६२	
डा० एम० एच० फारुकी	७-६-६२	२३-१०-६२	
	२१-१२-६२	..	
श्री राधा कृष्ण	११-५-६२	५-६-६२	
डा० एम० एच० फारुकी	२४-११-६२	२९-१-६३	
डा० रामधर	५-६-६२	१७-७-६२	
		३१-८-६२	
		११-९-६२	
		७-१२-६२	
		१२-२-६३	

परिशिष्ट—

पदोन्नति

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	रिक्त स्थानों की संख्या	अभ्यर्थियों की संख्या		चुनाव समिति की बैठक की तिथि
			जिन पर विचार किया गया	जो साक्षात्कार के लिये बुलाये गये	
१	२	३	४	५	६
८	सहायक कमान्डेन्ट (शरीर विकास), पी० आर० डी०, उत्तर प्रदेश	१	१६	१३	१२ मई, १९६२
९	प्रक्षेत्र प्रबन्धक, मैकेनाइज्ड स्टेट फार्म	५	११	११	३० मई, १९६२
१०	प्रान्तीय चिकित्सा सेवा (महिला) द्वितीय	१८	१६	४	२ एवं ३ अगस्त, १९६२
११	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापक (वाणिज्य)	७	१०	१०	३ अगस्त, १९६२
१२	वैद्युत निरीक्षक संगठन में सहायक वैद्युत निरीक्षक	१	३	३	४ अगस्त, १९६२
१३	वि० अ० शि० सेवा में सहायक अध्यापक (अंग्रेजी)	२६	३९	३९	६ व ७ अगस्त, १९६२ और २४ जनवरी, १९६३
१४	कार्यालय निरीक्षक	११	११६	९५	६, ७, ८, व ९ अगस्त, १९६२
१५	उत्तर प्रदेश गन्ना सेवा, कनिष्ठ वेतन-क्रम	२०	३६	३६	७ व ८ अगस्त, १९६२

५ (क्रमशः)

द्वारा भर्ती

आयोग के प्रतिनिधि का नाम जिन्होंने समिति की अध्यक्षता की	आयोग की संस्तुति भेजने की तिथि	आयोग की संस्तुति के अनुसार आदेश जारी किये जाने की तिथि	अभ्युक्ति
७	८	९	१०
श्री आर० पी०वर्मा	१२–६–६२	९–११–६२	
तदेव	२७–६–६२	..	
..	२०–६–६२ ५–९–६२	१७–७–६२ ११–१०–६२	आयोग १२ अधिकारियों की बिना साक्षात्कार किये तथा चार को साक्षात्कार करने के बाद पदोन्नति से सहमत हुए।
श्री जे० एन० उग्रा	७–९–६२	२२–१०–६२	
डा० रामधर	७–९–६२	२२–१०–६२	
डा० मु० ह० फारुकी	१४–२–६३	२०–३–६३	केवल २२ अभ्यर्थी पदोन्नति के लिये संस्तुत किये गये और शेष ४ रिक्तियों के लिये पदोन्नति का नया प्रस्ताव मांगा गया।
डा० रामधर	१०–९–६२	२५–९–६२ २६–९–६२	
श्री आर० पी० वर्मा	६–१२–६२	९–१–६३ १९–३–६३	

परिशिष्ट—

पदोन्नति

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	रिक्त स्थानों की संख्या	अभ्यर्थियों की संख्या		चुनाव समिति की बैठक की तिथि
			जिन पर विचार किया गया	जो साक्षात्कार के लिये बुलाये गए	
१	२	३	४	५	६
१६	अ० शिक्षा सेवा (राजपत्रित) में उप बालिका विद्यालय निरीक्षिका	६	४०	२३	११ अगस्त, १९६२
१७	अ० शि० सेवा के प्रशिक्षित स्नातक वर्ग में सहायक अध्यापिका	२९	२९	२४	१३ अगस्त, १९६२
१८	अधीनस्थ कृषि सेवा ग्रूप–१ (रसायन शास्त्र)	३	१०	९	२९ सितम्बर, १९६२
१९	अधीनस्थ कृषि सेवा ग्रूप–१ (कवक विज्ञान)	३	१३	१३	तदेव
२०	प्रान्तीय क्रय-विक्रय अधिकारी (खाद्यान्न), उत्तर प्रदेश	१	८	८	३० सितम्बर, १९६२
२१	ग्रुप–१ में २००–३५० रु० के वेतन-क्रम में वरिष्ठ मत्स्य निरीक्षक	७	१४	१३	१ अक्तूबर, १९६२
२२	आर्थिक अभिसूचना निरीक्षक	८	४६	२२	४ अक्तूबर, १९६२
२३	श्रम विभाग में चिकित्सा अधिकारी (पी० एम० एस० ग्रेड–१)	१	११	६	६ अक्टूबर, १९६२

५--(क्रमशः)

द्वारा भर्ती

आयोग के प्रतिनिधि का नाम, जिन्होंने चुनाव समिति की अध्यक्षता की	आयोग की संस्तुति भेजने की तिथि	आयोग की संस्तुति के अनुसार आदेश जारी किए जाने की तिथि	अभ्युक्ति
७	८	९	१०
श्री राधा कृष्ण	७-९-६२	२५-१०-६२	
डा० रामधर	१५-९-६२	११-१२-६२	
डा० रामधर	२०-१०-६२	..	
तदेव	तदेव	..	
तदेव	५-१०-६२	४-१-६३	
तदेव	२६-१०-६२	१३-१२-६२	
..	२३-१०-६२	२-१-६३	
डा० मु० ह० फारुकी	२६-१०-६२	१५-११-६२ १५-१-६३	

परिशिष्ट—

पदोन्नति

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	रिक्त स्थानों की संख्या	अभ्यर्थियों की संख्या		चुनाव समिति की बैठक की तिथि
			जिन पर विचार किया गया	को साक्षात्कार के लिये बुलाये गए	
१	२	३	४	५	६
२४	नायब तहसीलदार	८४	६०४	...	१५, १६, १७ व १८ अक्तूबर, १९६२
२५	अ० कृषि सेवा के ग्रुप– १ में आर्टिस्ट	१	२	२	१८ अक्तूबर, १९६२
२६	सहायक कमान्डेन्ट, प्रान्तीय रक्षक दल, उत्तर प्रदेश	१	१५	१५	१९ अक्तूबर, १९६२
२७	मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में सहायक यूनिट अधिकारी (अचैकित्सिक)	१७	५६	२	२० अक्तूबर, १९६२
२८	उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा कनिष्ठ वेतन–क्रम में राजकीय इंटर बालिका महाविद्यालयों के लिये महिला प्रधानाचार्य	१४	३०	२४	२५ एवं २६ अक्तूबर, १९६२
२९	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापक, कृषि	६	११	११	१ नवम्बर, १९६२
३०	उत्तर प्रदेश कृषि सेवा वरिष्ठ वेतन–क्रम के सेक्शन'सी' निदेशक, गन्ना अनुसंधान	१	१०	१०	१० नवम्बर, १९६२

९ (क्रमशः)

द्वारा भर्ती

आयोग के प्रतिनिधि का नाम, जिन्होंने चुनाव समिति की अध्यक्षता की	आयोग की संस्तुति भेजने की तिथि	आयोग की संस्तुति के अनुसार आदेश जारी किये जाने की तिथि	अभ्युक्ति
७	८	९	१०
श्री जे० ना० उग्रा	८–११–६२	३०–१२–६२ ————— ५–२–६३	चुनाव केवल चरित्रावलियों के आधार पर किया गया।
तदेव	७–११–६२	दिसम्बर, १९६२	
तदेव	२–११–६२	१९–११–६२	
तदेव	९–११–६२	..	५६ अधिकारियों में से २ का साक्षात्कार किया गया। शेष पर उनकी चरित्रावलियों के आधार पर विचार किया गया।
डा० रामधर	२१–११–६२	..	
श्री आर० पी० वर्मा	२२–११–६२	२९–१२–६२ ————— २३–१–६३	
श्री ज० एन० उग्रा	९–१–६३	..	

परिशिष्ट

पदोन्नति

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	रिक्त स्थानों की संख्या	अभ्यर्थियों की संख्या		चुनाव समिति की बैठक की तिथि
			जिन पर विचार किया गया	जो साक्षात्कार के लिए बुलाये गए	
१	२	३	४	५	६
३१	उत्तर प्रदेश कृषि सेवा, वरिष्ठ वेतन-क्रम के सेक्शन 'सी, में :—				
	१—वनस्पति विज्ञान में प्राध्यापक	१	८	८	१० नवम्बर एवं ८ दिसम्बर, १९६२
	२—अर्थ बनस्पति विद् (तिलहन)	१			
	३—अर्थ वनस्पति विद् (रबी अनाज)	१			
३२	उत्तर प्रदेश सहकारिता सेवा वरिष्ठ वेतन-क्रम में उप निबन्धक	५	५	५	१५ नवम्बर, १९६२
३३	प्रान्तीय चिकित्सा सेवा (पुरुष)-प्रथम	१२७	४८१	–	२१, २२, २३, २६ एवं २७ नवम्बर, १९६२ तथा २९, ३०, ३१ जनवरी एवं ५ मार्च, १९६३
३४	अधीनस्थ कृषि सेवा, प्रथम ग्रुप (वनस्पति विज्ञान)	१	६	६	२४ नवम्बर, १९६२
३५	अधीनस्थ (राजपत्रित) चिकित्सा सेवा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	३	३	३	३० नवम्बर, १९६२
३६	अधीनस्थ कृषि सेवा, प्रथम ग्रुप (एग्रोनामी)	६	८	..	..

५ (क्रमशः)

द्वारा भर्ती

आयोग के प्रतिनिधि का नाम, जिन्होंने चुनाव समिति की अध्यक्षता की	आयोग की संस्तुति भेजने की तिथि	आयोग की संस्तुति के अनुसार आदेश जारी किये जाने की तिथि	अभ्युक्ति
७	८	९	१०
श्री जैं० ना० उग्रा	९–१–६३	..	
श्री राधा कृष्ण	५–१२–६२	..	
तदेव	२३–३–६३	..	
डा० एम० एच० फारुकी	१३–१२–६२	..	
..	१७–१२–६२	८–१–६३	
..	१५–३–६३	..	केवल ५ को स्थानापन्न पदोन्नति के लिये अनुमोदित किया गया।

परिशिष्ट

पदोन्नति

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	रिक्त स्थानों की संख्या	अभ्यर्थियों की संख्या		चनाव समिति की बैठक की तिथि
			जिन पर विचार किया गया	जो साक्षात्कार के लिये बुलाये गए	
१	२	३	४	५	६
३७	उत्तर प्रदेश सा० नि० वि० में सहायक अभियन्ता	८४	९७	९६	१७, १८, १९, २०, २१ एवं २२, १९६२
३८	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा सहायक अध्यापक (तर्क शास्त्र)	२	८	७	१९ दिसम्बर, १९६२
३९	उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा सेवा द्वितीय क्लास	३२	१८१	६२	७, ८, ९ एवं १० जनवरी, १९६३
४०	उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा वरिष्ठ वेतन-क्रम में बालिका विद्यालयों की संभागीय निरीक्षिका	३	१९	१८	२१ एवं २२ जनवरी, १९६३
४१	१९५५—१९६२ में होने वाली रिक्तियों के लिये पेशकार का चुनाव	२७	३९	...	२८ जनवरी, १९६३
४२	वन विभाग, उत्तर प्रदेश में उप-वनराजिक से वनराजिक	१३३	१५०	१०	२९, ३०, ३१ जनवरी एवं १ फरवरी, १९६३
४३	उत्तर प्रदेश सहकारिता सेवा प्रथम क्लास में दुग्धशाला विकास अधिकारी	१	३	१	२ फरवरी, १९६३

५—(क्रमशः)

द्वारा भर्ती

आयोग के प्रतिनिधि का नाम, जिन्होंने चुनाव समिति की अध्यक्षता की	आयोग की संस्तुति भेजने की तिथि	आयोग की संस्तुति के अनुसार आदेश जारी किये जाने की तिथि	अभ्युक्ति
७	८	९	१०
डा० रामधर	१३–२–६३	२६–३–६३	
श्री जे० एन० उग्रा	९–१–६३	१४–२–६३	
तदेव	११–२–६३	..	
श्री राधा कृष्ण	१३–२–६३	..	
श्री जे० एन० उग्रा	८–३–६३	..	चरित्रावलियों के आधार पर चुनाव किया गया।
तदेव	१४–३–६३	..	केवल १० अभ्यर्थियों का साक्षात्कार किया गया और १४० अभ्यर्थियों के मामलों पर उनके अभिलेखों के आधार पर विचार किया गया और केवल १३० अभ्यर्थियों को पदोन्नति के लिये अनुमोदित किया गया।
डा०रामधर	२०–२–६३	१–४–६३	

परिशिष्ट

पदोन्नति

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	रिक्त स्थानों की संख्या	अभ्यर्थियों की संख्या		चुनाव समिति की बैठक की तिथि
			जिन पर विचार किया गया	जो साक्षात्कार के लिये बुलाये गए	
१	२	३	४	५	६
४४	सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी	४९	१३६	७८	५, ६ एवं ७ फरवरी, १९६३
४५	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापक (मनोविज्ञान)	३	१५	१५	७ फरवरी, १९६३
४६	राज्य श्रमसेवा वरिष्ठ वेतन-क्रम में उप-श्रमायुक्त	३	९	९	११ फरवरी, १९६३
४७	उत्तर प्रदेश कृषि सेवा कनिष्ठ वेतन-क्रम के सेक्शन 'सी' में गन्ना एग्रोनामिस्ट	२	६	६	२ मार्च, १९६३
४८	उत्तर प्रदेश कृषि सेवा प्रथम-क्लास के 'सी' सेक्शन में-				
	(१) उप-निदेशक पौध संरक्षण	१	५	४	तदेव
	(२) कीटविद् (गन्ना)	१			
४९	उत्तर प्रदेश कृषि सेवा वरिष्ठ वेतन-क्रम के 'ई' सेक्शन में उप-निदेशक, उद्यान (पूर्व) लखनऊ	१	४	२	४ मार्च, १९६३
५०	तहसीलदार	१०	१०	...	.

५—(क्रमशः)

द्वारा भर्ती

आयोग के प्रतिनिधि का नाम, जिन्होंने चुनाव समिति की अध्यक्षता की	आयोग की संस्तुति भेजने की तिथि	आयोग की संस्तुति के अनुसार आदेश जारी किए जाने की तिथि	अभ्युक्ति
७	८	९	१०
..	६–३–६३	..	
श्री जे० एन० उग्रा	७–३–६३	२९–३–६३	
श्री राधा कृष्ण	२८–२–६३	१९–३–६३	
श्री जे० एन० उग्रा	२१–३–६३	..	
तदेव	२३–३–६३	..	
तदेव	२१–३–६३	..	
	३–८–६२	२८–८–६२	स्थानापन्न पदोन्नति के लिये कोई संस्तुत नहीं किया गया।

परिशिष्ट

पदोन्नति

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	रिक्त स्थानों की संख्या	अभ्यर्थियों की संख्या		चुनाव समिति की बैठक की तिथि
			जिन पर विचार किया गया	जो साक्षात्कार के लिए बुलाये गए	
१	२	३	४	५	६
५१	अधीनस्थ सहकारिता सेवा प्रथम ग्रूप	१	१	...	...
५२	वि० अ० शि० सेवा में सहायक अध्यापिका	६	६	..	...
५३	अधीनस्थ कृषि सेवा के प्रथम ग्रूप में एग्रानामी में व्याख्याता	१	३	...	...

५—(क्रमशः)

द्वारा भर्त्ती

अयोग के प्रतिनिधि का नाम, जिन्होंने चुनाव समिति की अध्यक्षता की	आयोग की संस्तुति भेजने की तिथि	अयोग की संस्तुति के अनुसार आदेश जारी किए जाने की तिथि	अभ्युक्ति
७	८	९	१०
..	१२–१०–६२	..	६-११-६१ को संस्तुत एक अभ्यर्थी के मामले पर, उसके विरुद्ध हो रही जांच की समाप्ति पर, आयोग ने पुर्नविचार किया। जांच के परिणाम को दृष्टिकोण में रखते हुए आयोग ने १२–१०–६२ को अपनी संस्तुति वापस ले ली और स्थायी पदोन्नति के लिये उसको उपयुक्त नहीं समझा।
..	१५–२–६३	*	आयोग ने इन सहायक अध्यापिकाओं को परीक्षण–काल पर रखने का कार्योत्तर अनुमोदन दिया, जिनको उन्होंने पहले अस्थायी पदोन्नति के लिये संस्तुत किया था इस अभ्युक्ति के साथ कि उनको बिना आयोग के पूर्वानुमोदन के परीक्षण–काल पर न रखना चाहिये था और यह कि ऐसी अनियमितता भविष्य में न होने पावे। *आयोग ने कार्योत्तर अनुमोदन दिया था, अतः स्वीकृत्यादेश की आवश्यकता नहीं थी।
..	७–९–६२	२–११–६२	

परिशिष्ट

पदोन्नति

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	रिक्त स्थानों की संख्या	अभ्यर्थियों की संख्या		चुनाव समिति की बैठक की तिथि
			जिन पर विचार किया गया	जो साक्षात्कार के लिए बुलाये गए	
१	२	३	४	५	६
५४	उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज में यातायात अधीक्षक	१	१	...	...
५५	उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज में सहायक लेखा अधिकारी	१	१	...	...
५६	प्रान्तीय चिकित्सा सेवा द्वितीय (पुरुष शाखा)	८५	८५	...	...
५७	अधीनस्थ शिक्षा सेवा के एल० टी० ग्रेड में सहायक अध्यापक	११	११	...	...
५८	राज्य में राजकीय बहुधंधी विद्यालयों के ५००–१२०० रु० वेतन–क्रम में प्रधानाचार्य	३	[illegible]	...	...
५९	कारागार महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश के वैयक्तिक सहायक	१	१*	...	...

५—(क्रमशः)

द्वारा भर्ती

आयोग के प्रतिनिधि का नाम, जिन्होंने चुनाव समिति की अध्यक्षता की	आयोग की संस्तुति भेजने की तिथि	आयोग की संस्तुति के अनुसार आदेश जारी किए जाने की तिथि	अभ्युक्ति
७	८	९	१०
..	१९–६–६२	४–७–६२	
..	६–६–६२	२१–१२–६२	परामर्श दिया गया कि इस कर्मचारी के मामले पर, पदोन्नति के लिये अर्ह अभ्यर्थियों के साथ विचार किया जाय। शासन ने प्रस्ताव मान लिया।
..	१४–३–६३	..	८५ में से ७४ अनुमोदित और ११ अननुमोदित रहे।
..	१–८–६२	१४–१२–६२	११ कर्मचारियों में से १० को पदोन्नति के लिये अनुमोदित किया गया और वर्णित परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए शेष १ पर विचार करने की आवश्यकता नहीं समझी गई।
..	१६–२–६३	..	पद को पदोन्नति द्वारा भरने के शासन के प्रस्ताव से आयोग सहमत नहीं हुए और सुझाव दिया कि पद को सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना चाहिये।
..	१५–९–६२	..	इस अभ्यर्थी को अगस्त/सितम्बर, १९६१ में हुए पिछले चुनाव के आधार पर अस्थायी पदोन्नति के लिये अनुमोदित किया।

परिशिष्ट

पदोन्नति

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	रिक्त स्थानों की संख्या	अभ्यर्थियों की संख्या — जिन पर विचार किया गया	अभ्यर्थियों की संख्या — जो साक्षात्कार के लिये बुलाये गये	चयन समिति की बैठक की तिथि
१	२	३	४	५	६
६०	उत्तर प्रदेश सचिवालय में मंत्रियों के वैयक्तिक सहायक तथा आशुलिपिकों के अधीक्षक	२	२	...	...
६१	कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश के मुख्यालयों में मुख्य लेखा अधिकारी	१	४	...	...
६२	उत्तर प्रदेश कृषि सेवा द्वितीय क्लास में सहायक भू-रसायनविद् (रसायन शाखा)	२	७	...	—
६३	भूतपूर्व राजकीय संस्कृत महाविद्यालय, वाराणसी में न्याय में प्राध्यापक	१	१	...	...
६४	अधीनस्थ कृषि सेवा, ग्रुप-२ (कृषि विद्यालय)	१	१	...	...
६५	(१) कृषि निदेशक, तथा	१	३	...	...
	(२) अतिरिक्त कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश	१			
६६	अधीनस्थ श्रम सेवा, ग्रुप ३	१४	१८	...	...
६७	उत्तर प्रदेश, कृषि सेवा, क्लास दो में सहायक कृषि अभियन्ता	३	७	...	...

५--(क्रमशः)

द्वारा भर्ती

आयोग के प्रतिनिधि का नाम, जिन्होंने चुनाव समिति की अध्यक्षता की	आयोग की संस्तुति भेजने की तिथि	आयोग की संस्तुति के अनुसार आदेश जारी किए जाने की तिथि	अभ्युक्ति
७	८	९	१०
..	२-६-६२	८-६-६२	दिसम्बर, १९६१ में हुए पिछले चुनाव के आधार पर पदोन्नति के लिये अनुमोदित किया।
..	१३-२-६३	२०-३-६३	
..	२६-५-६२	१५-१०-६२	
..	८-२-६३	..	आयोग सम्बन्धित अधिकारी की पदोन्नति से सहमत नहीं हुए।
..	२५-३-६३	..	
..	४-१०-६२	२१-११-६२	
..	१६-५-६२	२६-६-६२ / ७-११-६२	
..	८-३-६३	..	

परिशिष्ट

पदोन्नति

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	रिक्त स्थानों की संख्या	अभ्यर्थियों की संख्या		चुनाव समिति की बैठक की तिथि
			जिन पर विचार किया गया	जो साक्षात्कार के लिये बुलाये गये	
१	२	३	४	५	६
६८	उत्तर प्रदेश पशुचिकित्सा सेवा, क्लास-१ में निदेशक पशुनिदेशक	१	१३	...	...
६९	उत्तर प्रदेश कृषि सेवा, क्लास-१ के सेक्शन 'डी' में कृषि अभियन्ता (प्रसार)	१	५†	...	...
७०	वि० अ० शि० सेवा में सहायक अध्यापक (जीव-विज्ञान)	६	६	...	...
७१	आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश में मुख्य मद्यनिषेध तथा समाजोत्थान संघटनकर्त्ता	२	२२	...	...
७२	उत्तर प्रदेश सा० नि० वि० में सहायक अभियन्ता (विद्युत/ यांत्रिक)	२	२	...	...
७३	हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रोबेशन अधिकारी सहित सहायक निदेशक	१	९	...	...

५—(क्रमशः)

द्वारा भर्ती

आयोग के प्रतिनिधि का नाम, जिन्होंने चुनाव समिति की अध्यक्षता की	आयोग की संस्तुति भेजने की तिथि	आयोग की संस्तुति के अनुसार आदेश जारी किए जाने की तिथि	अभ्युक्ति
७	८	९	१०
..	१६–४–६२	१४–५–६२	
..	५–५–६२	२९–६–६२	†इनमें से केवल एक पदोन्नति के लिये पात्र था, किन्तु वह पदोन्नति के लिये उपयुक्त नहीं पाया गया। पद को सीधी भर्ती द्वारा भरने का सुझाव दिया गया।
..	१६–१०–६२	..	केवल ५ अभ्यर्थी (१ स्थायी पद के लिये और ४ अस्थायी पदों के लिये) संस्तुत किये गये थे। उनमें से एक ने बाद में त्याग-पत्र दे दिया।
..	२७–६–६२	११–७–६२	
..	१६–१–६३	१३–२–६३	
..	१४–११–६२	१८–१२–६२	

परिशिष्ट

पदोन्नति

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	रिक्त स्थानों की संख्या	अभ्यर्थियों की संख्या		चुनाव समिति की बैठक को तिथि
			जिन पर विचार किया गया	जो साक्षात्कार के लिये बुलाये गए	
१	२	३	४	५	६
७४	अतिरिक्त निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश	१	५	...	...
७५	मत्स्य निरीक्षक	५	२२	...	...
७६	अधीनस्थ सहकारिता सेवा ग्रुप-१	२२	२२	..	...
	योग ...	१२३२	३४५०	१३०३	...

५—(समाप्त)

द्वारा भर्ती

आयोग के प्रतिनिधि का नाम, जिन्होंने समिति की अध्यक्षता की	आयोग की संस्तुति भेजने की तिथि	आयोग की संस्तुति के अनुसार आदेश जारी किये जाने की तिथि	अभ्युक्ति
७	८	९	१०
..	२६–९–६२	१५–१०–६२ ——— १५–१–६३	
..	२९–१–६३	३०–३–६३	
..	१५–१२–६२ ——— २१–१–६३	..	

परिशिष्ट ५—क

पदोन्नति द्वारा भर्ती—न निपटाये गये मामलों की सूची

क्रम—संख्या	सेवा या पद का नाम	रिक्तियों की संख्या	अभ्युक्ति
१	२	३	४
१	नियोजन विभाग, उ० प्र० 'स्पेशल ग्रेड' में २५०–८५० रु० वेतन-क्रम में क्षेत्र विकास अधिकारी	१२८	चुनाव समिति की बैठक वर्ष के अन्दर न हो सकी ।
२	उ० प्र०, कृषि सेवा, क्लास द्वितीय	१	उच्च न्यायालय (लखनऊ बेंच) के निर्णय की एक प्रतिलिपि के अभाव में निबटाया न जा सका ।
३	अधीनस्थ सहकारिता सेवा प्रथम ग्रूप	१	संस्तुतियां वर्ष के अन्त तक न भेजी जा सकीं ।
४	उ० प्र०, विद्युत् विभाग में सहायक अभियन्ता	२५	चुनाव समिति की बैठक वर्ष के अन्दर न हो सकी ।
५	निदेशक, राजकीय सीमेंट फैक्ट्री, चुर्क, मिर्जापुर के वैयक्तिक सहायक	१	तदेव
६	अधीनस्थ कृषि सेवा ग्रूप १ (औद्यानिकी)	८	तदेव
७	तदेव	११	तदेव
८	प्रान्तीय चिकित्सा सेवा, द्वितीय	२०	चरित्रावलियां नहीं भेजी गईं ।
९	अधीनस्थ गन्ना सेवा, प्रथम ग्रुप	१८	कुछ सूचनाओं तथा कागजों, जो दिसम्बर, १९६२ में मांगे गये थे, के अभाव में न निबटाये जा सके ।
१०	सहायक सचिव, राजस्व परिषद्, उ० प्र०	१	संस्तुतियां वर्षान्तर्गत न भेजी जा सकीं ।

परिशिष्ट ५-क—(क्रमशः)

पदोन्नति द्वारा भर्ती—न निपटाये गये मामलों की सूची

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	रिक्तियों की संख्या	अभ्युक्ति
१	२	३	४
११	उ० प्र०, आबकारी विभाग में आबकारी अधीक्षक	१४	ज्येष्ठता सूची तथा चरित्रावलियां वर्ष के अन्त तक नहीं प्राप्त हुईं।
१२	उ० प्र०, राजकीय रोडवेज में सहायक सामान्य प्रबन्धक	३	वांछित कागज वर्ष की समाप्ति तक नहीं भेजे गये।
१३	अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राजपत्रित) प्रधान अध्यापक	१२३	यथाविधि निर्देश तथा चरित्रावलियां नहीं भेजी गईं।
१४	राजकीय कृषि महाविद्यालय, कानपुर में उ० प्र०, कृषि सेवा के ज्येष्ठ वेतन-क्रम के सेक्शन 'बी' में कृषि प्राध्यापक	१	संस्तुतियां वर्षान्तर्गत न भेजी जा सकीं।
१५	विधान सभा सचिवालय में निर्देश लिपिक	१	मुख्य मंत्री, जिनके सम्मुख इस मामले को रखा गया था, की प्रतिक्रिया के अभाव में न निबटाया जा सका।
१६	तदेव	१	तदेव
१७	अधीनस्थ श्रम सेवा, द्वितीय ग्रुप	८	चुनाव वर्ष के अन्तर्गत न किया गया।
१८	उ० प्र० आबकारी विभाग में सहायक आबकारी आयुक्त	७	वांछित चरित्रावलियां वर्ष के अंत तक प्राप्त नहीं हुईं।
१९	अधीनस्थ शिक्षा सेवा के ट्रेन्ड ग्रेजुएट्स ग्रेड में सहायक अध्यापिका	७३	चुनाव वर्ष के अन्तर्गत न किया गया।

परिशिष्ट ५-क—(क्रमशः)

पदोन्नति द्वारा भर्ती—न निपटाये गए मामलों की सूची

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	रिक्तियों की संख्या	अभ्युक्ति
१	२	३	४
२०	अधीनस्थ कृषि सेवा द्वितीय ग्रुप (औद्यानिक)	७	चुनाव समिति की बैठक वर्षान्तर्गत न हो सकी ।
२१	मनोरंजन कर निरीक्षक	३	चुनाव वर्ष के अन्तर्गत न किया जा सका ।
२२	निबन्धक, सहकारी समितियां, उ० प्र० के वैयक्तिक सहायक	१	यथाविधि मांगे गये निर्देश वर्ष के अंत तक नहीं प्राप्त हुये ।
२३	उप गन्ना आयुक्त (सहकारी चीनी फैक्टरी), उ० प्र०	१	वांछित ज्येष्ठता सूची वर्ष के अन्त तक प्राप्त नहीं हुई ।
२४	उ० प्र०, नर्सिंग सेवा में उप नर्सिंग अधीक्षक (प्रशासन)	१	चुनाव समिति की बैठक वर्षान्तर्गत न हो सकी ।
२५	उ० प्र०, उद्योग विभाग में उप-उद्योग निदेशक (कामर्स)	१	निर्देश वर्ष के अन्त में प्राप्त हुआ ।
२६	अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राजपत्रित) में बालिका विद्यालयों की उप निरीक्षिका	५	चुनाव वर्ष के अन्तर्गत न निबटाया जा सका ।
२७	उत्तर प्रदेश, जन स्वास्थ्य सेवा, उन्नत वेतन-क्रम ५००—१,२०० रु० के लिये	६	कुछ अधिकारियों के चरित्रावलियों की प्रविष्टियों के अभाव में न निबटाया जा सका ।
२८	उ० प्र०, जन-स्वास्थ्य सेवा	५	संस्तुतियां वर्ष के अंदर न भेजी जा सकीं ।
२९	उ० प्र०, सिंचाई विभाग में विद्युत् तथा यान्त्रिकी सुपरवाइजर	२७	पुनरीक्षित ज्येष्ठता सूची तथा चरित्रावलियां, जो मांगी गई थीं, वर्ष के अन्त तक नहीं प्राप्त हुईं ।

परिशिष्ट ५-क—(क्रमशः)
पदोन्नति द्वारा भर्ती—न निपटाये गये मामले

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	रिक्तियों की संख्या	अभ्युक्ति
१	२	३	४
३०	उ० प्र०, सहकारिता सेवा कनिष्ठ वेतन-क्रम में सहायक निबन्धक	६८	कुछ सूचनाओं और चरित्रावलियों के अभाव में न निबटाया जा सक
३१	उ० प्र०, प्रतिनिबन्धक सेवा में प्रति-निबन्धक	४	मांगे गये पुनरीक्षित निर्देश वर्ष की समाप्ति तक नहीं प्राप्त हुए ।
३२	उ० प्र०, सिंचाई विभाग में सहायक अभियन्ता यांत्रिकी	१४	तदेव
३३	उ० प्र०, सहकारिता सेवा द्वितीय ग्रुप में सहकारिता निरीक्षक	१७७	कुछ सूचनाओं तथा चरित्रावलियों के अभाव में न निबटाये जा सके ।
३४	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापक (संस्कृत)	६	कुछ सूचना तथा चरित्रावलियों के अभाव में न निबटाया जा सका ।
३५	अधीनस्थ शिक्षा सेवा के ट्रेण्ड ग्रेजुएट्स ग्रेड में सहायक अध्यापक (संस्कृत)	६	न निबटाया जा सका ।
३६	अधीनस्थ शिक्षा सेवा के ट्रेण्ड ग्रेजुएटस ग्रेड में सहायक अध्यापक (हिन्दी)	१७	कुछ सूचनाओं तथा कागजों के अभाव में न निबटाया जा सका ।
३७	अधीनस्थ शिक्षा सेवा के एल० टी० ग्रेड में सहायक अध्यापक (कला)	२६	न निबटाया जा सका ।
३८	अधीनस्थ शिक्षा सेवा के एल० टी० ग्रेड में सहायक अध्यापक (पी० टी०)	१३	कुछ कागजों तथा सूचनाओं के अभाव में न निबटाये जा सके ।
३९	उ० प्र०, सिंचाई विभाग, सिंचाई वर्कशाप वृत्त में लेखा अधिकारी	१	चुनाव समिति की बैठक वर्ष के अन्तर्गत न हो सकी ।

परिशिष्ट—५—(क्रमशः)

पदोन्नति द्वारा भर्ती—न निपटाये गये मामलों की सूची

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	रिक्तियों की संख्या	अभ्युक्ति
१	२	३	४
४०	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापक (गणित)	१७	चुनाव समिति की बैठक वर्ष के अन्तर्गत न हो सकी
४१	उ० प्र०, कृषि सेवा, कनिष्ठ वेतन-क्रम सेक्शन 'बी'	१९	तदेव
४२	उप आबकारी आयुक्त, उ० प्र०	१	चरित्रावलियों के अभाव में न निबटाये जा सके।
४३	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापक (नागरिक शास्त्र)	५	न निबटाया जा सका।
४४	वरिष्ठ कुक्कुट पालन निरीक्षक	८	संस्तुतियां वर्षान्तर्गत न भेजी जा सकीं।
४५	अधीनस्थ सहकारिता सेवा प्रथम ग्रुप	१	तदेव
४६	उ० प्र०, कृषि सेवा कनिष्ठ वेतन-क्रम, सेक्शन 'ई'	२	चुनाव समिति की बैठक वर्ष के अन्दर न हो सकी।
४७	अधीनस्थ कृषि सेवा के प्रथम ग्रुप में कलाकार	२	संस्तुतियां वर्षान्तर्गत न भेजी जा सकीं।
४८	उ० प्र०, असैनिक सेवा (अधिशासी शाखा)	१९८	चुनाव समिति की बैठक वर्षान्तर्गत न हो सकी।
४९	उ० प्र०, सचिवालय में अधीक्षक	१००	चुनाव समिति की बैठक वर्षान्तर्गत न हो सकी।
५०	उ० प्र०, शिक्षा सेवा, कनिष्ठ वेतन-क्रम में मनोविज्ञानशाला, इलाहाबाद में मनोवैज्ञानिक	१	८-२-६३ को शासन को दिये गये सुझाव पर शासन का निर्णय वर्ष की समाप्ति तक नहीं मालूम हो सका।

परिशिष्ट–५—(क्रमशः)

पदोन्नति द्वारा भर्ती—न निपटाये गये मामलों की सूची

क्रम–संख्या	सेवा या पद का नाम	रिक्तियों की संख्या	अभ्युक्ति
१	२	३	४
५१	गन्ना विकास विभाग, उ० प्र० में वरिष्ठ लेखा–परीक्षक लेखा–परीक्षा पर्यवेक्षक तथा लेखा–परीक्षक	६ १२ १०	चुनाव समिति की बैठक वर्षान्तिर्गत न हो सकी ।
५२	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापक (अर्थशास्त्र)	१३	चरित्रावलियों तथा चरित्रावली प्रविष्टियों के अभाव में न निबटाये जा सके ।
५३	स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग, उ० प्र० में सहायक अभियन्ता (क) सिविल (ख) विद्युत् तथा यांत्रिकी	 १८ ४	चुनाव समिति की बैठक वर्षान्तिर्गत न हो सकी ।
५४	अधीनस्थ पशुपालन सेवा के सेक्शन 'ए' में पशुपालन निरीक्षक	१३०	न निबताया जा सका ।
५५	सहायक मनोरंजन तथा बाजी कर आयुक्त, उ० प्र०	१	ज्येष्ठता सूची तथा चरित्रावलियों के अभाव में न निबटाया जा सका ।
५६	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापक (भूगोल)	१३	चरित्रावलियां नहीं भेजी गई ।
५७	उप रोजगार निदेशक	१	यथाविधि मांगे गये निर्देश वर्ष की समाप्ति तक नहीं प्राप्त हुये ।
५८	अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राजपत्रित) में उप विद्यालय निरीक्षक तथा दीक्षा विद्यालयों के प्रधाना–ध्यापक	६९	वर्ष की समाप्ति पर प्राप्त हुये ।

परिशिष्ट—५—(क्रमशः)

पदोन्नति द्वारा भर्ती—न निपटाये गये मामलों की सूची

क्रम–संख्या	सेवा या पद का नाम	रिक्तियों की संख्या	अभ्युक्ति
१	२	३	४
५९	नियोजन विभाग, उ० प्र० के अधीन ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र, बक्शी का तालाब, लखनऊ तथा गाजीपुर के लिये प्रधानाचार्य	२	न निबटाये जा सके।
६०	उ० प्र०, राजकीय रोडवेज संघ में सामान्य प्रबन्धक	३	चुनाव समिति की बैठक वर्षान्तर्गत न हो सकी।
६१	उ० प्र०, पशुचिकित्सा सेवा प्रथम क्लास (उप पशुपालन निदेशक)	१	वर्ष के अन्त में प्राप्त हुआ।
६२	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापक (इतिहास)	२२	चरित्रावलियां नहीं भेजी गई।
६३	पशुचिकित्सा विज्ञान तथा पशु–पालन महाविद्यालय, मथुरा, उ० प्र० के प्रधानाचार्य के वैय–क्तिक सहायक	१	चुनाव समिति की बैठक वर्षान्तर्गत न हो सकी।
६४	अधीनस्थ कृषि सेवा प्रथम ग्रूप (फिजियालोजी)	६	तदेव
६५	अधीनस्थ कृषि सेवा के प्रथम ग्रुप में कृषि विद्यालयों में व्याख्याता	७	संस्तुतियां वर्षान्तर्गत न भेजी जा सकीं।
६६	अधीनस्थ कृषि सेवा प्रथम ग्रुप (विकास)	१०	चुनाव समिति की बैठक वर्षान्तर्गत न हो सकी।
६७	अधीनस्थ कृषि सेवा द्वितीय ग्रूप (विकास)	६९	वर्ष की समाप्ति पर प्राप्त हुई।
६८	अधीनस्थ कृषि सेवा के प्रथम ग्रूप में व्याख्याता	१	तदेव

परिशिष्ट ५-क—(समाप्त)

पदोन्नति द्वारा भर्ती—न निपटाये गये मामलों की सूची

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	रिक्तियों की संख्या	अभ्युक्ति
१	२	३	४
६९	अधीनस्थ कृषि सेवा, प्रथम ग्रूप (रसायन शास्त्र)	२	वर्ष की समाप्ति पर प्राप्त हुआ ।
७०	राज्य श्रम सेवा, कनिष्ठ वेतन-क्रम में स्थायी आदेश अधिकारी तथा संराधन अधिकारी	१ १	तदैव
७१	नगर महापालिका, कानपुर में कार्यालय अधीक्षक	१	न निबटाया जा सका ।
७२	सहायक जिला पंचायत अधिकारी	१३	आवश्यक निर्देश, जो २९-७-५९ तथा १९-३-६० को मांगे गये थे, वर्ष की समाप्ति तक प्राप्त नहीं हुये ।
७३	(क) सहायक आर्थिक बोध निदेशक (ख) सहायक सांख्यिकी	१ २	नये निर्देश वर्ष के अंत तक नहीं प्राप्त हुये ।
७४	उत्तर प्रदेश, सचिवालय के अनुवाद विभाग के लिये— (क) अधीक्षक (ख) विशेष कार्याधिकारी	 १ २	कुछ सूचनायें, जो २१-१०-६१ को मांगी गईं थीं, वर्ष के अन्त तक नहीं प्राप्त हुईं ।
७५	क्षत्र विकास अधिकारी	२४२	न निबटाया जा सका ।
	योग ..	१८५३	

परिशिष्ट—६

अस्थायी नियुक्तियों का नियमितकरण

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	अभ्यर्थियों की संख्या	अभ्युक्ति
१	२	३	४
१	सहायक कमाडेण्ट, सैनिक शिक्षा तथा समाज सेवा प्रशिक्षण, उ० प्र०	१३	१२ को अनुमोदित किया गया तथा शेष एक को ९-८-५७ से १२-२-६२ तक का कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया ।
२	पन्त नगर क्षेत्र, नैनीताल में अधीनस्थ कृषि सेवा ग्रूप (१ तथा २)	१३	अननुमोदित । पद को विज्ञापित करने के लिये एक अधियाचन मांगा गया ।
३	प्राक्टर-सहित-छात्रावास अधीक्षक, राजकीय प्राविधिक प्रशिक्षण केन्द्र, नैनीताल	१	आयोग अभ्यर्थी की निरन्तर नियुक्ति से सहमत हुये ।
४	उद्योग निदेशालय में २५०-८५० रु० वेतन-क्रम में गन्ना निरीक्षक	२	अनुमोदित ।
५	सहायक बिक्री कर अधिकारी	१	अननुमोदित । परामर्श दिया गया कि अभ्यर्थी की सेवा समाप्त कर दी जाय ।
६	अधीनस्थ तथा विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापक	४	दो को अनुमोदित किया गया । १ को अनुमोदित नहीं किया गया तथा शेष एक को १३-२-५८ से १४-९-६१ तक का कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया ।
७	उत्तर प्रदेश कृषि सेवा, निम्न वेतन-क्रम के सेक्शन 'ई' में उद्यान विकास अधिकारी	१	१४ जुलाई, १९५८ से ३१ मई, १९६० तक का कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया ।
८	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापक (हिन्दी)	१	अननुमोदित ।

परिशिष्ट ६ (क्रमशः)

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	अभ्यर्थियों की संख्या	अभ्युक्ति
१	२	३	४
९	सहकारिता लेखा परीक्षा संगठन म क्षेत्रीय लेखा परीक्षा अधिकारी	१	अनुमोदित।
१०	चिकित्सा विभाग में महामारी सहायक	२	परामर्श दिया गया कि चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक स्वयं आयोग से परामर्श लिये बिना पदों पर नियुक्ति करें।
११	सहायता तथा पुनर्वास विभाग में शिक्षा अधिकारी	१	३१ मार्च, १९६० से ३० सितम्बर, १९६० तक का कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।
१२	कलेक्शन नायब तहसीलदार	१२६	९७ को अनुमोदित किया गया, १७ अननुमोदित तथा ११ को कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया। शेष एक के विषय में अनुमोदन की आवश्यकता नहीं थी।
१३	अधीनस्थ कृषि सेवा, ग्रुप १ तथा तथा २	२४	कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।
१४	संयुक्त कृषि निदेशक (प्रसार), उत्तर प्रदेश	१	१०-१-५९ से ४-१-६१ तक का कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।
१५	प्रान्तीय चिकित्सा सेवा (पुरुष) द्वितीय	१९	१६ को अनुमोदन प्रदान किया गया तथा शेष ३ को कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।
१६	विशेष भूमि अवाप्ति अधिकारी	१३	अनुमोदित।

परिशिष्ट ६ (क्रमशः)

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	अभ्यर्थियों की संख्या	अभ्युक्ति
१	२	३	४
१७	उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज में सहायक लेखा अधिकारी	३	अनुमोदित।
१८	भूमि व्यवस्था विभाग में लेखा अधिकारी	१	अननुमोदित।
१९	सूचना विभाग में समाचार अधिकारी	१	अनुमोदित।
२०	सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश	१	अनुमोदित।
२१	ग्रुप अभियन्ता, रोडवेज केन्द्रीय वर्कशाप, कानपुर	१	अनुमोदित।
२२	सहायता तथा पुनर्वास विभाग में विक्री अधिकारी (मुख्यालय)	१	२८-२-६३ तक का अनुमोदन प्रदान किया गया।
२३	प्रान्तीय चिकित्सा सेवा (महिला), द्वितीय	१	एक वर्ष तक का अनुमोदन प्रदान किया गया।
२४	श्रमायुक्त के कार्यालय में सीनियर टाइम स्टडी हैन्ड्स	५	२ अनुमोदित हुये तथा ३ अननुमोदित।
२५	आर्थिक बोध निरीक्षक	२	प्रत्यावर्तन की तिथि तक अनुमोदित।
२६	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में हिन्दी तथा संस्कृत के सहायक अध्यापक	२	जुलाई' १९६२ तक अनुमोदित।
२७	राजकीय प्राविधिक एवं औद्योगिक संस्थान के लिये एल० टी० ग्रेड में सहायक अध्यापक	५	३ अनुमोदित। शेष दो के लिये अनुमोदन की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वे पहले से ही अनुमोदित थे।

परिशिष्ट ६ (क्रमशः)

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	अभ्यर्थियों की संख्या	अभ्युक्ति
१	२	३	४
२८	अर्द्ध कुंभ मेला, १९६० के लिये सहायक मैनेजर	१	३ से ३१ मार्च, १९६० तक का कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।
२९	राजकीय इन्टर कालेज, मुन्सियारी में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा निम्न वेतन-क्रम में प्रधानाचार्य	१	१४-५-६२ को आयोग ने मुख्य सचिव से पूछा कि क्या संबंधित अधिकारी की नियुक्ति जिसमें उनसे ज्येष्ठ कई अधिकारियों का अवक्रमण होता था, राष्ट्र रक्षा के विचार से न्यायोचित थी। २६-७-६२ को शासन ने शिक्षा निदेशक से संबंधित अधिकारी के स्थान पर आयोग द्वारा यथाविधि अनुमोदित अभ्यर्थी को नियुक्त करने के लिये कहा तब से कई अनुस्मारक भेज कर पूछा गया कि संबंधित अधिकारी हटाया गया या नहीं किन्तु वर्ष की समाप्ति तक शिक्षा निदेशक से कोई उत्तर नहीं मिला।
३०	सिंचाई विभाग में सहायक अभियन्ता	१११	अनुमोदित।
३१	अधीनस्थ कृषि सेवा ग्रुप १ (वनस्पति विज्ञान शाखा)	१८	१७ अनुमोदित। शेष एक को कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।
३२	राजकीय अलकोहल टेक्नालॉजिस्ट, उत्तर प्रदेश	१	२७-११-५६ से नियमित चुनाव होने तक का कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।
३३	श्रमायुक्त कार्यालय में कल्याण अधीक्षक तथा ज्येष्ठान्वेषक	२ १	२ अनुमोदित। शेष एक को ३१-५-६० से ७-८-६१ तक का कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

परिशिष्ट ६ (क्रमशः)

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	अभ्यर्थियों की संख्या	अभ्युक्ति
१	२	३	४
३४	उत्तर प्रदेश कृषि सेवा के निम्न वेतन-क्रम में जन्तुविज्ञान तथा एन्टोमालजी के सहायक प्राध्यापक	१	अनुमोदित।
३५	आर्थिक क्षेत्र निरीक्षक	१८	५ अनुमोदित तथा १३ अननुमोदित। इन १३ को प्रत्यावर्तन के लिये प्रस्तुत किया।
३६	उत्तर प्रदेश श्रम विभाग में प्राविधिक अधिकारी	१	अनुमोदित।
३७	मत्स्य विभाग म मत्स्य क्रय-विक्रय अधिकारी तथा व्याख्याता	१ १	एक अनुमोदित और दूसरे को ६-८-६० से ११-१२-६१ तक के लिये कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया।
३८	प्रदेश के राजकीय बहुधंधी विद्यालयों में २५०-८५० रु० वेतन-क्रम में प्रधानाचार्य	३	अनुमोदित।
३९	उत्तर प्रदेश कृषि सेवा के सेक्शन 'सी' के उच्च वेतन-क्रम में क्रॉप फिजियालॉजिस्ट	१	तदैव
४०	राजकीय सीमेन्ट फैक्टरी चुर्क, मिर्जापुर में सहायक अभियन्ता (वर्कशाप)	१	अनुमोदित।
४१	सरोजिनी नायडू चिकित्सा महाविद्यालय, आगरा में साईटोलॉजी में व्याख्याता तथा रासायनिक पैथालॉजी मे व्याख्याता	१ १	तदैव

परिशिष्ट ६ (क्रमशः)

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	अभ्यर्थियों की संख्या	अभ्युक्ति
१	२	३	४
४२	अधीनस्थ शिक्षा सेवा में ट्रेन्ड ग्रेजुएट्स ग्रेड में सहायक अध्यापिका	१२	१० अनुमोदित, १ अननुमोदित और शेष एक का कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।
४३	पी० एस० एम० एस० (महिला)	१	३-७-६२ तक के लिये अनुमोदित किया तथा ४-७-६२ से एक वर्ष के लिये पुनः अनुमोदित किया।
४४	स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग, उत्तर प्रदेश में सहायक अभियन्ता		*इस प्रतिवेदन के अध्याय ९ का पैरा १६ देखें।
४५	अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राजपत्रित) में उप-बालिका विद्यालय निरीक्षिका	२	अननुमोदित। उनको प्रत्यावर्तित करने का सुझाव दिया।
४६	उत्तर प्रदेश जन स्वास्थ्य सेवा के लिये डाक्टर	२	अनुमोदित।
४७	अस्थायी न्यायिक अधिकार के पद पर कार्य करने के लिये स्पेशल रेलवे मैजिस्ट्रेट	१	अनुमोदित।
४८	उद्योग विभाग में संख्या अधिकारी (नियोजन)	१	अगस्त, १९६० से १२-३-६२ तक का कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया।
४९	प्रबन्धक, सम्पूर्णानन्द कृषि-सहित औद्योगिक कैम्प, सितार गंज, नैनीताल	१	अननुमोदित।
५०	कम्बल फैक्टरी, नजीबाबाद के लिये प्रबन्धक प्रभारी	१	९-१-६२ तक के लये अनुमोदित किया।

परिशिष्ट ६—(क्रमशः)

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	अभ्यर्थियों की संख्या	अभ्युक्ति
१	२	३	४
५१	राजकीय सीमेंट फैक्टरी, चुर्क, मिर्जापुर के सहायक लेखाधिकारी (प्रायोजना)	१	३१–३–६२ तक के लिये अनुमोदित।
५२	सरोजिनी नायडू चिकित्सा महाविद्यालय, आगरा में पेडियाट्रिक्स में व्याख्याता	१	अनुमोदित।
५३	राजकीय जूनियर प्राविधिक स्कूल, दौराला के लिये मेकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राफ्ट्समैन	१	५–९–५९ से नियमित चुनाव तक अनुमोदित।
५४	अधीनस्थ सहकारिता सेवा के ग्रुप २ में सहकारिता निरीक्षक	५८	१४ को नियमित चुनाव होने तक के लिये अनुमोदित किया। १९ को अनुमोदित अभ्यर्थियों द्वारा हटाये जाने तक के लिये अनुमोदित किया। २३ को सेवा मुक्त किये जाने की तिथि तक अनुमोदित किया। शेष दो को सेवा से मुक्त करने के लिये संस्तुत किया।
५५	डिप्टी कलेक्टर	४	अननुमोदित। पदोन्नति द्वारा नियमित चुनाव करने का सुझाव दिया और वांछित निर्देश मांगा।
५६	ज्येष्ठ कार्य-प्रेषक	२९	२१ अननुमोदित। ३ अननुमोदित, ५ को कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया। परामर्श दिया गया कि ३ अननुमोदित अभ्यर्थियों को प्रत्यावर्तित कर दिया जाय।
५७	प्रान्तीय चिकित्सा सेवा (महिला) प्रथम	१	अनुमोदित।

परिशिष्ट ६—(क्रमशः)

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	अभ्यर्थियों की संख्या	अभ्युक्ति
१	२	३	४
५८	उत्तर प्रदेश कृषि सेवा ज्येष्ठ वेतन क्रम में कृषि अर्थशास्त्री	१	३०–९–६२ तक अनुमोदित तथा पुनः ३१–३–६३ तक का अनुमोदन प्रदान किया।
५९	अधीक्षक, गुण चिह्नांकन योजना (कम्बल), मिर्जापुर	१	फरवरी, १९६० से नियमित चुनाव होने तक अनुमोदित।
६०	केन्द्रीय डिजाइन केन्द्र, लखनऊ में क्राफ्ट डिजाइनर	१	अनुमोदित।
६१	पन्तनगर प्रक्षेत्र, नैनीताल में अधीनस्थ कृषि सेवा ग्रुप दो के पद	२	१–४–५८ से नियमित रूप से चुने हुये अभ्यर्थियों तक हटाये जाने तक अनुमोदित।
६२	इलाहाबाद मनोविज्ञान शाला में संख्याविद्	१	अननुमोदित।
६३	अधीनस्थ शिक्षा सेवा के एल० टी० ग्रेड में सहायक अध्यापक	२४	२३ अनुमोदित, शेष एक के विषय में अनुमोदन की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसकी कार्य संचालनार्थ नियुक्ति एक वर्ष से कम थी।
६४	प्रान्तीय चिकित्सा सेवा प्रथम में पैथालॉजिस्ट	१	अननुमोदित, संस्तुत किया कि उसको प्रान्तीय चिकित्सा सेवा द्वितीय में प्रत्यावर्तित कर दिया जाय।
६५	उत्तराखंड डिवीजन में सबडिवीजनल अधिकारी सबडिवीजनल मैजिस्ट्रेट	३	अननुमोदित।
६६	प्रान्तीय चिकित्सा सेवा (महिला) द्वितीय	२	अनुमोदित।

परिशिष्ट ६—(क्रमशः)

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	अभ्यर्थियों की संख्या	अभ्युक्ति
१	२	३	४
६७	नगर तथा ग्राम निवास विभाग की ग्राम निवास योजना में सहायक अभियन्ता (नगर नियोजन)	१	१-४-६२ से ६-८-६२ तक का कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।
६८	प्रान्तीय चिकित्सा सेवा द्वितीय	६	अनुमोदित।
६९	अधीनस्थ शिक्षा सेवा के एल० टी० ग्रेड में सहायक	२८	२१ नियमित चुनाव तक अनुमोदित और ७ अननुमोदित।
७०	राजकीय केन्द्रीय काष्ठकला विद्यालय में कैबिनेट इन्स्ट्रक्टर (राजपत्रित)	१	अनुमोदित।
७१	उपनिदेशक पशुपालन, उत्तर प्रदेश	४	(क) २ को १-५-६० से नियमित चुनाव तक का। (ख) १ को १-५-६० से ३१-१२-६१ तक का। (ग) १ को १२-५-६० से ९-९-६१ तक का कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया।
७२	कनिष्ठ विश्लेषण सहायक	६	अनुमोदित।
७३	श्रम विभाग में निवास निरीक्षक	१	कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।
७४	श्रमायुक्त के कार्यालय में सीनियर टाइम स्टडी हैन्ड	१	अननुमोदित। परामर्श दिया कि उसके स्थान पर यथाविधि अर्ह अभ्यर्थी नियुक्त किया जाय।
७५	उत्तर प्रदेश सचिवालय की विधायिका शाखा में विधिक भाषा सहायक	१	अनुमोदित।

परिशिष्ट ६--(क्रमशः)

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	अभ्यर्थियों की संख्या	अभ्युक्ति
१	२	३	४
७६	सूचना निदेशालय में लेखापाल/निर्देशलिपिक	२१	१५ अनुमोदित तथा ६ अननुमोदित रहे।
७७	अधीनस्थ शिक्षा सेवा के एल० टी० ग्रेड में सहायक अध्यापिका	१७	अनुमोदित।
७८	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापक	१९	६ को नियमित चुनाव तक का अनुमोदन दिया तथा १३ को नियमित रूप से चुने हुये अभ्यर्थियों द्वारा हटाये जाने तक का अनुमोदन प्रदान किया।
७९	निर्वाचन निदेशक (स्थानीय संस्थायें) उत्तर प्रदेश के कार्यालय में सहायक निर्वाचन निदेशक	१	जब तक आयोग के परामर्श से चुनाव के सिद्धान्त तय न हो जायें, तब तक के लिये आयोग ने अपना परामर्श देना स्थगित रक्खा, किन्तु ८-३-६३ को शासन ने सूचित किया कि पद ३१-१२-६२ से ही समाप्त हो गया था।
८०	श्रमायुक्त के कार्यालय में मुख्य संख्या सहायक	१	अनुमोदित।
८१	पशु चिकित्सा सहायक सर्जन	९	तदेव
८२	मनोविज्ञान शाला, इलाहाबाद में सहायक मनोवैज्ञानिक	१	तदेव
८३	अधीनस्थ श्रम सेवा के ग्रुप ३ में कल्याण अधीक्षक	१	तदेव

परिशिष्ट ६—(क्रमशः)

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	अभ्यर्थियों की संख्या	अभ्युक्ति
१	२	३	४
८४	गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक चिकित्सा महाविद्यालय, कानपुर में ऑब्सटेट्रिक्स तथा गाइनोकोलॉजी में प्रवाचक	१	अनुमोदित ।
८५	गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक चिकित्सा महाविद्यालय, कानपुर में पेडियाट्रिक्स में व्याख्याता	१	३-१२-६० से १३-३-६२ तक अनुमोदित ।
८६	लेखा अधिकारी, नेशनल कैडेट कोर नं० ६ सर्किल, उत्तर प्रदेश	१	३०-६-६३ तक अनुमोदित ।
८७	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापक	२	१ अनुमोदित तथा १ अननुमोदित रहा ।
८८	अधीनस्थ श्रम सेवा के ग्रुप ३ में आवास निरीक्षक	१	अनुमोदित ।
८९	उत्तर प्रदेश कृषि सेवा के कनिष्ठ वेतन-क्रम में सहायक एन्टोमॉलॉजिस्ट	१	२५-७-५९ से नियमित रूप से चुने हुये अभ्यर्थी द्वारा हटाये जाने तक अनुमोदित ।
९०	प्रान्तीय चिकित्सा सेवा प्रथम में एनेस्थेटिस्ट्स	७	अनुमोदित ।
९१	राजकीय पॉलीटेक्निक, लखनऊ में इन्स्ट्रक्टर (जनरल वर्कशाप प्रैक्टिस)	१	अननुमोदित ।
९२	सूचना निदेशालय, उत्तर प्रदेश में "हुज हू" के सम्पादक	१	अनुमोदित ।

परिशिष्ट ६—(क्रमशः)

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	अभ्यर्थियों की संख्या	अभ्युक्ति
१	२	३	४
९३	सरोजिनी नाइडू चिकित्सा महाविद्यालय, आगरा में फिजियोलोजी में प्रवाचक	१	अनुमोदित ।
९४	गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक चिकित्सा महाविद्यालय, कानपुर में फारमैकालॉजी में व्याख्याता	१	तदेव
९५	सहकारिता विभाग, उ० प्र० में मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी	१	तदेव
९६	उत्तर प्रदेश पशुपालन चिकित्सा सेवा में सहायक पशुपालन निदेशक (नियोजन)	१	२९-४-६० से उसके प्रत्यावर्तन की तिथि तक अनुमोदित ।
९७	उत्तर प्रदेश कृषि सेवा में कनिष्ठ वेतन क्रम में विवेकानन्द प्रयोगशाला में सहायक ज्वार विशेषज्ञ	१	१-१२-६० से सितम्बर, १९६२ तक अनुमोदित ।
९८	उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग में सहायक अभियन्ता	१४०	अनुमोदित ।
९९	प्रधानाचार्य, राजकीय बिड़ला डिग्री कालेज, श्रीनगर (गढ़वाल)	१	तदेव
१००	पशुपालन विभाग में उपनिदेशक प्रभारी 'विलेज स्कीम'	१	तदेव
१०१	उ० प्र० खनिकर्म तथा भूगर्भ विज्ञान निदेशालय में भूगर्भवेत्ता तथा सहायक भूगर्भवेत्ता	४	दो का नियमित चुनाव होने तक कार्योत्तर अनुमोदन दिया गया और दो को तब तक के लिये अनुमोदित किया जब तक कि वे यथाविधि चुने हुए अभ्यर्थियों द्वारा हटा न दिये जायं ।

परिशिष्ट ६—(क्रमशः)

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	अभ्यर्थियों की संख्या	अभ्युक्ति
१	२	३	४
१०२	राजकीय आयुर्वेदिक औषधालयों में चिकित्साधिकारी	१९	अनुमोदित ।
१०३	कनिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, रोग तथा पेस्ट सेक्शन, एल० आर० एस०, मथुरा	१	अनुमोदित ।
१०४	नगर तथा ग्राम नियोजन विभाग में सहायक अभियन्ता (नगर नियोजन)	१	अनुमोदित ।
१०५	गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक चिकित्सा महाविद्यालय, कानपुर, के रक्त कोष में चिकित्सा अधिकारी	१	१८–८–६० से २२–९–६१ तक के लिये अनुमोदित ।
१०६	जिला पूर्ति अधिकारी/नगर रसद अधिकारी/क्षेत्रीय रसद अधिकारी	४	दो अनुमोदित किये गये और दो नहीं ।
१०७	राजकीय कृषि महाविद्यालय, कानपुर, में प्लांट पैथोलॉजी के सहायक प्राध्यापक	१	२४–१२–५८ से १–१–६२ तक के लिये अनुमोदित ।
१०८	प्रोबेशन अधिकारी	४	अनुमोदित ।
१०९	पी० एम० एस० (महिला)–दो	१८	अनुमोदित ।
११०	सा० नि० विभाग में सहायक अभियन्ता (विद्युत्/यांत्रिक)	१	३१ जुलाई, १९६२ तक के लिये अनुमोदित ।
१११	राजकीय पशुधन सहित कृषि प्रक्षेत्र, उ० प्र०, लखनऊ के सामान्य प्रबन्धक के मुख्यालय कार्यालय में लेखाधिकारी	१	२४–६–५३ से ५–७–५५ का कार्योत्तर अनुमोदन दिया गया और १२–९–५७ से ३१–३–६३ तक अनुमोदित ।

परिशिष्ट ६--(क्रमशः)

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	अभ्यर्थियों की संख्या	अभ्युक्ति
१	२	३	४
११२	सहायक निदेशक, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवायें द्वितीय रेंज, इलाहाबाद	१	२२-१-६१ से २६-२-६२ तक का कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया ।
११३	अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राजपत्रित) में अधीक्षक (कृषि शिक्षा)	१	९-३-६१ से उस समय तक के लिये अनुमोदित जब तक कि उसके स्थान पर यथाविधि चुना हुआ अभ्यर्थी नियुक्त न कर दिया जाय ।
११४	उपाधीक्षक, नवीन राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ	१	१०-७-६० से उसके प्रत्यावर्तन की तिथि तक का कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया ।
११५	पी० एम० एस०-दो	४९	४६ अनुमोदित और ३ के बारे में उनके त्याग-पत्र देने की तिथियों तक का कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया ।
११६	श्रम कल्याण अधीक्षक	७	उनके यथाविधि चुनाव तक तीन अनुमोदित और चार उस समय तक के लिये अनुमोदित किये गये, जब तक कि उनके स्थान पर यथाविधि चुने हुए अभ्यर्थी नियुक्त न कर दिये जायं ।
११७	उ० प्र० गन्ना सेवा, क्लास-दो में गन्ना संरक्षण अधिकारी	१	अनुमोदित ।
११८	ग० शं० वि० स्मारक महाविद्यालय, कानपुर, में रेडियोलॉजी में व्याख्याता	१	अनुमोदित ।

परिशिष्ट ६ (क्रमशः)

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	अभ्यर्थियों की संख्या	अभ्युक्ति
१	२	३	४
११९	काशी नरेश राजकीय डिग्री महाविद्यालय, ज्ञानपुर (वाराणसी), में अर्थशास्त्र के प्रध्यापक	१	७–२–५९ से २–६–६३ तक के लिये अनुमोदित ।
१२०	उ० प्र० पशुचिकित्सा विज्ञान तथा पशुपालन महाविद्यालय, मथुरा में डिमांस्ट्रेटर	८	अननुमोदित सभी पदों को सीधी भरती द्वारा भरने का सुझाव दिया गया ।
१२१	उ० प्र० सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में चिकित्सक	२	अनुमोदित ।
१२२	ग० शं० वि० स्मारक महाविद्यालय, कानपुर, में फिजियोलाजी में व्याख्याता	१	अनुमोदित ।
१२३	स० ना० चि० महाविद्यालय, आगरा, में सर्जरी में प्राध्यापक	१	अनुमोदित ।
१२४	स० ना० चि० महाविद्यालय, आगरा में औषधि में व्याख्याता	१	अनुमोदित ।
१२५	प्रधानाचार्य, आदर्श प्रशिक्षण-सहित उत्पादन केन्द्र, बख्शी-का तालाब, लखनऊ	१	अनुमोदित ।
१२६	स० ना० चि० म० आगरा, में अनेस्थीसिया में व्याख्याता	१	अनुमोदित ।
१२७	वि० अ० शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापक (हिन्दी तथा संस्कृत)	२	अनुमोदित ।
१२८	स० ना० चि० म०, आगरा में पैडियाट्रिक्स में प्रध्यापक तथा प्रवाचक	२	अनुमोदित ।

परिशिष्ट ६ (क्रमशः)

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	अभ्यर्थियों की संख्या	अभ्युक्ति
१	२	३	४
१२९	उ० प्र० पशुचिकित्सा विज्ञान तथा पशुपालन महाविद्यालय, मथुरा में अनुसंधान अधिकारी (ब्रुसेलोसिस)	१	अनुमोदित ।
१३०	उ० प्र० सहकारिता सेवा, क्लास १ में उप निबन्धक	४	अननुमोदित, यह सुझाव दिया गया कि नियमित चुनाव होने तक उ० प्र० सहकारिता सेवा, जूनियर स्केल के केवल स्थायी सदस्यों की कार्य संचालनार्थ पदोन्नति की जाय और तदनुसार कार्य-वाही की जाय ।
१३१	पशुपालन विभाग, उ० प्र० में सहायक निदेशक की 'विलेज स्कीम'	१	अनुमोदित ।
१३२	श्रम विभाग में महिला कल्याण निरीक्षिका	१	अनुमोदित ।
१३३	राजकीय यूनानी दवाखानों में हकीम	२	अनुमोदित ।
१३४	मो० ला० ने० चि० म०, इलाहा-बाद में फिजियोलॉजी में व्याख्याता	१	अनुमोदित ।
१३५	ग० शं० वि० स्मारक चि० म०, कानपुर, में सर्जरी में व्याख्याता	१	अनुमोदित ।
१३६	राजकीय डिग्री महाविद्यालय, ज्ञानपुर (वाराणसी) में भूगोल में व्याख्याता	१	अनुमोदित ।
१३७	श्रम विभाग में संख्या अधीक्षक	१	३-१०-६१ से ५-११-६२ तक अनुमोदित ।

परिशिष्ट ६ (क्रमशः)

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	अभ्यर्थियों की संख्या	अभ्युक्ति
१	२	३	४
१३८	श्रमायुक्त उ० प्र०, के कार्यालय में लेखा निरीक्षक	१	अनुमोदित ।
१३९	श्रम विभाग में ओवरसियर	५	अनुमोदित ।
१४०	ग० शं० वि० स्मारक चि० म०, कानपुर में फिजियोलॉजी में व्याख्याता	१	अननुमोदित ।
१४१	सहायक अनुसंधान अधिकारी प्रभारी मान दण्डीकरण	१	अनुमोदित ।
१४२	एच० बी० टी० आई०, कानपुर में अनुसंधान सहायक (अलको-हल टेक्नोलॉजी सेक्शन)	१	अनुमोदित ।
१४३	स० ना० चि० म०, आगरा में अनाटॉमी में व्याख्याता	२	अनुमोदित ।
१४४	भूगर्भ विज्ञान तथा खनिकर्म निदे-शालय, उ० प्र० में जियो-केमिस्ट तथा सहायक जियो-केमिस्ट	३	९-१-६३ तक को यह सुझाव दिया गया कि इन कार्य संचालनार्थ नियुक्तियों के एक वर्ष से अधिक चलते रहने की संभावना नहीं है, क्योंकि यह आशा है कि यथाविधि चुने हुये विद्यार्थी तब तक उपलब्ध हो जायेंगे। अतः अभी आयोग के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है ।
१४५	राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, लखनऊ में द्रव्यगुण में डिमां-स्ट्रेटर	१	अनुमोदित ।

परिशिष्ट ६--(समाप्त)

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	अभ्यर्थियों की संख्या	अभ्युक्ति
१	२	३	४
१४६	उ० प्र० गन्ना सेवा, क्लास-दो, में स्वायल केमिस्ट	१	अनुमोदित ।
१४७	स्वास्थ्य शिक्षा शाला के प्रसार के संबंध में सोशियोलॉजिस्ट	१	अनुमोदित ।
	योग ...	१०१०	

परिशिष्ट–६ (क)

नियमितकरण के मामले, जो १ अप्रैल, १९६३ तक नहीं निबटाये जा सके थे ।

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	अभ्यर्थियों की संख्या जिन पर विचार करना था	अभ्युक्ति अथवा न निबटाये जा सकने का कारण
१	२	३	४
१	प्रांतीय चिकित्सा सेवा (महिला)–दो	१	निबटाया न जा सका ।
२	अधीनस्थ कृषि सेवा प्रथम तथा द्वितीय ग्रुप	५४	तदेव ।
३	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में व्याख्याता	१३	चरित्रावलियां प्रतीक्षित रहीं ।
४	उ० प्र० कृषि सेवा में ज्येष्ठ वेतन-क्रम में राजकीय कृषि महा–विद्यालय के लिये प्राध्यापक	१	निबटाया न जा सका ।
५	इवैक्वी इंटरेस्ट (सेपरेशन) ऐक्ट, १९६१ के अधीन सहायक विक्री अधिकारी	३	चरित्रावलियां प्रतीक्षित रहीं ।
६	अधीनस्थ तथा विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्या–पक	३ / १६	निबटाया न जा सका ।
७	परिवहन संगठन में ओवरसियर	११	चरित्रावलियां प्रतीक्षित रहीं ।
८	सोशल ऐण्ड मारल हाईजीन आफ्टर केयर सर्विसेज स्कीम के अन्त–र्गत सहायक अधीक्षक	४	तदेव ।
९	सहायता तथा पुनर्वास संगठन में कृषि अधिकारी	१	निबटाया न जा सका ।

परिशिष्ट ६-(क)--(क्रमशः)

नियमित करण के मामले, जो १ अप्रैल, १९६३ तक नहीं निबटाय जा सके थे ।

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	अभ्यर्थियों की संख्या जिन पर विचार करना था	अभ्युक्ति अथवा न निबटाये जा सकने का कारण
१	२	३	४
१०	उप गन्ना आयुक्त (सहकारिता चीनी मिलें)	१	नियमित चुनाव के संबंध में मांगे गये कुछ कागजों के अभाव में न निबटाया जा सका ।
११	प्रांतीय चिकित्सा सेवा (पुरुष शाखा) प्रथम	५३	न निबटाया जा सका ।
१२	लिपिक वर्गीय तथा अधीनस्थ आर्थिक बोध सेवा	१४८	कई कागज तथा सूचनायें, जो २३-२-६३ को मांगे गये थे वर्ष के अंत तक प्राप्त नहीं हुये ।
१३	डिप्टी रीजनल फूड कंट्रोलर रीजनल मार्केटिंग अधिकारी डिप्टी रीजनल मार्केटिंग अधिकारी, सहायक रीजनल फूड कंट्रोलर	४ ९ २८ ११	चरित्रावलियां तथा ज्येष्ठ मार्केटिंग निरीक्षक की ज्येष्ठता सूची वर्ष के अंत तक नहीं प्राप्त हो सकीं ।
१४	विशेष भूमि अवाप्ति अधिकारी	१३	न निबटाया जा सका ।
१५	सार्वजनिक निर्माण विभाग, उ० प्र० में सहायक अभियंता	१५	तदेव ।
१६	सहायक सचिव, राजस्व परिषद्, उ० प्र०	१	तदेव ।
१७	नियोजन संगठन में सहायक लेखा अधिकारी	१	नियमित चुनाव के लिये एक यथा-विधि निर्देश मांगा गया था, जो वर्ष की समाप्ति तक नहीं भेजा गया ।
१८	पेशकार	२०	न निबटाया जा सका ।

परिशिष्ट ६-क--(क्रमशः)

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	अभ्यर्थियों की संख्या जिन पर विचार करना था	अभ्युक्ति अथवा न निबटाये जा सकने का कारण
१	२	३	४
१९	अधीनस्थ शिक्षा सेवा में राजकीय ओरियन्टल महाविद्यालय, रामपुर के लिये प्रशिक्षित स्नातक वर्ग में सहायक अध्यापक	१८	न निबटाया जा सका।
२०	अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राजपत्रित)	३२	नियमित चुनाव के लिये यथाविधि निर्देश प्रतीक्षित रहे।
२१	कृषि विभाग में सहायक कृषि अभियन्ता	५	न निबटाया जा सका।
२२	क्षेत्रीय राशन अधिकारी	७	चरित्रावलियां प्रतीक्षित रहीं।
२३	उ० प्र० गन्ना सेवा में कनिष्ठ वेतन-क्रम में विभिन्न पद	१८	न निबटाया जा सका।
२४	अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापक (कला) तथा सहायक अध्यापक (पी० टी०)	११ ५	चरित्रावलियां प्रतीक्षित रहीं।
२५	उ० प्र० पशु चिकित्सा सेवा द्वितीय क्लास में जिला पशुधन अधिकारी	१९	न निबटाया जा सका।
२६	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापिका/व्याख्याता	२६	कुछ सूचनायें तथा कागज, जो १२-२-६३ को मांगे गये थे, प्राप्त नहीं हुये।
२७	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापिका	७०	२३-२-६३ को कुछ सूचनायें तथा कागज मांगे गये थे, जो प्राप्त नहीं हुये।

परिशिष्ट ६–क––(क्रमशः)

क्रम–संख्या	सेवा या पद का नाम	अभ्यर्थियों की संख्या जिन पर विचार करना था	अभ्युक्ति अथवा न निबटाये जा सकने का कारण
१	२	३	४
२८	अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापिका	१०	कुछ कागजों तथा सूचनाओं के अभाव में न निबटाये जा सके।
२९	द्वितीय सामान्य मशीन इन्स्ट्रक्टर, राजकीय पालीटेक्निक, जौन–पुर	१	चरित्रावली प्रतीक्षित रही ।
३०	शिक्षा निदेशालय में सहायक लेखा अधिकारी	१	कुछ सूचनाओं तथा कागजों के अभाव में न निबटाया जा सका ।
३१	अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राज-पत्रित) प्रधानाध्यापिका	१८	नियमित चुनाव के लिये निर्देश के अभाव में न निबटाया जा सका।
३२	ग्रेन सप्लाई स्कीम में सहायक रीजनल लेखा अधिकारी	१	न निबटाया जा सका।
३३	राजकीय परिवार नियोजन केन्द्र के लिये महिला समाज कार्य-कर्त्री	४७	कुछ सूचनायें २०–२–६१ को मांगी गई थी, वर्ष के अन्त तक नहीं प्राप्त हुई ।
३४	उत्तर प्रदेश कृषि सेवा कनिष्ठ वेतन–क्रम में वनस्पति शास्त्र में सहायक प्राध्यापक	१	कुछ सूचनायें तथा कागजों के अभाव में न निबटाया जा सका।
३५	राजकीय खेलकूद केन्द्र, बरेली के अन्तर्गत कर्मशाला अधीक्षक	१	न निबटाया जा सका।
३६	प्राविधिक प्रबन्धक (पावर लूम)	१	तदेव

परिशिष्ट ६—क—(क्रमशः)

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	अभ्यर्थियों की संख्या जिन पर विचार करना था	अभ्युक्ति अथवा न निबटाये जा सकने के कारण
१	२	३	४
३७	राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, लखनऊ में पैथालॉजी में व्याख्याता आब्स्टेट्रिक्स और गाईनेकोलॉजी में व्याख्याता	१ १	चरित्रावलियां प्रतीक्षित रहीं।
३८	राजकीय बहुधंधी विद्यालय लखनऊ में ड्राफ्ट्समैन (विद्युत्)	१	तदेव
३९	प्रशिक्षित स्नातक वर्ग में सहायक अध्यापक	२७	कुछ कागजों के अभाव में न निबटाया जा सका।
४०	प्रान्तीय चिकित्सा सेवा (पुरुष शाखा) प्रथम	७	सीधी भर्ती द्वारा चुनाव वर्ष की समाप्ति तक पूर्ण न हो सकने के कारण न निबटाया जा सका।
४१	उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग में सहायक लेखा अधिकारी	१	कुछ कागजों तथा सूचनाएं जो २५–१०–६२ को मांगी गई थीं, के अभाव में न निबटाया जा सका।
४२	उत्तर प्रदेश कृषि सेवा, कनिष्ठ वेतन–क्रम	४०	मांगी गई सूचनाओं और कागजों को वर्ष की समाप्ति तक भी नहीं भेजा गया।
४३	ज्येष्ठार्थान्वेषक	३	न निबटाया जा सका।
४४	मद्यनिषेध तथा समाजोत्थान अधिकारी	२	कुछ कागज तथा सूचनायें, जो १२–९–६२ को मांगी गई थीं, वर्ष की समाप्ति तक नहीं प्राप्त हुई।

परिशिष्ट ६–(क)––(क्रमशः)

क्रम–संख्या	सेवा या पद का नाम	अभ्यर्थियों की संख्या जिन पर विचार करना था	अन्यवित अथवा न निबटाये जा सकने का कारण
१	२	३	४
४५	अधीनस्थ शिक्षा सेवा में कृषि अध्यापक	११	न निबटाया जा सका।
४६	सहायक परिवहन अभियन्ता	१	तदेव
४७	जिला उद्योग अधिकारी द्वितीय ग्रेड	१	कुछ सूचनायें तथा कागज, जो २०–१–६२ को मांगे गये थे, वर्ष की समाप्ति तक प्राप्त नहीं हुये।
४८	प्रभारी प्रबन्धक, कम्बल फैक्टरी, मिर्जापुर	१	न निबटाया जा सका।
४९	मनोविज्ञान शाला, इलाहाबाद के लिये सीनियर टेस्टर	१	तदेव
५०	अधीनस्थ श्रम सेवा तृतीय ग्रुप में आवास निरीक्षक	५	आयोग ने २१–६–६२ को अनुमोदन देने में अपनी असमर्थता प्रकट की, जब तक कि पद के लिये आलेख्य विज्ञापन न आ जाय। वर्ष की समाप्ति तक आलेख्य विज्ञापन नहीं प्राप्त हुआ।
५१	जूनियर प्राविधिक विद्यालय, इलाहाबाद में वर्कशाप इन्स्ट्रक्टर (लुहारीगिरी)	१	न निबटाया जा सका।
५२	अधीक्षक, राजकीय उद्यान	१	नियमित चुनाव के लिये निर्देश के अभाव में न निबटाया जा सका।

परिशिष्ट—६—(क)——(क्रमशः)

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	अभ्यर्थियों की संख्या जिन पर विचार करना था	अभ्युक्ति अथवा न निबटाये जा सकने का कारण
१	२	३	४
५३	अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राजपत्रित) में राजकीय केन्द्रीय अध्यापन विज्ञान संस्थान, इलाहाबाद में भूगोल तथा गणित के प्राध्यापक	१ १	न निबटाया जा सका।
५४	राजकीय पर्वतीय फल अनुसंधान स्टेशन चोबतिया में कीटविद्	१	कुछ सूचनायें तथा कागज, जो ३—११—६१ को मांगे गये थे, वर्ष के अन्त तक नहीं भेजे गये।
५५	उ० प्र० शिक्षा सेवा कनिष्ठ वेतन-क्रम में इलाहाबाद मनोविज्ञान-शाला के लिये मनोवैज्ञानिक	१	नियमित चुनाव के लिये निर्देश के अभाव में न निबटाया जा सका।
५६	ज्येष्ठ विश्लेषण सहायक	१	न निबटाया जा सका।
५७	श्रम विभाग में आवास निरीक्षक	३	कुछ सूचनाओं के अभाव में न निबटाया जा सका।
५८	सूचना निदेशालय में लेखापाल/निर्देश लिपिक	१	न निबटाया जा सका।
५९	पंचायत राज निदेशालय में पत्रकार	१	तदेव
६०	अधीनस्थ शिक्षा सेवा के एल०टी० ग्रेड में सहायक अध्यापिका	३९	तदेव
६१	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापक	२	न निबटाया जा सका।

परिशिष्ट ६ (क)—(क्रमशः)

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	अभ्यर्थियों की संख्या जिनपर विचार करना था	अभ्युक्ति अथवा न निबटाये जा सकने का कारण
१	२	३	४
६२	लेखा परीक्षा सहित लेखाअधिकारी, सहकारिता चीनी मिलें	१	न निबटाया जा सका
६३	मनोविज्ञान शाला, इलाहाबाद के लिये सहायक मनोवैज्ञानिक	३	तदेव
६४	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापक	९	तदेव
६५	उत्तर प्रदेश कृषि सेवा, द्वितीय क्लास के सेक्शन 'सी' में सहायक पोध संरक्षण अधिकारी	१	नियमित चुनाव के लिये निर्देश जो ३–५–६२ को मांगा गया था, के अभाव में न निबटाया जा सका।
६६	हरकोर्ट बटलर प्रोद्योगिक संस्था, कानपुर में वैद्युत अभियन्त्रण में सहायक प्राध्यापक	१	न निबटाया जा सका।
६७	उत्तर प्रदेश प्रशिक्षण तथा सेवायोजन निदेशालय में सहायक जिला सेवायोजन अधिकारी	१७	तदेव
६८	उत्तर प्रदेश नगर तथा ग्राम निवास विभाग की ग्राम निवास योजना में अधिशासी अभियन्ता	१	तदेव
६९	आर्थिक बोध निरीक्षक	५४	तदेव
७०	प्रान्तीय आयुर्वेदिक औषधालय में चिकित्सा अधिकारी	१७	कुछ सूचनाओं के अभाव में न निबटाया जा सका।

परिशिष्ट—६—क (क्रमशः)

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	अभ्यर्थियों की संख्या जिनपर विचार करना था	अभ्युक्ति अथवा न निबटाये जा सकने का कारण
१	२	३	४
७१	जिला सम्पूर्ति/नगर राशनिंग/क्षेत्रीय राशनिंग अधिकारी	१	कुछ सूचनाओं के अभाव में न निबटाया जा सका।
७२	वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक सहकारी समितियां	१	न निबटाया जा सका।
७३	जिला उद्योग अधिकारी प्रथम ग्रेड/जिला उद्योग अधिकारी द्वितीय ग्रेड/प्रभागीय उद्योग अधीक्षक	१४	कुछ कागजों तथा सूचनाओं के अभाव में न निबटाया जा सका।
७४	प्रान्तीय चिकित्सा सेवा (महिला) द्वितीय	९	न निबटाया जा सका।
७५	शिक्षा प्रसार कार्यालय में विभिन्न पद (क) लेखक, (ख) प्रभारी फिल्म सेक्शन, (ग) सम्पादक, (घ) ध्वनि अभियन्ता, (ङ) प्रभारी प्रयोगशाला (च) पत्रकार	६	कुछ कागजों तथा सूचनाओं के अभाव में न निबटाया जा सका।
७६	उद्योग निदेशालय में सहायक विकास अधिकारी प्रथम तथा द्वितीय ग्रेड	२१२	कुछ कागजों के अभाव में जो २४—१—६३ को मांगे गये थे, न निबटाया जा सका।
७७	उत्तर प्रदेश नगर तथा ग्राम निवास विभाग की ग्राम निवास योजना में सहायक अभियन्ता (वास्तुविद्या)	१	कुछ कागजों तथा सूचनाओं के अभाव में, जो २८—२—६३ को मांगी गई थी, न निबटाया जा सका।
७८	उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा वरिष्ठ वेतन—क्रम	५	नियमित चुनाव के लिये निर्देश के अभाव में न निबटाया जा सका।

परिशिष्ट—६—क (क्रमशः)

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	अभ्यर्थियों की संख्या जिस पर विचार करना था	अभ्युवित अथवा न निबटाये जा सकने का कारण
१	२	३	४
७९	सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश में सहायक अभियन्ता	१५	न निबटाया जा सका।
८०	प्रान्तीय चिकित्सा सेवा—द्वितीय	२९	तदेव
८१	अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राजपत्रित) में इतिहास में प्राध्यापक	१	नियमित चुनाव के निर्देश के अभाव में न निबटाया जा सका।
८२	उत्तर प्रदेश उद्योग निदेशालय में— (क) मुख्य लेखा निरीक्षक तथा (ख) वरिष्ठ लेखा निरीक्षक	 ४ १८	न निबटाया जा सका।
८३	अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राजपत्रित) में जिला मनोवैज्ञानिक	२	तदेव
८४	उत्तर प्रदेश अभिलेखागार, इलाहाबाद में क्षेत्र सहायक	१	तदेव
८५	तहसीलदार	२०	कुछ कागजों तथा सूचनाओं के अभाव में, जो ५–११–६२ को मांगे गये थे, न निबटाया जा सका।
८६	राजकीय डिग्री महाविद्यालय, ज्ञानपुर (वाराणसी में) वनस्पति विज्ञान में व्याख्याता	१	न निबटाया जा सका।
८७	राजकीय डिग्री महाविद्यालय, ज्ञानपुर (वाराणसी) में हिन्दी में व्याख्याता	३	नियमित चुनाव के लिये निर्देश के अभाव में न निबटाया जा सका।
८८	राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, लखनऊ में द्रव्यगुण में व्याख्याता	१	न निबटाया जा सका।

परिशिष्ट ६–क (क्रमशः)

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	अभ्यर्थियों की संख्या जिस पर विचार करना था	अभ्युक्ति अथवा निबटाये जा सकने का कारण
१	२	३	४
८९	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में हिन्दी तथा संस्कृत के सहायक अध्यापक	२	कुछ सूचनाओं तथा कागजों, जो ७–३–६३ को मांगों गये थे, के अभाव में न निबटाये जा सके।
९०	श्रम विभाग में मुख्य लेखा निरीक्षक	१	कुछ सूचनाओं तथा कागजों, जो १६–३–६३ को मांगे गये थे, के अभाव में न निबटाये जा सके।
९१	राजकीय डिग्री महाविद्यालय, नैनीताल में भूगोल में व्याख्याता	१	न निबटाया जा सका।
९२	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापक (भाषा)	११	कुछ सूचनाओं तथा कागजों, जो १५–३–६३ को मांगे गये थे, के अभाव में न निबटाये जा सके।
९३	श्रम निरीक्षक/ट्रेड यूनियन के सहायक निरीक्षक	३	चरित्रावलियां प्रतीक्षित रहीं।
९४	उत्तर प्रदेश सैनिक शिक्षा तथा समाज सेवा प्रशिक्षण योजना के अधीन सहायक कमान्डेन्ट	९	न निबटाया जा सका।
९५	अधीनस्थ शिक्षा सेवा के एल० टी० ग्रेड में कला तथा शारीरिक प्रशिक्षण में अध्यापक	४५	तदेव
९६	सरोजिनी नायडू चिकित्सा महाविद्यालय, आगरा के लिये रचनाशारीर में व्याख्याता	१	तदेव

परिशिष्ट--६-क (क्रमशः)

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	अभ्यर्थियों की संख्या जिन पर विचार करना था	अभ्युक्ति अथवा न निबटाये जा सकने का कारण
१	२	३	४
९७	गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक चिकित्सा महाविद्यालय के लिये एनेस्थिशिस में व्याख्याता	२	१२-१२-६२ को मांगी गयी कुछ सूचनाओं तथा कागजों के अभाव में न निबटाया जा सका।
९८	गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक चिकित्सा महाविद्यालय, कानपुर में औषधि विज्ञान में व्याख्याता	१	न निबटाया जा सका।
९९	अधीनस्थ गन्ना सेवा--द्वितीय ग्रुप में कनिष्ठ एग्रोनोमिकल तथा कनिष्ठ रासायनिक सहायक	६ २	३-१-६३ को मांगे गये कुछ कागजों के अभाव में न निबटाया जा सका।
१००	प्रान्तीय चिकित्सा सेवा प्रथम	३२	न निबटाया जा सका।
१०१	अधीक्षक, क्षय सैनिटोरियम, भुवाली, नैनीताल	१	१४-३-६३ को मांगी गई सूचनाओं तथा कागजों के अभाव में न निबटाया जा सका।
१०२	उत्तर प्रदेश कृषि सेवा, वरिष्ठ वेतन-क्रम के सेक्शन 'सी' में उप कृषि निदेशक (फर्टीलाइ-जर तथा खाद)	१	२४-१-६३ को मांगे गये नियमित चुनाव के लिये निर्देश के अभाव में न निबटाया जा सका।
१०३	उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में प्राविधिक निरीक्षक रीजनल निरीक्षक (प्राविधिक) सहायक रीजनल निरीक्षक (प्राविधिक)	 १ ३ ३	न निबटाया जा सका।

परिशिष्ट---६--क (क्रमशः)

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	अभ्यर्थियों की संख्या जिन पर विचार करना था	अभ्यर्थित अथवा न निबटाये जा सकने का कारण
१	२	३	४
१०४	गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक चिकित्सा महाविद्यलय, कानपुर में अनाटोमी में व्याख्याता	१	न निबटाया जा सका
१०५	अधीनस्थ शिक्षा सेवा के एल०टी० ग्रेड में अध्यापक (संगीत)	१	तदेव
१०६	पशुचिकित्सा सहायक सर्जन	१	तदेव
१०७	गन्ना विभाग में सहायक प्रशिक्षण अधिकारी	४	५-३-६३ को मांगी गई सूचना के अभाव में न निबटाया जा सका।
१०८	अधीनस्थ शिक्षा सेवा के एल०टी० ग्रेड में सहायक अध्यापक (संगीत)	२	न निबटाया जा सका।
१०९	श्रम विभाग में वरिष्ठ अनुसंधान सहायक (नियोजन)	१	तदेव
११०	मनोरंजन कर निरीक्षक	९	तदेव
१११	गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक चिकित्सा महाविद्यालय, कानपुर में चिकित्सा अधिकारी रक्त बैंक	१	तदेव
११२	उत्तर प्रदेश पशु-पालन निदेशालय के मुख्यालय में वरिष्ठ लेखा परीक्षक	१	न निबटाया जा सका।
११३	श्रम विभाग में, सहायक कल्याण अधिकारी, फैक्टरीज के उप-मुख्य निरीक्षक, ब्वायलर्स के निरीक्षक तथा व्याख्याता एवं वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी	६	तदेव

परिशिष्ट—६–क (क्रमशः)

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	अभ्यर्थियों की संख्या जिनपर विचार करना था	अभ्युक्ति अथवा न निबटाये जा सकने का कारण
१	२	३	४
११४	सहायक लेखा अधिकारी अर्ध-कुम्भ मेला, हरिद्वार	१	वर्ष के अन्त में प्राप्त हुआ।
११५	शिक्षा प्रसार कार्यालय में फिल्म लाइब्रेरियन	१	तदेव
११६	श्रम विभाग में उप एप्रेन्टिसशिप परामर्श दाता	१	तदेव
११७	सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश में फोरमैन (वर्कशाप)	१	न निबटाया जा सका।
११८	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापक	२९	वर्ष के अन्त में प्राप्त हुआ।
११९	पी० आर० ए० आई० में कनिष्ठ सहयुक्त, सम्पादक–सहित–सूचना अधिकारी सहायक, संख्याविद्, आर्थिक बोध निरीक्षक, सहायक सूचना अधिकारी, कलाकार सहित कैमरा मैन, प्राविधिक सहायक (महिला कार्यक्रम), व्यापार प्रबन्धक, सहायक टैनर, हाइड सेलेक्टर, सहायक संरक्षण प्रौद्योगविद्, सहायक विकास अधिकारी (महिला), सैनेटेरियन, सहायक विकास अधिकारी, ओवरसियर, प्रविधिज्ञ, वरिष्ठ निरीक्षक	५८	२–१–६३ को मांगी गई सूचनाओं तथा कागजों के अभाव में न निबटाया जा सका।
१२०	वरिष्ठ कुक्कुट पालन निरीक्षक कनिष्ठ कुक्कुट पालन निरीक्षक	३ २	न निबटाया जा सका।

परिशिष्ट ६–क (समाप्त)

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	अभ्यर्थियों की संख्या जिन पर विचार करना था	अभियुक्ति अथवा न निबटाये जा सकने का कारण
१	२	३	४
१२१	नगर तथा ग्राम नियोजन विभाग में अधिशासी अभियन्ता	१	न निबटाया जा सका।
	प्राविधिक तथा अधिशासी अभियन्ता (नगरनियोजन)	१	
१२२	हारकोर्ट बटलर प्रौद्योगिक संस्था, कानपुर में राज्य के सहायक अलकोहल प्रौद्योगविद्	१	तदेव
१२३	जी०टी०टी० सेन्टर, नैनीताल में——		
	(क) वरिष्ठ यान्त्रिकी इन्स्ट्रक्टर	१	
	(ख) फोरमैन	१	
	(ग) वरिष्ठ वैद्युत् इन्स्ट्रक्टर	१	
	(घ) वरिष्ठ बढ़ईगीरी इन्स्ट्रक्टर	१	तदेव
	(ङ) वरिष्ठ यान्त्रिकी इन्स्ट्रक्टर,	१	
	(च) वरिष्ठ वैद्युत इन्स्ट्रक्टर जी० टी० टी० केन्द्र, लखनऊ में	१	
	(छ) वरिष्ठ वैद्युत् इन्स्ट्रक्टर तथा वरिष्ठ वैद्युत इन्स्ट्रक्टर १ जी० टी० टी० केन्द्र, नैनीताल में	१	
१२४	उत्तर प्रदेश में उद्योग विभाग में उप फलोपयोग निदेशक	१	तदेव
१२५	गन्ना विभाग उत्तर प्रदेश में——		
	(१) वरिष्ठ संपरीक्षक	११	
	(२) संपरीक्षा सुपरवाइजर	११	तदेव
	(३) सम्परीक्षक	२५	
१२६	कलेक्शन नायब-तहसीलदार	४	चरित्रावलियां प्रतीक्षित रहीं।
१२७	अधीनस्थ कृषि सेवा——प्रथम तथा द्वितीय ग्रुप	३९	१३–७–६२ को मांगे गये कुछ कागजों तथा सूचनाओं के अभाव में न निबटाया जा सका।
	योग ...	१,६५७	

परिशिष्ट—७

कर्मचारियों के पुष्टिकरण के वे मामले, जो नियुक्ति (ख) विभाग कार्यालय ज्ञाप संख्या २९४९/२-बी—१००-५३, दिनांक १० दिसम्बर, १९५३ के अन्तर्गत आयोग के पास भेजे गये थे।

क्रम-संख्या	सेवा या पद	कर्मचारियों की संख्या, जिन पर विचार किया गया	अभ्युक्ति
१	२	३	४
१	अधीनस्थ कृषि सेवा—ग्रूप १ व २	३	(१) ग्रूप १ में एक के तथा (२) ग्रूप २ में दो के पुष्टिकरण का कार्योत्तर अनुमोदन दिया गया।
२	अधीनस्थ कृषि सेवा—ग्रूप १ (शरीर-क्रिया-विज्ञान)	४	अनुमोदित।
३	अधीनस्थ कृषि सेवा, ग्रूप १ (उद्यान-कर्म)	३	अनुमोदित।
४	अधीनस्थ कृषि सेवा— ग्रूप १ (विकास)	२३	१७ अनुमोदित और ५ नहीं। शेष एक अभ्यर्थी के मामले पर विचार नहीं किया गया, क्योंकि उसका पुष्टिकरण दूसरे विभाग में हो गया था।
५	कनिष्ठ कुक्कुट पालन निरीक्षक	९	कार्योत्तर अनुमोदन दिया गया।
६	यातायात अधीक्षक	२	अनुमोदित।
७	उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग में ओवरसियर	१	अभ्यर्थी का साक्षात्कार करने के लिये २-८-६२ को आयोग की बैठक हुई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुआ। जांच करने पर पता चला कि अभ्यर्थी ने अपने पुष्टि-करण के बारे में सिविल कोर्ट में एक मुकदमा चलाया है। तद-नन्तर मुख्य अभियन्ता के वैयक्तिक सहायक से न्यायालय के निर्णय

परिशिष्ट—७ (क्रमशः)

क्रम-संख्या	सेवा या पद	कर्मचारियों की संख्या, जिन पर विचार किया गया	अभ्युक्ति
१	२	३	४
			के विषय में पूछा गया, किन्तु वर्ष के अन्त तक निर्णय के विषय में कुछ बतलाया नहीं गया था।
८	अधीनस्थ गन्ना सेवा के ग्रूप दो में गल्ला विकास निरीक्षक	२	एक कर्मचारी अनुमोदित किया गया और दूसरे को कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।
९	उत्तर प्रदेश आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशालय में आर्थिक अभि-सूचना निरीक्षक	१	अनुमोदित।
१०	अधीनस्थ गन्ना सेवा, ग्रूप-१	१	अनुमोदित।
११	सहायक निदेशक तथा प्रक्षेत्र प्रब-न्धक, यंत्रीकृत राज्य प्रक्षेत्र	१ २	अनुमोदित।
१२	विभिन्न कृषि विद्यालयों में व्या-ख्याता	९	अनुमोदित।
१३	उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग में विद्युत् तथा यांत्रिक पर्य-वेक्षक	२	अनुमोदित।
१४	उत्तर प्रदेश सा० नि० वि० में विद्युत् ओवरसियर	११	मई, १९६२ से मुख्य अभियन्ता का ध्यान आयोग के उस पत्र की ओर आकर्षित किया गया, जिसमें वे इस बात से सहमत हुए थे कि आयोग द्वारा अनुमोदित अस्थायी ओवर-सियर बिना उनके परामर्श के पुष्टिकृत किये जा सकते थे और उनसे तदनुसार कार्यवाही करने के लिये कहा गया।

परिशिष्ट—७ (क्रमशः)

क्रम-संख्या	सेवा या पद	कर्मचारियों की संख्या, जिन पर विचार किया गया	अभ्युक्ति
१	२	३	४
१५	राज्य प्रशिक्षण सेवा, कनिष्ठ वेतन-क्रम में प्रशिक्षण अधिकारी	१	जुलाई, १९६२ में आयोग को सूचित किया गया कि अधिकारी के विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही की जा रही है, जिसके पूरे हो जाने पर अधिकारी के पुष्टिकरण का प्रस्ताव आयोग के पास फिर से भेजा जायगा, किन्तु वर्ष की समाप्ति तक प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ।
१६	कलेक्शन नायब तहसीलदार	८७	७२ अनुमोदित किये गये और शेष १५ की सेवाओं को तुरन्त समाप्त कर देने का सुझाव दिया गया।
१७	निदेशक, राज्य वेधशाला, नैनीताल	१	अननुमोदित। पद के लिये एक विज्ञापन निकाला गया।
१८	उत्तर प्रदेश कृषि सेवा, कनिष्ठ वेतन-क्रम के सेक्शन 'सी' में उद्यानविद् (वजीटेबुल ब्रीडर) तथा	१	अननुमोदित।
	वनस्पति विज्ञान के सहायक प्राध्यापक	१	
१९	जिला उद्योग अधिकारी (ग्रेड १)	१२	इन अधिकारियों के पुष्टिकरण का निर्देश वापस ले लिया गया और शासन की इच्छानुसार पद पुनर्विज्ञापित किया गया।
२०	अधीनस्थ कृषि सेवा—ग्रुप १ (विकास)	१६	१४ अनुमोदित किये गये और २ पुष्टिकरण के लिय उपयुक्त नहीं पाये गये।
२१	अधीनस्थ कृषि सेवा, ग्रुप दो (कृषि महाविद्यालय)	५	अनुमोदित।

परिशिष्ट--७ (क्रमशः)

क्रम-संख्या	सेवा या पद	कर्मचारियों की संख्या, जिन पर विचार किया गया	अभ्युक्ति
१	२	३	४
२२	अधीनस्थ कृषि सेवा---ग्रूप दो (शरीर क्रिया विज्ञान)	५	अनुमोदित।
२३	अधीनस्थ कृषि सेवा---ग्रूप दो (कृषि विद्यालय)	९	७ अनुमोदित और १ नहीं। शेष एक अभ्यर्थी के विषय में यह सुझाव दिया गया कि जब तक फलोपयोग निदेशालय में उसके पुष्टिकरण का मामला अन्तिम रूप से तै न हो जाय, तब तक उसके लिये एक रिक्ति आरक्षित रक्खी जाय।
२४	अधीनस्थ कृषि सेवा---ग्रूप दो (अनुसंधान)	२७	अनुमोदित।
२५	उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा, वरिष्ठ वेतन-क्रम में बालिका विद्यालयों की क्षेत्रीय निरिक्षिका	२	अनुमोदित।
२६	उत्तर प्रदेश कृषि सेवा, क्लास--दो में सहायक कृषि अभियन्ता	२१	१७ अनुमोदित किये गये और परामर्श दिया गया कि शेष ४ में से ३ अपने पुष्टिकरण के लिये एक वर्ष और रुकें। शेष एक अभ्यर्थी के मामले पर विचार नहीं किया गया, क्योंकि वह उद्योग विभाग में उच्चतर क्लास १ में पहले ही पुष्टिकृत कर दिया गया था।
२७	उत्तर प्रदेश कृषि निदेशक के मुख्यालय में अनुसंधान-नियोजन-सहित-समन्वय अधि--कारी	१	अनुमोदित।
२८	अधीनस्थ कृषि सेवा---ग्रूप दो में कलाकार	७	अनुमोदित।

परिशिष्ट ७—(क्रमशः)

क्रम–संख्या	सेवा या पद	कर्मचारियों की संख्या, जिन पर विचार किया गया	अभ्युक्ति
१	२	३	४
२९	प्राविधिक सहायक, राजकीय मृद्-भान्ड विकास केन्द्र, खुर्जा (बुलन्दशहर)	१	अनुमोदित।
३०	उत्तर प्रदेश गन्ना सेवा, कनिष्ठ वेतन-क्रम में जिला गन्ना अधिकारी	१	अनुमोदित।
३१	(१) सीनियर आर्कीटेक्ट	१	यह सुझाव दिया गया कि अधिकारी को बिना आयोग के परामर्श के ही पुष्टिकृत किया जा सकता है।
	(२) अधिशासी अभियन्ता (नगर नियोजन)	२	४ अनुमोदित। शेष एक के विषय में आयोग शासन के इस प्रस्ताव से सहमत हुए कि उसके मूल विभाग में प्रत्यावर्तन के प्रश्न पर मई/जून, १९६३ में विचार किया जाय।
	(३) सहायक अभियन्ता (प्राविधिक) तथा	१	
	(४) सहायक अभियन्ता (आर्कीटेक्चर)	२	
३२	लेखा परीक्षक, सहकारी समितियां	१८	अनुमोदित।
३३	फोरमैन, राजकीय औद्योगिक तथा प्राविधिक संस्थान (अब राजकीय पालीटेक्निक), लखनऊ	१	अनुमोदित।
३४	सैनिक शिक्षा तथा समाज–सेवा प्रशिक्षण क सहायक अनुदेशक	११	अनुमोदित (११ में से दो का साक्षात्कार भी २–८–६२ को किया गया था)।
३५	सहायक निबन्धक, उत्तर प्रदेश सहकारिता सवा, क्लास-दो	२०	१२ अनुमोदित, ५ पुष्टिकरण के लिये अनुपयुक्त पाये गये और शेष ३ के विषय में परामर्श दिया था कि वे अपने पुष्टिकरण क लिये रुकें।

परिशिष्ट ७---(क्रमशः)

क्रम-संख्या	सेवा या पद	कर्मचारियों की संख्या, जिन पर विचार किया गया	अभ्युक्ति
१	२	३	४
३६	वरिष्ठ संख्या सहायक, श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश	१	अनुमोदित।
३७	उत्तर प्रदेश उद्योग निदेशालय के शीशा प्रौद्योग अनुभाग में प्रयोगशाला सहायक	१	अनुमोदित।
३८	निरीक्षक, अधीनस्थ सहकारिता सेवा, ग्रुप--१	३	अनुमोदित।
३९	निदेशक, सैनिक शिक्षा एवं समाज-सेवा प्रशिक्षण के कार्यालय में क्वार्टरमास्टर	१	अनुमोदित।
४०	भू-गर्भ विद्या तथा खनिकर्म विज्ञान निदेशालय, उत्तर प्रदेश में---		
	(१) प्राविधिक सहायक	४	अनुमोदित।
	(२) ड्रिलर	१	
	(३) ड्रिलिंग सहायक	१	
	(४) नक्शानवीस, तथा	१	
	(५) सर्वेयर	१	
४१	पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश, मथुरा में निदर्शक।	४	अनुमोदित।

परिशिष्ट ७——(क्रमशः)

क्रम-संख्या	सेवा या पद	कर्मचारियों की संख्या, जिन पर विचार किया गया	अभ्युक्ति
१	२	३	४
४२	राजकीय कला तथा शिल्प महाविद्यालय, लखनऊ में ललित कला के सहायक प्राध्यापक	१	अनुमोदित ।
४३	उत्तर प्रदेश पशुचिकित्सा सेवा-क्लास-१ में उपनिदेशक पशु-पालन	१	अनुमोदित ।
४४	उत्तर प्रदेश सर्विस आफ इंस्पेक्टर्स आफ ब्वायलर्स ऐन्ड फैक्टरीज कनिष्ठ वेतन-क्रम में ब्वायलर निरीक्षक	१	अनुमोदित ।
४५	उत्तर प्रदेश कृषि सेवा, कनिष्ठ वेतन-क्रम के सेक्शन 'सी' में भू-रसायनविद् तथा सहायक कृषि रसायनविद्	१ १	अननुमोदित। यह सुझाव दिया गया कि नये रिक्त स्थायी पदों पर नियुक्ति के लिये पात्र सभी अधिकारियों के मामलों पर आयोग के एक सदस्य की अध्यक्षता में गठित एक चुनाव समिति विचार करे ।
४६	अ० शि० सेवा (राजपत्रित) में सहायक संस्कृत पाठशाला निरीक्षक	२	अनुमोदित ।
४७	कारागार महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश	१	अनुमोदित ।
४८	उत्तर प्रदेश सा० नि० वि० के अनुसंधान संगठन में सहायक भू-गर्भ शास्त्री	१	अननुमोदित। पुनर्विज्ञापन का सुझाव दिया गया।
४९	राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय, लखनऊ में वर्कशाप फोरमैन	१	अनुमोदित ।

परिशिष्ट ७—(क्रमशः)

क्रम-संख्या	सेवा या पद	कर्मचारियों की संख्या, जिन पर विचार किया गया	अभ्युक्ति
१	२	३	४
५०	राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय, लखनऊ में मूर्तिकला में व्याख्याता	१	अनुमोदित।
५१	श्रम विभाग में राज्य श्रम सेवा, कनिष्ट वेतन-क्रम में ट्रेड यूनियन निरीक्षक	१	अनुमोदित
५२	राज्य श्रम सेवा, कनिष्ठ वेतन-क्रम में उपनिबन्धक, ट्रेड यूनियन	१	अनुमोदित।
५३	उत्तर प्रदेश श्रमायुक्त के कार्यालय में अनुसंधान अधिकारी	१	अनुमोदित।
५४	उत्तर प्रदेश कृषि सेवा, वरिष्ठ वेतन-क्रम के सेक्शन 'सी' में प्राध्यापक, कृषि रसायन शास्त्र	१	अनुमोदित।
५५	राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय, लखनऊ में प्रतिरूपण तथा मूर्तिकला में सहायक प्राध्यापक	१	अनुमोदित।
५६	उत्तर प्रदेश श्रमायुक्त के कार्यालय में पत्रकार	१	अनुमोदित।
५७	१५० रु० मासिक विशेष वेतन के साथ राज्य श्रम सेवा, कनिष्ठ वेतन-क्रम में सहायक श्रमायुक्त	५	अनुमोदित।
५८	उत्तर प्रदेश कृषि सेवा, कनिष्ठ वेतन-क्रम में सेक्शन 'ई' में—		

परिशिष्ट ७—(क्रमशः)

क्रम-संख्या	सेवा या पद	कर्मचारियों की संख्या, जिन पर विचार किया गया	अभ्युक्ति
१	२	३	४
	(१) उद्यान अधीक्षक, रामपुर तथा (२) अधीक्षक, राजकीय उद्यान	१ १	अननुमोदित। यह सुझाव दिया गया कि नये रिक्त स्थायी पदों पर नियुक्ति के लिये पात्र सभी अधिकारियों पर आयोग के एक सदस्य की अध्यक्षता में गठित चुनाव समिति विचार करे।
५९	उत्तर प्रदेश में श्रमायुक्त के कार्यालय में संख्या अधीक्षक	१	अनुमोदित।
६०	अधीक्षक, उपचार सेवा, उत्तर प्रदेश	१	अननुमोदित। पहले की भांति पद को अवधि के आधार पर विज्ञापित करने का सुझाव दिया।
६१	(१) ५००—१,२०० रु० के वेतन-क्रम में उप उद्योग निदेशक (ग), तथा (२) २५०—८५० रु० के वेतन-क्रम में सहायक उद्योग निदेशक (एस०)	१ १	अनुमोदित।
६२	उत्तर प्रदेश कृषि सेवा, कनिष्ठ वेतन-क्रम के सेक्शन 'सी' में कृषि अर्थशास्त्र तथा सम्पत्ति प्रबन्ध में सहायक प्राध्यापक	१	अनुमोदित।
६३	राज्य श्रम सेवा, कनिष्ठ वेतन-क्रम में संराधन अधिकारी	३	दो अनुमोदित। शेष एक के बारे में सुझाव दिया गया कि जब उसे १९६२-६३ की प्रविष्टि मिल जाय, तब उसका मामला फिर भेजा जाय।
६४	मत्स्य क्रय-विक्रय अधिकारी, इलाहाबाद	१	अनुमोदित।

परिशिष्ट ७—(समाप्त)

क्रम-संख्या	सेवा या पद	कर्मचारियों की संख्या, जिन पर विचार किया गया	अभ्युक्ति
१	२	३	४
६५	अधीनस्थ कृषि सेवा के ग्रुप-१ में उद्यान कर्म में व्याख्याता	१	अनुमोदित।
६६	अधीनस्थ सहकारिता सेवा के ग्रुप-१ में उद्योग निरीक्षक (वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक)	१	अनुमोदित।
६७	उत्तर प्रदेश भू-गर्भविद्या तथा खनिकर्म निदेशालय, लखनऊ में सहायक भू-गर्भ शास्त्री	१	अनुमोदित।
६८	उत्तर प्रदेश श्रमायुक्त के वैय-क्तिक सहायक	१	अनुमोदित।
६९	उत्तर प्रदेश उद्योग निदेशालय की ताड़गुड़ योजना के अन्तर्गत ताड़ वस्तु विकास अधिकारी	१	अनुमोदित।
७०	अधीनस्थ कृषि सेवा के ग्रुप-१ में संख्या सहायक	२	अनुमोदित।
	योग ..	३८६	

परिशिष्ट ७—क

नियुक्ति (ख) विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या २९४९/२–बी—१००–५३, दिनांक १० दिसम्बर, १९५३ के अन्तर्गत आयोग के पास भेजे गये पुष्टिकरण के वे मामले जो १ अप्रैल, १९६३ तक न निबटाये जा सके।

क्रम–संख्या	सेवा या पद का नाम	अभ्यर्थियों की संख्या	अभ्युक्ति, यदि कोई हो
१	२	३	४
१	सा० नि० वि०, उत्तर प्रदेश में ओवरसियर	५	चरित्रावली की प्रविष्टियों के अभाव में न निबटाया जा सका।
२	अधीनस्थ कृषि सेवा, प्रथम ग्रूप (विकास)	२	—
३	उद्योग निदेशालय के पहाड़ी ऊन-योजना के अन्तर्गत सहायक उत्पादन अधीक्षक	१५	चरित्रावलियों और चरित्रावली की प्रविष्टियों के अभाव में न निबटाया जा सका।
४	कर्मशाला अधीक्षक, राजकीय–औद्योगिक तथा प्राविधिक संस्थान, लखनऊ	१	—
५	सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश में वैद्युत एवं यांत्रिकी सुपर–वाइजर		—
६	राजकीय प्राविधिक संस्थान, गोरखपुर में सैद्धांतिक यान्त्रिकी में व्याख्यता	१	चरित्रावलियों के वर्षान्त तक न प्राप्त होने के कारण न निबटया जा सका।
७	राजकीय हस्तशिल्प में अधीक्षक (विक्रय तथा अभिकरण)	१	शासन द्वारा जांच समाप्त न किये जा सकने के कारण निपटाया न जा सका।
८	अधीनस्थ कृषि सेवा द्वितीय–ग्रुप (औद्यानिक)	२३	—
९	राजकीय कला एवं शिल्प महा-विद्यालय, लखनऊ में निबन्धक	१	वर्ष की समाप्ति पर प्राप्त हुआ।

परिशिष्ट ७—क (क्रमशः)

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	अभ्यर्थियों की संख्या	अभ्युक्ति, यदि कोई हो
१	२	३	४
१०	अधीनस्थ कृषि सेवा—प्रथम ग्रूप (विकास)	१	—
११	अधीनस्थ कृषि सेवा—द्वितीय ग्रुप (अनुसन्धान)	७	—
१२	उत्तर प्रदेश कृषि सेवा, कनिष्ठ वेतन—क्रम (रसायन शास्त्र-शाखा)	७	—
१३	उद्योग निदेशालय के अन्तर्गत वरिष्ठ लेखा निरीक्षक	९	—
१४	२२०—४०० रु० के वेतन—क्रम मे क्षेत्र विकास अधिकारी	१५	—
१५	उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश में सहायक उद्योग निदेशक (यांत्रिकी)	२	वर्ष की समाप्ति पर प्राप्त हुई ।
१६	(१) राजकीय प्राविधिक संस्थान, गोरखपुर में ड्राइंग अध्यापक,- (२) राजकीय प्राविधिक संस्थान, लखनऊ में प्रथम इन्स्ट्रक्टर, यन्त्र निर्माण एवं ड्राइंग	१ १	चरित्रावली प्रतिलिपियों के अभाव में न निबटाया जा सका ।
१७	अधीनस्थ उद्योग सेवा में औद्योगिक निरीक्षक	१	—
१८	उत्तर प्रदेश सहकारिता सेवा—द्वितीय क्लास में सहायक निबन्धक	८	चरित्रावलियों के अभाव में न निबटाया जा सका ।

परिशिष्ट ७–क––(क्रमशः)

क्रम–संख्या	सेवा या पद का नाम	अभ्यर्थियों की संख्या	अभ्युक्ति, यदि कोई हो
१	२	३	४
१९	अधीनस्थ गन्ना सेवा के द्वितीय ग्रुप में गन्ना विकास निरीक्षक	३९	चरित्रावलियों के अभाव में निपटाया न जा सका।
२०	उत्तर प्रदेश कृषि सेवा, कनिष्ठ वेतन–क्रम के सेक्शन 'सी' में–– भू–रसायनविद् एवं सहायक कृषि रसायनविद्	 १ १	वर्ष की समाप्ति के समय प्राप्त हुये।
२१	सा० नि० वि०, उत्तर प्रदेश में २००–५०० रु० के वेतन-क्रम में अनुसंधान संगठन में सहायक भू-गर्भशास्त्री	१	तदेव
२२	राजकोय श्रम सेवा, कनिष्ठ वेतन-क्रम में संराधन अधिकारी	१	––
२३	अधीनस्थ कृषि सेवा, द्वितीय ग्रुप– (१) विकास शाखा, एवं (२) अनुसन्धान (वनस्पति रोग) शाखा	 १३ २	––
२४	उत्तर प्रदेश न्यायिक अधिकारी सेवा में न्यायिक अधिकारी	५३	––
२५	पंचायत राज विभाग, उत्तर प्रदेश में सहायक जिला नियोजन एवं सहायक जिला पंचायत अधिकारी	१	––
२६	अधीनस्थ कृषि सेवा, प्रथम ग्रूप (विकास)	२२	––

परिशिष्ट ७-क--(क्रमशः)

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	अभ्यर्थियों की संख्या	अभ्युक्ति, यदि कोई हो
१	२	३	४
२७	श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में सहायक लेखा अधिकारी	१	--
२८	राजकीय महाविद्यालय, नैनीताल में गणित के सहायक प्राध्यापक	१	वर्ष की समाप्ति पर प्राप्त हुआ।
२९	श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रधानाचार्य	१	तदेव
३०	उत्तर प्रदेश औद्योगिक सेवा, कनिष्ठ वेतन-क्रम में सहायक उद्योग निदेशक (स्टोर्स)	१	तदेव
३१	सहायक आयुर्वेद निदेशक, उत्तर प्रदेश	१	तदेव
३२	फलोपयोग निदेशालय, उत्तर प्रदेश में राजकीय फलवाटिका, भासर में प्रभारी अधिकारी	१	तदेव
३३	अधीनस्थ कृषि सेवा-द्वितीय ग्रुप (विकास)	१४५	तदेव
३४	उत्तर प्रदेश कृषि सेवा, प्रथम क्लास के 'सी' सेक्शन में राजकीय कृषि महाविद्यालय, कानपुर में प्रधानाचार्य	१	वर्ष की समाप्ति पर प्राप्त हुआ।
३५	अधीनस्थ कृषि सेवा-द्वितीय ग्रुप में विद्युतकार	१	तदेव
३६	अधीनस्थ कृषि सेवा-प्रथम ग्रुप में अभियन्त्रण में व्याख्याता एवं भौतिक इन्स्ट्रक्टर	१ १	तदेव

परिशिष्ट ७-क---(समाप्त)

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	अभ्यर्थियों की संख्या	अभ्युक्ति, यदि कोई हो
१	२	३	४
३७	अधीनस्थ कृषि सेवा-प्रथम ग्रुप (औद्यानिक)	४	वर्ष की समाप्ति के समय प्राप्त हुआ ।
३८	अधीनस्थ कृषि सेवा-प्रथम ग्रुप (रसायन शास्त्र)	२	तदेव
३९	अधीनस्थ कृषि सेवा के प्रथम ग्रुप (माइकोलोजी) में वरिष्ठ अनुसन्धान सहायक	१	तदेव
	योग ...	३९९	

परिशिष्ट ८

असाधारण चोट या पारिवारिक पेंशनों तथा/अथवा उपादनों के संबंध में सन् १९६२-६३ के अन्तर्गत निम्नलिखित व्यक्तियों के दावे प्राप्त हुये :—

१—स्वर्गीय श्री गोकुल प्रसाद, कांसटेबिल, १६ वीं बटेलियन, पी० ए० सी०, रामपुर के परिवार से ।

२—स्वर्गीय श्री राज नारायण सिंह, सब-इंसपेक्टर, जिला पुलिस, इलाहाबाद के परिवार से ।

३—उ० प्र० पी० ए० सी० के नाई, स्वर्गीय श्री छत्रपाल के परिवार से ।

४—विशेष पुलिस दल, मुरादाबाद के कम्पनी कमान्डर (स्थानापन्न रूप से उप पुलिस अधीक्षक), श्री मलिक सिंह नेगी के परिवार से ।

५—स्वर्गीय श्री झगड़ू, सांड परिचर, कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र, प्रतापगढ़, के परिवार से ।

६—उ० प्र० सिंचाई विभाग के स्वर्गीय श्री हरी सिंह, स्थानापन्न अमीन के परिवार से ।

७—उ० प्र० सिंचाई विभाग के ओवरसियर, स्वर्गीय श्री बासदेव शर्मा के परिवार से ।

८—मेरठ पी० ए० सी० के छठवीं बटैलियन के कांसटेबिल, स्वर्गीय श्री उम्मेद-राम के परिवार से ।

९—उत्तरी अल्मोड़ा वन प्रभाग के बूम जमादार, स्वर्गीय श्री के० सी० तिवारी के परिवार से ।

१०—जिला पुलिस आगरा के सब-इंसपेक्टर, श्री विष्णु दयाल से (चोट पेंशन तथा उपदान) ।

११—जिला पुलिस बदायूं के कान्सटेबिल, स्वर्गीय श्री लखन सिंह के परिवार से ।

१२—जिला पुलिस देवरिया के कांसटेबिल, स्वर्गीय श्री तामेश्वर तिवारी के परिवार से ।

१३—जिला पुलिस देवरिया के कांसटेबिल, स्वर्गीय श्री किशन दास राय, के परिवार से ।

१४—जिला जेल, मेरठ के स्वर्गीय श्री सियाराम सक्सेना के परिवार से ।

१५—बदायूं जिला पुलिस के कांसटेबिल, स्वर्गीय श्री श्याम बहादुर सिंह के मरणोत्तर जात पुत्र से ।

१६—मलेरिया उन्मूलन कार्यालय, इटावा के क्लीनर, स्वर्गीय श्री राम सेवक के परिवार से ।

१७—स्वर्गीय श्री राम आसरे पांडेय, पी० आर० डी० के हलका सरदार के परिवार से ।

१८—जिला पुलिस वाराणसी के कांसटेबिल, स्वर्गीय श्री रफोउल्ला के परिवार से ।

परिशिष्ट ६

सन् १९६२-६३ के अन्तर्गत निम्नलिखित व्यक्तियों के उनके विरुद्ध चलाये गये मुकदमों की पैरवी पर किये गये वैध व्ययों के प्रत्यर्पण के दावे प्राप्त हुए:--

१--श्री एम० सी० गुप्त, ओवरसियर, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उ० प्र० ।

२--श्री एन० आर० गोपाल, अवकाशप्राप्त, कृषि अभियन्ता, कानपुर ।

३--श्री एच० सी० शर्मा, आबकारी निरीक्षक, खेरी ।

४--श्री बी० के० शुक्ल, सब-इंसपेक्टर, जिला पुलिस, लखनऊ ।

५--श्री नैन सिंह, हेडकांसटेबिल, जिला पुलिस, पिथौरागढ़ ।

६--श्री मोहम्मद मोबिन, कांसटेबिल, जिला पुलिस, देवरिया ।

७-८--श्री निजामुद्दीन, हेडकांसटेबिल तथा श्री इस्माइल, ग्राम चौकीदार, जिला गोंडा ।

९-११--सर्वश्री बन्सराज सिंह, बृज मोहन पांडेय तथा राम सुन्दर, कांस-टेबिल, जिला पुलिस, सुलतानपुर ।

१२-१३--श्री राम शंकर मिश्र, सब-इंसपेक्टर तथा श्री इकबाल हैदर, कांस-टेबिल, जिला पुलिस, बस्ती ।

१४-१८--सर्वश्री दिगम्बर सिंह, एस० के० टण्डन, बलजीत सिंह तथा एस० बी० सिंह, सब-इंसपेक्टर तथा श्री करन सिंह, हेड कांसटेबिल, जिला पुलिस, रामपुर ।

१९-२०--श्री कमला सिंह, हेड कांसटेबिल तथा निजामुद्दीन, कांसटेबिल, जिला पुलिस, बलिया ।

२१--श्री सुलेमान कैसर, कांसटेबिल, जिला पुलिस, गोरखपुर ।

२२--श्री जगन्नाथ प्रसाद सब-इंसपेक्टर, जिला पुलिस, नैनीताल ।

२३--श्री एम० डी० पांडेय, विक्रय-कर अधिकारी, बरेली ।

परिशिष्ट १०

सेवाओं तथा पदों के लिये नियम

१—सिंचाई विभाग, उ० प्र०, में सहायक अभियन्ता (असैनिक) तथा सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) की वैभागिक परीक्षा की आलेख्य नियमावली के नियम २ (६) पर पुनर्विचार ।

२—उ० प्र० असैनिक (अधिशासी) सेवा नियमावली, १९४१ के नियम २२, २३ व २४ का संशोधन ।

३—उ० प्र० सचिवालय में ३००–५०० रु० के वेतन-क्रम में सहायक अधीक्षकों का एक संवर्ग सृजित करना ।

४—अधीनस्थ कृषि सेवा नियमावली, १९३७ के नियम ३ का संशोधन ।

५—पी० एम० एस० (पुरुष शाखा) के विशिष्ट पदों में भर्ती के लिये महिलाओं की पात्रता ।

६—सहायक अभियन्ताओं के पदों पर भर्ती के लिये प्रतियोगिता परीक्षा चालू हो जाने के फलस्वरूप उ० प्र० अभियन्ताओं की सेवा, सार्वजनिक स्वास्थ्य शाखा, नियमावली, १९४६ में संशोधन ।

७—अधीनस्थ राजस्व अधिशासी सेवा (तहसीलदार, नायब तहसीलदार तथा पेशकार) नियमावली में संशोधन ।

८—अधीनस्थ राजस्व अधिशासी सेवा (तहसीलदार, नायब तहसीलदार तथा पेशकार) नियमावली में, चकबन्दी नायब तहसीलदारों तथा नियमित नायब तहसीलदारों के एक में मिल जाने पर, एक नये नियम ३९ को जोड़ना ।

९—राज्य की विभिन्न सेवाओं तथा पदों के लिये अधिक अच्छे अभ्यर्थियों को आकर्षित करने के विचार से अधिक परीक्षाओं को सम्मिलित करना और परीक्षा लेना ।

१०—(१) उ० प्र० अभियन्ता सेवा, क्लास-दो, सिंचाई शाखा, नियमावली तथा

(२) उ० प्र० अभियन्ता सेवा, क्लास-दो, सिंचाई (जल-विद्युत्) शाखा, नियमावली में संशोधनों के आलेख्य ।

११—प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सिंचाई विभाग में स्थायी रिक्तियों के लिये सीधी भर्ती द्वारा चुने गये सहायक अभियन्ताओं के परीक्षणकाल को ३ वर्ष से घटा कर दो वर्ष कर देना ।

१२—उ० प्र० असैनिक सेवा (न्यायिक शाखा) नियमावली, १९५१ के नियम २८ व ३० का संशोधम ।

१३—उ० प्र० सिंचाई विभाग अधीनस्थ विद्युत् तथा यांत्रिक अभियंत्रण सेवा की आलेख्य नियमावली ।

१४—उ० प्र० सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़क शाखा) अधीनस्थ अभियंत्रण सेवा नियमावली, १९६१ में संशोधन ।

१५—अधीनस्थ श्रम सेवा के ग्रुप ३ में मुख्य संख्या सहायक के पदों पर भर्ती के लिये आयु-सीमा को २१ से ३० वर्ष निश्चित करना ।

१६—श्रम आयुक्त, उ० प्र०, के अधीन हिन्दी अनुवादक, प्रशिक्षण अनुदेशक तथा मुख्य लेखा निरीक्षक के पदों के लिये अर्हताओं आदि को निर्धारित करना ।

१७—केन्द्रीय राज्य पुस्तकालय, उ० प्र०, इलाहाबाद के लिये १२०–२५० रु० के वेतन–क्रम में निर्देश सहायक तथा उधार सहायक के पदों के लिये अर्हताओं आदि को निर्धारित करना।

१८—उ० प्र० लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियमों के विनियम ६ का संशोधन आपात काल, जिसके संबंध में २६ अक्तूबर, १९६२ को घोषणा की गई थी, में की गई अस्थायी या स्थानापन्न नियुक्तियों के विषय में।

१९—उ० प्र० न्यायिक अधिकारी सेवा नियमावली, १९५१ के नियम २१ का संशोधन।

२०—सम्मिलित राज्य सेवाओं में भर्ती के लिये संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के पाठ्य–क्रम में कुछ अभियंत्रण विषयों को जोड़ना।

२१—अर्थ एवं संख्या विभाग, उ० प्र०, में जिला संख्या अधिकारी के पदों के लिये अर्हताओं को निर्धारित करना।

२२—अधीनस्थ आबकारी सेवा में चुने गये व्यक्तियों के प्रारम्भिक वेतन के संबंध में अधीनस्थ आबकारी सेवा की आलेख्य नियमावली में एक नया नियम जोड़ना।

२३—उ० प्र० गन्ना सेवा, क्लास–२, में गन्ना रक्षा अधिकारी के दूसरे पद पर ५ वर्ष से अधिक की सेवा वाले गन्ना रक्षा निरीक्षकों में से श्रेष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा चुनाव की विधि।

२४—उ० प्र० गन्ना सेवा, क्लास–दो, में भूरासायनिक के दूसरे पद पर वरिष्ठ रासायनिक सहायकों में से पदोन्नति द्वारा चुनाव की विधि।

२५—सा० नि० वि० अधीनस्थ (यांत्रिक) अभियंत्रण सेवा की आलेख्य नियमावली।

२६—उ०प्र० प्रांतीय रक्षकदल नियमावली में संशोधन।

२७—उ०प्र० सहकारिता तथा पंचायत लेखा परीक्षा सेवा नियमावली, १९६१।

२८—उ०प्र० कृषि सेवा की पुनरीक्षित आलेख्य नियमावली।

२९—नियुक्ति विभाग कार्यालय ज्ञाप संख्या १७७२/दो–बी—४६–१९५६, दिनांक २२ मई, १९५९, जिसमें विभागाध्यक्षों के वैयक्तिक सहायक के पदों पर भर्ती के स्रोत विहित किये गये हैं, के पैरा १ (१) का संशोधन।

३०—चकबन्दी योजना के अन्तर्गत चकबन्दी अधिकारी तथा सहायक चकबन्दी अधिकारी के पदों पर भर्ती के सिद्धांत तथा विधि।

३१—सहायक विकास अधिकारी आदि में से खंड विकास अधिकारी के पदों पर चुनाव के लिये ली गई परीक्षा को प्रतियोगिता परीक्षा न मानकर अर्हकारी परीक्षा मानने तथा लिखित विषयों में निर्धारित अंकों के बराबर ही व्यक्तित्व एवं अभिलेख में अंक देने का प्रस्ताव।

३२—उ०प्र० कृषि सेवा, क्लास–१, नियमावली के नियम ४ का संशोधन।

३३—स्थानीय स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग अधीनस्थ अभियंत्रण सेवा नियमावली, १९६२।

३४—उ० प्र० विशिष्ट (मुद्रण एवं लेखन सामग्री) सेवा नियमावली का पुनरीक्षण।

३५--शिक्षा प्रसार कार्यालय की स्टूडियो आफ फिल्म यूनिट के लिये स्क्रिप्ट तथा कमेन्टरी लेखक एवं जूनियर कैमरामैन के पदों के लिये अर्हताओं को निर्धारित करना ।

३६--अधीनस्थ राजपत्रित सेवा-योजन सेवा में सहायक/जिला सेवा-योजन अधिकारी के पदों पर भर्ती के लिये आयु-सीमा को २१-३० से घटाकर २१-२५ वर्ष करना ।

३७--उ० प्र० सहकारिता सेवा की पुनरीक्षित आलेख्य नियमावली के नियम १४ का संशोधन ।

३८--सहकारिता विभाग के अधिकारियों की वैभागिक परीक्षा के पाठ्य-क्रम में वित्त तथा लेखा नियमों पर एक प्रश्न-पत्र लागू करने का प्रस्ताव ।

३९--चकबन्दी अमीनों के साथ अननुमोदित चकबन्दी नायब तहसीलदारों के लिये चकबन्दी नायब तहसीलदारों के पदों में से कुछ प्रतिशत पदों को आरक्षित करना ।

४०--अधीनस्थ शिक्षा सेवा के लिये एल० टी० ग्रेड में सहायक अध्यापक (कताई-बुनाई) के पद पर चुनाव के लिये न्यूनतम अर्हताओं का निश्चयन ।

४१--अधीक्षण अभियन्ता तथा मुख्य अभियन्ता, विद्युत् विभाग, के पदों पर नियुक्ति के लिये नियम ।

४२--"उ० प्र० नगर महापालिका सेवा (पदनाम, वेतन-क्रम, अर्हताऐं, भर्ती की विधि तथा सवारी भत्ता) आदेश, १९६३" शीर्षक का आलेख्य आदेश ।

४३--सहायक सचिव, राजस्व परिषद्, उ० प्र०, के पद पर नियुक्ति आदि संबंधी सिद्धांत ।

४४--सूचना निदेशालय, उ० प्र०, में संनिरीक्षक-अनुवादक के पदों पर भर्ती संबंधी प्रस्तावित प्रतियोगिता परीक्षा के लिये चुनाव की विधि, अर्हतायें, आयु-सीमा तथा पाठ्य-क्रम ।

४५--गन्ना विभाग में २२०-६७५ रु० के वेतन-क्रम में लेखा अधिकारी के पद पर चुनाव की विधि ।

४६--उ० प्र० सामान्य सचिवालय अराजपत्रित लिपिकवर्गीय कर्मचारिवर्ग नियमावली, १९४२, का पुनरीक्षण ।

४७--उ०प्र० सहकारिता सेवा, क्लास-१, नियमावली के नियम १४ तथा उ० प्र० सहकारिता सेवा, क्लास-२, नियमावली के नियम १६ में संशोधन ।

४८--उ० प्र० स्थानीय निधि लेखा परीक्षा सेवा की आलेख्य नियमावली तथा आलेख्य परिशिष्ट १, २ व ३ ।

४९--कारागार प्रशिक्षण विद्यालय अध्यापन कर्मचारिवर्ग की आलेख्य नियमावली ।

५०--कारागार सुश्रूषा कर्मचारिवर्ग की आलेख्य नियमावली ।

५१--औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में २२०-३५० रु० के वेतन-क्रम में फोरमैन के पदों पर चुनाव के लिये निर्धारित की जाने वाली अर्हतायें तथा चुनाव के स्रोत--पदोन्नति द्वारा ५० प्रतिशत तथा सीधी भर्ती द्वारा ५० प्रतिशत ।

५२—राजकीय सैनिक, नाविक तथा वैमानिक परिषद् सेवा की आलेख्य नियमावली ।

५३—राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अधीन कीट विद्या सहायक के पदों के लिये निर्धारित की जाने वाली अर्हतायें ।

५४—आयुर्वेदिक तथा यूनानी कम्पाउन्डरों की आलेख्य नियमावली ।

५५—नियुक्ति (ख) विभाग विज्ञप्ति संख्या ३९७७/दो–बी—७७–१९५४, दिनांक २८ अक्तूबर, १९५७ में प्रवर्तित सामान्य नियम द्वारा राज्यपाल में विहित अधिकारों के अधीन उ० प्र० वन सेवा नियमावली के नियम १४ (१) के उपबन्धों को शिथिल करके कुछ अधिकारियों के परीक्षण–काल में कमी करना ।

५६—उ० प्र० शिक्षा सेवा, निम्न वेतन-क्रम में, शिल्प प्राध्यापक, राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ, के पद के लिये निर्धारित की जाने वाली न्यूनतम अर्हतायें ।

५७—उ० प्र० पुलिस सेवा के नियम २२ का संशोधन ।

५८—उ० प्र० वन सेवा नियमावली में संशोधन ।

५९—अधीनस्थ राजस्व अधिशासी सेवा (पेशकार) में पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिये पात्रता-क्षेत्र में से कुमायूं प्रभाग के वन पंचायत निरीक्षकों तथा लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को निकाल देना ।

६०—उ० प्र० असैनिक (न्यायिक) सेवा के लिये अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु सीमा को घटाकर २१ वर्ष करना ।

६१—उ० प्र० अभियन्ता सेवा (भवन तथा सड़क शाखा), क्लास–दो, नियमावली में संशोधन ।

६२—सिंचाई विभाग उप राजस्व अधिकारी सेवा नियमावली, १९५३ में संशोधन।

६३—अधीनस्थ राजपत्रित चिकित्सा सेवा (आयुर्वेदिक तथा यूनानी) में पदोन्नति द्वारा भर्ती संबंधी सिद्धांत ।

६४—सा० नि० वि० अधीनस्थ (यांत्रिक) अभियंत्रण सेवा की आलेख्य नियमावली के परिशिष्ट 'ख' के भाग १ मद (८) व (१०) को निकाल देने का प्रस्ताव।

६५—स्थानीय स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग में ओवरसियर के पदों पर नियुक्ति के लिये अर्हतायें ।

६६—परिवहन विभाग, उ० प्र०, में सहायक परिवहन अभियन्ता के संवर्ग में २५ प्रतिशत रिक्तियों को डिप्लोमाधारी प्रविधिज्ञों की वैभागिक पदोन्नति से भरने का प्रस्ताव ।

६७—सहायक अभियन्ता, विद्युत्/यांत्रिक उ० प्र०, सा० नि० वि०, के पद पर पदोन्नति के लिये विद्युत्/यांत्रिक अधीनस्थों की वैभागिक अर्हकारी परीक्षा के लिये पुनरीक्षित आलेख्य नियमावली ।

६८—यह प्रस्ताव कि राज्य के विभिन्न अभियंत्रण विभागों में सहायक अभियन्ताओं के पदों पर भर्ती की विधि में परिवर्तन करके प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर तथा साक्षात्कार के आधार पर भी दोनों विधियों से चुनाव किया जाय ।

६९---ज्येष्ठ आर्थिक अभिसूचना निरीक्षक के पदों के लिये चुनाव के संबंध में सीधी भर्ती तथा पदोन्नति का अनुपात ।

७०---उ० प्र० भूमि अवाप्ति अधिकारी सेवा की आलेख्य नियमावली ।

७१---उ० प्र० फलोपयोग सेवा में नियुक्ति तथा सेवा की शर्तों को विनि-यमित करने की आलेख्य नियमावली ।

७२---उ० प्र० वित्त तथा लेखा सेवा में नियुक्ति तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने की आलेख्य नियमावली ।

७३---अधीनस्थ वन (रेंजर्स, उप रेंजर्स तथा फारेस्टर्स) सेवा नियमावली के नियम १७ (१) में संशोधन ।

७४---उ० प्र० अधीनस्थ कार्यालय निरीक्षक सेवा नियमावली, १९४२, का पुनरीक्षण ।

७५---लिपिकवर्गीय आर्थिक अभिसूचना सेवा की आलेख्य नियमावली ।

७६---अधीनस्थ (राजपत्रित) सेवा, आयुर्वेदिक तथा यूनानी, की आलेख्य नियमावली ।

७७---राज्य श्रम सेवा में पदोन्नति के लिये अधीनस्थ श्रम सेवा में ३००-६०० रु० के वेतन-क्रम में (१) अनुसंधान अधिकारी, (२) ट्रेड यूनियनों के सहायक निबन्धक, (३) सहायक महिला कल्याण अधिकारी तथा (४) सहायक कल्याण अधिकारी के राजपत्रित पदों के पदधारियों की पात्रता ।

७८---यह प्रश्न कि असैनिक सेवा विनियमों के अनुच्छेद ४७५ के अधीन ग्राह्य विशेष अतिरिक्त पेंशन प्रदान करने के संबंध में आयोग से परामर्श लेना आवश्यक है या नहीं ।

परिशिष्ट ११

महत्वपूर्ण प्रकीर्ण निर्देश

१—उ० प्र० सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के डा० मान सिंह की डी० पी० एच० की अर्हता से मुक्ति ।

२—अधीनस्थ सहकारिता सेवा के ग्रुप–१ में अपुष्टिकरण के संबंध में श्री डी० एस० श्रीवास्तव का प्रतिनिवेदन ।

३—उ० प्र० सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में ६० वर्ष की आयु तक तथा/अथवा उसके आगे कुछ अधिकारियों का पुनर्सेवायोजन ।

४—प्रदेशीय सैनिक, नाविक तथा वैमानिक परिषद, उ० प्र० के सचिव के पद के संबंध में शासन द्वारा भेजा गया वार्षिक परिलेख ।

५—उ० प्र० के सरकारी कार्यालयों के मुख्य निरीक्षक के अधीन पदों के संबंध में वार्षिक परिलेख ।

६—प्रशिक्षण तथा सेवायोजन, उ० प्र०, के निदेशक के अधीन पदों के संबंध में वार्षिक परिलेख ।

७—कारागार विभाग के अन्तर्गत पदों के संबंध में शासन द्वारा भेजा गया वार्षिक परिलेख ।

८—सीमेंट फैक्ट्री, चुर्क, के पदों के संबंध में निदेशक द्वारा भेजा गया वार्षिक परिलेख ।

९—चकबन्दी आयुक्त, उ० प्र०, के अधीन पदों के संबंध में वार्षिक परिलेख ।

१०—जेड० ए० सी० अधिष्ठान के पदों के संबंध में सचिव, राजस्व परिषद्, उ० प्र० द्वारा भेजा गया वार्षिक परिलेख ।

११—विद्युत परिषद् द्वारा सेवा से पृथक किये हुये भूतपूर्व युद्ध कर्मचारी, श्री आर० सी० सक्सेना की सिंचाई विभाग में विद्युत/यांत्रिक पर्यवेक्षक के पद पर नियुक्ति तथा विद्युत/यांत्रिक पर्यवेक्षक के पदों पर नियुक्ति के लिये निर्धारित प्राविधिक अर्हताओं से उसको मुक्त करने का प्रश्न ।

१२—वन विभाग के पदों के संबंध में मुख्य अरण्यपाल, उ० प्र०, द्वारा भेजा गया वार्षिक परिलेख ।

१३—समाज कल्याण विभाग के पदों के संबंध में समाज कल्याण निदेशक, उ० प्र०, द्वारा भेजा गया वार्षिक परिलेख ।

१४—कारागार विभाग के पदों के संबंध में कारागार महानिरीक्षक, उ० प्र०, द्वारा भेजा गया वार्षिक परिलेख ।

१५—प्रांतीय रक्षक दल के पदों के संबंध में शासन द्वारा भेजा गया वार्षिक परिलेख ।

१६—डा० एल० पी० अग्रवाल की पी० एम० एस०–१ में ज्येष्ठता को निश्चित् करना ।

१७—अधीनस्थ श्रम सेवा के पदों के संबंध में श्रमायुक्त, उ० प्र०, द्वारा भेजा गया वार्षिक परिलेख ।

१८--मनोरंजन करआयुक्त, उ० प्र० के अधीन पदों के संबंध में वार्षिक परिलेख ।

१९--पुलिस विभाग के पदों के संबंध में शासन द्वारा भेजा गया वार्षिक परि-लेख ।

२०--मनोरंजन तथा बाजी-कर संगठन के पदों के संबंध में शासन द्वारा भेजा गया वार्षिक परिलेख ।

२१--कलेक्शन नायब तहसीलदार आदि के पदों के संबंध में सचिव, राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा भेजा गया वार्षिक परिलेख ।

२२--अधीनस्थ शिक्षा सेवा तथा विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा के पदों के संबंध में शिक्षा निदेशक, उ० प्र० द्वारा भेजा गया वार्षिक परिलेख ।

२३--स्थानीय स्वायत्त शासन अभियंत्रण सेवा के पदों के संबंध में शासन द्वारा भेजा गया वार्षिक परिलेख ।

२४--खाद्य तथा रसद विभाग के पदों के सम्बन्ध में शासन द्वारा भेजा गया वार्षिक परिलेख ।

२५--स्वास्थ्य विभाग के पदों के संबंध में उ० प्र० चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक द्वारा भेजा गया वार्षिक परिलेख ।

२६--अर्थ एवं संख्या विभाग के पदों के संबंध में निदेशक द्वारा भेजा गया वार्षिक परिलेख ।

२७--श्री वाई० सी० अग्रवाल के पदनाम को "फिजीसिस्ट" से बदल कर "रेडियो फिजिक्स में फिजीसिस्ट-कम-लेक्चरर" कर देना ।

२८--स्थानीय स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग, उ० प्र० में स्थायी सहायक अभियन्ताओं की पारस्परिक ज्येष्ठता का निश्चयन ।

२९--वित्त विभाग के पदों के संबंध में शासन द्वारा भेजा गया वार्षिक परिलेख ।

३०--डा० एस० एन० चटर्जी, कारागार महानिरीक्षक, उ० प्र० की पुनर्नि-युक्ति ।

३१--उ० प्र० वित्त तथा लेखा-सेवा के कुछ अधिकारियों की पारस्परिक ज्येष्ठता का निश्चयन ।

३२--श्रम विभाग के पदों के संबंध में शासन द्वारा भेजा गया वार्षिक परि-लेख ।

३३--समाज कल्याण विभाग के पदों के संबंध में शासन द्वारा भेजा गया वार्षिक परिलेख ।

३४--सहायता तथा पुनर्वासन विभाग के पदों के संबंध में शासन द्वारा भेजा गया वार्षिक परिलेख ।

३५--आबकारी विभाग के पदों के संबंध में आबकारी आयुक्त, उ० प्र० द्वारा भेजा गया वार्षिक परिलेख ।

३६--विभिन्न आयुक्तों के कार्यालयों के पदों के संबंध में विभिन्न प्रभागों के आयुक्तों द्वारा भेजा गया वार्षिक परिलेख ।

३७—उ० प्र० राज्य विद्युत् परिषद् के अधीन पदों के संबंध में मुख्य अभियन्ता (जलविद्युत्) द्वारा भेजा गया वार्षिक परिलेख ।

३८—परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा, उ० प्र० के अधीन पदों के संबंध मे वार्षिक परिलेख ।

३९—सहकारिता विभाग, उ० प्र० के पदों के संबंध मे निबन्धक, सहकारिता समितियां, उ० प्र० द्वारा भेजा गया वार्षिक परिलेख ।

४०—प्रशिक्षण तथा सेवायोजन विभाग के पदों के संबंध में शासन द्वारा भेजा गया वार्षिक परिलेख ।

४१—सार्वजनिक निर्माण विभाग में ओवरसियरों की ज्येष्ठता का निश्चयन ।

४२—उ० प्र० सचिवालय के आशुलिपिकों के संवर्ग में स्थायी आशुलिपिक, श्री आर० एस० गोयल की ज्येष्ठता का निश्चयन ।

४३—सहकारिता विभाग के पदों के संबंध मे शासन द्वारा भेजा गया वार्षिक परिलेख ।

४४—योजना अनुसंधान तथा क्रिया संस्थान के पदों के संबंध मे शासन द्वारा भेजा गया वार्षिक परिलेख ।

४५—सचिवालय गोपनीय (क) विभाग के पदों के संबंध मे शासन द्वारा भेजा गया वार्षिक परिलेख ।

४६—श्री आत्मा राम श्रीवास्तव, उ० प्र० असैनिक सचिवालय मे आशुलिपिक की ज्येष्ठता का निश्चयन ।

४७—सूचना विभाग के पदों के संबंध में शासन द्वारा भेजा गया वार्षिक परिलेख ।

४८—श्रीमती सन्ध्या किशन तथा कु० एन० वी० जॉन की प्रशिक्षित स्नातक वर्ग (एल० टी०), अधीनस्थ शिक्षा सेवा (महिला शाखा), मे ज्येष्ठता निश्चयन का प्रश्न ।

४९—श्री टी० एन० गुप्त के अवकाश ग्रहण के बाद राजकीय प्रशिक्षण सेवा में उनकी पुनर्नियुक्ति ।

५०—विभिन्न विभागों की अधीनस्थ अभियंत्रण सेवाओं मे ओवरसियर के पदों पर भर्ती के लिये प्रतियोगिता परीक्षा को चालू करने तथा उसके लिये आवश्यक पाठ्यक्रम बनाने का प्रश्न ।

५१—चिकित्सा महाविद्यालय आगरा के शल्य विभाग मे डा० आर० एस० ग्रेवल तथा डा० के० एस० भार्गव की ज्येष्ठता का निश्चयन ।

५२—अल्पवयस्क कारागार, बरेली के अधीक्षक के रूप मे श्री एस० एम० हफीज की एक वर्ष की अवधि से अधिक की निरन्तर पुनर्नियुक्ति ।

५३—पी० एस० एम० एस० (महिला) में डा० (कु०) एस० डी० शर्मा तथा एम० एम० सिंह की पुनर्नियुक्ति ।

५४—उ० प्र० पशुचिकित्सा सेवा, क्लास-१, में पशुचिकित्सा अन्वेषण अधिकारी के स्थायी पद पर श्री डी० के० मूर्ती को ग्रहणाधिकार देने का प्रस्ताव ।

५५—डा० पी० एन० वाही के अवकाश ग्रहण के बाद वर्षानुवर्ष के आधार पर तीन वर्ष की अवधि के लिये स० ना० चिकित्सा महाविद्यालय, आगरा में प्रधानाचार्य-सहित-पैथोलाजी के प्राध्यापक के पद पर उनकी पुनर्नियुक्ति ।

५६—प्रदेश सरकार के अधीन पदों और सेवाओं में भर्ती के लिये भारत के किसी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की १० वीं कक्षा के प्रमाण-पत्र को उ० प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद् की १०वीं कक्षा के प्रमाण-पत्र के समकक्ष मान्यता प्रदान करना ।

५७—संसद या राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम के अधीन संस्थापित विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त डिग्रियों/डिप्लोमाओं को प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता देना ।

५८—सर्वश्री के० सी० गर्ग तथा बी० सी० जैन, सा० नि० वि०, उ० प्र० में ओवरसियर की पारस्परिक ज्येष्ठता का पुनर्निश्चयन ।

५९—डा० एन० आर० गुप्त, विशेष निश्चेतनक, स० ना० अस्पताल, आगरा के पदनाम को बदलकर "निश्चेतन विज्ञान में प्रवाचक" रखना ।

६०—विधान परिषद् सचिवालय के बजाय विधान सभा सचिवालय में श्री चितरंजन देव के, प्रवरवर्ग सहायक के पद पर, पुष्टिकरण का प्रश्न ।

६१—सूचना निदेशालय के आशुलिपिकों के लिये एक विशेष अर्हकारी परीक्षा लेने का प्रश्न ।

६२—पी०एम०एस०-१ के कुछ अधिकारियों की पी०एस०एस०-१ में पारस्परिक ज्येष्ठता का निश्चयन ।

६३—२१ उप पुलिस अधीक्षकों की, अन्य अधिकारियों के बीच, ज्येष्ठता का निश्चयन ।

६४—बि० अ० शि० सेवा में भाषा अध्यापकों के संबंध में शिक्षा निदेशक, उ० प्र० द्वारा भेजा गया वार्षिक परिलेख ।

६५—अधीनस्थ सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में डा० बी० बी० एल० अग्रवाल की निरन्तर पुनर्नियुक्ति ।

६६—वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय की विद्यावारिधि को पी० एच० डी० के समकक्ष इस शर्त पर मान्यता प्रदान करने का प्रश्न कि अभ्यर्थी अंग्रेजी के साथ शास्त्री या बी० ए० हों ।

६७—वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय की डिग्रियों को अन्य विश्वविद्यालयों की समान डिग्रियों के समकक्ष मान्यता प्रदान करने का प्रश्न ।

६८—उ० प्र० में सरकारी नौकरी के लिये हिन्दुस्तानी तालिमी संघ, वर्धा द्वारा प्रदत्त टीचर्स ट्रेनिंग डिप्लोमा को आधारिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, वाराणसी, की बेसिक एल० टी० के समकक्ष मान्यता देना ।

६९—उ० प्र० शासन के श्रम विभाग द्वारा प्रदत्त कुछ अभियंत्रण तथा अनभियंत्रण व्यवसायों में डिप्लोमा को मान्यता प्रदान करने का प्रश्न ।

७०—इस प्रदेश में राज्य अथवा अधीनस्थ सेवा की प्रतियोगिता परीक्षाओं में किसी भारतीय भाषा को एक विषय के रूप में लेने वाले अभ्यर्थी को कोई अधिमान्यता दी जाय या नहीं, यह प्रश्न ।

७१—सा० नि० वि०, उ० प्र० में कुछ स्थायी सहायक अभियन्ताओं की ज्येष्ठता का पुनर्निश्चयन ।

७२—राज्य शासन की सेवाओं में नियुक्ति के लिये रायल इंडियन नेवी को 'हायर एजूकेशनल टेस्ट' को उ० प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद् की मैट्रिकुलेशन या हाई स्कूल परीक्षा के समकक्ष मान्यता प्रदान करना।

७३—श्री भगवान स्वरूप, सेवा निवृत्त, आई० ए० एस० अधिकारी की संयुक्त उद्योग निदेशक (प्राविधिक शिक्षा) के पद पर पुनर्नियुक्ति।

७४—अधिवर्षता की आयु प्राप्त कर लेने पर डा० के० एन० गौड, ग० शं० वि० स्मारक चिकित्सा महाविद्यालय, कानपुर में औषधि के प्राध्यापक की पुनर्नियुक्ति।

७५—न्यायिक अधिकारियों के संवर्ग में स्पेशल रेलवे मैजिस्ट्रेटों की ज्येष्ठता का निश्चयन।

७६—प्रदेशीय लोहा तथा स्टील नियंत्रक, उ० प्र० के वैयक्तिक सहायक के पद को एक अप्राविधिक पद घोषित करने का प्रश्न।

७७—श्री हरिश्चन्द्र सती, सहायक अध्यापक, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नैनीताल, की ज्येष्ठता का पुनर्निश्चयन।

७८—राष्ट्रीय संकट के कारण उत्पन्न असैनिक रक्षा एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये कुछ विभागों में उपयुक्त सेवा निवृत्त व्यक्तियों की पुनर्नियुक्ति का प्रश्न।

७९—उ० प्र० सहकारिता सेवा, क्लास–दो, में सर्वश्री बी० बी० एल० वर्मा और एन० एन० मिश्र की ज्येष्ठता का निश्चयन।

८०—डा० बंशीधर की उ० प्र० शासन के दक्षता परामर्शदाता के पद पर निरन्तर पुनर्नियुक्ति।

८१—सा० नि० वि०, उ० प्र० में ओवरसियरों के अस्थायी संवर्ग में सर्वश्री इकबाल बहादुर निगम तथा त्रिलोक चन्द मित्तल की ज्येष्ठता का निश्चयन।

८२—जो अवर वर्ग सहायक १ जुलाई, १९५७ को सचिवालय में कार्य कर रहे थे किन्तु जो उस समय ली गई विशेष अर्हकरी परीक्षा में बैठ नहीं सके थे क्योंकि उन्होंने उस समय एक वर्ष की न्यूनतम वांछित सेवा पूरी नहीं की थी उनको अधिकतम आयु सीमा एवं शैक्षिक अर्हताओं से मुक्ति देकर उनके लिये १९६२ को प्रतियोगिता परीक्षा को अर्हकरी परीक्षा मानते हुये उस परीक्षा के आधार पर अनर्ह अवरवर्ग सहायकों के विलीनीकरण का प्रश्न।

८३—१–७–५७ के बाद और १–७–६१ के पहले भर्ती किये गये अनर्ह अवरवर्ग सहायकों को अधिकतम आयु सीमा तथा शैक्षिक अर्हता से मुक्ति देकर १९६२ की प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा उनके विलीनीकरण का प्रश्न।

८४—सचिवालय के जो अनर्ह अवरवर्ग सहायक १९६२ की प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर चुने गये थे और जो इस परीक्षा में केवल अर्ह हुये थे, उनकी ज्येष्ठता के निश्चयन का प्रश्न।

८५—जिन अनर्ह अवरवर्ग सहायकों को अधिकतम आयु सीमा तथा शैक्षिक अर्हता से मुक्ति देकर १९६२ की प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई थी, उनके लिये अधिकतम प्राप्तांक को ४० प्रतिशत से घटाकर ३३ प्रतिशत करने का प्रश्न।

८६---१९५७ की अवरवर्ग सहायक विशेष अर्हकारी परीक्षा के आधार पर पुष्टिकृत अंतिम सहायक के नीचे उन चार अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता के निश्चयन का प्रश्न जो १९६१ की सचिवालय की द्वितीय अर्हकारी परीक्षा में अर्ह हुये थे।

८७---जो आशुलिपिक अस्थायी पदों के लिये आयोग द्वारा चुने गये थे, उन अस्थायी आशुलिपिकों की श्रेष्ठता के आधार पर तथा उनकी, जो बाद में आयोग द्वारा संचालित परीक्षा में स्थायी आशुलिपिकों के लिये विहित स्तर को पूर्णतया प्राप्त कर लिये थे, एक सूची बनाकर स्थायी रिक्ति होने पर पुष्ट कर दिये जायं और अस्थायी आशुलिपिकों को स्थायी नियुक्ति के लिये किसी दूसरी परीक्षा में न बैठना पड़े इस प्रकार आयोग द्वारा अस्थायी पदों के लिये चुने गये आशुलिपिकों के स्थायी पदों में विलीनीकरण का प्रश्न।

८८---यह प्रश्न कि उद्योग निदेशक, लघु माप उद्योग, उ० प्र०, के अधीन कुछ पद आयोग के विचार क्षेत्र में हैं या नहीं।

८९---फलोपयोग निदेशक, उ० प्र० के अधीन ग्रुप-१ व २ के कुछ पदों को आयोग के विचार क्षेत्र में रखने और कुछ को उनके विचार क्षेत्र से बाहर रखने का प्रस्ताव।

९०---सर्वश्री टी० डी० बी० ठाकुर तथा ए० एन० सेठ को विहित प्राविधिक अर्हता से मुक्ति प्रदान करके उनको सा० नि० वि० में ओवरसियर के पदों पर बनाये रखने का प्रश्न।

परिशिष्ट १२

अस्थायी नियुक्तियों के संबंध में विलम्बित निर्देश

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विभाग	आयोग के परामर्श बिना की गई नियुक्तियां		अन्तिम तिथि, जिस दिन निर्देश भेजे जाने चाहिये थे	तिथि, जिस दिन निर्देश भेजा गया
			व्यक्तियों की संख्या	नियुक्ति की तिथि		
१	२	३	४	५	६	७
१	नगर तथा ग्राम नियोजन विभाग में सहायक अभियन्ता (नगर नियोजन)	आवास	१	९-१-६१	९-१-६२	३-३-६२
२	चिकित्सा अधिकारी, रक्त बैंक, ग० श० चि०, कानपुर	चिकित्सा	१	१८-८-६०	१८-८-६१	१०-४-६२
३	वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक, सहकारी समितियां	सहकारिता	१	१०-३-६१	१०-३-६२	४-४-६२
४	राजकीय कृषि महाविद्यालय, कानपुर में पौध रोगविज्ञान में सहायक प्राध्यापक	कृषि	१	२४-१२-५८	२४-१२-५९	१२-४-६२
५	प्रोबेशन अधिकारी	समाज कल्याण	३	१९५९	१९६०	३१-३-६२
			१	१९६०	१९६१	३१-३-६२
६	सामान्य प्रबन्धक के मुख्यालय कार्यालय में लेखा अधिकारी, राजकीय पशुधन सहित कृषि प्रक्षेत्र, उत्तर प्रदेश	पशु-पालन	१	१२-९-५७	१२-९-५८	२३-४-६२

परिशिष्ट १२—(क्रमशः)

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विभाग	आयोग के परामर्श बिना की गई नियुक्तियां		अन्तिम तिथि, जिस दिन निर्देश भेजे जाने चाहिये थे	तिथि, जिस दिन निर्देश भेजा गया
			व्यक्तियों की संख्या	नियुक्ति की तिथि		
१	२	३	४	५	६	७
७	शिक्षा प्रसार कार्यालय में (१) लेखक, (२) फिल्म सेक्शन के इंचार्ज, (३) सम्पादक, (४) ध्वनिअभियन्ता, (५) प्रयोगशाला प्रभारी, (६) पत्रकार के विभिन्न पद	शिक्षा	२ ३ १	१९५२ १९५६ १९५५	१९५३ १९५७ १९५६	९–५–६२ ९–५–६२ ९–५–६२
८	नगर तथा ग्राम नियोजन विभाग के ग्राम आवास सहायक अभियंता (वास्तु विद्या)	आवास	१	३१–१२–६०	३१–१२–६१	१६–५–६२
९	सहायक निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं द्वितीय रेंज, इलाहाबाद	जनस्वास्थ्य	१	२२–१–६१	२२–१–६२	१०–५–६२
१०	अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राजपत्रित) में अधीक्षक (कृषि शिक्षा)	शिक्षा	१	९–३–६१	९–३–६२	१७–५–६२
११	उप अधीक्षक, नव राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ	उद्योग (घ)	१	१०–७–६०	१०–७–६१	२८–५–६२

परिशिष्ट १२—(क्रमशः)

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विभाग	आयोग के परामर्श बिना की गई नियुक्तियां		अन्तिम तिथि, जिस दिन निर्देश भेजे जाने चाहिये थे	तिथि, जिस दिन निर्देश भेजाया
			व्यक्तियों की संख्या	नियुक्ति की तिथि		
१	२	३	४	५	६	७
१२	श्रम विभाग में कल्याण अधीक्षक	श्रम	१	२६–११–६०	२६–११–६१	७–६–६२
			१	२–५–६१	२–५–६२	७–६–६२
			१	२८–४–६१	२८–४–६२	७–६–६२
			१	२–११–६१	२–११–६२	२२–१२–६२
			१	१०–११–६१	१०–११–६२	२२–१२–६२
			१	२७–११–६१	२७–११–६२	२२–१२–६२
			१	१३–१२–६१	१३–१२–६२	२२–१२–६२
१३	ग० शं० स्मा० वि०, कानपुर में रेडियोलाजी में व्याख्याता	चिकित्सा	१	११–५–६१	११–५–६२	२०–६–६२
१४	राजकीय डिग्री महाविद्यालय, ज्ञानपुर (वाराणसी) में अर्थशास्त्र में प्राध्यापक	शिक्षा	१	७–२–५९	७–२–६०	१६–७–६२
१५	स० ना० चि०, आगरा में शल्य चिकित्सा में प्राध्यापक	चिकित्सा	१	३०–४–६१	३०–४–६२	१७–८–६२
१६	स० ना० चि०, आगरा में औषधिविज्ञान में व्याख्याता	चिकित्सा	१	४–७–६१	४–७–६२	२३–८–६२

परिशिष्ट १२—(क्रमशः)

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विभाग	आयोग के परामर्श बिना की गई नियुक्तियां		अन्तिम तिथि, जिस दिन निर्देश भेजे जाने चाहिये थे	तिथि, जिस दिन निर्देश भेजा गया
			व्यक्तियों की संख्या	नियुक्ति की तिथि		
१	२	३	४	५	६	७
१७	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सवा में सहायक अध्यापक (हिन्दी एवं संस्कृत)	शिक्षा	१	६–४–५९	६–४–६०	२८–८–६२
१८	पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश की विलेज योजना में सहायक निदेशक	पशु-पालन	१	१७–८–६१	१७–८–६२	२२–९–६२
१९	राजकीय यूनानी ओषधालयों में हकीम	आयुर्वेद	१	३–१–६१	३–१–६२	१७–९–६२
			१	२०–२–६१	२०–२–६२	१७–९–६२
२०	मो० ल० ने० चि०, इलाहाबाद में फिजियोलाजी में व्याख्याता	चिकित्सा	१	३१–७–६१	३१–७–६२	२६–९–६२
२१	ग० शं० स्मा० चि०, कानपुर में शल्य चिकित्सा में व्याख्याता	,,	१	१३–५–६१	१३–५–६२	२६–९–६२
२२	श्रम विभाग में श्रम निरीक्षक/सहायक ट्रेड यूनियन निरीक्षक	श्रम	१	१३–९–६१	१३–९–६२	५–१०–६२
			१	२०–९–६१	२०–९–६२	५–१०–६२
			१	१२–९–६१	१२–९–६२	५–१०–६२

परिशिष्ट १२--(क्रमशः)

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विभाग	आयोग के परामर्श बिना की गई नियुक्तियां		अन्तिम तिथि, जिस दिन निर्देश भेजे जाने चाहिये थे	तिथि, जिस दिन निर्देश भेजा गया
			व्यक्तियों की संख्या	नियुक्ति की तिथि		
१	२	३	४	५	६	७
२३	उत्तर प्रदेश सैनिक शिक्षा एवं समाज सेवा प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत सहायक कमान्डेन्ट		४	१९५८	१९५९	२२-१०-६२
			१	७-६-६०	७-६-६१	२२-१०-६२
२४	श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में लेखा निरीक्षक	श्रम	१	१-१०-६१	१-१०-६२	३१-१०-६२
२५	ग० शं० स्मा० चि०, कानपुर में अनेस्थीसिया में व्याख्याता	चिकित्सा	१	२६-६-६१	२६-६-६२	१२-१०-६२
२६	ग० शं० स्मा० चि०, कानपुर में औषधि विज्ञान में व्याख्याता	चिकित्सा	१	१९-५-६१	१९-५-६२	२६-९-६२
२७	अधीनस्थ गन्ना सेवा के द्वितीय ग्रुप में कनिष्ठ अग्रानामिकल सहायक/कनिष्ठ रसायनिक सहायक	गन्ना	१	६-२-६०	६-२-६१	३-५-६२
			१	७-४-६०	७-४-६१	३-५-६२
			१	१-३-६१	१-३-६२	३-५-६२
			१	१३-३-६१	१३-३-६२	३-५-६२
			१	६-३-६१	६-३-६२	३-५-६२
			१	१६-१०-५९	१६-१०-६०	३-५-६२

परिशिष्ट १२—(क्रमशः)

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विभाग	आयोग के परामर्श बिना की गई नियुक्तियां — व्यक्तियों की संख्या	आयोग के परामर्श बिना की गई नियुक्तियां — नियुक्ति की तिथि	अन्तिम तिथि, जिस दिन निर्देश भेजे जाने चाहिये थे	तिथि, जिस दिन निर्देश भेजा गया
१	२	३	४	५	६	७
२८	हरकोर्ट बटलर प्रौद्योग संस्थान, कानपुर में अनुसन्धान सहायक (अलकोहल टेक्नालाजी सेक्शन)	उद्योग	१	१९-१२-६०	१९-१२-६१	२२-१-६२
२९	स० ना० चि०, आगरा में रचना शरीर में व्याख्याता	चिकित्सा	१	९-११-६१	९-११-६२	२०-११-६२
			१	१०-११-६१	१०-११-६२	२०-११-६२
३०	अधीक्षक, टी० बी० सैनैटोरियम, भुवाली, जिला नैनीताल	चिकित्सा	१	३१-८-६०	३१-८-६१	२६-११-६२
३१	उत्तर प्रदेश कृषि सेवावरिष्ठ वेतन-क्रम के सेक्शन 'सी' में उप कृषि निदेशक (खादें तथा उर्वरक)	कृषि	१	१-४-६१	१-४-६२	२२-१२-६२
३२	परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश में प्राविधिक निरीक्षक	परिवहन	१	१२-५-५९	१२-५-६०	१९-१२-६२
	रीजनल निरीक्षक (प्राविधिक) एवं		३	१९५९	१९६०	१९-१२-६२
	सहायक रीजनल निरीक्षक (प्राविधिक)		३	१९५९	१९६०	१९-१२-६२

परिशिष्ट १२—(क्रमशः)

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विभाग	आयोग के परामर्श बिना की गई नियुक्तियां		अन्तिम तिथि, जिस दिन निर्देश भेजे जानें चाहिये थे	तिथि, जिस दिन निर्देश भेजा गया
			व्यक्तियों की संख्या	नियुक्ति की की तिथि		
१	२	३	४	५	६	७
३३	ग० शं० स्मा०चि०, कानपुर में रचना शारीर में व्याख्याता	चिकित्सा	१	३१-१०-६१	३१-१०-६२	२८-१२-६२
३४	अधीनस्थ शिक्षा सेवा के एल० टी० ग्रेड में संगीत अध्यापक	शिक्षा	१	अक्तूबर, १९६१	अक्तूबर, १९६२	२०-१२-६२
३५	सहायक पशु चिकित्सक	पशु-पालन	१	२४-६-५७	२४-६-५८	२१-९-६२
३६	राजकीय आयुर्वेदिक महा विद्यालय, लखनऊ में द्रव्यगुण में प्रदर्शक	चिकित्सा	१	६-२-६०	६-२-६१	२३-८-६२
३७	गन्ना विभाग, उत्तर प्रदेश में सहायक प्रशिक्षण अधिकारी	गन्ना	४	जुलाई, १९६१	जुलाई, १९६२	११-१२-६२
३८	अधीनस्थ शिक्षा सेवा के एल० टी० ग्रेड में सहायक अध्यापक (संगीत)	शिक्षा	२	१५-७-६१	१५-७-६२	२०-१२-६२
३९	श्रम विभाग में वरिष्ठ अनुसंधान सहायक (नियोजन)	श्रम	१	११-१-६२	११-१-६३	५-२-६३

परिशिष्ट १२—(क्रमशः)

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विभाग	आयोग के परामर्श बिना की गई नियुक्तियां		अन्तिम तिथि, जिस दिन निर्देश भेजे जाने चाहिये थे	तिथि, जिस दिन निर्देश भेजा गया
			व्यक्तियों की संख्या	नियुक्ति की तिथि		
१	२	३	४	५	६	७
४०	स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो प्रसार के संबंध में समाज शास्त्री	जन-स्वास्थ्य	१	१-७-६१	१-७-६२	२०-११-६२
४१	चिकित्सा अधिकारी रक्त बैंक, ग० शं० स्मा० चि०, कानपुर	चिकित्सा	१	२२-९-६१	२२-९-६२	६-२-६३
४२	पशुपालन निदेशक, उत्तर प्रदेश के मुख्यालयों में वरिष्ठ संपरीक्षक	पशु-पालन	१	१-९-६१	१-९-६२	८-१-६३
४३	सहायक कल्याण अधिकारी/फैक्ट्रीज के उपमुख्य निरीक्षक/ब्वायलर्स के निरीक्षक/व्याख्याता/वरिष्ठ अनुसन्धान अधिकारी	श्रम	१ १ १	१-६-६० ५-७-६१ १४-१२-६१	१-६-६१ ५-७-६२ १४-१२-६२	१५-२-६३ १५-२-६३ १५-२-६३
४४	सहायक लेखा अधिकारी, अर्द्ध कुम्भ मेला, हरिद्वार	वित्त (ई-३)	१	फरवरी, १९६२	फरवरी, १९६३	८-३-६३
४५	शिक्षा प्रसार कार्यालय, उत्तर प्रदेश में फिल्म लाईब्रेरियन	शिक्षा	१	१२-१-६२	१२-१-६३	१३-३-६३

परिशिष्ट १२ह--(क्रमशः)

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विभाग	आयोग के परामर्श बिना की गई नियुक्तियां		अन्तिम तिथि, जिस दिन निर्देश भेजे जाने चाहिये थे	तिथि, जिस दिन निर्देश भेजा गया
			व्यक्तियों की संख्या	नियुक्ति की तिथि		
१	२	३	४	५	६	७
४६	अधीनस्थ श्रम सेवा के ग्रुप तृतीय में आवास निरीक्षक	श्रम	२	जून, १९६०	जून, १९६१	१९-३-६२
४७	सहायक पशु चिकित्सक	पशुपालन	४	जून, १९६०	जून, १९६१	३-१-६२
			५	सितम्बर, १९६०	सितम्बर, १९६१	३-१-६२
४८	स० ना० चि०, आगरा में फिजियोलाजी में प्रवाचक	चिकित्सा	१	३१-१२-६०	३१-१२-६१	१३-२-६२
४९	प्रशिक्षण एवं रोजगार निदेशालय, उत्तर प्रदेश में सहायक जिला रोजगार अधिकारी	प्रशिक्षण एवं रोजगार	१४	१६-१२-६०	१६-१२-६१	७-२-६२
			३	१७-१२-६०	१७-१२-६१	७-२-६२
५०	उत्तर प्रदेश कृषि सेवा के कनिष्ठ वेतन क्रम में वनस्पति विज्ञान में सहायक प्राध्यापक	कृषि	१	२१-११-६०	२१-११-६१	२७-४-६२
५१	राजकीय खेल-कूद वस्तु केन्द्र, बरेली के अन्तर्गत कर्मशाला अधीक्षक	उद्योग	१	१-८-६०	१-८-६१	७-९-६२
५२	प्राविधिक प्रबन्धक (पावरलूम)	उद्योग	१	अक्तूबर, १९६०	अक्तूबर, १९६१	सितम्बर, १९६२

परिशिष्ट १२-(क्रमशः)

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विभाग	आयोग के परामर्श बिना की गई नियुक्तियां		अन्तिम तिथि, जिस दिन निर्देश भेजे जाने चाहिये थे	तिथि, जिस दिन निर्देश भेजा गया
			व्यक्तियों की संख्या	नियुक्ति की तिथि		
१	२	३	४	५	६	७
५३	सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश में सहायक लेखा अधिकारी	सिंचाई	१	फरवरी, १९६१	फरवरी, १९६२	१७-९-६२
५४	प्रान्तीय चिकित्सा सेवा (महिला) प्रथम	चिकित्सा	१	१७-२-६१.	१७-२-६२	७-८-६२
५५	मद्य-निषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी	आबकारी	१	१०-१२-६०	१०-१२-६१	१३-७-६२
५६	सहायक परिवहन अभियन्ता	परिवहन	१	१७-१०-६०	१७-१०-६१	११-१-६३
५७	प्रबन्धक प्रभारी, कम्बल फैक्ट्री तथा अधीक्षक, गुण चिन्हांकन योजना (कम्बल), मिर्जापुर	उद्योग	१	३०-८-५९	३०-८-६०	४-१०-६२
			१	फरवरी, १९६०	फरवरी, १९६१	२-२-६२
५८	सार्वजनिक निर्माण विभाग में सहायक अभियन्ता	सा० नि० वि०	५	१९६०	१९६१	७-५-६२
५९	सहायक सचिव, राजस्व परिषद्	राजस्व	१	१-४-६०	१-४-६१	४-३-६३

परिशिष्ट १२—(क्रमशः)

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विभाग	आयोग के परामर्श बिना की गई नियुक्तियां		अन्तिम तिथि, जिस दिन निर्देश भेजे जाने चाहिये थे	तिथि, जिस दिन निर्देश भेजा गया
			व्यक्तियों की संख्या	नियुक्ति की तिथि		
१	२	३	४	५	६	७
६०	अधीनस्थ शिक्षा सेवा के प्रशिक्षित स्नातक वर्ग में राजकीय ओरियन्टल कालेज, रामपुर में सहायक अध्यापक	शिक्षा	१	२८–१२–६१	२८–१२–६२	१४–२–६३
			१	३–६–५७	३–६–५८	१४–२–६३
			१	१०–४–६१	१०–४–६२	१४–२–६३
६१	उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा कनिष्ठ वेतन-क्रम में राजकीय इन्टर कालेज, मुंसियारी के प्रधानाचार्य	शिक्षा	१	सितम्बर, १९६०	सितम्बर, १९६१	२६–३–६२
६२	उत्तर प्रदेश कृषि सेवा कनिष्ठ वेतन-क्रम के सेक्शन 'ई' में उद्यान विकास अधिकारी	कृषि	१	१४–७–५८	१४–७–५९	९–५–६२
६३	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में व्याख्याता	शिक्षा	१	१९५२	१९५३	९–४–६२
			४	१९५६	१९५७	९–४–६२
			२	१९५७	१९५८	९–४–६२
			१	१९६०	१९६१	९–४–६२

परिशिष्ट १२—(क्रमशः)

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विभाग	आयोग के परामर्श बिना की गई नियुक्तियां		अन्तिम तिथि, जिस दिन निर्देश भेजे जाने चाहिये थे	तिथि, जिस दिन निर्देश भेजा गया
			व्यक्तियों की संख्या	नियुक्ति की तिथि		
१	२	३	४	५	६	७
६४	राजकीय प्राविधिक प्रशिक्षण केन्द्र, नैनीताल में वरिष्ठ यान्त्रिकी इन्स्ट्रक्टर	हरिजन सहायक	१	२९–७–५९	२९–७–६०	१८–९–६२
	राजकीय प्राविधिक प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ में फोरमैन		१	१०–१–५९	१०–१–६०	१८–९–६२
	वरिष्ठ विद्युत् इन्स्ट्रक्टर		१	२–८–६१	२–८–६२	१८–९–६२
	वरिष्ठ यांत्रिकी इन्स्ट्रक्टर तथा		१	२–५–५९	२–५–६०	१८–९–६२
	राजकीय प्राविधिक प्रशिक्षण केन्द्र नैनीताल में वरिष्ठ विद्युत् इन्स्ट्रक्टर		१	३१–७–५९	३१–७–६०	१८–९–६२

परिशिष्ट १२--(समाप्त)

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विभाग	आयोग के परामर्श बिना की गई नियुक्तियां		अन्तिम तिथि, जिस दिन निर्देश भेजे जाने चाहिये थे	तिथि, जिस दिन निर्देश भेजा गया
			व्यक्तियों की संख्या	नियुक्ति की तिथि		
१	२	३	४	५	६	७
६५	पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, मथुरा में प्रदर्शक	पशु-पालन	१	१९५६	१९५७	३१-७-६२
			२	१९५८	१९५९	३१-७-६२
			२	१९५९	१९६०	३१-७-६२
			१	१९६०	१९६१	३१-७-६२
		योग ...	१५२			

परिशिष्ट

उन मामलों की सूची, जिनमें नियुक्ति प्राधिकारियों ने

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	संस्तुत अभ्यर्थियों की संख्या	संस्तुति की तिथि
१	२	३	४
१	अधीनस्थ सहकारिता सेवा में १०० सहकारिता निरीक्षक (ग्रुप दो)	१३९	२३ मई, १९६१
२	१२० पशुचिकित्सा सहायक सर्जन	९६	२९ मई, १९६१
			२१ अगस्त, १९६२
३	उ० प्र० सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में ३५ चिकित्सा अधिकारी	१७	१५ मई, १९६१
४	५ अधीक्षक, समाज कल्याण विभाग के अधीन रक्षा गृह	३	१४ जून, १९६१
५	विकास आयुक्त, लखनऊ के कार्यालय के यात्री अनुभाग के लिये १ विज्ञापन अधिकारी	१	२१ अगस्त, १९६१
६	राजकीय मृद्भांड विकास केन्द्र, खुर्जा की मृद्भांड उद्योग योजना के अन्तर्गत १ प्राविधिक सहायक (अनुसंधान प्रशिक्षण)	१	११ सितम्बर, १९६१
७	एच० बी० टी० आई०, कानपुर में गणित में एक व्याख्याता	२	२९ अगस्त, १९६१
८	सूक्ष्म यंत्र निर्माण शाला, लखनऊ में डिजाइन सहित अनुसंधान केन्द्र के लिये १ मुख्य डिजाइन सहित अनुसंधान अधिकारी	२	१४ सितम्बर, १९६१
९	१ भूगर्भशास्त्री, भूगर्भशास्त्र तथा खनिकर्म निदेशालय उ० प्र०	१	तदेव

१३

नियुक्ति आदेशों को भेजने में ६ मास से अधिक का विलम्ब किया।

नियुक्ति के लिये आमंत्रित करने की तिथि, यदि कोई है	संख्या, जिनमें ६ मास के बाद नियुक्ति के लिये आमंत्रित किया गया	उन अभ्यर्थियों की संख्या, जिनके बारे में नियुक्ति आदेश वर्ष की समाप्ति तक प्राप्त नहीं हुये थे	अभ्युक्ति
५	६	७	८
३० अप्रैल, १९६२	८२	–	शेष अभ्यर्थी प्रशिक्षण में नहीं शामिल हुये।
–	–	९६	
–	–	३	शेष १४ अभ्यर्थी ३१–१०–१९६१ को नियुक्त किये गये।
३ जुलाई, १९६२	२	१	
२७ अगस्त, १९६२	१	–	
–	–	–	इस पद के लिये संस्तुत अभ्यर्थी आयोग की संस्तुति से दूसरे पद पर नियुक्त किया गया।
–	–	१	
१२ अक्तूबर, १९६२	१	–	
२९ सितम्बर, १९६२	१	–	

परिशिष्ट

उन मामलों की सूची, जिनमें नियुक्ति प्राधिकारियों ने नियुक्ति

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	संस्तुत अभ्यर्थियों की संख्या	संस्तुति की तिथि
१	२	३	४
१०	११ प्राविधिक सहायक, एच० बी० टी० आई०, कानपुर	७	२९ सितम्बर, १९६१
११	पी० आर० ए० आई०, उ० प्र०, के कर्म-चारिवर्ग में महिला कार्यक्रम के विशेषज्ञ के १ कनिष्ठ सहयुक्त	२	२८ सितम्बर, १९६१
१२	मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ० प्र० के कार्यालय में एक पुस्तकाध्यक्ष	१	१२ सितम्बर, १९६१
१३	शिक्षा विभाग की सैनिक शिक्षा तथा समाज सेवा प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत एक अनुदेशक	२	४ मई, १९६०
१४	उ० प्र० उद्योग निदेशालय के अधीन राज-कीय प्राविधिक संस्थानों में तीन कर्म-शाला अधीक्षक	२	१ सितम्बर, १९६०
१५	१ प्रधानाचार्य, राजकीय प्राच्य महाविद्यालय (मदरसा आलिया), रामपुर	२	१९ सितम्बर, १९६०
१६	१ प्राध्यापक, प्राणिशास्त्र, राजकीय डिग्री महाविद्यालय, नैनीताल	१	१५ सितम्बर, १९६०

१३—(क्रमशः)

आदेशों को भेजने में ६ मास से अधिक का विलम्ब किया।

नियुक्ति के लिये आमंत्रित करने की तिथि, यदि कोई हो	संख्या, जिनमें ६ मास के बाद नियुक्ति के लिये आमंत्रित किया गया	उन अभ्यर्थियों की संख्या, जिनके बारे में नियुक्ति आदेश वर्ष की समाप्ति तक प्राप्त नहीं हुये थे	अभ्युक्ति
५	६	७	८
—	—	३	शेष ४ अभ्यर्थी २७–११–६१ को नियुक्त किये गये।
२ जून, १९६२	१	—	
—	—	—	२०–२–६२ को मुख्य अभियन्ता ने सूचित किया कि पद तोड़ दिया गया।
१३ मार्च, १९६३	१	—	
—	—	—	आदेश जारी किये जा सकने के पूर्व ही पहले अभ्यर्थी ने पद को छोड़ दिया और शासन ने इसकी सूचना फरवरी, १९६३ में दी। दूसरा अभ्यर्थी पहले नियुक्त किया जा चुका था।
..	—	१	
–	१	—	अभ्यर्थी ने विज्ञापित वेतन-क्रम में पद को स्वीकार नहीं किया। अतः पद पुनर्विज्ञापित।

परिशिष्ट

उन मामलों की सूची, जिनमें नियुक्ति प्राधिकारियों ने नियुक्ति आदेशों

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	संस्तुत अभ्यर्थियों की संख्या	संस्तुत की तिथि
१	२	३	४
१७	उ० प्र० उद्योग निदेशालय की गुण चिन्हांकन योजना में २ अधीक्षक (मुख्यालय)	५	५ जनवरी, १९६१
१८	परिवहन विभाग में ५ सहायक परिवहन अभियन्ता	५	४ फरवरी, १९६१
१९	उ० प्र० परिवहन विभाग की एक त्रैमासिक पत्रिका के प्रकाशन के लिये एक संपादक	१	२७ मार्च, १९६१
२०	उ० प्र० उद्योग निदेशालय के अधीन राजकीय अग्रगामी कर्मशाला में २ फोरमैन	३	१२ अप्रैल, १९६१
२१	प्रशिक्षित स्नातक वर्ग में ६ सहायक अध्यापिकायें (कला)	५	२२ सितम्बर, १९६०
२२	सा० नि० वि० के वास्तुविद् अनुभाग में १ कनिष्ठ वास्तुविद्	१	२९ जून, १९६१
२३	राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय, लखनऊ में वास्तुविद्या के दो सहायक प्राध्यापक	२	२९ मार्च, १९६१
२४	५१ जिला सूचना अधिकारी तथा १३ अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी (सहायक प्रदर्शिनी अधिकारी स्थायी प्रगति संग्रहालय, बनारसी बाग, लखनऊ के एक पद को लेकर)	८६	२ जनवरी, १९६०

१३—(क्रमशः)

को भेजने में ६ मास से अधिक का विलम्ब किया ।

नियुक्ति के लिये आमंत्रित करने की तिथि, यदि कोई है	संख्या, जिनमें ६ मास के बाद नियुक्ति के लिये आमंत्रित किया गया	उन अभ्यर्थियों की संख्या, जिनके बारे में नियुक्ति आदेश वर्ष की समाप्ति तक प्राप्त नहीं हुये थे	अभ्युक्ति
५	६	७	८
१२ जनवरी, १९६१	४	—	
१० अप्रैल, १९६२			
—	—	१	चार अन्य अभ्यर्थी पहले ही नियुक्त कर दिये गये थे ।
—	—	१	
—	—	—	एक अभ्यर्थी पहले नियुक्त किया गया था। दूसरे ने औपचारिक आदेश निकलने के पूर्व ही त्याग-पत्र दे दिया ।
..	—	—	तीन अभ्यर्थी पहले नियुक्त किये गये थे, और शेष ने पदभार ग्रहण नहीं किया ।
२ अगस्त, १९६२	१	—	अभ्यर्थी ने पदभार ग्रहण नहीं किया ।
—	—	—	एक अभ्यर्थी पहले नियुक्त किया गया था और दूसरे ने औपचारिक आदेश निकलने के पूर्व ही त्याग-पत्र दे दिया
—	—	—	आयोग का परामर्श पूरा पूरा नहीं माना गया।

परिशिष्ट

उन मामलों की सूची, जिनमें नियुक्ति प्राधिकारियों ने नियुक्ति आदेशों को भेजने

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	संस्तुत अभ्यर्थियों की संख्या	संस्तुति की तिथि
१	२	३	४
२५	१ प्रभारी अधिकारी, मत्स्य प्रशिक्षण अनुभाग	१	१३ अक्तूबर, १९६१
२६	१ व्याख्याता (जीव विज्ञान), उ० प्र० पशु-चिकित्सा महाविद्यालय, मथुरा	१	तदैव
२७	१ फोरमैन (गैस हाउस फर्नेसेज), १ वरिष्ठ पुस्तकाध्यक्ष, तथा १ व्याख्याता (गणित)	१ १ १	२१ अक्तूबर, १९६१
२८	उ० प्र० उद्योग निदेशालय के अधीन १ सहायक उद्योग निदेशक (हस्तशिल्प)	२	२४ मार्च, १९६२
२९	१ महिला चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य वीक्षक प्रशिक्षण विद्यालय, लखनऊ	१	२९ अक्तूबर, १९६१
३०	अधीनस्थ सहकारिता सेवा में १६० सहकारिता लेखा परीक्षक	२१५	१६ दिसम्बर, १९६१
३१	१ पुस्तकाध्यक्ष, सूचना केन्द्र, लखनऊ	१	७ अक्तूबर, १९६१
३२	फैक्ट्रियों तथा ब्वायलरों के निरीक्षकों (द्वितीय श्रेणी) की सेवा, उ० प्र०, में ४ फैक्ट्री निरीक्षक	३	१६ नवम्बर, १९६१

१३—(क्रमशः)

में ६ मास से अधिक का विलम्ब किया ।

नियुक्ति के लिये आमंत्रित करने की तिथि, यदि कोई है	संख्या, जिनमें ६ मास के बाद नियुक्ति के लिये आमंत्रित किया गया	उन अभ्यर्थियों की संख्या, जिनके बारे में नियुक्ति आदेश वर्ष की समाप्ति तक प्राप्त नहीं हुये थे	अभ्युक्ति
५	६	७	८
–	–	–	संस्तुत अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये नहीं आमंत्रित किया गया क्योंकि उसके विरुद्ध सी० आई० डी० कुछ जांच कर रही थी। पद पुनर्विज्ञापित ।
१० अप्रेल, १ ६३	१	–	
–	–	१ १	
–	–	१	
१३ मार्च, १९६३	१	–	
–	–	१६०	
३ जनवरी, १९६३	१	–	
१९ मार्च, १९६२	२	१	

परिशिष्ट

उन मामलों की सूची, जिनमें नियुक्ति प्राधिकारियों ने नियुक्ति आदेशों को भेजने

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	संस्तुत अभ्यर्थियों की संख्या	संस्तुति की तिथि
१	२	३	४
३३	अग्रगामी प्रायोजना क्षेत्र, देवबन्द, सहारनपुर के अधीन कोमल गुड़ियों के लिये १ महिला अनुदेशक	२	२८ अक्तूबर, १९६१
३४	केन्द्रीय डिजाइन केन्द्र, लखनऊ में—		
	१ क्राफ्ट डिजाइनर (मेटल वर्किंग)	१	३० अक्तूबर, १९६१
	१ " " (काष्ठ कला)	१	
	१ " " (बुनाई), तथा	१	
	१ " " (टेक्सटाइल प्रिंटिंग)	१	
३५	प्रांतीय रक्षक दल, उ० प्र० के मुख्यालय में १ सहायक कमांडेन्ट (युवक कल्याण संगठन)	२	१५ दिसम्बर, १९६१
३६	समाज कल्याण विभाग में ३ महिला अधीक्षक, उत्तर रक्षा गृह	४	८ दिसम्बर, १९६१
३७	१ मनोवैज्ञानिक, मनोविज्ञानशाला, उ० प्र०	१	२० फरवरी, १९६२
३८	अ० शि० सेवा (राजपत्रित) में १५ प्रधान अध्यापिकायें	२०	९ जनवरी, १९६२
३९	१ अधीक्षक (उत्पादन), करघा बुनकर सहकारिता समितियां, उद्योग निदेशक, उ० प्र० के अधीन	२	१८ जनवरी, १९६२
४०	अ० शि० सेवा (राजपत्रित) में ७ उप-विद्यालय निरीक्षक	३२	१४ फरवरी, १९६२

१३—(क्रमशः)

में ६ मास से अधिक का बिलम्ब किया

नियुक्ति के लिये आमंत्रित करने की तिथि, यदि कोई हो	संख्या, जिनमें ६ मास के बाद नियुक्ति के लिये आमंत्रित किया गया	उन अभ्यर्थियों की संख्या, जिनके बारे में नियुक्ति आदेश वर्ष की समाप्ति तक प्राप्त नहीं हुये थे	अभ्युक्ति
५	६	७	८
२७ नवम्बर, १९६१	२	—	
७ सितम्बर, १९६२			
२७ जून, १९६२	४	—	
९ सितम्बर, १९६२	१	—	
२१ जुलाई, १९६२	२	१	
२९ सितम्बर, १९६२	१	—	
—	—	१५	
२९ नवम्बर, १९६२	१	—	
२४ दिसम्बर, १९६२	७	—	

परिशिष्ट

उन मामलों की सूची, जिनमें नियुक्ति प्राधिकारियों ने नियुक्ति आदेशों को भेजने

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	संस्तुत अभ्यर्थियों की संख्या	संस्तुति की तिथि
१	२	३	४
४१	उ० प्र० कृषि सेवा, कनिष्ठ वेतन-क्रम के अनुभाग 'घ' में ३ सहायक अभियन्ता (कन्दरा)	१	१२ मार्च, १९६२
४२	उ० प्र० उद्योग निदेशालय के उड सीज-निंग प्लांट अनुभाग में १ किल्न अभियन्ता	२	२५ फरवरी, १९६२
४३	उ० प्र० उद्योग निदेशालय के अधीन चमड़ा कमाने की योजना में ३ असैनिक ओवर-सियर	४	१४ अक्तूबर, १९६२
४४	उ० प्र० कृषि सेवा, कनिष्ठ वेतन-क्रम के अनुभाग 'ग' में १ रुई फिजियो-लाजिस्ट	१	२८ मार्च, १९६२
४५	१ संग्रहाध्यक्ष, पुरातत्व संग्रहालय, मथुरा	२	३ मई, १९६२
४६	१ शेप मेकर तथा कास्टर, राजकीय कला शिल्प महाविद्यालय, लखनऊ	२	४ अप्रैल, १९६२
४७	१ प्रबन्धक (प्राविधिक), राजकीय अग्रगामी प्रायोजना (जूता), आगरा	२	तदेव
४८	श्रम संगठन, उ० प्र० में १० संशोधन अधि-कारी	१०	२१ मई, १९६२
४९	सा० नि० वि० उ० प्र० में ३६ विद्युत् ओवरसियर	४	तदेव
	सा० नि० वि०, उ० प्र० में ४० अधीक्षक (विद्युत् तथा यांत्रिक)	५	

१३—(क्रमशः)

में ६ मास से अधिक का विलम्ब किया ।

नियुक्ति के लिये आमन्त्रित करने की तिथि, यदि कोई हो	संख्या, जिनमें ६ मास के बाद नियुक्ति के लिये आमंत्रित किया गया	उन अभ्यर्थियों की संख्या, जिनके बारे में नियुक्ति आदेश वर्ष की समाप्ति तक प्राप्त नहीं हुये थे	अभ्युक्ति
५	६	७	८
–	–	१	मामले पर संघ शासन और राज्य सरकार में पत्र-व्यवहार हो रहा बतलाया गया है ।
७ नवम्बर, १९६२	१	–	
६ मई, १९६३	१	–	
२० नवम्बर, १९६२	१	–	
२९ मार्च, १९६३	१	–	
५ नवम्बर, १९६२	१	–	
१८ फरवरी, १९६३	१	–	
–	–	३	शेष पहले नियुक्त थे ।

परिशिष्ट

उन मामलों की सूची, जिनमें नियुक्ति प्राधिकारियों ने नियुक्ति

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	संस्तुत अभ्यर्थियों की संख्या	संस्तुति की तिथि
१	२	३	४
५०	निदेशक, सैनिक प्रशिक्षण तथा समाज सेवा शिक्षा, उ० प्र० के अधीन १ शारीरिक शिक्षा के अधीक्षक	२	२९ मई, १९६२
५१	उ० प्र० श्रमायुक्त के कार्यालय में १ उप-मुख्य फैक्ट्री निरीक्षक (अभियंत्रण)	१	२ जून, १९६२
५२	३७० सहायक विकास अधिकारी (उद्योग) (ग्रेड दो)	४८८	२६ अगस्त, १९६२
५३	१ कल्याण अधिकारी, राजकीय सीमेंट फैक्ट्री, चुर्क	१	२७ जुलाई, १९६२
५४	अ० शि० सेवा (स्नातक श्रेणी) में १३ विद्यालय मनोवैज्ञानिक	२१	२१ अगस्त, १९६२
५५	२० सहायक निबन्धक, सहकारिता समितियां, उ० प्र०	२९	१७ सितम्बर, १९६२
५६	२ कनिष्ठ व्याख्याता (वाणिज्य), राजकीय डिग्री महाविद्यालयों में	४	१० सितम्बर, १९६२
५७	५ सहायक अधीक्षक, रक्षा गृह (महिला)	८	४ सितम्बर, १९६२
५८	४ जिला गन्ना अधिकारी	४	२७ सितम्बर, १९६२

१३—(समाप्त)

आदेशों को भेजने में ६ मास से अधिक का विलम्ब किया।

नियुक्ति के लिये आमंत्रित करने की तिथि, यदि कोई हो	संख्या, जिनमें ६ माह के बाद नियुक्ति के लिये आमंत्रित किया गया	उन अभ्यर्थियों की संख्या, जिनके बारे में नियुक्ति आदेश वर्ष की समाप्ति तक प्राप्त नहीं हुये थे	अभ्युक्ति
५	६	७	८
—	—	१	
—	—	१	
—	—	१३०	शेष पहले नियुक्त थे ।
—	—	१	मामला आयोग और शासन के बीच पत्र-व्यवहारान्तर्गत है ।
—	—	२	शेष पहले नियुक्त थे ।
—	—	१३	तदेव
—	—	२	
—	—	१	शेष पहले नियुक्त थे ।
—	—	२	तदेव
	योग .. १२४	४५४	

परिशिष्ट १८

आयोग के कर्मचारि वर्ग

(अध्याय २ का पैरा ४ देखें)

पद का नाम	पदों की संख्या		
	१–४–६२ को		३१–३–६३ को
(१) राजपत्रित			
सचिव ..	१		१
उप–सचिव ..	१		१
सहायक सचिव ..	[illegible]		२
अधीक्षक ..	४		४
सदस्यों के वैयक्तिक सहायक ..	५		५
योग ..	१३		१३
(२) अराजपत्रित			
सहायक अधीक्षक	८		८
आशुलिपिक ..	३		३
प्रवर वर्ग सहायक ..	३३	१	३४
लेखाकार ..	१		१
कोषाध्यक्ष ..	१		१
अभिलेखापाल ..	१		१
निर्देशलिपिक ..	३		३
अवर वर्ग सहायक	४३	१	४४
पुस्तकाध्यक्ष ..	१		१
अवधाता (केयर टेकर) ..	१		१
टंकक ..	१		१
लेखन सामग्री लिपिक ..	१		१
योग ..	९७	+२	९९

पद का नाम		पदों की संख्या		
		१-४-६२ को		३१-३-६३ को
(३) अवर श्रेणी कर्मचारि वर्ग				
एटेन्डर जमादार	..	२	+१	३
जमादार	..	६		६
दफ्तरी	..	४		४
बन्डल लिफ्टर	..	२		२
बैंक मैसेन्जर	..	१		१
साइक्लोस्टाइल-यन्त्र चालक		१		१
मेट माली	..	१		१
चपरासी	..	२५		२५
चौकीदार	..	३	+१	४
रनर	..	२		२
माली	..	१	+१	२
पुरुष मजदूर	..	१		१
पानी वाले	..	४		४
झाड़ू लगाने वाले	..	३		३
फर्राश	..	५		५
ट्यूबवेल चालक	...	×	+१	१
भिश्ती	..	×	+१	१
		६१	+५	६६
मद संख्या (१) (२) तथा (३) का योग =		१७१	+७	१७८

पी० एस० यू० पी०--११९ पी० एस० सी०--१९६४-१,००० (हिन्दी)